

आचार्य नरेन्द्रदेव

भगवती शरण सिंह

₹ 23.648
भग/आ



भाषात्मक भारत के निर्माता

आचार्य नरेन्द्रदेव

भगवती शरण सिंह

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आषाढ 1913 (जुलाई 1991)

© प्रकाशन विभाग

मूल्य : 25 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र • प्रकाशन विभाग

- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- कामर्स हाउस, करीममाई रोड, बालार्ड पायर, बम्बई-400038
- एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- एल० एल० ए० आडीटोरियम, 736 अन्नासलै, मद्रास-600002
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नमेन्ट प्रेम, प्रेम रोड, त्रिवेन्द्रम-695001
- 10 वी० स्टेशन रोड, लखनऊ-226004
- स्टेट आर्किटैक्चरल म्यूजियम बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद-500004

स्वतंत्र भारत प्रेम, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

प्रकाशकीय

‘आधुनिक भारत के निर्माता’ श्रृंखला प्रकाशन विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इस श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे महापुरुषों की जीवनियां प्रकाशित की जाती हैं, जिन्होंने देश को गुलामी की वेडियों से मुक्त कराने में एवं यहाँ की संस्कृति व सभ्यता के विकास में अपना अकथ योगदान दिया है। ये महापुरुष आत्मदलाघा से सदैव दूर रहे। वे राष्ट्र निर्माण व देश सेवा को अपना स्वाभाविक कर्तव्य मानते थे। वे इस शस्य व्यामला भूमि में पुष्पवत् खिलकर निरपेक्ष भाव से अपनी सुगंधि चारों ओर बिखेरते हुए इसी माटी में मिल गए। उन्होंने हमारे मार्ग में जो प्रकाश स्तम्भ खड़े किए, वह आज भी ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ के श्रुति वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। उनकी प्रतिध्वनिया आज भी हमारे राष्ट्र के कण-कण से गूँज रही हैं। हम उन महापुरुषों के ऋणी हैं क्योंकि निराशा और परवशता के बियाजान जंगलों को काटकर जो निष्कटक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, उसी मार्ग पर हम गर्व से सिर उठाए अग्रसर हैं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इन महान आत्माओं का परिचय भावी पीढ़ी तक पहुँचाएं। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रकाशन विभाग ने यह पुस्तकमाला प्रारम्भ की।

इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित जीवनियों में विस्तृत घटनाक्रम पर ही जोर न देकर महापुरुष के उस पक्ष को उजागर किया गया है, जिसका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में आधुनिक भारत के निर्माण से रहा है, अतः इनमें व्यापक जीवन-वृत्त खोजना अथवा विस्तृत रूप से उनकी विचारधाराओं का विश्लेषण बूढ़ना उचित नहीं होगा।

‘आचार्य नरेन्द्रदेव’ इस श्रृंखला की अगली कड़ी है। इसके लेखक हैं— स्व० भगवतीशरण सिंह। आचार्यजी का महत्व इसी बात से आका जा सकता है कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इनके नाम का प्रस्ताव गांधीजी जैसे महापुरुषों ने रखा था। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक

आचार्यजी ही थे। समकालीन भारतीय चिंतकों में आचार्यजी की गणना बड़े सम्मान के साथ की जाती है।

आशा है, यह पुस्तक पाठकों को न केवल आचार्यजी के जीवन तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से परिचित कराएगी, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी देगी।

डा० श्याम सिंह शशि
निदेशक

आमुख

आचार्यजी की जीवनी लिखना एक कठिन काम था। उन्होंने अपने बारे में या अपने से सम्बद्ध कोई कागज-पत्र नहीं छोड़ा था। यदि रहा भी हो तो कहीं सुरक्षित नहीं किया गया। जिन लोगों के पास था या जिन्होंने एकत्र किया था, उन्हें देने से इनकार था। उनके वचन के साथी और समकालीन बहुत लोग अब नहीं रहे। अतः जावनी के लिए, जो और जितनी सामग्री आवश्यक थी, उसको एकत्र करना और सम्बद्ध व्यक्तियों से मिलकर जानकारी प्राप्त करना समय-साध्य और व्यय-साध्य था। दोनों ही सुविधाएं अनुपलब्ध थीं। एक अतरंग जीवनी के लिए जितने समय और काम की अपेक्षा होती है, वह सफल जीवनीकार जानते हैं। फिर भी प्रकाशन विभाग के मित्रों का आग्रह मनोनुकूल था, अतः वरेण्य भी। आचार्यजी का मैं सदा ऋणी रहूंगा। उनका जो स्नेह मुझे मिला था, वह मेरी अमूल्य धरोहर बनी रहेगी। यह जीवनी लिखकर मैं ऋण मुक्त नहीं हो रहा हूँ, बल्कि इससे उन्हें समझने और उनका गम्भीर अध्ययन करने की पिपासा बढी ही है। यह जीवनी उन्हें समझने और उनके भीतर भाँकने का एक प्रयास मात्र है। यदि इससे पाठकों के मन में भी उन्हें अधिक समझने, उनके आदर्शों पर चलने और उनके साहित्य को जानने की रुचि बढी तो मैं अपने को कृतकृत्य मानूंगा, अन्यथा भी इसे उनके प्रति श्रद्धा-सुमन मानकर सतोष पाऊंगा।

मैं उन सबका आभारी हूँ जिनकी सदाशयता इसके लेखन में मुझे मिली। मैं श्री अजय कुमार का एवं श्री चन्द्रदत्त तिवारी का विशेष रूप से आभार स्वीकार करने में सुख का अनुभव कर रहा हूँ।

मगवती शरण सिंह

विषय-सूची

1. जन्म और बाल्यकाल	1
2. यदि वह शिक्षक ही रहते	15
3. शिक्षा और शिक्षक	24
4. राजनीति में प्रवेश	36
5. उनका मित्र-मंडल	46
6. नरेन्द्रदेव और गांधीजी	58
7. समाजवाद के पोषक	65
8. वर्गहीन समाज के लिए प्रयास	83
9. शासन से सहयोग	91
10. नरेन्द्रदेव : बौद्धधर्म और दर्शन	99
11. भारतीय संस्कृति के व्याख्याता	112
12. विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी	120
13. स्नह और गरिमामय जीवन	131
परिशिष्ट 1 नरेन्द्रदेव अपनी नजरो में	146
परिशिष्ट 2 अंतिम वर्ष	162

जन्म और बाल्यकाल

प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी-न-किसी स्थान विशेष में होता है। अतः उसके जन्म की तिथि और संवत् भी होता है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक मनुष्य अथवा प्राणी देश-काल की परिधि में बंधा रहता है। देश-काल की परिधि में बंधे हुए कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहकर एक दिन संसार की असारता सिद्ध करने के लिए चल बसना ही साधारण मनुष्यों की नियति होती है। असारता इस अर्थ में भी कि ऐसे साधारण लोग जीते रहकर भी जगत में न तो कोई सार-तत्व पाते हैं और न अपने परिवेश को कुछ दे पाते हैं। सारा जीवन अपने और अपने कुटुम्ब के लिए रोटी-कपड़ा जुटाने में बीत जाता है। यद्यपि यह भी जीवन का एक आवश्यक कर्म है और गृहस्थ जीवन का परम कर्तव्य भी है, पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब ऐसे मार्ग अपनाए जाएं, जो नीति-सम्मत न हों, तो वह जीवन को निःसार बना जाते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में वे क्षण आते ही रहते हैं जब वे परिस्थितियों का शिकार होते हैं। लेकिन परिस्थितियों से लड़ना, उन्हें बदलना और पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करना ही साधारण मनुष्य को असाधारणत्व की ओर ले जाता है। नरेन्द्रदेवजी के बारे में, उनके जीवन और परिवेश के बारे में, कुछ भी लिखने के पूर्व कुछ और लिखना आवश्यक जान पड़ता है, क्योंकि उनका जीवन जैसा कि लोगों को देखने-समझने के लिए मिला, निश्चितरूप से देश और काल की परिधि को लांघ कर जिया हुआ जीवन था।

आचार्य नरेन्द्रदेवजी के जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम उनके परिवेश के बारे में तथा उनके कुटुम्ब के बारे में जान लें। नरेन्द्रदेवजी के पूर्वज कभी भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश के रहने वाले थे। वे क्या करते थे, उनकी जीविका का आधार कृषि था अथवा अन्य कुछ, इसका कुछ पता नहीं चलता। इतना ज्ञात है कि वे लोग पुराने पंजाब के स्यामकोट स्थान के रहने वाले थे। वहां से उनके पूर्वज सीधे फ़ैजाबाद आ गए। अबघ में

अंग्रेजी अमलदारी 1856 में कायम हुई। नरेन्द्रदेवजी के दादा श्री कुंजबिहारी-लालजी अवध की राजधानी फैजाबाद में बर्तनो का कारोबार करते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने कारोबार में न लगाकर अंग्रेजी शिक्षा दिलवाई क्योंकि शासकों के दरबार में पलने और पतपने वाली भाषा और तहजीब में शिक्षित और दीक्षित होना नामप्रद होता है, यह उस समय की आम बात हो चुकी थी। यह श्री कुंजबिहारीलालजी की दूरदर्शिता और उनकी सहज समझ थी कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आ रही है अतः समय रहते इसे भी अपना लेना चाहिए।

नरेन्द्रदेवजी अपने एक सस्मरण में लिखते हैं—“हमारे खानदान में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेरे दादा के छोटे भाई थे। वह पुराने केनिंग कालेज में अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होंने मेरे पिता और मेरे ताऊ को अंग्रेजी शिक्षा दी।” नरेन्द्रदेवजी ने अपने दादा के छोटे भाई का नाम नहीं लिखा, पर उनका व्यवसाय स्पष्ट कर दिया कि वे अध्यापक थे। प्रो० मुकुट बिहारीलालजी लिखते हैं कि इनके पिता श्री बलदेवप्रसाद सीतापुर में अपने चाचा श्री सोहनलाल के शिष्य मुंशी मुरलीधर के साथ वकालत करते थे। इससे पता चलता है कि उनके दादा के छोटे भाई जो केनिंग कालेज में अध्यापक थे, उनका नाम श्री सोहनलाल था। उनके प्रिय शिष्य मुंशी मुरलीधर थे जिन पर श्री सोहनलाल का विशेष स्नेह था और जब नरेन्द्रदेवजी के पिता ने वकालत पास की तो उन्हें मुरलीधरजी की देख-रेख में वकालत करने के लिए सीतापुर भेज दिया।

नरेन्द्रदेवजी की बश-परम्परा में प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता थी, इसका संकेत कई जगह मिलता है। यह दूरदर्शिता की ही बात थी कि इनके दादा ने अपने छोटे भाई को अध्ययन की ओर प्रवृत्त किया और अंग्रेजी शिक्षा दिलाई। नरेन्द्रदेवजी के पिता, जो आंखों की बीमारी के कारण बी० ए० पास न कर सके, अपने बाबा से कानून की पुस्तकें सुन-सुनकर उसे धारण करते गए और वकालत की परीक्षा पास की। निश्चय ही नरेन्द्रदेवजी को अपने अध्यवसाय के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ बिरासत में मिला। बिरासत की बात यदि छोड़ भी दी जाए, तो भी परिवेश का प्रभाव बचपन में बहुत पड़ता है और उसके स्पष्ट प्रमाण उनके सात्विक जीवन में मिलते रहे। सीतापुर का परिवेश कैसा था, इस सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं होता है, पर

वह जैसा भी रहा हो, इनके पिता संत प्रवृत्ति के थे। सीतापुर में उन्होंने कितने दिनों वकालत की, इसका भी अंदाजा नहीं मिलता पर अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्हें सीतापुर से फैजाबाद आना पड़ा, यह निश्चित है। नरेन्द्रदेवजी के पिता बाबू बलदेवप्रसादजी तब सीतापुर से फैजाबाद आए, उस समय बालक नरेन्द्रदेव केवल दो वर्ष के थे।

फैजाबाद में इनकी वकालत खूब चमकी और इन्होंने वहां खूब धन और सम्मान कमाया। बावजूद धन और मान के यदि इनमें अहंकार छू तक नहीं गया तो यह इनकी साधु-वृत्ति ही थी। वह मूलतः सनातन धर्मावलम्बी थे, ऐसा बताया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके यहाँ व्रत-पर्व, पूजा-पाठ और दूसरे कर्मकांड जरूर ही होते रहे होंगे। पर सीतापुर में रहते समय उनका किसी सन्यासी के प्रभाव में आकर वेदांत के प्रति आकर्षण और अभिरुचि में अभिवृद्धि भी बताई जाती है। उसके बाद से संन्यासियों का सतसंग बढ़ता ही गया और उन्होंने वेदांत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसने इनमें तर्क के प्रति आदर का भाव पैदा किया होगा, जिसका प्रभाव भी बालक नरेन्द्रदेव पर पड़ा। आगे चलकर नरेन्द्रदेवजी ने स्वयं कहा है कि “जीवन के पारम्परिक मूल्यों को बिना विवेचन किए स्वीकार नहीं करना चाहिए।” पर जहां नरेन्द्रदेवजी के जीवन में तर्क, प्रतिष्ठा और विवेचन शक्ति का अभूत-पूर्व दर्शन होता है, वही बाल्यकाल के परिवेश के प्रभाव के कारण उनमें एक समन्वयी प्रवृत्ति भी मिलती है। वह कहते हैं, “सभी पुराने आदर्शों और सिद्धांतों का बहिष्कार उचित नहीं। समाज के दीर्घकालीन अनुभव तथा सचित ज्ञान का निरादर अनुचित होगा। इसके विपरीत पुराने आदर्शों और प्राचीन संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है।”

नरेन्द्रदेवजी के दादा तो सनातन धर्मों थे ही लेकिन पिता की सनातन धर्म के साथ ही वेदांत के अध्ययन में भी विशेष रुचि थी, अतः उनके मन में न केवल ऐकेश्वरवाद की धारणा दृढ़ हुई बल्कि ब्रह्म के स्वरूप पर विचार भी आगे बढ़ा। फारसी, जो उन दिनों आदर की दृष्टि से भी देखी जाती थी, इन विचारों के दोहन और स्वतंत्र चिन्तन में बिलकुल भी मददगार नहीं थी। अतः बाबू बलदेवप्रसादजी ने अंग्रेजी शिक्षा के साथ स्वाध्याय के रूप में संस्कृत का भी अध्ययन किया। परिणामस्वरूप संस्कृत के माध्यम से उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म के स्वरूप को पहचानने में तो मदद मिली ही। साथ ही वे

धर्मग्रंथों का मूल अध्ययन करने में भी सफल हुए। धर्म में उनकी अभिरुचि इतनी थी कि उन्होंने फैजाबाद में एक सनातन धर्म सभा भी कायम की थी। यहाँ इतना और कह देना आवश्यक है कि उस समय तक सनातन धर्म के साथ-साथ आर्य समाज भी जोर पकड़ चुका था और एक दृष्टि से आर्य समाज राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ करने में अधिक सहायक भी हो रहा था। यह भी ध्यान देने की बात है कि आचार्य नरेन्द्रदेवजी के समकालीन या पूर्व राजनेता अधिकांश रूप में अपने प्रारम्भिक जीवन में इन्हीं दो सम्प्रदायों से आए, और कई तो इनके सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे। इस दृष्टि से नरेन्द्रदेवजी का बाल्यकाल और प्रारम्भिक जीवन सनातन धर्म ही रहा। नरेन्द्रदेवजी के एक अप्रकाशित सस्मरण का हवाला देते हुए मुकुट बिहारीलालजी ने नरेन्द्रदेवजी के कुछ वाक्य उद्धृत किए हैं—“इन दिनों सनातन धर्म और आर्य समाज में बहुत शास्त्रार्थ होते थे। आर्य समाजी पंडित मूर्तिपूजा, अवतारवाद और पुराणों की प्रामाणिकता के सम्बंध में सनातन धर्म की कड़ी आलोचना करते थे, दिल दुखाने वाले कटु शब्दों का प्रयोग करते थे।” मुकुट बिहारीलालजी आगे कहते हैं कि “उनके पिता को आर्य समाजियों का यह व्यवहार बहुत कष्ट देता था और सनातन धर्म वातावरण में पलने के कारण नरेन्द्रदेव में भी आर्य समाज के प्रति विद्वेष की भावना पैदा हो गई थी।” प्रारम्भ में मले ही ऐसा रहा था, पर आगे चलकर हम देखेंगे कि नरेन्द्रदेव इस संकीर्णता से बहुत जल्द छुटकारा पा गए और उनमें सभी सम्प्रदायों की अच्छाइयों के प्रति आदर का भाव उदय हो गया। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, उनका प्रारम्भिक जीवन सनातन धर्म ही था। उनको रुद्री और सम्पूर्ण गीता कठस्थ थी।

नरेन्द्रदेवजी के बचपन के परिवेश का एक और सुंदर चित्र मिलता है। उसकी छाप भी नरेन्द्रदेवजी के व्यक्तित्व पर आगे चलकर पड़ी। बचपन में उन्होंने अपने पिता को मकान बनाने, बाग लगाने और अच्छी पुस्तकों के संग्रह में व्यस्त रहते देखा था। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि वह अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग विद्वानों और साधु-सतों के ऊपर खर्च कर देते थे। वह आतिथ्य सत्कार व विद्यार्थियों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में तो वे व्यथ करते ही रहते थे। उन्होंने अयोध्या में एक ब्रह्मचर्याश्रम भी खोला था, जहाँ रहकर विद्यार्थी संस्कृत की

नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। वह स्वयं भी छोटी-छोटी पुस्तकें लिखते रहते थे। बालकों के लिए उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारसी में कई पुस्तकें लिखी थी। स्वयं नरेन्द्रदेवजी की अंग्रेजी की पढ़ाई इनके पिता द्वारा इनके बड़े भाई के लिए लिखी गई प्राइमर से हुई थी। पढ़ने में नरेन्द्रदेव कुशाग्रबुद्धि के विद्यार्थी होने के साथ-साथ सत्यप्रिय भी थे। इन्हें अपने सहपाठियों का सिगरेट आदि पीना अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने स्वयं लिखा है कि, "मेरे ऊपर मेरे पिता का गहरा प्रभाव था।" इसलिए भी यह प्रभाव स्थायी रहा होगा कि इन्हें अपने पिता का विशेष स्नेह मिला था। पिता उन्हें अपने साथ प्रायः रोज ही कचहरी ले जाते थे और वहाँ समय निकाल कर इन्हें पढ़ा भी देते थे।

बचपन में इनके ऊपर पिता के अतिरिक्त इनके अध्यापक दत्तात्रेय भीखाजी रानडे का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। वह योग्य शिक्षक होने के साथ-साथ अपने विद्यार्थियों में उत्साह भरने वाले व्यक्ति भी थे। उनके पढ़ाने का ढंग भी निराला और आकर्षक था। इस सम्बन्ध में दो अन्य योग्य अध्यापकों का भी नाम नहीं छोड़ा जा सकता है; जिनमें से एक तो मास्टर राधेश्यामजी थे, और दूसरे थे मास्टर राधेरमण लालजी। घर पर नरेन्द्रदेव अपने पिता के पुस्तकालय की देख-रेख और सफाई इत्यादि तो करते ही रहते थे, स्कूल में भी राधेरमण लालजी ने इनके चरित्र, शील और अनुशासनप्रियता से प्रसन्न होकर इनके स्कूल की पुस्तकालय की कुजी इन्हें सौंप दी थी। यद्यपि राधेरमण लालजी पुस्तकालय के अध्यक्ष थे तथापि, नरेन्द्रदेवजी ही वास्तविक पुस्तकालयाध्यक्ष थे और वही अध्यापकों और विद्यार्थियों को पुस्तकें आदि देने का काम करते थे। नरेन्द्रदेवजी को खेलकूद में रुचि नहीं थी। शायद इसका अवसर भी इन्हें कम मिला। हो सकता है इसमें इनके स्वास्थ्य की कमजोरी का भी हाथ रहा हो। नरेन्द्रदेवजी ने स्वयं भी एक जगह अपनी शरीर सम्पत्ति के अच्छे न होने का जिक्र किया है।

अपनी कक्षा में वह सदा ही सर्वोत्तम रहे और अपने सदाचार के लिए भी अपने गुरुजनों के प्रिय पात्र बने रहे। वस्तुतः अपने समयस्क विद्यार्थियों में वह आदर्श विद्यार्थी माने जाते रहे। पर ऐसा भी नहीं था कि कोई इनसे नाराज ही नहीं होता रहा हो या वह कोई बालोचित कार्य ही न करते रहे हो। इस विषय में एक रोचक प्रसंग का जिक्र करना इस अवसर पर अनुचित न होगा। इनके एक संस्कृत अध्यापक इनसे और इनके साथियों से किसी कारण

प्रसन्न हो गए। हो सकता है ईर्ष्यावश इनके कुछ सहपाठियों ने ही पंडितजी के कान में इन लोगों के विरुद्ध बातें भर दी हों। पंडितजी ने सोचा इन्हें मजा चखाना चाहिए। अर्ध वार्षिक परीक्षा में एक बहुत ही कठिन प्रश्नपत्र बना कर देने की उन्होंने सोची। इसकी भनक नरेन्द्रदेवजी को लग गई। वह अपने अध्यापक के इस दुर्भाव से क्षुब्ध हो गए। पर इसी समय इनके पुस्तकालय का काम इनके हित का साधक बना। इन्हें याद आया कि पंडितजी पिछले दो वर्षों के इंट्रेंस परीक्षा के प्रश्नपत्र पुस्तकालय से निकलवा कर ले गए हैं। इन्होंने अनुमान कर लिया कि हो न हो उन्हीं प्रश्नपत्रों से प्रश्न पूछे जाए। अतः नरेन्द्रदेव ने उनकी नकल करके अपने सभी साथियों को उनके प्रश्नों के उत्तर तैयार करा दिए। हुआ भी ऐसा ही, प्रश्नपत्र आने पर अधिकांश प्रश्न उन्हीं में से थे। सभी ने खूब डटकर उनका उत्तर दिया। लाचार होकर पंडितजी को अंक भी अच्छे देने पड़े। नरेन्द्रदेव को पचास से छियालीस अंक मिले। इसे भी मेधा ही कहा जाएगा।

पिता की देख-रेख और स्नेह-सम्बल में पलने वाले बालक नरेन्द्रदेव का बचपन प्रायः तत्कालीन गृहस्थों के घरों में होने वाले सस्कारों से अछूता नहीं रहा। इनका उपनयन सस्कार भी इनके पिता ने, जब वह दस वर्ष के थे, तभी करा दिया। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद नित्य संध्या-वंदन करना इनकी आदत बन गई थी। पिता के साथ नित्य ही ये संध्या, गायत्री और गीता पाठ करते थे। पिता ने महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण की देख-रेख में इन्हें सस्वर वेद पाठ का भी अभ्यास कराया। वेदों और वैदिक संस्कृति से परिचय और उसकी छाप इन पर बचपन में ही पड़ी। बागे चलकर इनके जो भी विचार बने और जितना भी गहन अध्ययन इन्होंने इतिहास और दर्शन का किया, वह इस बात को बराबर स्वीकार करते रहे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक वाङ्मय में मिलता है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान उन्हें बचपन से ही होता जा रहा था, इसका प्रधान कारण था कि उन्हें अमरकोश और लघु कौमुदी की शिक्षा उसी समय दी जा चुकी थी। इसके कारण आगे चलकर उन्हें बड़ी सुविधा मिली। वह आसानी से अपने देश के विविध दर्शनो, संस्कृति और इतिहास के मूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके और उन्हें अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ा। उन दिनों भारतीय घरों में तुलसीकृत रामचरित मानस, हिन्दी महा-भारत, सूरसागर और ब्रजविलास का बड़ा आदर होता था। प्रायः सभी घरों

की थोड़ी-बहुत पढी-लिखी महिलाएं और पुरुष इन्हे नियमित रूप से पढ़ते थे और जीवन की नैतिकता और सदाचार को अपनाते थे। यह आचरण समाज को सम्बल दिए रहता और उसे पतनोन्मुख होने से बचाते रहने में बहुत सहायक मिद्ध हुआ था। उन्हें भी रामचरित मानस, महाभारत और सूरसागर बचपन में ही पढ़ने को मिल गए। यह पहले कहा जा चुका है कि उनके घर का मंस्कार सनातन धर्म के आधार पर बना हुआ था; अतः वह उसी संस्कार में पले और आर्य समाज के प्रभाव से न केवल अछूते रहे वरन् उसकी शाब्दिक कटुता से दुखी भी होते रहे। पर ज्यों-ज्यों वे बड़े होते गए और उनकी विचार-शक्ति सयमित, नियोजित और स्वतंत्र होती गई, उन्हें सनातन धर्म के आचार-व्यवहार में भी संकीर्णता और साम्प्रदायिकता दिखने लगी। भारतीय धर्म का उदार स्वरूप उसमें घूमिल होता दिखा, अतः वह उसकी संकीर्णता से भी अपने को मुक्त करने लगे और अततः उन्होंने अपने जीवन का आधार उस नैतिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाया, जिसे भारतीय कहा जा सकता है।

साम्प्रदायिकता का एक दूसरा अर्थ भी ब्रिटिश शासकों के चलते मिलने लगा था। अगर वह अर्थ इस शब्द पर थोपा गया होता, तो सम्भव था इसका उत्कर्ष दूसरे रूप में ही हुआ होता और यह सनातन धर्म को भी इस नए और दोषपूर्ण अर्थ से बचा ले जाता। सम्प्रदाय का अर्थ है सम्यक् रूप से देना। इस अर्थ में सनातन धर्म, आर्य समाज, बौद्ध धर्म और जैनादि दूसरे सभी धर्म वस्तुतः सम्प्रदाय ही होते और सभी मानव-कल्याण के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त करते रहते। सच बोलना, चोरी न करना, परदुःखकातर होना, दया करना आदि आचरण सभी सम्प्रदायों में मनुष्य के धर्म माने गए हैं। वस्तुतः धर्म का सम्बन्ध मानव आचरण से है। उसका पूजावाद, ईश्वर में उसकी आस्था, अनास्था उसके धर्माचरण में बाधक नहीं होते। पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि हो सकता है। उसका आस्थाभाव और तदनुसार ईश्वर की कल्पना, उसकी पूजा-अर्चना करते हुए समाज से मिले हुए ऋण को चुकाते रहना उसका सम्प्रदाय है। पर इसे शासन की अंग्रेजी कूटनीति से धक्का लगा और मूलतः यह हिन्दू-मुसलमान-दो प्रधान जातीय भावनाओं को, एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिन्दू-मुसलमानों में दंगे कराए जाने लगे और उन्हें

साम्प्रदायिक दंगे कहा जाने लगा। जीवन का साम्प्रदायिक रूप जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हित कर रहे हों, नष्ट हो गया। सौभाग्य से नरेन्द्रदेव की बाल्यावस्था में इनके नगर फैजाबाद में साम्प्रदायिक जीवन नष्ट नहीं हुआ था। फैजाबाद के हिन्दू-मुसलमान एक ही सम्प्रदाय के रूप में रह रहे थे। उनके आपसी सम्बंध अच्छे थे। दोनों ही एक दूसरे के उत्सवों, पर्वों और त्यौहारों में एक से होकर भाग ले रहे थे। यहां तक कि बहुत से हिन्दू मुहर्रम के अवसर पर ताजिया भी रखते थे और शिया मुसलमानों की तरह सबंत पिलाते थे। तब तक अवध के पुराने नवाबों द्वारा किया हुआ हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार अपना असर बनाए हुए था। अवध के पुराने नवाब हिन्दुओं की भावनाओं का बहुत आदर करते थे। हनुमानगढ़ी, जो पहले एक छोटा किला था, उन्होंने ही एक साधु को दान में दिया था और मंदिर के रख-रखाव के लिए कई गांव भी दिए थे। बहुत से शिया परिवारों में गाय का गोشت इसलिए नहीं खाया जाता था कि उससे उनके हिन्दू पड़ोसियों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। बालक नरेन्द्रदेव के मन पर इस साम्प्रदायिक जीवन का, उसके शील तत्व का, पारस्परिक सामाजिक व्यवहारका जबरदस्त प्रभाव पड़ा और उनके चरित्र में यह शील विशेष आकर्षक तत्व के रूप में सदा प्रतिभासित होता रहा। उनके इस शील के कारण उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कष्ट भी उठाना पड़ा, पर उसकी चर्चा यहां अप्रासंगिक होगी। यहां यही कहना है कि नरेन्द्रदेव अपने बचपन के इस परिवेशजन्य प्रभाव के कारण आजीवन उस साम्प्रदायिकता से सदा दूर रहे जिसका बीजा रोपण और प्रसार अंग्रेजों ने किया था।

बचपन में ही नरेन्द्रदेवजी अपने पिता की सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक प्रतिष्ठा के कारण कई महान व्यक्तियों के सम्पर्क में आए। प्रारम्भ में जिन व्यक्तियों से सम्पर्क हुआ, उनमें पं० माधवप्रसाद मिश्रा, स्वामी रामतीर्थ और मालवीयजी थे। स्वामी रामतीर्थ और मालवीयजी के नाम से तो देश के सभी शिक्षित परिचित हैं। माधवप्रसादजी उस दृष्टि से विख्यात व्यक्ति तो नहीं थे, पर अपने समय के समाज में उनका एक विशेष स्थान था और नरेन्द्रदेव के पिता से अत्यंत स्नेह के कारण फैजाबाद आने पर महीनो इनके ही घर रहा करते थे। उन्हें बंगला भाषा से विशेष प्रेम था और उन्होंने बंगला पुस्तक 'देहर कथा' का हिन्दी अनुवाद भी किया था। वह राष्ट्रीय विचारों के उदार

व्यक्ति थे। उनका बंगला और संस्कृत प्रेम नरेन्द्रदेवजी को प्रभावित किए बिना न रह सका। नरेन्द्रदेवजी का मूल नाम अविनाश लाल बदल कर उन्होंने ही उसे नरेन्द्रदेव कर दिया था। ये दोनों ही नाम नरेन्द्रदेवजी के जीवन में सार्थक हुए। पिता का दिया हुआ अविनाशी नाम उन्हें अक्षय कीर्ति का भाजन और अविनष्ट बना गया और मिश्राजी के दिए हुए नाम से वह मनुष्यों में नरेन्द्र हुए और देवगणों के समान ही पूजित भी।

नरेन्द्रदेवजी पर मालवीयजी और स्वामी रामतीर्थ का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। मालवीयजी तो उनके कुल-शील के अनुरूप ही शुद्ध सनातनधर्मी ब्राह्मण थे; पर उनमें इतना ही नहीं था। मालवीयजी भी मानव के नैतिक गुणों को सर्वाधिक महत्त्व देते थे और उनका विश्वास था कि अच्छी शिक्षा मनुष्य के चरित्र और स्वभाव को न केवल उदात्त बनाती है, वरन् समस्त मानव में एक ही आत्मा के दर्शन करने की सामर्थ्य भी देती है। मालवीयजी मानव समाज और पृथ्वी के बाहर के स्वर्ग और मोक्ष की कामना से परे थे। मानव समाज की सेवा ही उनका परम धर्म था। श्रीमद्भागवत् का एक श्लोक उन्हें बहुत प्रिय था, जिसमें कहा गया है कि ऋद्धि और सिद्धि लेकर क्या होगा। संतप्त प्राणियों का तापहरण ही श्रेयस्कर है। मालवीयजी देशसेवा के लिए बारम्बार जन्म लेना चाहते थे। उनके इस व्यक्तित्व का, उनके चरित्र के इस पक्ष का बालक नरेन्द्रदेव पर बहुत प्रभाव पड़ा। सन् 1904 में फैजाबाद आने पर नरेन्द्रदेवजी ने उनके प्रथम दर्शन किए थे और अपने पिता के साथ भगवद्गीता का नित्यपाठ करते हुए उन्हें जो गीता सम्पूर्ण रूप से कठस्थ हो गई थी, उसके कुछ अंश उन्होंने मालवीयजी को सुनाए थे। उनके मुख से संस्कृत का इतना शुद्ध उच्चारण सुनकर मालवीयजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। स्वामी रामतीर्थ का भी नरेन्द्रदेव पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनसे ही उन्होंने अपने जीवन की एक विशेष-भावना अपरिग्रह-भावना का पोषण किया। ऐसा लगता है कि स्वामी रामतीर्थ उनके पिता के पास कई बार आए थे। स्वामी राम के बारे में कुछ कहना निरर्थक ही होगा। भारतीय संस्कृति के इस अनमोल रत्न को कौन नहीं जानता होगा। पर उस घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है, जिसका प्रभाव नरेन्द्रदेव के सदाचार, सादे जीवन और अपरिग्रह भावना पर पड़ा। एक बार स्वामीजी इनके यहाँ ठहरे थे। पंडित माधवप्रसाद मिश्रा भी-जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है— वही ठहरे

थे। स्वामीजी चलते समय अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान व्यवस्थित करने लगे। उसे देखकर माधवजी ने सम्भवतः यों ही कह दिया होगा कि सन्यासी को किसी सामग्री की क्या आवश्यकता होनी चाहिए। वस इतना सुनना था कि रामतीर्थ अपना सारा सामान छोड़कर चल दिए। पहाड़ की यात्रा पर जा रहे थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक पत्र लिखा “राम खुश है।”

नरेन्द्रदेवजी के बचपन की बहुत-सी बातों का विस्तार तो नहीं मिलता, पर जितना भी मिलता है वह सब आज के बालकों के लिए स्पृहणीय, अनुकरणीय और प्रेरणादायक होना चाहिए। नरेन्द्रदेव का विद्यारम्भ और कुछ आगे की पढ़ाई घर पर ही हुई। उनके पिताजी ने स्वयं बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें लिखी थीं। ऐसा लगता है उन दिनों प्रारम्भिक कक्षाओं में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं, वह विषय और भाषा दोनों ही दृष्टियों से इनके पिता को उचित नहीं लगी थी। तभी तो उन्होंने स्वयं इस प्रकार की पुस्तकें लिखने की सोची होगी। उन्हीं पुस्तकों के आधार पर उनकी पढ़ाई प्रारम्भ हुई। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि उनके पिता उन्हें अपने साथ कचहरी भी ले जाया करते थे और वहीं समय निकाल कर स्वयं पढ़ाते थे। पिता किस या किन विषयों को पढ़ाते थे, यह भी ज्ञात नहीं होता, पर अनुमानतः वह उन्हें संस्कृत, फारसी तथा नीतिपरक विषयों को पढ़ाते रहे होंगे। अंग्रेजी के लिए उन्होंने अपने एक मित्र से आग्रह कर रखा था। वह ही उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे। नियमित रूप से अध्यापक के रूप में घर पर ही आकर पढ़ाने वाले शिक्षक पं० कालीदीन अवस्थी थे, जो इनके साथ इनके अन्य भाई-बहनों को हिन्दी, गणित और भूगोल पढ़ाया करते थे। नरेन्द्रदेव के चार भाई और दो बहनें थीं। नरेन्द्रदेव क्रम में दूसरे थे। इनके बड़े भाई महेन्द्रदेवजी थे, जो लालजी के नाम से जाने गए और फैजाबाद के सुप्रसिद्ध वकील हुए। इनके भाई सुरेन्द्रदेव थे, जो युवावस्था में ही कालकवलित हो गए। सबसे छोटे भाई योगेन्द्रदेव फैजाबाद के नामी डाक्टर हुए।

सन् 1902 में बारह वर्ष की अवस्था में नरेन्द्रदेव का दाखिला फैजाबाद के स्थानीय स्कूल में हुआ और सन् 1906 में उन्होंने इन्ट्रेस की परीक्षा पास की। इसके बाद वह स्वयं बनारस में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज में पढ़ना चाहते थे। इस स्कूल के प्रति आकर्षण सम्भवतः महामना भालवीयजी और श्रीमती एनी बेसेट के नामों के कारण हुआ होगा। पर उनके सहपाठियों ने उन्हें अपने

साथ प्रयाग के म्योर सेट्रल कालेज में अपने ही साथ पढ़ने को प्रोत्साहित किया। यहां पढ़ते हुए उन्हें चेचक हो गई, अतः एक वर्ष का इनका नुकसान हुआ। यहां रहते हुए भी वह अपने अध्यापकों के प्रिय पात्र बने। वह अपने सभी अध्यापकों का आदर करते और कभी अवसर आने पर भी उनकी नुकता-चीनी नहीं करते। इस प्रसंग में यह कहा जाता है कि इनके एक अध्यापक प्रो० स्टूअर्ट थे, जिन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का समुचित ज्ञान नहीं था। दूसरे विद्यार्थी इस बात को लेकर प्रो० स्टूअर्ट की अक्सर बुराई करते, पर नरेन्द्रदेव ने अपना संयम और जील कभी नहीं छोड़ा। मध्यकालीन इतिहास इन्होंने प्रो० ब्राउन से पढ़ा। म्योर सेट्रल कालेज में पढ़ते हुए वह महामहोपाध्याय डा० गगनाथ के भी शिष्य हुए। डा० गगनाथ भा मथिल ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने कुल की कीर्ति-पताका को बहुत उज्ज्वल किया था। संस्कृत विद्या का अध्यापन ही इनके कुल की परम्परा रही। अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान और परम्परा को डा० साहब ने बहुत आगे बढ़ाया। नरेन्द्रदेवजी इनके पांडित्य और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए।

उन दिनों इलाहाबाद के मेधावी विद्यार्थी प्रायः ही तत्कालीन शीर्षस्थ सरकारी सेवा में, जो इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी, प्रवेश पाना न केवल गौरव की बात मानते थे, वरन् अपनी शैक्षिक योग्यता का चरम प्रमाण मानते थे। नरेन्द्रदेवजी भी आई० सी० एस० की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। इलाहाबाद में पढ़ते हुए नरेन्द्रदेवजी का सम्बंध कुछ तत्कालीन क्रांतिकारियों से होने लगा था। इस विषय में विस्तार से अन्यत्र लिखा जाएगा। इसी प्रभाव में इनके चार और साथी भी भा गए थे। इन लोगों ने इस बात की संकल्पना की कि आई० सी० एस० में प्रवेश पाकर शासकीय सेवा में आ जाना चाहिए, ताकि जब भारत में क्रांति हो, तब जिलों का शासन क्रांति की दशा में भारतीय हाथों द्वारा सम्भाला जा सके। इसी उद्देश्य से यह पांचों साथी इंग्लैंड जाना चाहते थे। पर नरेन्द्रदेव की माता ने उन्हें विदेश जाने की आज्ञा नहीं दी। उन दिनों समुद्र यात्रा करना या विदेश जाना सनातन धर्मी लोग उचित नहीं मानते थे। नरेन्द्रदेव के अग्रज विद्वान डा० भगवानदासजी के विदेश जाने पर उनका जाति बहिष्कार कर दिया गया था। भगवानदासजी ने इसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा भी लड़ा था, पर यह सब बातें यहां जरूरी नहीं। इतना ही पर्याप्त होगा कि माता की

आज्ञा का उल्लंघन क्रांतिदर्शी होने वाला और क्रांतिकारी होता हुआ युवक नरेन्द्रदेव न कर सका। इनके अन्य चारों साथी इंग्लैंड चले गए।

बी० ए० की परीक्षा पास करने के बाद नरेन्द्रदेव पुरातत्व पढ़ने काशी चले गए। उन दिनों इस विषय का अध्यापन क्वींस कालेज काशी में ही होता था। वहीं से इन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास की। उन दिनों काशी क्वींस कालेज में विख्यात विद्वानों का जमघट-सा था। इसमें देशी-विदेशी दोनों तरह के विद्वान थे। डा० वेनिस तो प्रिंसिपल ही थे। उनके अलावा पं० केशवदेव शास्त्री, प्रो० नारमन, महामहोपाध्याय श्रीराम शास्त्री, पं० जीवननाथ मिश्र आदि कई विद्वान थे। डा० वेनिस, केशवदेव शास्त्री और प्रो० नारमन संस्कृत, प्राकृत, पालि और पुरातत्व की शिक्षा दे रहे थे। इन्हीं तीनों गुरुओं से नरेन्द्रदेवजी ने भी इन विषयों की शिक्षा ग्रहण की। ऐसा लगता है कि नरेन्द्रदेव की जिज्ञासा प्रारम्भ से ही बहुविध ज्ञान में थी। उनकी ज्ञान-पिपासा न केवल निरंतर बढ़ती रही, वरन् एकांगी होने से भी बचती रही। पुरातत्व के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने अलंकार-शास्त्र एवं न्याय का भी अध्ययन किया। यह उस समय की विशेषता ही थी कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में ही विद्या के प्रति आदरनिष्ठा और परिश्रम का सकल्प था। डा० वेनिस का अध्ययन बहुत ही गम्भीर और विविध था। वह अर्वाचीन पारचात्य दर्शन के साथ-साथ प्राचीन यूनानी दर्शन के भी ज्ञाता थे। भारत आने पर उन्होंने भारतीय पद्धति से वैदिक वाङ्मय का गहन अध्ययन किया और अपने जमाने के शीर्षस्थ विद्वान माने गए। उनके द्वारा अनूदित संस्कृत ग्रंथ आज भी आदर से देखे जाते हैं। भारतीय इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी और वह प्राचीन शिलालेखों और मुद्राविज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे। एम० ए० के द्वितीय वर्ष में डा० नारमन और डा० वेनिस दोनों ही नरेन्द्रदेव को पढा रहे थे। नरेन्द्रदेव प्रातः उठकर डा० वेनिस के निवास पर पढ़ने जाते और तीसरे पहर नारमन साहब के घर। दोनों ही इन्हें अपने घर पर ही पढ़ाते। ऐसा किसी नियम के कारण नहीं, वरन् इसलिए कि जिन विषयों और प्रश्नपत्रों को नरेन्द्रदेव ने द्वितीय वर्ष में लिया था, उनके लिए यही सुविधाजनक था। इस पर न तो अध्यापकों को आपत्ति थी और न ही विद्यार्थी को। प्रत्युत् दोनों ही ओर से उत्साह और परिश्रम ही था। डा० वेनिस इपीग्राफी, पेलियोग्राफी और न्यूमेस्मेटिक पढ़ाते थे। प्रो० नारमन

जर्मन, फ्रेंच, पालि और प्राकृत पढ़ाते थे। प्रो० नारमन धम्मपद पर बुद्धघोष की टीका 'अट्ठ कथा' प्रकाशित कर रहे थे और कभी-कभी उसके अंश सुनाया करते थे। नरेन्द्रदेव का बौद्ध धर्म और दर्शन में रुचि लेने और आगे चलकर विस्तृत अध्ययन का एक कारण यह भी था।

इस सम्बन्ध में एक परिपटी का जिक्र बहुत प्रासंगिक न होते हुए भी रुचिकर जान पड़ता है। इससे तत्कालीन विद्यार्थी-अध्यापक सम्बन्धों और उनकी विद्याभिरुचि का पता चलता है। डा० वेनिस ने जब क्वींस कालेज में प्रिंसिपल का पद सभाला, तो वह एक दिन कालेज का निरीक्षण करने निकले। एक कमरे में देखा कि पंडितजी गद्दी पर मसनद लगाए बैठे हैं और विद्यार्थी उनकी कक्षा में कुद्ती लड़ रहे हैं। फर्श में लगी पत्थर की पट्टियों को किनारे रखकर फर्श को अखाड़े का रूप दे दिया गया था। वह मन में बहुत प्रसन्न हुए कि यहां के सस्कृत विद्यार्थियों को शारीरिक अभ्यास की शिक्षा दी जा रही है। कमरे में जाकर पंडितजी को साधुवाद देने के लिए बुलाया। पर पंडितजी से बात करने पर कुछ दूसरी ही बात का पता चला। पंडितजी ने उनसे कहा कि यह कालेज ब्रिटिश सरकार का खोला हुआ है। जीविका का दूसरा साधन न होने के कारण मैंने यहां नौकरी कर ली है, पर वेतन लेकर विद्या-दान करना उचित नहीं है। अतः वेतन के प्रतिफल में वह विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम कराते हैं। पर इन्हीं विद्यार्थियों को घर बुलाकर उनके विषय का अध्यापन करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि वेनिस और नारमन ने विद्यार्थियों को घर पर भी पढ़ाने की परम्परा इस कारण नहीं अपनाई, पर इन देशी विद्वानों का विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और उनकी कल्याण कामना का उन पर प्रभाव जरूर पड़ा होगा। इसी प्रसंग में अध्यापन की एक दूसरी परम्परा का भी जिक्र करना जरूरी लगता है, जिसके कारण भी नरेन्द्रदेव जैसे विद्यार्थियों का बड़ा लाभ होता रहा होगा। डा० वेनिस के पास शिला-लेखों की जो प्रतिलिपियां भारत सरकार से आती थी, उन्हें वह अपने अध्ययन और विशेषज्ञता का गोपनीय विषय नहीं बनाते थे। उन्हें वह सामूहिक अध्ययन और पाठशोधन का विषय बनाते और विद्यार्थियों का भी सहयोग लेते। वह सामूहिक अध्ययन का विषय बनता था। उन दिनों पश्चिम में, विशेष कर जर्मनी, फ्रांस और इटली में प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति की ओर विशेष रुचि जाग्रत हो गई थी। वहां के विद्वान इस सम्बन्ध में तत्-तत्

भाषाओं में लेख लिखते थे जो वहा की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। डा० वेनिस उन्हें मंगाकर अपने विद्यार्थियों और सहयोगियों के साथ उनकी सामूहिक समीक्षा करते थे। इस प्रकार ज्ञानोन्मेष का द्वार प्रशस्त होता रहता। उन दिनों क्वींस कालेज में भारत की प्राचीन लिपियों के ऐतिहासिक विकास-क्रम का भी अध्ययन होता था। प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी, कुशाण और गुप्त लिपि विशेष अध्ययन की लिपियाँ थीं। यह केवल आकस्मिक नहीं था कि सम्पूर्णानंदजी ने नरेन्द्रदेवजी से सन् 1947 में नागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया और नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में उस समिति ने काम किया। लेखक को भी उस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। नरेन्द्रदेवजी की ऐतिहासिक दृष्टि नागरी लिपि के स्वरूप को बहुत कुछ अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीक के लिए भी सहायक सिद्ध हुई।

यदि वह शिक्षक ही रहते

काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिवप्रसाद गुप्त उनके सहपाठी थे और मित्र भी। यह मित्रता भी साधारण नहीं थी। शिवप्रसादजी स्वयं उग्र राष्ट्रवादी थे। इस दृष्टि से नरेन्द्रदेवजी एवं शिवप्रसादजी में कुछ विचार-साम्य भी था और कुछ स्वभाव-साम्य भी। गांधीजी के आह्वान पर शिवप्रसादजी ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा और हिन्दी के समर्थक और उपासक होने के नाते उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना के लिए दस लाख रुपये का दान किया और हिन्दी के विकास और पोषण के लिए ज्ञान मंडल प्रेस और दैनिक 'आज' अखबार का संचालन भी किया। यहाँ एक बात और कहना जरूरी जान पड़ता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना एक विशेष राजनीतिक वातावरण में तो हुई, किन्तु शिवप्रसादजी के मन में सरकारी सहायता से सर्वथा मुक्त एक शैक्षिक संस्था की स्थापना का विचार पहले ही घर कर चुका था। उनका ऐसा विचार था कि सरकारी सहायता ले लेने पर कोई संस्था स्वतंत्र विचारों का केन्द्र नहीं बन सकती और उसको सही अर्थों में राष्ट्रीय विद्यापीठ नहीं कहा जा सकता। अपनी विदेश यात्रा में वह जापान में एक ऐसी संस्था का प्रतिमान देख भी चुके थे। स्वदेश लौटने पर उनके मन में एक ऐसी संस्था की स्थापना की जरूरत स्वतंत्र रूप से भी काम कर रही थी। जब मालवीयजी ने काशी हिंदू विश्व-विद्यालय की स्थापना की तो शिवप्रसादजी उससे बड़े सक्रिय रूप में जुड़े, किन्तु जब मालवीयजी ने सरकारी अनुदान स्वीकार कर लिया तो वे प्रायः अलग हो गए और एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण पर विचार करने लगे। गांधीजी के सत्-परामर्श और डा० भगवानदासजी की सहायता से अपने छोटे भाई स्वर्गीय हर-प्रसादजी की स्मृति में हरप्रसादजी शिक्षा निधि कायम की और इस प्रकार काशी विद्यापीठ का जन्म हुआ। गांधीजी ने ही इसका 10 फरवरी 1921 में उद्घाटन किया था। शिवप्रसादजी के आग्रह पर अपनी दिनोदिन बढ़ती

हुई वकालत को छोड़कर और एक दृष्टि से अपने को भी यत्किंचित निराश कर नरेन्द्रदेवजी काशी विद्यापीठ में अध्यापन कार्य करने चले आए। काशी विद्यापीठ उन दिनों विश्व-विख्यात सस्था नहीं थी। जो लोग भी उसमें अध्यापन का काम करने आए, वे त्याग की भावना लेकर आए और यह जरूरी नहीं था कि वे लोग अपने विषय के लब्धप्रतिष्ठित विद्वान रहे हों। अपवाद के लिए इस प्रसंग में डा० भगवानदास और आचार्य नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द और श्री प्रकाशजी जैसे कई लोगों के नाम छोड़ देने चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों की श्रेणी में भी प्रायः वे ही विद्यार्थी आए जिन्होंने राष्ट्रीयता की लहर में पड़कर सरकारी विद्यालयों को छोड़ दिया था, अथवा राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें सरकारी विद्यालयों से निकाल दिया गया था। जाहिर था कि इसमें भी सभी मेधावी छात्र नहीं थे। फिर भी यहां के जो विद्यार्थी चमके और देश-विदेश में जिन्होंने अपना नाम कमाया तथा अपने लिए विद्या के क्षेत्र में और समाज में स्थान बनाया, उन्हें भी अपवाद मान लेना चाहिए। विद्या के प्रति नरेन्द्रदेवजी के मन में जो गहरी निष्ठा और सम्मान था, उसने ऐसे परिवेश में रहते हुए भी अपनी प्रतिभा के विकास के लिए पूरा अवसर पा लिया। लोगों को यह जानना चाहिए कि नरेन्द्रदेवजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अध्ययन को गहनतम बनाया और अपने विचारों को स्वतंत्र मौलिक रूप दिया। प्रारम्भ में अध्यापक के रूप में आए, बाद में डा० भगवानदासजी की अध्यक्षता में वे विद्यापीठ के उपाध्यक्ष बने और आगे चलकर स्वयं उस पीठ के आचार्य हुए। आचार्यजी के बाल्यकाल के विषय में लिखते हुए यह कहा जा चुका है कि वह कितने मेधावी तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, पालि आदि भाषाओं का अध्ययन तो उन्होंने किया ही था, भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं और भारत में उपजे विभिन्न दर्शनों के साथ बौद्ध दर्शन का विशेष रूप से अध्ययन किया था। पाश्चात्य दार्शनिकों, विशेषकर समाज सास्त्रियों के गम्भीर अध्ययन और मनन से उनमें एक विशेष तुलनात्मक दृष्टि उत्पन्न हुई थी। उनके अग्रज और सहयोगी स्वयं डा० भगवानदास अपने जमाने के प्रसिद्ध विद्या-व्यसनी माने गए हैं। उनकी दृष्टि प्रायः धर्म, दर्शन, संस्कृत और मनोविज्ञान में बहुत गहरे प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने इन सभी विषयों का अच्छा अध्ययन किया था। उनमें भी चिंतन और मनन की प्राचीन भारतीय परम्परा थी और तुलनात्मक अध्ययन का नवीन दृष्टिकोण

था। उनके साहचर्य में रहते हुए नरेन्द्रदेवजी को भी उन सभी विषयों में और गहराई से विचार करने का अवसर मिला।

विद्यापीठ की शिक्षा सस्था के रूप में ऊपर उठाने में डा० भगवानदास प्रभृति जिन विद्वानों का नाम लिया जाएगा, उनमें आचार्य नरेन्द्रदेव अग्रणी माने जाएंगे। यह आचार्य नरेन्द्रदेव ही थे, जिन्होंने अन्य जाने-माने स्थापित और पूर्ण विकसित विषयों को पढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक भारत के उत्थान का इतिहास भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस विषय के वह स्वयं निर्माता भी थे और आचार्य भी। उनके विद्यार्थी डा० केसकर के शब्दों में—“प्रायः इतिहास के ऐसे अध्याय का ज्ञान बहुत कम लोगों को था और इसे अच्छी तरह जानने वाला उनके बराबर मुझे कहीं नहीं मिला। विद्यापीठ में उन्होंने इस विषय को बराबर पढ़ाया। इसमें उनका इतना रस था कि चाव से पढ़ाते थे। इसका कारण यह था कि वह जीवन इतिहास के सम्पर्क में रहे और उसमें भाग लेते रहे।” सम्भवतः जिस प्रकार वह इसे रोचक और प्रेरणादायी बनाकर पढ़ाते थे, उसके कारण उनके व्यक्तित्व में मूलतः विद्यासम्पन्न अध्यापक का दिव्य दर्शन होता था। इसीलिए, बावजूद इसके कि वहाँ अन्यान्य शीर्षस्थ विद्वान भी थे, उनका विद्यार्थी उनके बिना न तो काशी विद्यापीठ की कल्पना करता था और न वहाँ रहना चाहता था। प्रमाणस्वरूप उस घटना का उल्लेख किया जाना जरूरी जान पड़ता है, जो तब हुई थी जब उन्होंने पिता की मृत्यु के कारण फ़ैजाबाद जाना चाहा था और चले भी गए थे। इस बात का उल्लेख मिलता है कि उनके चले जाने के बाद काफी समय तक विद्यार्थियों में उदासी छाई रही और वे उनके बिना इतने हतोत्साहित हुए कि काफी तादाद में उनके विद्यार्थियों ने आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया था कि उनके बिना काशी विद्यापीठ में रहना व्यर्थ है, अतः उनका यहाँ से चला जाना ही उचित है। संयोग की बात कि आचार्यजी काशी विद्यापीठ में पुनः आ गए। पिता की मृत्यु के पूर्व तक तो नरेन्द्रदेवजी ने सदा अवैतनिक रूप से काम किया था। उनके पिता की यह शिक्षा थी कि समाज सेवा और दान वृत्ति को अपनाते हुए भी अपने परिवार के भरण-पोषण का ध्यान रखना चाहिए। उनके पिता स्वयं दानशील थे। समाज सेवा और दूसरों के उपकार में काफी व्यय करते रहते थे किन्तु नरेन्द्रदेवजी उनसे भी आगे बढ़े और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में खर्च कर देते थे। वह बायो-

कैमिकल दवाएँ खरीद कर गरीब रोगियों को मुफ्त बाँटते थे। बहुत से विद्यार्थियों को सहायता देते रहते थे। विद्यापीठ में जब तक वह अवैतनिक रहे पिता उनके व्यय का भार सभाल रहे थे। पिता के निवृत्त के बाद उन्होंने एक सौ पचास रुपये मासिक वेतन लेना स्वीकार किया ताकि अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। विद्यापीठ की ओर से उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इससे कुछ अधिक लेने का बहुत आग्रह किया गया किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इतना ही वेतन दूसरे अध्यापकों को भी मिलता था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह आधुनिक भारत के उत्थान का इतिहास पढ़ाते थे। उनकी नियुक्ति भी इतिहास के अध्यापक के रूप में ही हुई थी क्योंकि उन्हें प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास, यहां तक कि तात्कालिक भारत के इतिहास की भी पूरी जानकारी थी और उन सबका उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। उनकी ऐतिहासिक दृष्टि एक समग्र दृष्टि थी जिसमें वह भारत का पूरा चित्र देखते थे। भारत का उनका अपना चित्र इतिहास के पन्नों में पड़ा हुआ विगत का रूका या थमा हुआ भारत का चित्र नहीं था। उनका चित्र वह चित्र भी नहीं था जिसे विदेशी इतिहासकार बिगाड़ते जा रहे थे और अपने स्वार्थों के अनुरूप गढ़ते जा रहे थे। उनका चित्र वर्तमान विकासशील भारत का चित्र था जो अपने प्राचीन गौरव की रक्षा करता हुआ जगत को नवीन संदेश देने में सक्षम था। इसी के साथ उन्होंने एशिया के दूसरे देशों के उत्थान और पतन का इतिहास भी पढ़ा था। वह इतिहास को परिवर्तनकारी शक्तियों के पदचिह्नों के रूप में देखते थे, यही कारण था कि समाज को परिवर्तित करने, उसे समर्थ करने और उसे प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उन्हें राजनीति में दिलचस्पी पैदा हुई थी।

इतिहास के अध्यापन के साथ-साथ वह अपने विद्यार्थी जीवन के विषयों का भी अध्ययन करते रहे। प्रायः पुरातत्व, बौद्ध दर्शन, और उनकी चिन्तनधारा में उनकी रुचि बढ़ती ही रही। विद्यार्थी जीवन में पढ़ी हुई भाषाओं के ज्ञान के कारण वह पालि, प्राकृत और संस्कृत के मूल ग्रंथों से ही नहीं, वरन् फ्रांसीसी भाषा में लिखे गए ग्रंथों से भी बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन करते रहे और नई-नई सामग्री एकत्र करते रहे। इसके आधार पर आगे चलकर उन्होंने 'बौद्ध धर्म दर्शन' नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। 'बौद्ध धर्म दर्शन' के अध्ययन के लिए उन्होंने राहुल मांकृत्यायन को भी प्रोत्साहित किया। राहुलजी

1927-28 के आस-पास आचार्यजी के सम्पर्क में आए। उनका तात्कालिक नाम बाबा रामउदार दास था।

उन्होंने नरेन्द्रदेवजी के घर पर ही रहकर आचार्यजी के सहयोग से तिब्बती भाषा से 'अभिधर्म कोष' का संस्कृत में अनुवाद किया और आचार्यजी के अनुरोध पर ही काशी विद्यापीठ द्वारा 'अभिधर्म कोष' और बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 'त्रिपिटक' का प्रकाशन हुआ। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपने अध्ययन को सर्वांगीण बनाने के लिए उपनिषदों का भी बड़ा गहरा अध्ययन किया और माना कि 'उपनिषदों' की विचारधारा और साधना संसार के अलम्ब्य रत्नो मे है। भारत में जिन विशिष्ट विचारधाराओं ने जन्म लिया है, उन सबका मूल स्थान उपनिषदों में है।

आचार्यजी का विशेष भुकाव बौद्ध दर्शन की ओर हुआ। इसका शायद एक कारण यह भी था कि भगवान बुद्ध के जीवन चरित, उनका व्यक्तित्व और उनके विचारों का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा था। इसे चाहे निज का आस्वाद कहे या स्वयं अपने व्यक्तित्व की वह विशिष्टता कहे जो अपने को किसी दूसरे के व्यक्तित्व या दर्शनों में मूर्तिमान होता हुआ पाता है। आचार्यजी चाहे अस्वस्थ हों, चाहे जेल में हों या विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे हों, अपने समय का सदुपयोग स्वाध्याय में ही करते थे और उनके स्वाध्याय का अधिकतम समय बौद्ध धर्म की गहराईयों में उतरने में व्यतीत होता था। बौद्ध धर्म का यदि सारा-का-सारा नहीं तो प्रभूत साहित्य विदेशों में ही उपलब्ध है। भारतीय भाषाओं में और वह भा हिन्दी में प्रायः नहीं के बराबर ही है। अधिकांश भाग तिब्बती भाषा में उपलब्ध है। आचार्यजी चाहते थे कि बौद्ध दर्शन का सब कुछ निचोड़ कर हिन्दी को उपलब्ध करा दें। इतना ही नहीं, वह बौद्ध धर्म के प्रमुख और आधार ग्रंथों को भी हिन्दी में उपलब्ध कराना चाहते थे। हिन्दी के प्रति उनके मन में जो सम्मान था, उस कारण तो वैसे करना वह चाहते ही थे लेकिन एक विशेष कारण यह भी था कि वह बौद्ध धर्म की श्रमण सस्कृति को समाजवाद का नैतिक आधार बनाकर भारत में एक नए समाज को जन्म देने में सहायक समझते थे। ऐसा करने के लिए उनकी इच्छा थी कि बौद्ध धर्म-दर्शन के अध्ययन के लिए जो भी सामग्री जरूरी है, वह सब हिन्दी में उपलब्ध हो जाए। इस सम्बन्ध में विदेशी भाषाओं में बहुत से गवेषणा-त्मक निबंध और प्रामाणिक ग्रंथ उनकी जानकारी में आ चुके थे। वह चाहते

थे कि यदि वे सब यथारूप में नहीं तो सक्षिप्त रूप में, किन्तु प्रामाणिक रूप में अनूदित हो जाए। इस दृष्टि से ही उन्होंने हिन्दी में 'बौद्ध धर्म और दर्शन' नामक अपना ग्रंथ तैयार किया। 5 खंडों और 20 अध्यायों के इस ग्रंथ में स्थविरवाद की साधना, बौद्ध दर्शन की सामान्य मान्यताएं, प्रतीत्य समुत्पादवाद, क्षणभंगवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद, निर्वाण, बौद्ध दर्शन के वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवाद व शून्यवाद का विषय परिचय और तुलना आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन है।

आचार्यजी अपने अध्ययन को हस्तामलक करके विद्यार्थियों के सामने अत्यंत सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके शिक्षण का ढंग ही निराला था। पढ़ाते समय विद्यार्थियों के चित्त को विषय में एकाग्र करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वह गूढ़ विषयों को अपने मनन और चिन्तन से इतना सरल बना देते थे कि विद्यार्थियों में उन विषयों को भारी पत्थर समझ कर छोड़ने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता था। बल्कि सच तो यह है कि एक आदर्श शिक्षक के रूप में वह अपना कर्तव्य समझते थे कि पूर्व और पर पक्ष दोनों ही विद्यार्थियों के सामने आ जाए और ऐसा करते हुए वह उनका समाधान भी प्रस्तुत करते थे। वह विद्यार्थियों में विवेक बुद्धि जगाना शिक्षक का परम कर्तव्य मानते थे। वह गुरु हैं, अतः अपनी बात उन्हें घोपने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तर्क की प्रतिष्ठा करते हुए वह विद्यार्थियों को अपने साथ ले लेते थे और इस प्रकार विचारों की तरफ समान रूप से गुरु और शिष्य के चित्त को आंदोलित करने लगती थीं। अपने विद्यार्थी जीवन में डा० वेनिस प्रभृति गुरुओं से जितना स्नेह और आदर उन्होंने पाया था और जिस प्रकार जिज्ञासु और अध्यवसायी नरेन्द्रदेव जैसे विद्यार्थी को उन लोगों ने विद्यालय के बाहर भी अपने घरों पर समय देकर पढ़ाया था, उस गुरु-श्रृण को आचार्यजी भी चुकाते रहे। विद्यापीठ में रहते हुए और उससे बाहर रहने पर भी विद्यार्थियों के लिए उनके घर का दरवाजा मदा खुला रहा और अध्यापन के लिए उनके पास समय की कमी कमी नहीं रही।

प्रो० मुकुट विहारीलालजी ने शिक्षक के रूप में उनके आदर्श बड़े सुंदर शब्दों में उतारे हैं। यहां वह अवतरण उन्हीं के शब्दों में देना अनुचित नहीं होगा, "उन्हें अनेक देशों के इतिहास और अनेक युगों के दर्शन का उच्चतम

ज्ञान था। वह जिस विषय को पढ़ाते थे, उसे वह इतना स्पष्ट, रोचक और सुगम बना कर प्रस्तुत करते थे कि विद्यार्थी उसका अर्थ सरलता से ग्रहण कर सके। इतिहास को पढ़ाते समय वह अतीत की घुघली परिस्थितियों और ऐतिहासिक पात्रों को जीवंत वास्तविकताओं के रूप में प्रस्तुत कर देते थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का सजीव चित्र वह एशिया के संघर्षों और आर्थिक परिस्थितियों की पार्श्व भूमि में खींचते और एशिया के विभिन्न स्वतंत्रता संघर्षों पर व्याख्यान देते समय वह राष्ट्रीय भावना से ऐसे अनुप्राणित हो जाते और उनकी वाणी में ऐसा चमत्कार पैदा हो जाता कि उनके श्रोताओं को ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्र सेवा की सद्प्रेरणा भी प्राप्त होती। जब वह भारतीय आतंकवादी, क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते, देश की बलिबेदी पर पतंगों की भांति बलिदान हो जाने वाले साहसी और आत्मत्यागी क्रांतिकारी नवयुवकों के त्याग और बलिदान को बताते, तब उनके विद्यार्थी ऐसा अनुभव करते कि मानो एक सक्रिय क्रांतिकारी ही उनके सामने बोल रहा है। बौद्ध धर्म और दर्शन पर व्याख्यान देते हुए वह विद्यार्थियों के सामने बुद्ध के भव्य व्यक्तित्व का चित्र खींचते, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं, प्रशाखाओं का धार्मिक विश्लेषण करते और आर्य शक्तिदेव के प्रसिद्ध ग्रंथ 'बोधिचर्यावतार' के पदों को बहुत अनुप्राणित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को समस्त आर्त प्राणियों की सेवा का महत्त्व बताते और उसकी उन्हें सीख देते।

'बोधिचर्यावतार' के जो पद उन्हें बहुत ही प्रिय थे और जिनको वह विद्यार्थियों को सुनाते थे, उनका सारांश है कि "जब समस्त लोक दुःख से आर्त और दीन है, तो मैं ही इस रसहीन मोक्ष को प्राप्त कर क्या करूंगा, प्राणियों के सैकड़ों दुःखों को स्वयं भोग करके उनके दुःखों को हरण करने की कामना करने वालों को और उसे ही अपना सुख-मौभाग्य समझने वालों को बोधिवृत्त का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए।"

आचार्यजी कोरे अध्यापक ही नहीं थे, उनमें प्रबोध की निपुणता भी थी तथा वह सिद्धांतों पर अटल रहने वाले व्यक्ति थे। उनमें व्यक्ति विशेष के कारण कभी कोई फेर-बदल नहीं होने देते थे। उनकी यह न्यायप्रियता उनके शील और उनकी नम्रता का सहारा पाकर चट्टान की तरह दृढ़ बनी रहती थी। एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की हैसियत से कार्य

करते हुए उन्होंने चासखर श्रीमती सरोजिनी नायडू के सदेश को भी मानने से इन्कार कर दिया था क्योंकि उसके मानने में सिद्धांत का हनन हो रहा था और न्याय की उपेक्षा होती थी। ऐसा नहीं कि श्रीमती नायडू ने जान बूझकर कोई सदेश भेजा था। जैसा संदेश आया था, उसे आचार्यजी ने स्वीकार भी कर लिया था, किन्तु जब कार्यान्वित करने के पहले उसकी उन्होंने नियमानुसार जांच की तो उसे असंगत पाया और अस्वीकार कर दिया। श्रीमती नायडू ने भी उनके अस्वीकार को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया था। इसका कारण यह था कि दोनों ओर आदर्श पल रहे थे।

विद्यापीठ के अध्यक्ष की हैसियत से भी वह विद्यार्थियों के शिक्षण-व्यवस्था और कार्यालय के कामों की जांच-पड़ताल करते रहते थे। अध्यक्ष होते हुए भी अध्यापन का जितना भार वह अन्य शिक्षकों को देते थे, उससे कहीं अधिक भार अपने ऊपर लेते थे। प्रबन्ध की अव्यवस्था उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती थी और वह अनुशासन का दृढ़ता से पालन करते और कराते थे। संस्कृत की एक युक्ति इस संदर्भ में उन पर सटीक बैठती है। कहा है—“ब्रज्जादपि कठोरानि, कुसुम कोमलानि च।” अनुशासन में ब्रज से भी कठोर और व्यवहार में कुसुम से भी कोमल नरेन्द्रदेवजी का प्रशासन सदैव व्यवस्थित रूप से चलता रहता था।

अध्यापक के रूप में वह आश्रमों की संस्कृति में विश्वास करते थे, जहाँ आचार्य अपने विद्यार्थियों के गुरु तो होते ही थे, उस कुटुम्ब के पिता भी होते थे। आचार्यजी ने काशी विद्यापीठ को एक कुटुम्ब के रूप में परिणत कर रखा था। क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी सभी उस कुटुम्ब के सदस्य थे। आचार्यजी शिक्षक होते हुए भी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के प्रति मित्रभाव रखते थे। अपने सहज स्नेह से उनका बराबर मार्गदर्शन करते रहना वह अपने जैसे शिक्षक का परम कर्तव्य मानते थे। विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में छोटे-बड़े का भाव नहीं सताता था क्योंकि उन्होंने अपने सदाचार और चरित्र के बल पर उनसे आदर प्राप्त किया और अपने ज्ञान का दान स्नेह के पात्र में भरकर उन्हें देते रहे। विद्यापीठ में रहते हुए एक ऐसा अवसर भी आया था जब आचार्यजी विद्यापीठ के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ छात्रावास में ही रहे। वहाँ रहते हुए वह उन्हें पढ़ाते भी थे। बोधिचर्यावतार के पदों एवं क्रांति कारियों के गानों से उन्हें प्रेरणा भी देते थे। वह उनके आमोद-प्रमोद में

भी शामिल होते रहते थे। एक वर्ष काशी विद्यापीठ के छात्रों ने वार्षिकोत्सव के अवसर पर नाटक करना निश्चित किया। बाबू शिवप्रसाद गुप्त को यह बात पसंद नहीं थी। पर नरेन्द्रदेवजी और श्रीप्रकाशजी ने इस बात का समर्थन ही नहीं किया बल्कि स्वयं इस अवसर पर मुशायरे और कवि सम्मेलन के प्रहसन में शामिल होने का निश्चय भी किया। जब बाबू शिवप्रसाद गुप्त को मालूम हुआ तब वह भी जापानियों जैसे कपड़े पहनकर तथा चीनियों जैसी लम्बी मूँछे लगाकर रंगमंच पर आ बिराजे और सबने उन्हें मिस्टर मोटर के नाम से सम्बोधित करते हुए कवि सम्मेलन का अध्यक्ष चुना। आचार्य नरेन्द्रदेवजी स्वयं मिर्जा टमटम के नाम से पुकारे गए। उस समय नरेन्द्रदेवजी ने हसते हुए कहा था—“टमटम को कौन पूछे है मोटर के सामने। मिर्जा को कौन पूछे है मिस्टर के सामने।”

आचार्यजी मूलतः शिक्षक थे। उन्हें जब बी० ए० पास करने के बाद इस समस्या का सामना करना पड़ा कि वह आगे क्या करें तो उन्होंने कानून की पढाई की अपेक्षा प्राचीन इतिहास में शोध करना उचित समझा। जब वकालत की तो अच्छी की और यदि वकालत के पेशे में रहते तो बड़ा नाम भी कमाते। किन्तु जब विद्यापीठ में अध्यापन का अवसर मिला तो चट वकालत छोड़कर अवैतनिक रूप से भी वहाँ शिक्षक की हैसियत से चले आए। उन्होंने एक जगह स्वयं लिखा है, “मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं—दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाती है तो मुझे परितोष होता है और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली थी। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है जो विद्यापीठ की सेवा में व्यतीत हुआ।” सम्पूर्णानंदजी ने एक स्थान पर जो बात उन्होंने नरेन्द्रदेवजी से कही थी लिखा है, ‘आप जो कुछ लिख जाएंगे वह देश के लिए तथा विद्वत्समाज के लिए आपका अपूर्व देन होगी।’ नरेन्द्रदेव के अध्ययन और अध्यवसाय को जितनी तरह से और जितनी गहराई से देखा जाए, उतनी ही यह बात स्पष्ट होती है कि यदि वह शिक्षक ही रहते तो भारतीय विचारधारा को, भारतीय शिक्षा पद्धति को और जिज्ञासु समाज को एक अपूर्व देन दे जाते। यह आज भी उनके जानने वालों के मन में खेद का विषय बना हुआ है कि यदि उनके शरीर ने उनका साथ दिया होता, बीमारी ने उन्हें जर्जर न कर दिया होता, राजनीति ने उनका समय न बाटा होता तो उन्होंने भारतीय ज्ञान-भंडार को अक्षय दान दिया होता।

शिक्षा और शिक्षक

यह शीर्षक जान-बूझकर चुना गया है। नरेन्द्रदेवजी बहुत वर्षों तक काशी विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। वह आदर्श शिक्षक थे, ऐसा माना जाता है। जब वह काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालयों यथा लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय में कुलपति भी हुए, तब भी वह विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विषय पढ़ाने में रम लेते रहे और उसके लिए समय भी निकालते रहे। अतः शिक्षक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही और शिक्षा के सम्बंध में उनके क्या विचार रहे, इन दोनों को अलग-अलग भी और एक दूसरे को साथ रखकर भी देखना उचित जान पड़ा।

नरेन्द्रदेवजी का शिक्षक का स्वरूप क्या था, इस बारे में बहुत कुछ 'यदि वह शिक्षक ही रहते' अध्याय में लिखा जा चुका है, फिर भी प्रसंगानुसार कुछ बातों की पुनरावृत्ति सम्भव है। शिक्षा सम्बन्धी उनके विचार स्फुट रूप से उनके भाषणों में ही मिलते हैं। कुछ विचार बातचीत में वह समय-समय पर व्यक्त करते रहे, पर उनके सम्बंध में किसी ने कोई संस्मरणात्मक लेख नहीं लिखा। शिक्षा के सम्बंध में उनकी अपनी कुछ धारणाएं और विचार थे जिन्हें कभी भी अनदेखा नहीं दिया जा सकता। उनके आदर्शों और विचारों के कारण ही वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। शिक्षा को वह जीवन के ध्येय से अविच्छिन्न मानते थे। अतः उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य स्थिर करने और उसकी व्यवस्था का ढांचा खड़ा करने के पहले यह आवश्यक था कि जीवन का ध्येय निश्चित कर लिया जाए। यह एक दार्शनिक प्रश्न है। यह प्रश्न उन सभी मनीषियों के सामने बराबर उभरता रहा, जो किसी-न-किसी रूप में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे। इस सम्बंध में सम्पूर्णतदजी और डा० राधाकृष्णन् का नाम सामने आता है। ये दोनों मनीषि भी प्रत्येक अवसर पर, वह जब भी उन्हें मिलता, इस बात का आग्रह करते कि भारतीय समाज को व्यवस्थित रखने के लिए,

राष्ट्र को समृद्ध और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए व्यक्ति के जीवन के ध्येय को स्पष्ट करना अत्यावश्यक है। जब तक मनुष्य के सामने उसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, कोई भी शिक्षा उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। वह मानते थे कि वर्तमान समय में हम लोग जीवन का ध्येय ही खो बैठे हैं। वह चाहते थे कि हम दृढ़तापूर्वक अपने समक्ष ऐसे स्पष्ट और सुनिश्चित ध्येय को, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, रखें, तो हमारी अव्यवस्था दूर हो सकती है। ऐसा कहते समय वह स्पष्ट करते रहते थे कि यह ध्येय व्यक्तिगत जीवन में मोक्ष प्राप्त करना नहीं हो सकता। इस सम्बंध में वह बुद्ध और गांधी के साथ थे। वह गांधीजी के आत्मोत्सर्ग को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानते थे। नरेन्द्रदेव के लिए जीवन का ध्येय एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति को उत्पन्न करना था जिसके द्वारा देश की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए महान राष्ट्रीय प्रयास सम्भव हो सके। यह सृजनात्मक शक्ति ही उनकी दृष्टि में शिक्षितों में सामाजिक कर्तव्य और नैतिक दायित्वों के प्रति चेतना उत्पन्न कर सकती थी। इसे वह राष्ट्रीय सम्पदा मानते थे। इसी सृजनात्मक शक्ति में उस महान बौद्धिक प्रयास की सम्भावना देखते थे, जिसके सहारे जीवन से जड़ता को, अनैतिकता को, स्वार्थ को, हिंसा को एवं प्रतिशोध को दूर किया जा सकता है। इसी के सहारे समाज में उत्तम भावनाओं और विवेक को जगाया जा सकता है। वह शिक्षा को सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखते थे। आधुनिक युग में शिक्षा के सामाजिक प्रयोजन की उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। इसीलिए वह चाहते थे कि शिक्षा के सम्बंध में शास्त्रवादी और परम्परावादी विचारों के बदले व्यापक और गत्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। वह स्पष्ट देख रहे थे कि जिस युग में हम रह रहे हैं, उसमें सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीव्रगति से हो रहा है। वैज्ञानिक निष्पत्तियों के आधार पर उसका मूलाधार ही बदल रहा है, प्राचीन मौलिक धारणाएँ विवादास्पद हो रही हैं। अबाध रूप से विस्तृत होते हुए ज्ञान के झिलजि को ओर-छोर तक देखते रहने के कारण वह यह जरूरी समझते थे कि मनुष्य के मानस की ही पुनर्ध्वंसावस्था आवश्यक हो गई है। ऐसी स्थिति में वह शिक्षा का उद्देश्य और उसकी व्यवस्था इस प्रकार निश्चित करना जरूरी समझते थे कि उसके द्वारा देशवासियों को, विशेषकर शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों और युवतियों को परिवर्तनशील जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। वह चाहते थे कि शिक्षा-व्यवस्था में इतनी

गत्यात्मकता आ जाए कि वह आधुनिक समाज का आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सकुचित दृष्टि से नहीं बरन विस्तृत दृष्टि से देख सके वह अपने विद्यार्थियों में जीवन के उन मूल्यों की प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, जो आधुनिक विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान जीवन पर विज्ञान और यंत्रकला की छाप को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना सम्भव है, यह मानते हुए भी वह इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहते थे कि विज्ञान का दुरुपयोग 'तुच्छ स्वार्थों' की सिद्धि में न किया जा सके। विज्ञान का सच्चा धर्म उसका सामाजिक हित कार्यों में नियोजित होना ही मानते थे।

शिक्षा का अर्थकारी होना आवश्यक है, ऐसा मानते हुए भी उसे समाज के नैतिक उत्थान में उपयोगी बनाना चाहते थे। उनके विचार से शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान और विज्ञान समाज को बनाए रखने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए नियोजित होना चाहिए। उन्हें इस बात का खेद था कि "आज विज्ञान का लाभदायक कार्यों के साथ-साथ परस्पर विनाश के शस्त्रास्त्र बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि सामाजिक विज्ञानों का भी, जो अभी हाल में विकसित हुए हैं, जनता के विचारों और व्यवहार को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है।" उनकी दृष्टि में, ऐसा इसलिए सम्भव हो रहा है कि समाज सच्ची शिक्षा से वंचित है। समाज में तो सामाजिक और न ही नैतिक मूल्यों का ज्ञान बच रहा है, शिक्षा के अभाव में यह ह्रास नितांत स्वाभाविक है। यह आरोप उन लोगों पर लगाते हैं, जो लोग शिक्षा की व्यवस्था के लिए, विशेषकर शासन की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। आचार्यजी कहते हैं कि "अधिकार लिप्सा ने हमारी विवेक शक्ति पर पर्दा डाल दिया है, हम साधनों की शुद्धता पर विचार नहीं करते और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, चाहे वह तरीका कितना भी घटिया और अयोग्य क्यों न हो। सारा जन समूह ही अनैतिक हो रहा है, क्योंकि धर्म का प्रभुत्व तेजी से क्षीण हो रहा है और पुरानी परम्पराएं और विश्वास किसी नवीन की सुदृढ़ स्थापना से पहले ही धराशायी हो गए हैं। जीवन के प्रति यह नकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित रूप से हानिकर है। अगर समय रहते इसमें संशोधन नहीं हुआ और उन सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रधानता नहीं मिली, जिनसे कि विश्व की रक्षा हो सकती है, तो विश्व को एक भारी विपत्ति का सामना करना

पड़ेगा। जैसा पहले लिखा जा चुका है, आचार्यजी शाश्वत मूल्यों को उखाड़ फेंकने के पक्ष में नहीं थे। वह चाहते थे कि विज्ञानवेत्ता, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और उन नैतिक मूल्यों के प्रकाश में काम करें, जिनसे समाज की व्यवस्था चल सकती है। उनका यह सामाजिक सरोकार बहुत ही व्यापक और उदात्त था। वह बहुत से पुराने मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते थे, जिनकी यथार्थता और उपयोगिता मानव इतिहास में सिद्ध हो चुकी है। पर इसके साथ ही वह ऐसे मूल्यों का भी निर्माण करना चाहते थे, जो आज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बल दे सकें, सभाल सकें। इन्हें वह युग-धर्म की संज्ञा देते रहे। उनके विचार में युग-धर्म बराबर बदलते रहे हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति के लिए यह आवश्यक है।

शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों और आवश्यकताओं पर बात करते हुए उनके सामने पूरे समाज का चित्र मुखर हो उठता था। एक ओर जहाँ वे शिक्षा, शिक्षाविदों और व्यवस्थापकों के आदर्शों, उद्देश्यों की बात करते और उनमें व्याप्त कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते, वहीं वह उस समुदाय को भी सामने रखते, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के विकास के क्षेत्र में कम नहीं है। वह इस सद्वर्ष में इस प्रकार चिंतित होते देखे गए हैं। वह कहते हैं, “जनता अज्ञानता और और मरीची के गर्त में पड़ी हुई है। यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के हिमाब से खाद्य उत्पादन बहुत कम है। हम जनता की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी करने में असमर्थ हैं। मृत्यु संख्या बेहिसाब है। जनता घोर गंदगी में रहती है। जनता या तो उदासीन है अथवा उद्विग्न मुद्रा में है।” इस प्रकार के जन समुदाय के चित्र को सामने रखकर जब वह शिक्षा के उद्देश्यों को देखते हैं तो उनके स्पष्ट विचार हैं कि शिक्षा का काम केवल कुशल व्यक्ति पैदा करना नहीं है। शिक्षा का एक प्रधान उद्देश्य यह भी है कि वह, जो पददलित है उनमें जीवन के उत्थान की ‘समुचित आशा’ जगाए। समाज के अन्य लोगों के मन में अपने कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का तीव्र संकल्प जाग्रत कर सके, आपस में मैत्री भाव और करुणा का उदय करें, जाति भेद को मिटा सकें और प्रादेशिकता से ऊपर उठ सकें। शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और बुद्धि में विश्वास पैदा करना और जनतात्रिक जीवन विधि में दृढ़ आस्था उत्पन्न करना भी एक उद्देश्य होता चाहिए।

थाईलैंड की यात्रा से आने के बाद वह अक्सर इस बात पर भी जोर देते थे कि शिक्षा का एक राष्ट्रीय रूप भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब वह शिक्षा पद्धति में पूर्ण परिवर्तन की बात करते, तो उनके सामने उसके ध्येय के पुनर्निर्धारण की बात बिलकुल स्पष्ट रहती थी। इस कार्य के लिए वह उन लोगों को ही योग्य समझते, जिन्हें वर्तमान समस्याओं के गम्भीर अध्ययन और समाज की नवीन प्रवृत्तियों को समझने का पूरा अवसर मिल चुका है। इस सम्बंध में कोरे शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान को वह न केवल निरर्थक समझते थे, वरन् बदतर भी। शिक्षा के क्षेत्र में सैद्धांतिक स्वतंत्रता के वह पक्षधर थे। प्राचीन भारत में शिक्षा पर शासन का नियंत्रण नहीं था। वह समाज के लिए परिचालित होती थी और समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था में दिलचस्पी रखता था। अंग्रेजी हुकूमत में यह बात बदल गई। विदेशी शासन के जमाने में शासन समाज से अलग रहकर काम कर रहा था और शिक्षा की व्यवस्था शासन के हाथ में थी। नाममात्र को सैद्धांतिक स्वतंत्रता जरूर थी। अतः समाज और शिक्षा संस्थान में एक पृथक्करण था, अलगाव था। समाज ने धीरे-धीरे अपने को अलग कर लिया और शिक्षा संस्थान पूर्णरूपेण शासन पर आश्रित हो गए। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। शिक्षक समाज में आदर का पात्र नहीं रह गया। उसका स्थान किसी भी अन्य कर्मचारी के समकक्ष हो गया। तब प्रतिष्ठा का मापदंड वेतन बना, जो उसे अत्यल्प ही मिलता रहा। ऐसी स्थिति में शिक्षा की जो दुर्दशा विदेशी शासन में होनी थी, वही हुई। पुरानी परिपाटी में, अर्थात् भारतीय परम्परा में शिक्षक का स्थान ऊंचा था। उसे गुरुपद आसानी से मिलता भी नहीं था, पर उस पीठ पर आसीन हो जाने के बाद वह मर्यादा-पूँज और मर्यादा का रक्षक होता था। ऐसा वह अपने ज्ञान के बल पर और समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके बनता था। उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय में ही सीमित नहीं होता था। आचार्यजी यही चाहते थे। उनका भी कहना था कि “एक अध्यापक को पहले समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी, तब वह समाज में मान्यता प्राप्त कर सकता है। उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रसार होना चाहिए। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि “उदाहरणार्थ, उसे कोर्स के अतिरिक्त कार्यों में भी लगना चाहिए और सामान्य जन को शिक्षित करने का कार्य अपने हाथ में लेना

चाहिए। वह विद्या और चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसमें व्यापक मानव सहानुभूति होनी चाहिए। विचार और आचार में भेद नहीं होना चाहिए। उसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समादर करना चाहिए, उसके अंतरतम में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए तथा उसकी आवश्यकताएं और कठिनाइयां समझनी चाहिए।” आचार्यजी की इस मान्यता को, उनकी इस स्थापना को यदि आज के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और प्रबुद्ध जनतंत्र की आवश्यकता के संदर्भ में देखा जाए, तो उलझी हुई समस्या और उसकी जटिलता की कई परतें खुलती नजर आएंगी और आज का शिक्षक-समाज अपने आत्मनिरीक्षण के लिए बाध्य होता दिखाई देगा।

जो शिक्षक हैं अथवा उस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं, उनके कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए वह कोरे उपदेष्टा नहीं बनते। वह अपनी बात के बीच उन तमाम सरोकारों और सम्बंधों की ओर भी इंगित करते हैं जो अध्यापको और विद्यार्थियों, अपितु समाज के भी बीच बनने चाहिए। वह कहते हैं कि विद्यार्थियों के मानस का निर्माण करना, उनके चरित्र का विकास करना तथा उनमें जनतांत्रिक भाव भरना अध्यापक का कर्तव्य है। वह उस प्रक्रिया को भी बताते हैं जिसके द्वारा यह सब सम्भव है। वह कहते हैं कि अध्यापक और छात्रों में “स्वतंत्रतापूर्वक विचार-विनिमय होना चाहिए और अध्यापक को विद्यार्थियों पर अपने विचार लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचाराधीन प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण उनके सामने रखना चाहिए। जहां तक सम्भव हो, आत्मसंयम की शक्ति को, जो मानव प्रकृति में सन्निहित होती है और जिसमें आत्मानुशासन होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अध्यापक केवल ज्ञान-वाहन करता है, किन्तु विद्यार्थियों के विचार और चरित्र का निर्माण नहीं करता है, वह एक योग्य अध्यापक नहीं है। सच्चा अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सम्मान और प्रेम का भाजन होता है, और उसके लिए अनुशासन का पालन कराना अत्यंत सुजब होना है। यह कहना गलत है कि इस पीढ़ी के विद्यार्थी ऐसे नहीं रहे। किन्तु यह खेदजनक बात है कि वर्तमान सामूहिक उत्पादन क्रम में अनेक अध्यापकों का भी वह स्तर नहीं रह गया है। राजनीतिज्ञ और अध्यापक, दोनों दुर्भाग्यवश युग के अनुरूप नहीं बन सके हैं। उनमें अपने कर्तव्य और दायित्व की भावना का दुखद अभाव दिखाई देता है।” आचार्यजी यह सब इसलिए कह

सके कि उन्हें स्वयं वास्तव में अच्छे अध्यापको के चरणों के पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनका यह कथन अपने अध्यापको के प्रति कृत-ज्ञतापूर्ण स्मरण मानना चाहिए। वह स्वयं आदर्श शिक्षक के रूप में काम करते हुए न केवल शिक्षाविद् बन सके थे, वरन् अपने विद्यार्थियों का समादर करते हुए उनका आदर और स्नेह प्राप्त कर चुके थे।

शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं को बखूबी समझने के कारण वह उनकी तह तक पहुँचते थे और मूल कारणों को उनमें से निकाल कर सहज रूप से प्रस्तुत कर देते थे। मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के एकनिष्ठ अध्येता होने के कारण समस्याएँ उनसे अपने मूल को छिपानहीं पाती थी। अध्यापक-जीवन की विसर्गितियों पर प्रकाश डालते हुए वह कहते हैं, "अध्यापक के लिए समाज को अपना सर्वोत्तम अर्पित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। अनेक व्यक्ति इस पेशे के लिए अनुपयुक्त हैं। आमतौर से अध्यापकों को प्रेरणारहित और हतोत्साही परिस्थिति में काम करना पड़ता है। कुछ प्रतिशान लोग, जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं और अपनी कठिनाइयों की कुछ भी परवाह नहीं करते हैं, वे आत्मार्पण का जीवन व्यतीत करते हैं। आमतौर से अध्यापक जीवन की सभी सुविधाओं से वंचित रहता है। उसमें सुरक्षा का भाव नहीं रहता है, उसका वेतन अपर्याप्त होता है, उसे अपने कार्यों का उचित प्रतिफल नहीं मिलता है और उसे साधारणतः समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है। (मालूम नहीं, आज की स्थिति में आचार्यजी के अब क्या विचार होते) काम की दशा भी हमेशा संतोषप्रद नहीं होती है। उसकी संस्था में कोई सुसज्जित पुस्तकालय नहीं होता है और साधन तथा आवास की कमी होती है। कक्षा बड़ी होने के कारण उसे अपने सब विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना भी कठिन होता है।" न्यूनाधिक रूप से ऊपर की कई समस्याओं का कुछ परिमार्जन तो हुआ है, पर स्थिति में मिरावट जारी है। फिर भी आचार्यजी का विश्लेषण अभी भी बहुत हद तक प्रासंगिक बना हुआ है।

शिक्षा में राजनीति का प्रवेश बड़ी गहराई तक हो चुका है। आए दिन यह देखने को मिलता है कि राजनीति के मैदान में विभिन्न दलों के कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं। उन निर्णयों पर बौद्धिक विचार-विनिमय या देश और समाज को केन्द्र में रखकर उनका विश्लेषण तो कदाचित ही कही जाता है,



उनके नारों से शिक्षा संस्थानों के खिड़की दरवाजे हिल उठते हैं। यही तक बात नहीं रुकती। विभिन्न राजनीतिक दलों के गुर्गे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और दूसरे शिक्षा संस्थानों में निस्सकोच घुसकर चलती हुई पढ़ाई को बंद करा देते हैं, कार्यालयों को बंद करा देते हैं और सारे परिसर को उद्विग्न और विपाकत बना देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अध्यापकों में कई लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता या नेता बन चुके होते हैं। इस विषय पर आचार्यजी पुनः अध्यापकों के कर्तव्यों की ओर फिर से ध्यान दिलाते हुए अपना अभिमत एक वाक्य में प्रकट करते हैं, "मैंने कहा है कि अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के जीवन में उच्च सामाजिक आदर्शों को प्रतिष्ठित करे। एक अध्यापक तभी उपयोगी हो सकता है, जबकि उसके अंदर बौद्धिक ईमानदारी हो और यह तभी सम्भव है, जबकि उसे वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। यह स्वतंत्रता ही अध्यापक की अमूल्य निधि होती है। उसे सभी विषयों पर सैद्धान्तिक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने की अबाध स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक सच्चा अध्यापक अपने युग के विवादास्पद प्रश्नों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। उदासीनता का भाव, या उससे भी अधिक बुरी बात, अधिकारियों के मय से अपने विचारों को छिपाने की इच्छा उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। किन्तु यह स्मरण रहे कि चाहे उसका विचार कुछ भी हो, उसे एक प्रचारक अथवा मंच वक्ता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" ऊपर के वाक्य का दूसरा अर्थ न लगाया जाए, अतः नरेन्द्रदेवजी फिर स्पष्ट करते हैं कि उनका यह मतव्य नहीं है कि किसी अध्यापक को अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से रोकना चाहिए। वह स्पष्ट करते हैं कि "मैं यहाँ जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूँ, उसमें खतरा भी सन्निहित है। कुछ अध्यापक इस सुविधा का दुरुपयोग करेंगे और सैद्धान्तिक विचार-विमर्श के मान्य स्तर की रक्षा नहीं कर सकेंगे, वे अपने विद्यार्थियों को सिद्धांत विशेष की दीक्षा देने लेंगे, किन्तु स्वतंत्रता के दुरुपयोग की आशंका से उसका अपहरण नहीं होना चाहिए। उल्लंघन होने पर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जा सकती है।" दलगत राजनीति से शिक्षक को किस प्रकार ऊपर उठकर विद्यार्थियों की हित-चिन्ता ही प्रधान लक्ष्य बनाना चाहिए, इसका एक छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। वह कुलपति की हैसियत से अपने निजी वेतन का चालीस प्रतिशत विद्यार्थी कोष में देते थे। यह कोष भी उन्होंने

ही अपने कुलपतित्व काल में लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय में कायम किया था पर उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि विद्यार्थी की सहायता का ब्यवसर उपस्थित होने पर वह कोष की ही ओर देखते। इसके अतिरिक्त भी वह अपनी जेब से नगद सहायता दिया करते थे। एक बार एक विद्यार्थी को उन्होंने अपनी जेब से सौ रुपये की सहायता दी। विद्यार्थी ने सहायता लेते समय यह स्पष्ट करना उचित समझा कि वह उन्हें अपनी दलगत राजनीति बता दे। उनमें कहा कि "आचार्यजी में कम्युनिस्ट हू।" शायद उसने इसलिए भी कहा हो कि आचार्यजी स्तालिनवाद के घोर विरोधी और कटु आलोचक थे। आचार्यजी ने छूटते ही कहा, "मैंने एक विद्यार्थी की सहायता की है। इस सहायता का उसके राजनीतिक विचारों से कोई सम्बंध नहीं है।"

शिक्षा के एक अन्य किन्तु निगूढतम पक्ष को नरेन्द्रदेवजी बड़ी सहजता से स्पष्ट कर देते हैं। "आज की शिक्षा-व्यवस्था कई स्तरों में बटी है, बटी रहेगी, यदि उसको सर्वहितकारी और समयोपयोगी बनाना है। सभी विद्यार्थी, विश्व-विद्यालय स्तर या अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा के न तो योग्य हो सकते हैं, और न उन्हें उसकी अपेक्षा हो सकती है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें माध्यमिक स्तर के बाद ही किसी अन्य तकनीकी या विषय विशेष की शिक्षा के लिए स्थापित विशिष्ट विद्यालयों या संस्थानों में जाने की जरूरत पड़ सकती है या परिस्थितिवश उन्हें अलग होना पड़ सकता है। अतः व्यवस्था की दृष्टि से सारी शिक्षा खंडों में बटी हुई है। सामान्यतः उसका खंड रूप खंडित रूप में ही दिखाई पड़ता है। पर वस्तुतः शिक्षा ऐसी वस्तु नहीं है। आचार्यजी उसके समग्र रूप को देखते और जानते थे। वह मानते थे कि यह धारा एक बार प्रवाहित हो जाने पर अखंड है, अपने पूर्व रूप से अविच्छिन्न है। यह बहु-आयामी भी है। अतः प्राथमिक स्तर के संस्कार उच्चतम स्तर की शिक्षा को प्रभावित करते रहते हैं और उच्चतम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श की नीव प्राथमिक स्तर पर ही डाली जा सकती है। उनके अनुसार शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में एकता होती है और उच्चतम अवस्था के स्तर में हलम हो रहा है, तो उसका कारण यह है कि नीचे की अवस्था का स्तर जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है।" यहाँ यह महत्व की बात है कि उन्होंने 'अवस्था' शब्द के प्रयोग से शिक्षा के सावयवी रूप को स्पष्ट किया और धारा के उद्भव और विकास को एक दूसरे में काट कर देखने की प्रवृत्ति का निषेध किया। शंकराचार्य के

लिए शंकर का पैदा होना अत्यावश्यक है। वह एक ही है, जो यहां से वहां फैला हुआ है। अतः शिक्षा के व्यवस्थापकों को यह समग्र दृष्टि अपना कर ही शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे बढ़ना श्रेयस्कर होगा।

ज्ञान के क्षितिज के अपार विस्तार की ओर संकेत करते हुए वह विद्यार्थियों और शिक्षकों का उद्बोधन करते हैं। उस पूरे क्षितिज को देखने की सामर्थ्य पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि उसे पूरी तरह ओर-छोर तक देखने के लिए और उसे आत्मसात करने के लिए विज्ञान और तकनीकी का सहारा तो लेना ही होगा, साथ ही सभी विशेषीकृत शिक्षा के अध्ययन-अभ्यापन की पृष्ठभूमि में “एक व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित सस्कृति और सामान्य शिक्षा” बनाए रखना होगा। उनका ऐसा मानना था कि बिना इस पृष्ठभूमि में किसी वृत्ति विशेष की योग्यता प्राप्त कर लेने से विद्यार्थी जीविकोपार्जन में तो समर्थ हो जाएगा, किन्तु इससे उसकी जीवन की समुचित तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी। आधुनिक युग में विज्ञान के कारण नए ज्ञान का जो विस्फोट-सा हुआ है उसे संभाल सकने के लिए समुचित मानसिक विकास वह आवश्यक मानते थे, ऐसा लगता है कि वह इस बात से बराबर सशक्त रहे कि बिना मानसिक विकास के यह नया ज्ञान न तो संभल पाएगा, न इसका समुचित उपयोग होगा और न ही यह समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। सामाजिक कल्याण में ही विज्ञान की महत्ता है। वर्तमान राष्ट्रीय संघर्षों को, विश्वशांति की महत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में दिनों दिन होती कमी को बराबर देखते रहने के कारण उनकी शंका निर्मूल नहीं थी। एक ओर तो वह विज्ञान और तकनीकी की महत्ता को स्वीकार करते हुए समाज के लिए उसका कल्याणकारी रूप ही देखना चाहते थे, दूसरी ओर उसकी प्रगति के लिए उसमें और अधिक उन्नति के लिए सामान्य शिक्षा और उसके स्तर को इस हद तक उठाते रहना चाहते थे कि वह इन तनावों और संघर्षों के कारणों का ही उन्मूलन करने में सहायक सिद्ध हो। आधुनिक शिक्षा में अतिराष्ट्रवादी भाव-धारण के प्रधान तत्व को वह दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। पर उनकी दृष्टि एक समग्र दृष्टि थी। इतने से ही वह सतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि केवल शैक्षणिक प्रयोग से ही इन सब विरोधों का उन्मूलन नहीं हो जाएगा। “इन लोगों का कारण अधिक गहरा है। इनके कारण न केवल मनोवैज्ञानिक है, बल्कि राजनैतिक और आर्थिक भी हैं। जब तक इन सब कारणों का उन्मूलन नहीं हो जाता है,

तब तक सघष का निराकरण नहीं हो सकता है। शिक्षा इतना ही कर सकती है कि वह अन्य राष्ट्रों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करे, और यह बताए कि सामाजिक व्यवहार को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है।”

ऊपर शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप की बात उठी थी। इसके व्यावहारिक पक्ष पर उन्होंने गहराई से विचार किया था और उसके फलस्वरूप जो उन्होंने अपना अभिमत दिया, वह अत्यंत निर्लिप्त, निर्भीक और राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि मान कर दिया। इसके पहले कि और कुछ कहा जाए, उनका प्रस्ताव ही देख लेना उचित होगा। वह कहते हैं, “मेरे विचार से इस प्रश्न पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मेरा मत है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सन् 1949 में शिक्षा विभाग की ओर से उपकुलपतियों का जो सम्मेलन बुलाया गया था (तब आचार्यजी लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे) उसमें मैंने यह विचार व्यक्त किया था, किन्तु उस समय इसे पर्याप्त समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। प्रादेशिक भाषा के पक्ष में निर्णय से शिक्षा में संकीर्णता को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड समान शिक्षा-स्तर की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, ताकि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का आवागमन सुगम हो सके। किन्तु अगर विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया, तो आवागमन बिल्कुल असम्भव हो जाएगा। अध्यापकों की नियुक्ति भी प्रादेशिक आधार पर करनी पड़ेगी और चुनाव का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाएगा। इस कार्य-प्रणाली से शिक्षा स्तर में ह्रास तथा प्रांतीयता में अभिवृद्धि होना अवश्यम्भावी है।” अपने मन का दुःख और भावी अवनति का चित्र स्पष्ट करने के लिए वह यूनेस्को के प्रयत्नों का उदाहरण देते हैं। “जब यूनेस्को में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर विचार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की योजना बन रही है, हम अभी तक प्रदेश के आधार पर ही सोचने में लगे हुए हैं, राष्ट्र को भी अपना आधार नहीं बना सके हैं। जब तक हम विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बंधों को सुदृढ़ नहीं बनाते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तैयार नहीं करते जो एक सामान्य भाषा में अपने सर्वोत्कृष्ट विचारों को व्यक्त कर सकें, तब तक हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। अगर हम प्रत्येक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा को शिक्षा

का माध्यम बना दें, तो यह उद्देश्य सफल हो सकता है। यह क्रम धीमी गति से होगा और ऐसी नीति का अनुसरण करना भी आवश्यक है, किन्तु अगर हम अभी निश्चय नहीं कर लेते हैं, तो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक सामान्य माध्यम कभी नहीं हो सकेगा। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं हिन्दी के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टि से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव नहीं रख रहा हूँ। अगर किसी अन्य भारतीय भाषा को सर्वसम्मति से स्वीकार लिया जाए, तो मैं तुरंत उसे मनवा लूंगा। मेरी एक मात्र आकांक्षा राष्ट्रीय एकता का निर्माण है।” उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में उस मूल उद्देश्य पर जोर देने के लिए यह वाक्य कहा। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि उन्होंने अंग्रेजी नाम तक नहीं लिया। वह राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ भारत की संस्कृति और शिक्षा को भी गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते थे।

राजनीति में प्रवेश

नरेन्द्रदेवजी का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह शायद ही राजनीति में प्रवेश करते। किन्तु परिस्थितियाँ व्यक्तित्व, चरित्र और रुचि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही हैं, कभी-कभी समूची जीवनधारा को ही बदल देती हैं। नरेन्द्रदेवजी के पारिवारिक परिवेश, पिता की विरासत और शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव को देखते हुए तो यही बात कल्पनीय लगती है कि नरेन्द्रदेवजी को भी अपने पिता के समान धर्माचरण-सम्पन्न मेधावी और सफल वकील बनकर धन कमाने में सफलता मिलनी चाहिए थी। बचपन में जिन लोगों का प्रभाव उन पर अधिक पड़ा, वे सब मूलतः उदात्त विचारों वाले सनातन धर्मी व्यक्ति थे। जिनसे वह अधिक आकृष्ट हुए, वे भी धर्मात्मा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही थे। कुल मिलाकर उनके इस परिवेश से बाहर जाने की सम्भावना नहीं बनती थी। यदि वह अपने पिता के साथ दस वर्ष की अवस्था में लखनऊ कांग्रेस में जा पहुँचे तो भी उनकी स्थिति एक तमाशबीन बालक की ही थी। पिता द्वारा बताए जाने पर ही वह रानडे, तिलक और रमेशदत्त जैसे महान व्यक्तियों के बारे में जान सके।

फैजाबाद के बाहर बनारस और इलाहाबाद शिक्षा के केन्द्र थे। श्रीमती ऐनी बेसेंट का सेन्ट्रल हिन्दू कालेज और थियॉसोफिकल स्कूल धनी-मानी समाज में आकर्षण का केन्द्र बन चुका था। तब कोई आश्चर्य नहीं कि नरेन्द्रदेवजी के मन में भी सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में ही जाकर पढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। अगर वह बहा जाकर अध्ययन करते तो अधिकारपूर्वक तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह राजनीति में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश न करते पर स्वाभाविक रूप से आगे चलते हुए शायद ज्यादा सम्भावना इसी बात की थी कि वे एक अच्छे वकील की हैसियत से फैजाबाद में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनते। यह दूसरी बात है कि तत्कालीन अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की तरह वह भी वकील की हैसियत से नेता बनकर कांग्रेस में प्रवेश करते और फिर चाहे उतनी ही

अथवा उनसे अधिक भी देश के लिये कुर्बानी देते। पर ऐसा नहीं हुआ या नहीं हो सका। वह अपने फैजाबाद के साथियों के साथ सेन्ट्रल कालेज मे इलाहाबाद आए हुए थे। हिन्दू बोर्डिंग हाउस मे प्रवेश पाने के पूर्व वह कुछ दिन हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प० बालकृष्ण भट्ट के यहा भी ठहरे थे। वहीं उनका मट्टजी के आत्मजों से भी परिचय हुआ। बालकृष्णजी के लडके पंडित जनार्दन भट्ट बताते हैं कि उनका स्वभाव उस समय भी बड़ा भोला और विनम्र था। हिन्दू बोर्डिंग हाउस में पहुँचने पर उनके विचारों ने सक्रिय जागरूकता अपनाता शुरू किया। तत्कालीन नवयुवको पर, जो कहीं-न-कहीं से स्वाभिमान का रस पी चुके होते थे, रूस-जापान के युद्ध मे जापान की विजय का निश्चित प्रभाव पड़ा था और ऐसे युवकों मे एशियायी होने के नाते भारत की पहचान अधिक स्पष्ट और अस्मिता की खोज प्रबल हुई थी। नरेन्द्र-देवजी भी उन्हीं युवको में थे। उन्ही दिनों अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी प्रभुसत्ता को अधिक सुदृढ़ और दीर्घजीवी बनाने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों मे भेद का विष-बीज बोना शुरू कर दिया था, बगभंग इस दिशा मे अंग्रेजों का सक्रिय कदम था। पर इसने न केवल बंगाल के युवको में बल्कि प्रायः सारे भारत के युवकों मे अंग्रेज विरोधी स्वर को न केवल ऊँचा कर दिया, वरन् उन्हे सक्रियता भी प्रदान की। जिन्हे उन दिनों षड्यंत्रकारी कहा जाता था, ऐसे युवको के गिरोह यत्र-तत्र उभरने लगे और जापान के आदर्श पर अंग्रेजों को नशस्त्र क्रांति के द्वारा भगाने के उपाय ढूँढ़े जाने लगे। हिन्दू बोर्डिंग हाउस ऐसे ही उग्र विचारो और उनमें विश्वास रखने वाले युवकों का केन्द्र बन गया था। नरेन्द्रदेवजी भी उग्रवादी बन गए। बस षड्यंत्रकारी होने से बाल-बाल बचे, ऐसा कहने मे उनके प्रति हल्कापन प्रदर्शित करना नहीं है। उनका साथ षड्यंत्रकारियों से बहुत दिनों तक बना रहा और वह उनकी सक्रिय महायत्ता भी करते रहे। कांग्रेस पहले से ही अपना काम कर रही थी। उसके इतिहास मे विस्तार से जाने की जरूरत नहीं, पर यहा इतना लिखने की जरूरत है कि इस उग्र विचारधारा को लेकर कांग्रेस दो दलों मे विभक्त हो गई थी। फलस्वरूप नवयुवकों में भी नेतृत्व के लिए दो विकल्प सामने आ गए थे। एक तो वे नेता थे जो संवैधानिक तरीके से, बहिष्कार के बल पर अपनी मांग को प्रबलतर बनाने के हाभी थे और दूसरे वे थे जो मानते थे कि यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों का सशक्त मुकाबला किया जा सकता है और उसके लिए तैयारी भी की जानी चाहिए। इस दूसरे मत के प्रवक्ता नेता

तिलक विपिन चन्द्र पाल श्री अरविन्द घोष और लाला लजपत राय थे नरेन्द्र देवजी इनके विचारों से प्रभावित होने लगे और आगे चलकर तिलक को ही अपना नेता भी मान लिया था। यह स्थिति तब तक रही जब तक गांधीजी का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ था।

पिता बाबू बसदेवप्रसादजी न केवल कांग्रेस के प्रति सहिष्णु थे वरन् उसके लिए सक्रिय आदर का माव भी रखते थे। नरेन्द्रदेवजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन् 1907 में पहुंच गए। उग्र दल के कांग्रेसी नेता, स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल, विदेशी का बहिष्कार, जन जागृति का कार्यक्रम और जन संगठनों को मजबूत बनाकर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त ही चरम लक्ष्य है—घोषित कर चुके थे। इनके विचारों को उत्कर्ष देने वाले पत्र भी निकलने लगे थे। जिनमें कलकत्ता से निकलने वाले दैनिक 'वंदेमातरम्' का नाम सदा ही आदर से लिया जाएगा। नरेन्द्रदेवजी ने भी कलकत्ता से लौटकर स्वदेशी का संकल्प लिया, जिसे आजीवन निभाया भी। कलकत्ता से लौटने पर नरेन्द्रदेवजी को तत्काल ही पुनः तिलक के भाषण सुनने का अवसर इलाहाबाद में ही मिला गया। तिलक भी कलकत्ता से लौटते समय इलाहाबाद आए थे। पर उग्र दल के नेताओं का इलाहाबाद आने का क्रम इसी से नहीं टूटा। उसके बाद विपिन चन्द्र पाल भी आए और लाला लाजपत राय भी। इनके भाषणों ने नरेन्द्रदेवजी के मन में उमड़ते हुए विचारों को मार्ग दिखाया और उन्हें तर्कानुगति से पुष्ट भी किया। बड़े-बड़े युवा नेताओं के जोश भरे भाषण ही युवकों को आकृष्ट नहीं करते थे, बल्कि उन दिनों उनके विचारों को बल देने वाला प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध हो रहा था; कुछ तो अंग्रेजी से अनूदित होकर और कुछ स्वतंत्र लेखन के रूप में। अनूदित पुस्तकों में एडविन आनंल्ड की पुस्तक 'साइट आफ एशिया' का नाम लिया जाता था और स्वतंत्र रचनाएं अधिकतर बंगला और मराठी में ही हो रही थीं। यद्यपि हिन्दी इन दोनों भाषाओं के साथ हम कदम होकर चल रही थी तथापि बंगला भाषा में लिखे गए बकिम चन्द्र चटर्जी के उपन्यासों का महत्व सर्वोपरि माना जाता था। नरेन्द्रदेवजी ने भी रमेशचन्द्र दत्त और बकिम बाबू के उपन्यास बंगला भाषा से ही पढ़े। जाला हृदयाल विलायत से पढ़ाई छोड़कर लौटे हुए उग्रवादी नेता थे और परिस्थितियों और परिवेश ने उन्हें वकील बनाकर ही छोड़ा तथा फ़ैजाबाद में वकालत प्रारम्भ करने के कुछ ही समय बाद वे अपनी प्रतिभा

से उम क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त करने लगे। नरेन्द्रदेवजी का पारमार्थिक पक्ष तो बचपन से ही प्रबलतर होता चला आ रहा था। इसमें उनके श्रोता, गुरुजन और स्वामी रामतीर्थ आदि जैसे लोगों का भी बड़ा योगदान था। कुल मिलाकर इनमें प्रतिभा का वह रूप मुखर हुआ जो प्रतिपक्ष को परास्त करने पर उनमें हीन भावना का उदय करने की जगह उनमें अपने प्रति आदर और सद्भाव का उदय कराता था। वकालत के पेशे में तो रोज ही किसी-न-किसी प्रतिद्वन्दी का सामना होता था लेकिन इनकी योग्यता और सम्भ्रात आचरण ने इनके वरिष्ठ और वयस्क हम पेशेवर व्यक्तियों की सद्भावना को इनकी ओर अबाध गति से मोड़ दिया और यह उन सबके आशीर्वाद-भाजन बन गए। कहा जाता है कि युवा वकील नरेन्द्रदेव की प्रतिभा ने एक आत्मकेन्द्रित पूर्वाग्रही अंग्रेज जज को भी अपनी लीक छोड़ने पर विवश कर दिया। उस जज की यह आदत थी कि अपने सामने आए विवाद के कागजों और साक्ष्य को पढ़कर वह उस मुकदमे का फैसला पक्ष और विपक्ष की बहस सुनने के पूर्व ही लिख लिया करता था। बहस सुनने के बाद कभी-कभी अगर आवश्यक हुआ तो कुछ संशोधन कर देता था अथवा अपना पहले से ही लिखा फैसला सुना देता था। एक बार जब नरेन्द्रदेवजी को उसके कार्यालय में उपस्थित हीना पड़ा तो इनके पिता ने जाकर जज से कहा कि उनका लड़का आज उनकी अदालत में उपस्थित होने वाला है। उनकी इतनी ही प्रार्थना है कि उसकी बहस भी सुन ली जाए। उसके बाद जो भी फैसला आप सुनाना चाहे, सुना दें। जब नरेन्द्रदेव ने अपनी बहस प्रारम्भ की तो वह जज इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपना पहले से लिखा पूरा फैसला फाड़ डाला और फिर नए सिरे से उसने फैसला लिखा। वकालत से प्रसिद्धि तो मिलने ही लगी, उससे अच्छी आय भी होने लगी। अतः वह अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग समाज सेवा में खर्च करने लगे। यह सब होते हुए भी विद्यार्थी जीवन में प्रस्फुटित अपने क्रान्तिकारी विचारों को वे चिन्तन और अध्ययन से पुष्ट करते रहे। उसी जमाने में उन्होंने मार्क्सवाद और रूसी क्रांति के साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। सार्वजनिक जीवन का अध्याय भी यही से शुरू हुआ जब वह सर्व-सम्मति से फैजाबाद नगरपालिका के सदस्य चुने गए।

यहां तक भी उनके राजनैतिक जीवन का स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं होता। यद्यपि पत्र-पत्रिकाओं में उनके कुछ लेखादि प्रकाशित होने लगे थे और

क्रांतिकारी विचारधारा के साहित्य का अच्छा अध्ययन और क्रांतिकारी युवकों की सहायता और सत्संग का अवसर भी मिल चुका था, फिर भी राजनीति से अभी वह बाहर ही रहे। इसका श्रीगणेश तो तबसे माना जाना चाहिए, जबसे उन्होंने श्रीमती ऐनी बेसेट के होमरूल लीग की एक शाखा फैजाबाद में खोली और उसके मंत्री के रूप में स्वयं काम करने लगे। यही से उनका सम्पर्क जवाहरलालजी से भी हुआ क्योंकि वह भी प्रांतीय स्तर पर होमरूल लीग के मंत्री थे। दोनों ही युवा थे और यह संयोग ही था कि दोनों का जन्म 1889 में ही हुआ था और नरेन्द्रदेवजी जवाहरलाल से चौदह दिन ही बड़े थे। दोनों युवा वकील थे। दोनों की मैट्री हुई और कालांतर में जीवनपर्यन्त बनी रही। उनके राजनीतिक जीवन की असली नींव तो काशी विद्यापीठ में पड़ी। वहां जाने के निमित्त भी जवाहरलालजी ही थे। किसान आंदोलन के सिलसिले में एक बार जवाहरलालजी फैजाबाद आए और उन्होंने ही बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित होने वाले काशी विद्यापीठ में काम करने का शिवप्रसादजी का निमंत्रण भी दिया। कुछ संकोच और कुछ विचार के बाद नरेन्द्रदेवजी राजी हो गए थे। यही वह संस्था है जिसे उनके बौद्धिक वर्चस्व को उजागर करने का, उनके मूलतः आचार्यत्व के रूप को प्रकट करने का, स्वतंत्रता संग्राम-सेनानी और अप्रतिम स्वतंत्र चेतन, समाजवादी विचारक और बौद्ध दार्शनिक बनाने का श्रेय मिलना चाहिए। यही इनका गांधीजी से प्रथम सान्निध्य हुआ और यहीं से वह उनके परम आदरास्पद हुए। इसका एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा जो इस बात का सबूत है कि गांधीजी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्हें कांग्रेस और देश के लिए हर तरह से सर्वश्रेष्ठ और योग्य मानते रहे। सन् 1947 में गांधीजी ने सलाह दी कि नरेन्द्रदेवजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। उनकी सलाह मानकर उनका नाम पेश भी किया गया। सभी ने उनकी विद्वत्ता, उदात्त चरित्र और देश सेवा को देखते हुए उन्हें सर्वथा योग्य माना। पर सरदार पटेल प्रभृति कुछ नेता इसके विरुद्ध थे। उनकी ओर से राजेन्द्र बाबू का नाम प्रस्तावित हुआ। तब गांधीजी ने प० गोविन्द बल्लभ पंत की मार्फत उनके पास यह संदेश भेजा कि वह इस पद के लिए न खड़े हों। 'लेकिन यह संदेश उन्हें नहीं पहुंचाया गया और जब बाद में उन्हें स्वयं गांधीजी से इसका पता चला तब उन्हें इस बात का क्षोभ था कि गांधीजी की राय न होते हुए भी उन्हें अध्यक्ष का भार ग्रहण करना पड़ा।' (223 मुकुट बिहारीलाल)

सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते रहने और फैजाबाद में सामाजिक कार्य करने तथा वहां से कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते रहने के बावजूद, उन्होंने अपने को परोक्ष ही रखा था। पर काशी विद्यापीठ में आने के बाद उन्हें प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य करने और अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलने लगा। कांग्रेस के विधान में काशी विद्यापीठ से प्रांतीय कमेटी में अपना प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान था। विद्यापीठ नरेन्द्रदेवजी को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर कई वर्षों तक भेजता रहा। नरेन्द्रदेवजी कांग्रेस के विधिवत सदस्य ही नहीं थे बल्कि उसके आदर्शों और उद्देश्यों से भी बहुत हद तक सहमत थे। जहां तक उनसे बन पड़ता, अपने स्वतंत्र विचारों को वह प्रकट करते या बिना बहस में पड़े अपने वोट से ही चुपचाप अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर देते। अपने स्वतंत्र विचारों को न तो वह किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने के पक्ष में थे और न ही स्वीकार कराने के पक्ष में। पर अनुशासनप्रिय होने के कारण जहां तक बन पड़ा, सदा ही संगठन के निर्णय को माना और उसके अनुसार आचरण भी किया। जब नहीं सम्भव हुआ तब अलग तो हो गए पर संगठन के भीतर रहकर अनुशासन-हीनता को कभी नहीं उभरने दिया। कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहकर भी कांग्रेस समाजवादी दल का नेतृत्व किया और इस प्रकार मूल धारा से लोगों के हटने या हटाए जाने में उनका सक्रिय हाथ रहा। पर ऐसा नहीं था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना और उसके कांग्रेस से अलग होने का एक रोचक इतिहास है, जो बताता है कि विचार-स्वातंत्र्य की रक्षा, उसका पोषण और उसका प्रचार देश और समाज के कल्याण को केन्द्र में रखकर किस प्रकार अनुशासनबद्ध रूप से किया जा सकता है, यह एक स्वतंत्र विषय है। पर यह सही है कि इस उप संगठन के नेतृत्व के ही कारण उन्हें देश में भी और देश के बाहर भी एक स्वतंत्र चैता समाजवादी के रूप में जाना जा सका। उन्होंने जनतंत्रात्मक समाज की जो धारा इस देश में चलाई, उसके वह उन्नायक थे।

समाजवाद अर्थात् कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म तो 1934 में हुआ और कांग्रेस से पूर्ण विच्छेद मार्च 1948 में हुआ, लेकिन इन चौदह वर्षों के बीच और उससे पहले, उस दिन से जब से वह कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के रूप में आए, राजनीति में अनुशासन, नैतिकता और साधन की शुद्धता को सदा

अपनाए रखा। राजनीति में गांधीजी भी यही चाहते थे। उ होने अपने नेतृत्व काल में कांग्रेस को और उसके अधिकांश सदस्यों को जब तक जीवित रहे, एक आध्यात्मिक घरातल पर उठा रखा था। गांधीजी के राजनीतिक उद्देश्यों और आदर्शों से नरेन्द्रदेवजी कितने अभिभूत थे, यह उनके द्वारा लिखे गए और बोले गए भाषणों में समय-समय पर बराबर झलकता रहा। उत्तर प्रदेश (उस समय संयुक्त प्रांत) की असेम्बली में गांधीजी के निधन पर जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उसके कुछ अंशों से गांधीजी के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और निष्ठा थी, केवल उमी का पता नहीं चलता, वरन् उस समय के उद्गारों में उनके आदर्शों की भी भांकी मिलती है। वह कहते हैं, “महात्मा गांधी ने भारतवर्ष की प्राचीन सस्कृति को, उसकी पुरातन शिक्षा को परिष्कृत कर युग धर्म के अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदान कर, उसमें वर्तमान युग के नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य का पुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्यतम सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने इस नवयुग की अभिलाषाओं, उसके उद्देश्यों का सच्चा प्रतिनिधित्व किया। इसीलिए वह भारतवर्ष के ही महापुरुष नहीं थे अपितु सारे ससार के महापुरुष थे।” उनके विचार में गांधीजी की राष्ट्रीयता उदारता से पूर्ण थी, ओत-प्रोत थी, उनका हृदय विशाल था और उन्होंने सामान्य जीवन में जनता के स्तर को ऊंचा किया। जनता में स्वाभिमान को उत्पन्न किया। यह जो सामान्य जनता तक के स्तर को ऊंचा करने की बात नरेन्द्रदेवजी ने कही, वह तो उसी प्रक्रिया का प्रसार था जो संगठन की सीमाओं से बढ़कर जन-जन को समेट रहा था। यह कार्य गांधीजी ने जिस नैतिक बल के आचार पर किया, उसी के आचार्यजी भी पक्षधर थे, और सदा उसका अनुपालन करते रहे। राजनीति में वह कुछ थोड़े से इने-गिने व्यक्तियों में से थे जिनका ‘स्व’ नहीं था केवल ‘पर’ था, देश था, समाज था, सारी मानवता थी। इतने विशाल चित्रफलक पर काम करने वाला व्यक्ति कितना विराट रहा होगा, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है।

गांधीजी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग समाज में असहयोगी के नाम से जाने जाते थे। गांधीजी द्वारा समय-समय पर चलाए गए आंदोलन साधारण रूप में अमहयोग आंदोलन के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनका मूल स्वर सरकारी कार्यों से असहयोग कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना था।

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनमत बन रहा था पर उसे संगठित रूप देने का जो तरीका गांधीजी ने अपनाया, वह अनूठा था। उस तरीके से निशाना कही लगाया जाता था, घाव किसी और जगह होता था। देखते-देखते इसकी सार्थकता स्वयंसिद्ध-सी प्रतीत होने लगी। इंग्लैंड में अंग्रेजी मिलों की हालत तो खराब होने ही लगी, इंग्लैंड में बैठे भारत के शासन की बागडोर हिलाने वालों का आसन भी हिलने लगा। भारत स्थित अंग्रेज वायमराय और उनके अधीन काम करने वाले उच्चस्थ शासनाधिकारी छिन्न मस्तक तो नहीं हो रहे थे, पर उनके दिलोदिमाग में हतबुद्धिताजन्य बेचैनी उनको बेरहम बना रही थी। उनकी बेरहमी में किए हुए काम जनता में क्षोभ उत्पन्न कर रहे थे। गांधीजी उस क्षोभ को समाल कर गागर में भरते जाते और वह क्षोभ अब नगर-डगर सब जगह फूटने लगा। अंग्रेजी हुकूमत को इस तरीके से निपटना नहीं मालूम था। गुरु के सदेहो के बाद तो देश के सभी नेता, जो सक्रियता में विश्वास रखते थे, गांधीजी के साथ ही चले। हर आंदोलन में जो असहयोग के ही आधार पर चलता था, वे कूद पड़ने और हसते-हंसते प्रहार और यातनाएँ सहने लगे। नरेन्द्रदेवजी राजनीति में रहते हुए कांग्रेस के सदस्य के रूप में हर असहयोग आंदोलन में गांधीजी के साथ थे। यहाँ उन आंदोलनों का इतिहास देना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि फिर उनके बुनियादी विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो यह जानना ही काफी होगा कि नरेन्द्रदेवजी सक्रिय राजनीति में उग्रवादी विचारधारा के समाजवादी नेता थे, जो गांधीजी के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते थे और उनके प्रचार-प्रसार के लिए सदा कटिबद्ध थे।

कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का जन्म 1934 में हुआ और उसके जन्म के इतिहास पर यत्किंचित प्रकाश अन्यत्र भी डाला जाएगा, पर जहाँ तक नरेन्द्रदेवजी का, तथा उनके कुछ अन्य सहयोगियों का प्रश्न है, उनका भुकाव 1926 से ही हो चुका था। उन्हीं दिनों की सम्पूर्णानंदजी द्वारा लिखी 'समाजवाद की रूपरेखा' नामक एक पुस्तक इस सिलसिले में द्रष्टव्य है। नरेन्द्रदेवजी और सम्पूर्णानंदजी ने मिलकर 1926 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में काम करते हुए प्रांत के किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक छोटा-सा कार्यक्रम भी तैयार किया था, जिसका मूल रूप समाजवादी था। राजनीति में प्रवेश करने के बाद से ही नरेन्द्रदेव का

भुकाव समाजवाद और समाजवादी विचारधाराओं के अध्ययन और विश्लेषण में लगा हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जन्म के बाद से वह उस मंच से अपने विचारों को सदा ही सार्थकता से प्रकट करते रहे। गांधीजी, जिन्होंने दरिद्रनारायण की ही सेवा का व्रत लिया था, इन विचारों का विरोध तो न कर रहे थे और न उनके पास विरोध के लिए कोई सैद्धांतिक आधार था, पर उनका हाथ देश की जनता की नब्ज को जिस तरह पढ़ रहा था और उन्हे देश की समस्याओं का जो स्वरूप जिस स्पष्टता से दिखाई पड़ रहा था, वैसा अन्यों के लिए कर पाना कठिन था। अतः इन दो पक्षों में सर्वथा मतभेद तो सम्भव नहीं था। गांधीजी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते थे। उन्हे समाजवादी कार्यक्रम और उससे अधिक उसके समर्थन और प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जल्दबाजी में उठाए गए कदम की आवाज दे रहे थे। वह समय के साथ चलना चाहते थे और जब क्षमता से आगे जाते तो इतना आगे चले जाते कि बीच का व्यवधान एक दुस्वप्न-सा बनकर रह जाता। जनता आंखें मलती हुई उनके साथ हो लेती। गांधीजी ने अपनी स्थिति को समझने और उसे दूसरों को स्पष्ट करने के लिए साबरमती आश्रम में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ एक सगोष्ठी में विचार-विनिमय भी किया। इसमें उपस्थित समाजवादियों में नरेन्द्रदेवजी भी थे।

जब 1936 में जवाहरलालजी लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन को भी शामिल किया और अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रायः समाजवादी भाषा का ही व्यवहार करते हुए कहा कि कांग्रेस समितियों में मजदूरों और किसानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पर गाड़ी इसके आगे नहीं बढ़ी। आचार्य नरेन्द्रदेव और जयप्रकाशजी जैसे नेताओं का समय-समय पर कांग्रेस कार्यकारिणी में आते रहना इस बात का द्योतक नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष समाजवादी कार्यक्रम को अपना रहे थे। वस्तुतः सवैधानिक रूप से ये सभी समाजवादी कांग्रेस के ही मूल सदस्य होते थे क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य बन्नी हो सकता था जो कांग्रेस का सदस्य हो। वस्तुतः यह कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। यही कारण था कि जब इसी अवधि में अर्थात् जवाहरलालजी की अध्यक्षता में ही इन लोगों के कार्यकारिणी में आ जाने पर तथा कुछ अन्य बातों के चलते सरदार पटेल,

राजेन्द्र प्रसाद और राजाजी प्रभृति नेताओं ने कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया तो समाजवादी युवा नेताओं के सुभाव के अनुसार बजाय कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के प्रभुत्व को अपनाने के इस विवाद में जवाहरलाल-जी ने इनका साथ छोड़ दिया और कांग्रेस पुनः अपने कार्यक्रम पर ही चलती रही। पर अभी समाजवादी गुट को भी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वे लोग कांग्रेस के बाहर अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं देख रहे थे। सच यही था कि ये सभी लोग वैचारिक दृष्टि से जो भी राजनीतिक विचार रखते रहे हों, लेकिन क्रियाशीलता के लिए, आदर्श चरित्रवान नेता के लिए, युद्ध नीतियों के निर्धारण के लिए गांधीजी को ही अपना नेता मानते रहे।

उनका मित्र-मंडल

नरेन्द्रदेवजी अज्ञातशत्रु थे। वह किसी के अमित्र नहीं थे। यह उनके व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता थी, जिम पर जो कुछ भी लिखा जाए, पूरा नहीं पड सकता। जिन्होंने उन्हें जाना, उनकी यह अनुभूति अनिवर्त्तनीय ही रह जाएगी। उस व्यक्ति के बारे में कोई क्या और कितना कह सकता है जो सकल समाज का था और मानव जगत के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके मन में घर कर रही थी। जिसने मानव वेदना को प्रसव पीड़ा के समान अनुभव किया, जिसे उग्र राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद, और जातिवाद छू तक नहीं सका था, जिसका मन और मस्तिष्क कभी एकदेशीय नहीं रहा, जिसने उन मानवीय मूल्यों को, जो समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं, शुष्क विज्ञान की निष्पत्तियों से भी ऊँचा माना तथा जिसने बराबर जगत को एक ही शक्ति से व्याप्त माना, वह शत्रु और मित्र की परिधि में कैसे घिरा रह सकता था। फिर भी सांसारिक दृष्टि से, उस नीमित समाज की दृष्टि से, जिसमें वह जन्मे और अपनी जीवन-लीला समाप्त की, उनके कुछ करीबी मित्रों की चर्चा अप्रासंगिक नहीं होगी।

विद्यार्थी जीवन के जिन सहपाठी मित्रों के नाम उल्लेखनीय हैं, उनमें पं० गोपीनाथ, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री हीरालाल खन्ना, श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल और श्री हरिरामचंद्र दिवेकर का नाम उल्लेखनीय हैं। नरेन्द्रदेवजी ने अपने एक संस्मरण में हीरालाल खन्ना से मैत्री होने का कारण लिखा है कि उन दोनों में विचारों का बहुत साम्य था। हीरालालजी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहात हो गया और उन्हें उसी अवस्था से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पर खन्नाजी बचपन से ही स्वाभिमानी और साहसी बालक के रूप में बड़े हुए और अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते गए। म्योर सेंट्रल कालेज में पहुँचकर इनका

साथ नरेन्द्रदेवजी से हुआ और एक दूसरे के विद्याव्यसन ने उनको परस्पर निकट ला दिया जो आगे चलकर प्रगाढ़ मैत्री में बदल गया। हिन्दी के प्रति दोनों में ही समान निष्ठा थी और दोनों ही स्वतंत्रता के पुजारी अत तक बने रहे। खन्नाजी कानपुर वी० एन० एस० डी० कालेज के प्रिंसिपल पद पर पहुँचे। उनकी धवल मूँछे और सफेद पगड़ी उनकी शरीर-शोभा और उनके व्यक्तित्व की विशेषताएँ थीं। खरा और स्पष्ट बोलना उनकी आदत थी।

शिवप्रसादजी से भी नरेन्द्रदेवजी की मैत्री म्योर सेट्रल कालेज की ही मैत्री थी जो आगे चलकर देश सेवा के काम में और प्रगाढ़ हुई। सन् 1913-14 में वह विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनकी एक विदेश यात्रा में मम्पूर्णानंदजी के मझले भाई अन्नपूर्णानंदजी भी थे। ईजिप्ट में पासपोर्ट अधिकारियों ने उनका नाम 'चैक' करते समय उसका उच्चारण शिव प्रसाद जुप्ता किया। उनकी वर्णमाला के उच्चारण में 'ग' का उच्चारण 'ज' ही होता है। शिवप्रसादजी ने उसे सही करते हुए गुप्ता उच्चारित किया। अधिकारियों ने अनुमोदन के ही स्वर में पुनः जुप्ता दोहराया। शिवप्रसादजी अपने नाम का अशुद्ध उच्चारण सुनकर नाराज हो गए और बार-बार जुप्ता कहे जाने पर खिन्न भी। इस घटना का उल्लेख अप्रासंगिक लग सकता है पर इसका जिक्र शिवप्रसादजी के व्यक्तित्व का एक अनिवार्य अंग है। वह हर काम को मर्यादापूर्वक करना पसंद करते थे और दूसरों की मर्यादा की रक्षा करना जानते थे। भाषा हो, भाव हो, आचार या व्यवहार हो, सब में एक मानक स्थिर करना या स्थिर मानक की रक्षा करना उनका स्वभाव था। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि उनकी जीवनी किसी ने नहीं लिखी, अन्यथा वह न केवल शिक्षाप्रद होती, वरन् रोचक भी और काशी के राजनीतिक इतिहास पर एक बड़ी चमकदार रोशनी का काम करती। शिवप्रसादजी ने विद्यापीठ की स्थापना के साथ नरेन्द्रदेवजी का सहयोग जोड़कर विद्यापीठ को सचमुच का विद्यापीठ बनाया था, जिसकी महिमा बहुत दिनों तक बनी रही और इस संस्था ने कई सुप्रसिद्ध सर्वस्वत्यागी महापुरुषों को उजागर किया। नरेन्द्रदेवजी और शिवप्रसादजी में अक्सर हंसी-मजाक भी होता था और इनकी विनोदप्रियता का जिक्र इनकी मित्र-मंडली अक्सर करती। यो शिवप्रसादजी बहुत ही गुरु गम्भीर व्यक्ति लगते थे, पर प० मोतीलालजी उनके आने पर बैठने के लिए जब यह कहते सुने जाते कि "मिस्टर गुप्ता प्लीज टेक ए प्यू

बेयर्स" तब उनके समवयस्को को भी हसी दबाना कठिन हो जाता। वह शरीर से स्थूल थे। नरेन्द्रदेवजी का एक प्रसंग मुकुट बिहारीलालजी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। काशी विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव पर जब वहाँ के छात्रों ने एक नाटक का आयोजन किया तो उस अवसर पर शिवप्रसादजी चीनी वेश-भूषा में मंच पर पधारें। देखकर उपस्थित लोगो ने उन्हें मोटर कहा। दुबले-पतले नरेन्द्रदेवजी के पधारने पर उन्हें टमटम कहा गया। नरेन्द्रदेवजी ने भट से कहा, "टमटम को कौन पूछ है मोटर के सामने। मिर्जा को कौन पूछे है मिस्टर के सामने।"

गोपीनाथजी से नरेन्द्रदेवजी की मित्रता दो भारी पत्थरों की मित्रता थी। यद्यपि विद्वत्ता मे दोनों एक दूसरे पर भारी थे तथापि दोनों मे टकराहट के स्थान पर निर्मल पानी की धारा के समान सहज बहाव और परस्पर का आदर और आकर्षण था। गोपीनाथजी ने अपनी मित्रता के बारे मे जो स्वयं कहा है उसी को उद्धृत करना अधिक समीचीन होगा। वह लिखते हैं कि "नरेन्द्रदेवजी मेरे सहपाठी थे, यह तो सभी जानते है। मेरे साथ वह बनारस क्वीस कालेज मे एम० ए० में पढते थे। हम लोगो ने 1913 मे एक साथ एम० ए० पास किया, परतु इस विषय में जो कुछ कहना है उसे मैं आगे कहूंगा। वास्तव मे नरेन्द्रदेव से मेरा प्रथम परिचय मार्च 1911 मे हुआ था। इस परिचय का एक संक्षिप्त इतिहास है। मई 1910 मे मैं राजस्थान के जयपुर महाराजा कालेज से बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर बनारस क्वीस कालेज के एम० ए० के प्रथम वर्ष मे प्रवृष्ट हुआ। मेरी रुचि दर्शन, संस्कृत और भारत के प्राचीन इतिहास मे अधिक थी। उस समय क्वीस कालेज के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध विद्वान डा० वेनिस थे। मैंने डा० वेनिस के निर्देशानुसार संस्कृत एम० ए० की पंचम वर्षीय श्रेणी मे षष्ठ वर्ष के लिए डी ग्रुप लेने का सकल्प किया। मार्च 1911 मे पंचम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मैं इलाहाबाद गया। यह प्रायः 22 मार्च की बात है। वहाँ जाकर मैं पहले बिहारीलाल की धर्मशाला में ठहरा और परीक्षोपरान्त रहने के लिए अच्छे स्थान की खोज करने लगा। इलाहाबाद मे उस समय गंगाप्रसाद गुप्त नाम के मेरे एक पुराने मित्र रहते थे। वह जयपुर निवासी थे और इसी सूत्र से मेरा उनका पुराना परिचय था। मैं जिस स्थान पर ठहरा था वही से किसी आदमी के मार्फत मैंने उनको खबर भेजी। उन्होंने मेरे रहने का प्रबन्ध अपने घनिष्ठ बंधु नरेन्द्रदेव के स्थान पर किया।

था। मैं धर्मशाला से गंगा प्रसादजी के यहाँ पहुँचा (वह ला होस्टल में रहते थे) और वहाँ से नरेन्द्रदेवजी के स्थान पर गया और उनके साथ रहने लगा। इसी सूत्र से नरेन्द्रदेवजी के साथ मेरा परिचय हुआ। केवल परिचय ही नहीं हुआ, इसी के साथ और भी कुछ उनसे मिला, अकृत्रिम सौहार्द जो मृत्यु पर्यन्त विद्यमान रहा। मैं रात में उन्हीं के साथ रहता था। गंगा प्रसादजी बीच-बीच में आकर पता लगा जाते थे कि किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है। वस्तुतः असुविधा की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि नरेन्द्रदेवजी प्रत्येक विषय में मेरे लिए चिंतित रहते थे और जिस समय जो आवश्यकता होती थी, उसका प्रबन्ध कर देते थे। उन दिनों मुझ पर कभी-कभी मलेरिया बुखार का आक्रमण होता था। जब मैं इलाहाबाद में था तो उस समय भी मुझ पर उसका आक्रमण हुआ था। उस समय नरेन्द्रदेवजी के स्नेह, सेवा-परायणता, उदार चित्त आदि गुणों का मुझे परिचय मिला था। मुझसे उनका पूर्व परिचय नहीं था। एक मित्र के परिचय सूत्र से मैं उनसे परिचित हुआ था, परन्तु उनके हृदय में जो स्वाभाविक सेवाशक्ति का अधिष्ठान था, क्षेत्र पाकर वह कार्यान्मुख हुआ और उसने मुझे मुग्ध कर दिया। हम दोनों भारतीय संस्कृति के अनुरागी थे। इस सूत्र को लेकर भी हम लोगों के अंदर सूक्ष्म भावमय निकट सम्पर्क स्थापित हुआ था, जिसका क्रमिक विकास साहित्य प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रकट हुआ।”

“इधर नरेन्द्रदेवजी इलाहाबाद से बी० ए० पास करके एम० ए० करने के लिए क्वींस कालेज बनारस में पंचम वर्ष में प्रविष्ट हुए थे। 25 जनवरी को नरेन्द्रदेव मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए। मैं उस समय 53- देवनाथपुरा, बंगाली टोला, काशी में रहता था। नरेन्द्रदेव बगला पुस्तकें पढ़कर अच्छी तरह से उनका निगूढ़, अभिप्राय भी समझ लेते थे। मैंने उनको महा-महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का लिखा हुआ ‘बाल्मीकीर जय’ नामक ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया। इस ग्रंथ का नाम बहुत दिनों से उनको मालूम था और पढ़ने की इच्छा भी थी।”

यों तो पंडित गोपीनाथजी ने अपनी मैत्री की बातें लिखते हुए जगह-जगह नरेन्द्रदेवजी के विद्यानुराग, मेधा और गम्भीर चिन्तनशक्ति का परिचय देने वाली बहुत-सी बातों का जिक्र किया है, पर उन्ही दिनों नरेन्द्रदेवजी के और शचीन्द्रनाथ सान्याल के घनिष्ठ मित्र होने का भी उल्लेख किया है।

इसी संदर्भ में आचार्यजी की मित्रता ग्वालियर के श्री हरीराम दिवेकर से भी थी, उसका पता भी चलता है। दिवेकरजी के सम्बन्ध में आगे लिखा जाएगा। आचार्यजी की मित्रता श्री जनार्दन भट्ट से भी थी, इसका उल्लेख भी गोपीनाथजी ने अपने संस्मरण में किया है। आचार्यजी के राजनीतिक जीवन के घटाटोप में उनके कई साहित्य प्रेमी और दूररे क्षेत्रों में काम करने वाले उदारचरितों का पता नहीं चलता। श्री जनार्दन भट्ट, महामहोपाध्याय पंडित राम यदिवर तर्करत्न महाशय के पुत्र थे। इन जनार्दन भट्ट का जिक्र एक और दिलचस्प रिपोर्ट में भी मिलता है। बनारस 'कांसपिरेसी केस' के फ़ैसले के मुख्य अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल थे। उनके अन्य साथियों और परिचितों के संदर्भ में इन्हीं जनार्दन भट्ट का भी जिक्र आया है। श्री जनार्दन भट्ट का जिक्र आने पर यहां यह स्मरण हो जाता है कि आचार्यजी की मित्रता इलाहाबाद में पढ़ते समय हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प० बालकृष्ण भट्ट के सुपुत्र श्री जनार्दन भट्ट से भी हुई थी। इन दोनों का सहयोग और पत्र-व्यवहार भी समय-समय होता रहा था और इन जनार्दन भट्टजी के लिए आचार्य के मन में सदा आदर का भाव बना रहा। श्री जनार्दन भट्टजी से बात करते समय प्रसंगवश यह भी पता चला कि जवाहर लालजी के आग्रह पर आचार्यजी ने ही उनके बड़े दौहित्र का नाम राजीव रखा था। इसी प्रकार आचार्यजी के एक मित्र पं० जगधर गुलेरी का भी पता चलता है। जगधरजी पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के छोटे भाई थे।

आचार्यजी स्वयं तो पड़्यंत्रकारी नहीं बन सके क्योंकि प्रारम्भ से ही उनकी विचारधारा अहिंसात्मक बनने लगी थी, पर वह आजादी की कल्पना न तो वैधानिक तरीके से प्राप्त होने में कर पाते थे और न ही प्रस्तावों और याचनाओं के माध्यम से। उग्रवादी विचारधारा उन्हें आकृष्ट कर रही थी और अपने विद्यार्थी जीवन से ही वह उग्रवादी राजनीतिज्ञों की ओर आकृष्ट हो चले थे। कुछ इस कारण और कुछ भीतर की तड़पन के कारण भी पड़्यंत्रों में सक्रिय न होकर भी उन्होंने षड्यंत्रकारियों की सहायता की थी। श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल से आचार्यजी की घनिष्ठता विद्यार्थी जीवन में ही हो गई थी। इनके पिता श्री हरिकेशव सान्याल काशी के प्रसिद्ध अध्यापक थे। हरिकेशवजी ने लेखक के पिताश्री को भी पढ़ाया था और अवकाश प्राप्त करने के बाद अतायु होकर इहलीला समाप्त की। कुछ संयोग की ही बात थी कि इनके

सुपुत्र ने लेखक को उसी क्वीन्स कालेज में पढाया था। शचीन्द्रनाथ सान्याल बाद को रासबिहारी बोस के साथ बनारस पद्धंत्र केस में उजागर हुए। वह आजादी के बाद तक जीवित रहे और प्रायः साधु रूप में ही रहा करते थे। साधु वेश में एक सफेद खादी की धोती और उपरना ही इनका वस्त्र था। पर धोती के फ्रंट में एक छोटी-सी रिवाल्वर हमेशा छिपी रहती थी। पूछने पर हंसकर कहते कि यह उन दिनों की याद-मात्र है।

श्री हरिराम चन्द्र दिवेकर भी डॉ० वेनिस के विद्यार्थी थे और एपीग्राफी और पेलियोग्राफी इनका भी विषय था। अपने और नरेन्द्रदेवजी के प्रथम साक्षात्कार और परिचय का उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है। वह लिखते हैं, “अगस्त का महीना था। कालेज खुल चुका था। मैं सुबह ही कालेज में पहुँचकर प्रिसिपल साहब के बंगले पर पहुँचा। देखा कि एक शिलालेख को एक मेज पर फँसाकर दो विद्यार्थी और स्वयं श्री वेनिस साहब उसे पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। इन दो विद्यार्थियों में एक इकहरा बदन, गेहुँआ रंग, धोती, कोट और सिर पर टोपी पहने हुए तथा दूसरे बंगाली वेशभूषा में थे। दोनों से मेरी दृष्टि मिली। मैंने वेनिस साहब को ‘सुप्रभात’ किया और अपने पत्र-व्यवहार की याद दिलाई। श्री वेनिस ने रूखे और उच्च स्वर से दोपहर में कालेज-कार्यालय में आने के लिए कहा। पर मेरे सहपाठी ने मुझे वही जम जाने का इशारा किया। शायद प्रिसिपल साहब ने मेरे पत्र का जिक्र किया हो और वह अपने तीसरे सहपाठी की बाट ही जोहते हों। मुझे इशारा दे वहा जमाने वाले यही सज्जन थे जिनका नाम मुझे पीछे से मालूम हुआ— फँजाबाद के श्री नरेन्द्रदेव। आप से इशारा पाते ही मैंने नम्रता, पर दृढ़ता-पूर्वक श्री वेनिस से कहा, मुझे भी यही विषय लेना है। मैंने थोड़ा बहुत इसका अभ्यास भी किया है। कालसी भी हो आया हूँ (कालसी का अशोक-शिलालेख उसी समय प्रसिद्धि पा रहा था)। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी इस लेख पर दृष्टिपात करूँ।” शिक्षक ने अपने छात्रों की ओर देखा। बंगाली महाशय तो कुछ बोले नहीं। पर भाई नरेन्द्रदेवजी बोल ही उठे “क्या हर्ज है? इन्हे भी देखने दीजिए।” मैं भी एक कुर्सी खींचकर वही जम गया। लेख की जिस पंक्ति का वाचन हो रहा था, वह निम्न प्रकार की थी—

“××× गुप्तः पृथिवी विजित्य राजा जयत्या ××× त्रिनेधः।”
इसमें छह अक्षर अस्पष्ट तो क्या अदृश्य से ही थे। पहले तीन अक्षर

बंगाली मित्र पढ़ चुके थे 'समुद्र'। नरेन्द्रदेवजी ने बड़ी बुद्धिमानी से अंतिम दो अक्षर पढ़े थे 'तवा'। विचार चल रहा था 'त' के पूर्वाक्षर का। इसमें सबकी सम्मति थी कि वह 'ह' हो सकता है। अशोककालीन लिपि का तो थोड़ा-बहुत अभ्यास कर चुका था, पर गुप्त लिपि से मेरा परिचय 'नहीं' के बराबर ही था। फिर भी प्राचीन पद्धति से संस्कृत सीखा होने के कारण मैं विचार करने लगा कि यहां 'आ' उपसर्गपूर्वक कौन से धातु का 'क्लांत' रूप हो सकता है। थोड़ी देर में नरेन्द्रदेवजी बोले "त्याहित वाजिमेघः।" वेनिस महाशय 'ह' तो पढ़ते थे, किन्तु 'ह' के ऊपर इकार का चिह्न नहीं दीख रहा था। मेरी ओर उनके देखने पर मैंने कहा, 'आहित' अग्नि के साथ तो प्रयुक्त हो सकता है पर 'मेघ' के साथ वह मेल नहीं मिलता। इतने में भाग्यवश मुझे 'आहृत' शब्द सूझा और मैंने धीरे से उसे सुझाया। सबो को वह ठीक लगा और नरेन्द्र भाई बोल उठे, यह तो छद मालूम पड़ता है—“समुद्रगुप्तः पृथ्वीं विजित्य, राजा-जयस्याहृत वाजिमेघः।” अक्षर तो पढ़े थे नरेन्द्रदेवजी ने, मैंने केवल सुझाया था, लेकिन काकतालीय न्याय से वह मान्य हुआ। बंगाली मित्र बोले कुछ नहीं पर नरेन्द्र भाई ने मेरा अभिनंदन किया। हम दोनों का आदर-भाव वहीं से बढ़ता चला गया।”

“परिचय बढ़ते-बढ़ते मित्रता में बदल गया। धीरे-धीरे बड़ी खूबी से भाईजी ने मेरा सारा पूर्व इतिहास मेरे ही मुख से निकाल लिया। माता-पिता का वियोग, 1909 का ग्वालियर षड्यंत्र, उसमें प्राप्त मेरा दो साल का सश्रम कारावास, मेरी निर्धनता किंतु साथ ही विद्या प्राप्ति की अभिलाषा आदि। सुनकर भाईजी का मृदु हृदय पिघला और स्नेह से भरे शब्दों में आपने कहा, “किताबों के विषय में आप चिंता न कीजिए। मैंने बहुत-सी पुस्तकें खरीद ली हैं, और शेष खरीद लूंगा। हम दोनों एक ही किताबों पर से अध्ययन करेंगे।” मेरे सिर का बोझ एकदम से उतर गया। दोनों मिलकर अध्ययन करने लगे। सुबह वेनिस महोदय के बगले पर और दोपहर नरेन्द्रदेवजी के कमरे में। यथाक्रम हमारी परीक्षा हुई। हमारे बंगाली भाई प्रथम श्रेणी में और हम दोनों द्वितीय श्रेणी में पास हुए। मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को था। जिस शुद्ध भाव से उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, उससे तो मेरा आदर उनके प्रति नितान्त बढ़ गया।”

गैर-राजनीतिक मित्रों में स्व० ठा० जयदेव सिंह का नाम भी भुलाया नहीं

जा सकता। जयदेव सिंह के विद्यानुराग, विशेषकर शैवदर्शन और संगीत शास्त्र से कौन परिचित नहीं होगा। वह 1918 में फैजाबाद तत्कालीन हिन्दू हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो कर गए। आचार्य नरेन्द्रदेव एल० एल० बी० करने के बाद अनिच्छा रहते हुए भी पिता का आदेश मानकर 1915 से वहा बकालत कर रहे थे। वही जयदेव सिंहजी से इनकी परस्पर मैत्री हुई और आजीवन बनी रही। जब तक ये दोनों व्यक्ति फैजाबाद में रहे, रोज संध्या-समय शाम को साथ-साथ घूमने जाया करते थे और प्रत्येक रविवार की दोपहर तक का समय साथ व्यतीत करते थे। वस्तुतः नरेन्द्रदेवजी गरीबों, विशेषकर गरीब बच्चों की मुफ्त चिकित्सा करते थे। उन्होंने इसके लिए बायो-कैमिक चिकित्सा पढी और काकीनाडा से दवाएँ मगाकर उन्हें गरीबों को बाँटा करते थे। जयदेव सिंह को वह हर रविवार को घर पर बुलाते और उन्हें भी गरीबों की चिकित्सा में व्यस्त रखते। उन्होंने भी अपने पिता की तरह दान देने में जीवन का महत्व समझा था। उन्होंने पाठ्य पुस्तकें खरीद-खरीद कर पुस्तकालय बनाया था और इस प्रकार वह गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करते। ठाकुर साहब उनके अतरंग मित्र थे, इसकी एक घटना ही प्रमाणस्वरूप काफी होगी। एक बार आचार्यजी आर्थिक संकट में पड़ गए। अपने घर के एक अमूल्य चित्र को बेचकर ही उन्हें अपने कष्ट-निवारण का मार्ग सूझ रहा था। इस कार्य के लिए उन्होंने जयदेव सिंह की ही सहायता ली थी। जयदेव सिंहजी आचार्यजी के बाद भी 95 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जब कभी आचार्यजी की बात चल पड़ती, उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चमक और भाव का उदय हो जाता। उसे एक शब्द में तो किसी भाषा में नहीं कहा जा सकता, पर उससे यह स्पष्ट हो जाता कि वह एक ऐसे महापुरुष के मित्र होने का गर्व धारण किए हुए हैं जो गुणों का आगार था और एक ऐसा महामानव था जिसकी परख बहुत थोड़े लोगों को ही थी।

आचार्यजी के अनन्य मित्रों में सम्पूर्णानंदजी का नाम भी उभरकर सामने आता है। जिन लोगों ने इन दोनों को ही समान रूप से जाना है, उनके लिए भी यह अंदाज लगाना मुश्किल होता था कि किसमें किसके लिए अधिक आदर है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते थे। पर इन दोनों की मित्रता की बुनियाद सैद्धांतिक विचार-स्वातंत्र्य और एक

प्रकार के अक्खडपन के आधार पर पडी थी। गुरुबात की कहानी इस प्रकार प्रारम्भ होती है। आचार्य नरेन्द्रदेव काशी विद्यापीठ में आ चुके थे। सम्पूर्णानन्दजी भी बीकानेर से इस्तीफा देकर काशी आ चुके थे। बीकानेर रहते हुए उन्होंने 'सम्राट अशोक' नाम से एक पुस्तक लिखी थी। काशी आने पर उसके प्रकाशन का प्रश्न ज्ञानमंडल प्रेस के सामने उपस्थित हुआ। ज्ञानमंडल के अधिष्ठाता बाबू शिवप्रसाद गुप्त थे। आचार्यजी के साथ उनकी मित्रता के कारण और उनकी स्वयं की विद्वत्ता के कारण ज्ञानमंडल इस प्रकार की पुस्तकों पर शायद आचार्यजी की राय लेने की परिपाटी चला चुका था या केवल इस पुस्तक की विषयवस्तु के कारण उन्होंने इसे आचार्यजी के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा। उनका उसके कुछ अंशों के विषय में मतभेद था, विशेषतः वह उसके उस भाग को प्रामाणिक नहीं मानते थे जिसमें तत्कालीन कला पर विचार किया गया था। ज्ञानमंडल वालों का यह कहना उचित ही था कि वह पुस्तक को तभी छाप सकते हैं, जब उसके वह अंश निकाल लिए जाएं, जिन पर आचार्यजी को आपत्ति थी। परंतु हठधर्मी करके मैंने यह कहा कि मैं पुस्तक में से एक शब्द भी बदलने को तैयार नहीं। फलतः वह ज्ञानमंडल से प्रकाशित न हो सकी। थोड़े दिनों बाद वह पुस्तक कानपुर में प्रकाशित हुई। आपस की जान-पहचान का आरम्भ तो इस प्रकार हुआ, परंतु इस बात की इसके बाद न कभी आचार्यजी ने चर्चा की, न मैंने; और हमारे आपस के सम्बंध में इसके कारण कभी कोई फर्क न आने पाया। विद्यापीठ में तो साथ रहता ही था, उसके बाहर भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बराबर अवसर आते रहते थे। दोनों के स्वामिमान और एक दूसरे की मनोभावनाओं का आदर करने की पहचान इस प्रसंग से खुलती है। दोनों की मित्रता युवावस्था में ही हुई थी और उसका संकेत भी सम्पूर्णानन्दजी के ही शब्दों में देख लें। सम्पूर्णानन्दजी लिखते हैं, "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में बहुधा स्व० शिवप्रसाद गुप्त, आचार्यजी, श्रीप्रकाशजी और मैं साथ ही जाया करते थे। उम्र भी बहुत अधिक नहीं थी। सुनते सब कुछ थे, परंतु गम्भीर भाव से हमने बहुत कम ग्रहण किया होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से रवीन्द्र राव, श्री भार्गव, सेठ गोविंद दास और श्री छेदीलाल आया करते थे। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में यह दो चाडाल चौकड़ियां हैं। परंतु कभी-कभी हंसी-मजाक में हमारे हाथों अच्छा काम भी हो जाता था। गया कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण घटना याद आती है। विचारणीय

प्रश्न यह था कि कांग्रेसजन कौंसिलों में जाएं या न जाएं, बहस का अंत ही न होता था। स्वागत समिति के सारे प्रबंध टूट गए। सभापति श्री चित्तरजन दास शांति के साथ सबको बोलने का मौका देते थे। और तो कोई कम ही बोलता, परंतु न जाने कहां से मौलाना लोगों की बाढ़-सी आ गई थी। इन सब लोगों की खिलाफत आंदोलन में दिलचस्पी थी। दो ढाई घंटे से कम तो कोई बोलता ही न था। हर व्यक्ति कुरान और हदीस से लम्बे-लम्बे उद्धरण देकर यह सिद्ध करता था कि कौंसिलो में जाना पाप है, जहन्नुम में पहुचने का सीधा रास्ता है। ऐसा लगता था कि इन धार्मिक पुस्तको में कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर हो खिवेचन किया गया है। सब लोग ऊब गए थे, परंतु इस जाल से बाहर निकलने का कोई मौका न दीख पड़ता था। आखिर काशी की चांडाल-चौकड़ी को एक बात सूझी। हमने बड़ी गम्भीरता के साथ देशबंधु से यह प्रस्ताव किया कि अभी इस प्रश्न का निर्णय न किया जाए। विवाद स्थगित कर दिया जाए और काशी से कुछ विद्वान पंडित बुला लिए जाएं, ताकि यह मालूम हो जाए कि हिन्दू धर्म शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। उनका मत पाने के बाद ही हम लोग इस पर कोई राय कायम कर सकेंगे। जहा तक याद पड़ता है इन्द्रदेव वाचस्पति ने हमारा समर्थन किया। यह तो सब लोग समझते थे कि यह प्रस्ताव शरारतपूर्ण हैं, परंतु जोरों से उसका अनुमोदन हुआ। मौलाना लोगो की समझ में यह बात आ गई कि अब इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए और बहस समाप्त हो गई।

काशी की चौकड़ी के जिन व्यक्तियों का नाम ऊपर आया है, उनमें श्री-प्रकाशजी आचार्यजी के एक ऐसे मित्र थे जो समवयस्क मित्र होने के साथ-साथ उनके अभिभावकत्व का भी भार लिए रहते थे। इनकी पहली मुलाकात पं० मदन मोहन मालवीय के घर पर इलाहाबाद में 1919 में हुई थी। श्री-प्रकाशजी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने इलाहाबाद गए थे और मालवीयजी के मकान पर शिवप्रसाद गुप्तजी के साथ ठहरे थे। शिवप्रसादजी तो नरेन्द्रदेवजी के सहपाठी भी थे। उनसे मिलने नरेन्द्र-देवजी मालवीयजी के घर पर आए और वहीं इन लोगों ने एक दूसरे को देखा, पर जान-पहचान बाद में ही हो सकी। श्रीप्रकाशजी को इस बात का दुख रहा कि विदेशी परिपाटी के अनुसार इनका नरेन्द्रदेवजी से विधिवत औपचारिक परिचय नहीं कराया गया। उसी यात्रा में श्री प्रकाशजी ने यह भी पाया कि

नरेन्द्रदेवजी उस समय के प्रसिद्ध उर्दू कवि अकबर के शेर हर बात पर लगातार सुनाते रहते और चेहरे पर शरारतमयी मुस्कुराहट भी लाते रहते। उसी बैठक में ये दोनों ही अमृतसर कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि भी चुने गए और फिर तो यह प्रथम जान-पहचान प्रगाढ़ मैत्री में बदलती गई। आचार्यजी के प्रति श्रीप्रकाशजी के मन में आगे चलकर इतनी श्रद्धा और आदर का भाव खर कर गया कि उन्होंने अपने लड़कों के यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र की दीक्षा किसी ब्राह्मण से न दिलाकर आचार्यजी से ही दिलवाई थी। श्रीप्रकाशजी आचार्यजी को बीमारी में भी काम करते देखकर किस प्रकार दुखी होते थे, इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। जिस प्रकार की हित-चिन्ता नरेन्द्रदेवजी की श्रीप्रकाशजी करते थे, वह एक अभिभावक ही कर सकता था। आचार्यजी उन्हें अपना प्रचारक मानते थे। वह स्नेहवश उन्हें आचार्य कहने लगे और तब से यह शब्द उनके नाम का अंग ही बन गया। श्रीप्रकाशजी किस प्रकार उनके अभिभावक कहे जा सकते हैं, यह आचार्यजी की लेखनी से ही पढ़ने लायक है। वह अपने संस्मरण में लिखते हैं, “मैं उनके घर में महीनो रहा हू। वह मेरी सदा फिक्र उसी तरह करते हैं, जैसे माता अपने बालक की। उनकी मेरे बारे में राय है कि मैं अपनी फिक्र नहीं करता हू, शरीर के बारे में बड़ा लापरवाह हू।”

आचार्य नरेन्द्रदेव के सुहृद मित्रों की संख्या कम नहीं थी। पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में जवाहरलालजी, युमुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, बाबू गंगाशरणजी, प्रो० डी० पी० मुखर्जी, डा० रामधर मिश्रा और दामोदर स्वरूप सेठ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सबके साथ इनकी जितनी घनिष्ठता और साहचर्य रहा, उनका विस्तार बहुत अधिक स्थान की अपेक्षा रखता है। इन सभी ने आचार्यजी के प्रति अपने संस्मरण लिखे हैं और अपनी अंत रगता की चर्चा की है। जवाहरलालजी से अपने सम्बंध की चर्चा करते हुए आचार्यजी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि “सबसे बह (श्रीप्रकाशजी) मेरी प्रशंसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलालजी से होमरुल्ल आंदोलन के समय से था, तथापि श्रीप्रकाशजी द्वारा उनसे तथा गणेशजी से मेरी घनिष्ठता हुई।” जवाहरलालजी के प्रति आचार्यजी के मन में आदर भी था और स्नेह भी। यह इस हद तक स्थायी हो गया था कि जवाहरलालजी से कई सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद नरेन्द्रदेवजी उनका

आदर और सम्मान करते रहे। यह भाव उस समय भी बराबर बना रहा जब नरेन्द्रदेवजी ने अपना रास्ता कांग्रेस से सर्वथा अलग बना लिया। सेठजी का भी सम्बन्ध मित्रता से अधिक भाई-भाई का हो गया था, यद्यपि सेठजी की थोड़ी जान-पहचान इलाहाबाद में तभी ही गई थी जब नरेन्द्रदेवजी म्योर सेट्रल कालेज में पढ़ते थे और दामोदरस्वरूपजी हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। पर 1924 में जब दामोदरस्वरूपजी भी विद्यापीठ में अध्यापक होकर आ गए, यह जान-पहचान घनिष्ठता में परिवर्तित हो गई। सच तो यही है कि जो भी एक बार आचार्यजी के निकट सम्पर्क में आता, उनका ही होकर रह जाता था।

नरेन्द्रदेव और गांधीजी

आज से सौ साल पहले यह देश गुलाम होते हुए भी कई दृष्टियों से स्वावलम्बी और आत्मनिष्ठ था। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी और थडले से विदेशी आचार-विचार में दीक्षित तथा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित युवक और कुछ हद तक युवतियां भी देशभर में फैल रहे थे एवं पढ़े-लिखे समाज के कुछ हिस्सों में पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुसरण भी हो रहा था फिर भी कुछ लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे होकर भी अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय परम्परा से शिक्षा दिला रहे थे। नरेन्द्रदेवजी के पिता ऐसे ही अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में से थे और नरेन्द्रदेव ऐसे ही बालक, जो दस वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने के बाद नित्य प्रति पिता के साथ संध्या करते और गायत्री मंत्र का जप भी। रुद्री और गीता तो बचपन में कठस्थ थी ही; 'रामचरित मानस' 'महाभारत' 'लघु सिद्धांत कौमुदी' और 'अमर कोश' के अध्ययन और वाचन ने उनको सस्कृतनिष्ठ बना दिया था। स्वामी रामतीर्थ अक्सर उनके घर आकर ठहरते थे और उनके मार्गदर्शन में नरेन्द्रदेव आध्यात्म के उस मार्ग को भी देखने लगे थे, जहाँ से गुजर जाने पर आदमी हर मका से निस्वत तोड़ लेता है। बचपन से ही नरेन्द्रदेवजी का आध्यात्मिक पक्ष और सस्कृत के माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्याओं का ज्ञान प्रबल होता जा रहा था। स्वामी रामतीर्थ और श्री अरविन्द की आध्यात्मिकता में अंग्रेजों की गुलामी से न केवल देश की मुक्ति का भाव स्पष्ट था वरन् उसमें कुछ कर गुजरने का आवेग भी था। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना तो ही ही चुकी थी। चाहे नर्मो से हो अथवा गर्मी से, आजादी की मांग स्वशासन के पर्दे से झांकने लगी थी। दस वर्ष की अवस्था में नरेन्द्रदेव कांग्रेस के अधिवेशन में पिता के साथ लखनऊ पहुंच गए थे और प्रतिनिधियों का बिल्ला लगाकर दर्शकों की दीर्घा में भी जा बैठे थे। बाद में शोर मचाने के कारण निकाले गए। उसके बाद तो कांग्रेस के अधिवेशन में बनारस भी गए। तब वह लगभग पन्द्रह वर्ष के हो चुके थे। इसी बीच बंग-भंग ने बहुत-से नवयुवकों को

अराजक बना दिया था। अनेक वयोवृद्ध नेता भी इसमें शामिल थे। कांग्रेस में दोनों ही मत के लोग थे। वे भी, जो क्रांति का रास्ता अपनाता चाहते थे और वे भी, जो केवल ब्रिटिश शासन का विरोध-मात्र करके सतोष करना चाहते थे। नरेन्द्रदेव पहले बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, अरविन्द घोष, और लाला लाजपत राय ने अधिक प्रभावित हुए। सन् 1906 में कलकत्ता कांग्रेस से लौटकर युवा नरेन्द्रदेव ने स्वदेशी का व्रत ले लिया। उनकी विचार-धारा, उनका रहन-सहन यहीं से दृढ़तापूर्वक अपने देश की जमीन पर खड़ा होने लगा। किन्तु एक विशेषता थी नरेन्द्रदेवजों में। उनके लिए विदेशी चीजें और विदेशी विचार केवल विदेशी होने के कारण अग्राह्य नहीं थे बल्कि उन्होंने इनका त्याग या बहिष्कार तक, विवेक तथा गहरे स्वाध्याय में उत्पन्न चिन्तन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर करना शुरू किया था। वह किमी का भी अधानुसरण नहीं कर सके। यही कारण था कि जब यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दो हजार गज सूत कातकर सदस्यता के शुल्क के रूप में देना अनिवार्य होगा, तब आचार्यजी ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पर खादी पहनना नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब यह अनिवार्यता हटा ली गई तो वह पुनः सदस्य बन गए।

गांधीजी भारतीय राजनीति में आ चुके थे। गोखले के शील स्वभाव, उनकी निष्काम सेवा और कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर गांधीजी ने उन्हें अपना गुरु माना था। गांधीजी ने आगे चलकर निष्काम सेवा को गीतामृत से और पुष्ट किया और उसे त्याग की चरम सीमा तक ले गए। शील के साथ दृढ़ता को उसका अभिन्न अंग बनाकर उन्होंने शीलवान पुरुष में शक्ति का तेज भरा और कर्तव्यनिष्ठा को अपने जीवन में सक्रिय और मूर्त रूप प्रदान किया। इन विशेषताओं के कारण गांधीजी के व्यक्तित्व में एक तेजोमय उग्र शक्ति का उदय हुआ। नरेन्द्रदेव इस तेज से अभिभूत हुए थे और आजीवन शील, निष्काम सेवा और कर्तव्यनिष्ठा में भरे रहे। उनमें इन गुणों का यह व्यावहारिक रूप गांधीजी की देन थी और उसमें नरेन्द्रदेवजी का जीवन अंत तक परिचालित होता रहा था। यद्यपि नरेन्द्रदेव गांधीजी और उनके बहुत-से विचारों से बहुत पहले ही प्रभावित हो चुके थे, पर गांधीजी से उनका निकट का परिचय तब हुआ, जब वह 1929 में काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह

में आए। गांधीजी नरेन्द्रदेवजी की प्रतिभा और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने श्री प्रकाशजी से कहा कि "नरेन्द्रदेव तो नररत्न हैं, जिन्हें बहुत पहले ही उन्हें जान लेना चाहिए था।" यहां इतना और कहना जरूरी जान पड़ता है कि गांधीजी के चित्त पर नरेन्द्रदेवजी के बारे में जो यह प्रथम प्रभाव पड़ा, वह अंत तक बना रहा। वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी गांधीजी उन्हें देश और कांग्रेस के लिए बहुत ही योग्य और उपयोगी नेता मानते रहे।

यद्यपि आचार्य नरेन्द्रदेव कांग्रेस और उसकी विचारधाराओं से बहुत पहले ही, विशेषकर तिलक और लाला हरदयाल के प्रभाव के कारण जुड़ चुके थे, फिर भी कांग्रेस में उनकी सक्रियता गांधीजी के प्रभाव में आने के दिनों में अधिक बढ़ी और वह उसमें 1930 में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान-मंत्री बनकर आए। सन् 1916 के कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते से अंग्रेजी सरकार को विशेष चिन्ता हो गई थी। तिलक पुनः कांग्रेस में आ चुके थे और कांग्रेस में उपवादियों का, जिन्हें गरमदल कहा जाता था, प्रभुत्व बढ़ गया था और स्वशासन की मांग, भारतीय सेना में अफसरों के पदों पर भारतीयों की भर्ती, आदि की मांगें भी बढ़ रही थी पर गांधीजी का नेतृत्व प्रायः मान्य हो चुका था। नरम और गरमदल वालों में समझौता भी हो चुका था, यद्यपि कुछ बातों में उनका मतभेद बराबर बना रहा। उदाहरण के लिए 1920 में व्यवस्थापिका सभा के चुनावों में भाग लेने के प्रश्न पर दोनों पक्षों में गहरा मतभेद था। गांधीजी चुनावों के बहिष्कार के पक्षपाती थे और तिलक चुनावों में भाग लेने के पक्ष में थे। नरेन्द्रदेवजी ने बहिष्कार को एक प्रकार से ठीक नहीं माना था, फिर भी उन्होंने गांधीजी का विरोध नहीं किया। अनुशासन प्रिय होने के कारण नरेन्द्रदेवजी अपने राजनीतिक दल के निर्णयों को अंततः मानना ही उचित समझते थे। जब 1926 में कांग्रेस ने कौंसिलो के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया तब नरेन्द्रदेवजी भी कौंसिल में जाने के लिए तैयार हो गए।

आचार्य नरेन्द्रदेव के भीतर एक स्वतंत्र चिंतन की धारा प्रारम्भ से ही पुष्ट होती रही और उनका स्वाध्याय उसे बल और वेग देता रहा। कांग्रेस में रहते हुए जब भी आर्थिक साम्य स्थापित करने का कोई कार्यक्रम या विचार बनता, नरेन्द्रदेवजी उसके साथ होते। भारतीय समाज के नव निर्माण को वह आज्ञाद

हिन्दुस्तान के लिए अत्यावश्यक समझते रहे। यही कारण था कि जब सुभाष चन्द्र बोस और जवाहरलालजी के प्रयत्न से इंडिपेंडेंस आफ इंडिया लीग (भारतीय स्वाधीनता सघ) कायम हुई तो नरेन्द्रदेवजी उसके भी सदस्य हे गए और उत्तर प्रदेश में उस संगठन के वह मंत्री भी बने। पर जब 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया, तो उक्त संस्था की स्वतंत्र सत्ता निरर्थक हो गई। 26 जनवरी 1930 में गांधीजी के नेतृत्व में जब सारे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया और गांधीजी ने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी यात्रा की, तब नरेन्द्रदेवजी भी उसमें अपने विद्यार्थियों और सहयोगी अध्यापकों के साथ कूद पड़े। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे चलकर नमक सत्याग्रह के नाम से अधिक लोक-विख्यात हुआ था। इस आंदोलन को संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में आगे बढ़ाने में नरेन्द्रदेवजी का सक्रिय योगदान रहा था और वह प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के स्थानापन्न प्रधानमंत्री भी रहे। आगे चलकर इस आंदोलन के कार्यक्रम को चलाते हुए वह बस्ती से गिरफ्तार भी हुए और उन्हें तीन मास की सजा भी हुई थी।

गांधीजी की सक्रिय राजनीति में तो वह उनके साथ सदा ही रहे, पर उनके विचारों से भी उनका काफी साम्य रहा। समाजवाद को लेकर भले ही उनका और गांधीजी का मतभेद रहा हो, पर उसके चलते नरेन्द्रदेवजी ने ऐसा अवसर कभी नहीं आने दिया जब यह प्रकट हुआ हो कि वह गांधीजी को अपना या देश का सर्वश्रेष्ठ नेता नहीं मानते या उनके नेतृत्व में काम नहीं चाहते हो। हिन्दू-मुस्लिम समस्या को लेकर भी उनमें और गांधीजी में बहुत विचार साम्य था। गांधीजी की तरह वह भी मानते रहे कि जब तक देश में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा बना रहेगा, राजनीतिक स्वतंत्रता दूर होती जाएगी और अर्थहीन भी हो जाएगी। इसी प्रकार हरिजनों के सम्बंध में भी गांधीजी के विचारों से वह बराबर सहमत रहे और मानते रहे कि हरिजन भारतीय समाज के, विशेषकर उसके बहुसंख्यक हिन्दू कहे जाने वाले समाज के मुख्य अंग हैं और उन्हें इससे अलग नहीं रखा जा सकता। हरिजनों को हिन्दू समाज से अलग करने की अंग्रेजों की कूटनीति का वह सदा विरोध करते रहे। गांधीजी के कार्यक्रमों में निहित भावी निष्पत्ति की पहचान नरेन्द्रदेवजी को बखूबी थी, यही कारण था कि वह उनके हर कार्यक्रम में सदा सक्रिय सहयोगी बने रहे। गांधीजी का कोई भी कार्यक्रम उन्हें अमान्य नहीं हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल की

स्थापना के बाद भी वह गांधीजी का ही नेतृत्व मानते रहे और देश की आजादी के लिए हर कुर्बानी देते रहे।

सन् 1932-33 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता ने बहुत-से युवा कांग्रेसियों को विचलित कर दिया था। उस विफलता के कारणों का वर्णन करना यहां अप्रासंगिक होगा, पर जिस प्रकार गांधीजी ने उसे स्थगित कर देने का आदेश दिया, वह एक प्रासंगिक विषय है। इसकी विफलता और गांधीजी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के आदेश में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के बीज उत्पन्न हुए। रफी अहमद किदवई, नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानंद प्रभृति कई कार्यकर्ताओं को सारी समस्या पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हरिजनों की ओर गांधीजी का विशेष ध्यान गया और उन्हें हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बनाए रखने के प्रश्न पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया। हरिजनों के लिए गांधीजी ने आगे चलकर कई बार अनशन किए और उनके जीवन का उत्तरार्ध तो प्रमुख रूप से हरिजन सेवा में बीता। पर नरेन्द्रदेव और सम्पूर्णानंद आदि नेताओं को इस बात की भी आवश्यकता जान पड़ी कि कांग्रेस के कार्यक्रम में, उसकी चिन्तन धारा में मजदूरों और किसानों का भी विशेष स्थान होना चाहिए। गांधीजी भी इस बात को अच्छी तरह महसूस करते थे, पर उनकी दृष्टि में भारतीय समाज की समग्रता को व एकता को बनाए रखने और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहने के लिए यह आवश्यक था कि वह भारतीय समाज के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देते रहे। गांधीजी के आध्यात्मिक चिन्तन में धार्मिक कट्टरता या रुढ़िवादिता नहीं थी। वह भारत के सांस्कृतिक विकास की ऐतिहासिक धारा को पुनः प्रवाहित करना चाहते थे, ताकि भारत की एकता को अक्षुण्ण रखा जा सके। उनके इन विचारों से नरेन्द्रदेवजी पूर्णतः सहमत थे पर इन युवा नेताओं को अपने देश के किसानों और मजदूरों की आर्थिक दीनता अधिक पीड़ादायक लग रही थी। ये उसकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे और उसके लिए विशेष चिन्तित थे। इनकी दृष्टि में समाजवाद के सिद्धांत इस समस्या के समाधान के आकर्षण केन्द्र बन रहे थे। गांधीजी सभी समस्याओं का समाधान स्वाधीनता में ही देख रहे थे, अथवा तब तक देखते रहना चाहते थे जब तक कि पूर्ण स्वाधीनता, जो कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था, प्राप्त न हो जाए। वह भारतीय समाज और उसके विभिन्न वर्गों के आर्थिक सम्बन्धों का

विश्लेषण तब तक शायद उचित नहीं मानते थे। उन्हें इस बात का भय था कि इस प्रकार के विश्लेषणों में वर्ग संघर्ष का समय से पहले उदय हो जाएगा और वह पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को धूमिल बना देगा।

समाजवादी विचारधाराएं इस देश में कब और कैसे आईं, यह अपने आप से एक स्वतंत्र एवं रोचक प्रकरण है। उसे छोटा करना या उसे किसी और विषय के साथ सम्बद्ध करके देखना उसके प्रति अन्याय होगा। पर यह सकेत करना जरूरी है कि वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा पश्चिम से आई, कई रास्तों से आई, टुकड़ों में बंटकर आई और आवश्यक प्रतीत हुई। कुछ उसे उसके मूल आयातित रूप में ही ग्रहण करने के पक्षधर हुए, कुछ उसके संशोधित रूप को ग्रहण करने के पक्ष में थे तो कुछ ऐसे भी थे जो उसको भारतीय मनीषा की कसौटी पर कसकर उसे स्वतंत्र भारतीय रूप देने के पक्ष में थे। गांधीजी के अध्यात्म में मानवीय कृपा, जो बौद्ध परिभाषा की महाकरुणा का रूप ले चुकी थी, बंधुत्व और समता को बिना आधार बनाए आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। यद्यपि इस प्रकार के चिन्तन को व्यवस्थित रूप देने और उसके दर्शन को स्पष्ट करने का समय गांधीजी के पास नहीं था, फिर भी वह उसे स्पष्टतः देख रहे थे। यही कारण था कि जब सम्पूर्णानंदजी ने अपनी 'समाजवाद' नामक पुस्तक लिखी और उसे गांधीजी को पढ़ने के लिए भेजा तो गांधीजी ने उसकी प्रशंसा करते हुए उन्हें दर्शन सम्बंधी एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने का आग्रह किया। उसके फलस्वरूप सम्पूर्णानंदजी की दर्शन सम्बंधी पुस्तक 'यिद्वीलास' नाम से प्रकाशित हुई। नरेन्द्रदेवजी को भी अपने चिन्तन के दार्शनिक पक्ष को विस्तार के साथ मूर्त रूप देने का अवसर नहीं मिला। यह भारत के बौद्धिक विकास में एक कमी के रूप में देखा जाएगा। यदि वह समय निकाल कर—सच तो यह है कि यदि उन्हें इसके लिए समय दिया गया होता तो इस विषय पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक का महत्व सहस्रो भाषणों और आंदोलनों से कहीं अधिक होता। इसके अभाव में हर व्यक्ति उनके समाजवाद की अपनी व्याख्या उपस्थित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।

ऊपर की कुछ बातों को कहने का अभिप्राय यह भी है कि गांधीजी और नरेन्द्रदेवजी में कार्यक्रम के घातल से ऊपर उठने पर विचार साम्य था और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों एक ही भाव भूमि में बैठे हुए थे। इस बात को

स्पष्ट करने के लिए नरेन्द्रदेवजी के विचारों से एक उद्धरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। समाजवाद के सांस्कृतिक स्वरूप का विश्लेषण करते हुए नरेन्द्रदेवजी कहते हैं कि “वस्तुस्थिति यह है कि समाजवाद का अर्थ केवल उत्पादन के साधनों का समाजीकरण नहीं है अपितु अपने जीवन का भी समाजीकरण है। एक समाजवादी केवल अपने और अपने कुटुम्ब के लिए नहीं जीता है, बल्कि सकल समाज के लिए जीता है। उसका हृदय उदार और विशाल होता है और मानवीय पीड़ा का वह वैसे ही हिसाब रखता है जैसे भूकम्प-मापक यंत्र मृदु-से-मृदु कम्प का।” यह जो सकल समाज के लिए जीवन को उरसर्ग करने की भावना है, वही गांधीजी की वैष्णवी करुणा की भी भावना है। पर पीड़ा को पहचाने बिना जन की प्रतिष्ठा ही नहीं सकती। नरेन्द्रदेवजी स्वयं मानते थे कि भारत वर्ष में गांधीजी प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी भी राष्ट्रीय संग्राम में जनता के महत्व को समझा। उनके पूर्व हमारा शिक्षित वर्ग या तो वैधानिक उपायों में विश्वास करता था या षड्यंत्रकारी कामों में। गांधीजी ने जनता से अपनी पूर्ण एकरूपता स्थापित की और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने एक वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना का प्रतिपादन किया, जो शोषणमुक्त होगा और जिसमें जनता प्रभुसत्ताधारी होगी।

अतः से इतना कहना पर्याप्त होगा कि तिलक के न रहने पर नरेन्द्रदेवजी ने गांधीजी को ही अपना और देश का भी नेता माना। वह जब तक कांग्रेस में रहे, तब तक गांधीजी के नेतृत्व में काम करते रहे। कांग्रेस से अलग होने पर भी आचरण की सभ्यता के लिए, समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए गांधीजी ही उनके आदर्श बने रहे और कतिपय सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद राजनीति में गांधीजी ही उनके प्रभासूर्य बने रहे। उन्होंने अपनी पार्टी की लाल टोपी के लिए गांधी टोपी को नहीं छोड़ा।

समाजवाद के पोषक

नरेन्द्रदेवजी की जब शिक्षा-दीक्षा चल रही थी, उसी समय उन पर राज-नीति और धर्म का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। दस वर्ष की ही अवस्था में वह अपने पिता के साथ लखनऊ कांग्रेस में गए, वहाँ उन्होंने लोकमान्य तिलक, रमेशचन्द्र दत्त और महादेव गोविंद रानडे के दर्शन किए और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। महामना मालवीयजी और स्वामी रामतीर्थ का प्रभाव भी उन पर उन्हीं दिनों पड़ा था। पिता कांग्रेस भक्त थे। इन सबका मिला-जुला परिणाम यह निकला कि इन पर कांग्रेस और सनातन धर्म के सस्कार दृढ़ होने लगे। वह स्वदेशी भावना का युग था और सारे देश में राजनीतिक हलचल थी। पं० माधव प्रसाद मिश्र अवसर उनके घर पर आकर ठहरते थे, उनके द्वारा हिन्दी में अनूदित 'देशेरकथा' पुस्तक जो बाद में जन्त कर ली गई थी, उसका भी प्रभाव इनमें राष्ट्रीय भावना जगाने का कारण बना। सन् 1905-6 में वह कांग्रेस के गरमदल में शरीक हो चुके थे। कलकत्ते के दैनिक 'वन्दे मातरम्' के नियमित पाठक होने के कारण श्री अरविन्द के विचारों का विशेष प्रभाव भी उन पर पड़ चुका था। धीरे-धीरे इनका सम्बन्ध कुछ क्रांतिकारियों से भी हुआ। इनके जो साथी विलायत पढ़ने गए थे, वे इनके पास नियमित रूप से लंदन, पेरिस, जैनेवा, बर्लिन आदि से क्रांतिकारी साहित्य भेजते रहे। सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद उन्हें लाला हरदयाल का 'वन्दे मातरम्', बर्लिन से प्रकाशित होने वाले 'सलकार' और पेरिस का 'इंडियन सोशियोलोजिस्ट' पढ़ने को मिला करता था।

रूसी क्रांति की सफलता ने प्रायः विश्व के युवकों का ध्यान आकृष्ट किया। भारत के पढ़े-लिखे युवा बौद्धिक इसके अपवाद नहीं हो सकते थे। उनका ध्यान भी रूस से चोरी छिपे आने वाले प्रचार साहित्य के अध्ययन की ओर गया तथा ये लोग गहराई से इस साहित्य का अध्ययन करने लगे और उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। भारतीय बौद्धिकों में कुछ ऐसे लोग भी

थे जो इन दार्शनिकों के विचारों को पढ़ते समझ अपने स्वतंत्र विश्लेषण की क्षमता के आधार पर उनकी नई व्याख्या कर रहे थे। नरेन्द्रदेवजी भी इन्हीं बौद्धिकों में से एक थे जो अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते समय उसके प्राचीन इतिहास को मूल नहीं सके। विचारों के आदान-प्रदान को बौद्धिक विकास के लिए जरूरी मानते हुए भी वह आंखें बंद करके आयातित विचारों के समर्थक नहीं थे। भारत की राष्ट्रीयता और उसकी पहचान उनकी पहली शर्त थी। नरेन्द्रदेवजी को गम्भीर अध्ययन और स्वतंत्र चिन्तन के लिए काशी विद्यापीठ का कार्यकाल बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। वहाँ रहते हुए वह अपने स्वतंत्र विचारों की जांच अपने कुशाग्र विद्यार्थियों की ग्राहिका बुद्धि की स्वीकृति-अस्वीकृति से भी करते जाते और अपने विचारों के प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने-बढ़ाने में सुविधा भी प्राप्त करते रहे।

इसी बीच एक नई परिस्थिति भी उत्पन्न हुई। सन् 1930 और 32 का सविनय अवज्ञा आंदोलन विफल-सा प्रतीत हुआ। गांधीजी के द्वारा बिना किसी उचित कारण के सहसा आंदोलन को बंद कर देने की घोषणा से युवा कांग्रेसजनों में क्षोभ की लहर उठती दिखाई पड़ने लगी थी। उन्हें इस बात का विश्वास-सा होने लगा था कि अहिंसात्मक सत्याग्रह से पूर्ण स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही उन्हें इस बात का भी क्षोभ था कि कांग्रेस में बहुमत मध्यम वर्ग के लोगों का बढ़ता जा रहा था। नरेन्द्रदेवजी सरीखे कांग्रेस के उग्र विचारवाले बौद्धिकों का यह विचार दृढ़ होता चला जा रहा था कि कांग्रेस पूर्णतः मध्यम वर्ग की राष्ट्रीय संस्था बनती जा रही है। नरेन्द्रदेवजी का कहना था कि जब तक इस संस्था में किसानों, मजदूरों और लाखों उन लोगों का सहयोग नहीं मिलता जो परतंत्रता की आग में झुलसे जा रहे हैं और जिन्हें स्वतंत्रता की पहचान भी नहीं रह गई है, जो नियति के भरोसे यह मानकर जी रहे हैं कि "कोउ नूप होइ, हमें का हानि" तब तक संघर्ष जन-वादी नहीं हो पाएगा और उसमें वह आंच नहीं आ पाएगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी को जला सके। नरेन्द्रदेवजी यह मानते थे कि मध्यम वर्गीय लोग क्रांतिकारी नहीं हो सकते। कांग्रेस में ऐसे विचारों के काफी लोग थे, जो इस बात में विश्वास रखते थे कि जब तक आम आदमी, जो निरक्षर भी है और गरीब भी है, और ऐसे लोगों की अधिक संख्या किसानों और मजदूरों की ही थी, उनको विश्वास नहीं हो जाता कि वे भी शिक्षित होकर समाज में ऊपर

उठ सकते हैं और देश के राजनैतिक संचालन में उनका भी हिस्सा हो सकता है, तब तक स्वतंत्रता का यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता।

जैसा कि उपर कहा जा चुका है। इस प्रकार के लोग समाजवादी साहित्य का एक ओर तो गम्भीर अध्ययन कर रहे थे और दूसरी ओर कांग्रेस में रहते हुए भी समाजवादी विचारों के आधार पर संघर्ष का कार्यक्रम तैयार करना चाहते थे। ऐसे लोगों के केन्द्र भी कई जगह बन चुके थे, जो दृढ़ता से विश्वास कर रहे थे कि समाजवादी आदर्शों के आधार पर कार्यक्रम बनाने से निम्न मध्यम वर्ग, खेत मजदूर, छोटे किसान, मजदूर और दूसरे पिछड़े वर्ग कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, और यही वर्ग कांग्रेस की अंतिम लड़ाई लड़ेगा। इन विचारों के तहत काम करने वाले लोग अलग-अलग जगहों में बिना इस बात को जाने हुए कि दूसरे स्थानों पर भी उस विचारधारा के अधीन कुछ काम हो रहा है, अपना-अपना कार्यक्रम बना रहे थे। फिर भी इस प्रकार के चार स्थानों का तो पता चल ही रहा था। ये केन्द्र थे—बम्बई, पटना, बनारस, और केरल। बम्बई में यूसुफ मेहर अली, एम० आर० मसानी, और अच्युत पटवर्धन दिशा-संकेत दे रहे थे। पटना का नेतृत्व जयप्रकाशजी कर रहे थे। केरल में नम्बूदिरिपाद विशेष महत्व रखते थे। बनारस की बागडोर यद्यपि किसी एक के हाथ में नहीं थी फिर भी इस दिशा में संपूर्णानंदजी की भूमिका स्पष्ट थी। सन् 1930 के मोर्चे में संपूर्णानंदजी ने समाजवादी कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि अंग्रेज यदि चले गए तो कांग्रेस को क्या करना होगा। इस पुस्तिका का नाम था 'ह्वैन बी आर इन पावर'। इसका वितरण बड़े पैमाने पर हुआ था। पर तत्कालीन शासन के अतिरिक्त इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस पुस्तिका में नौ विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख था। उनका हवाला देना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि वे ही बाद में चलकर न्यूनाधिक हेर-फेर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में स्थान पाते रहे।

1. जमींदारी उन्मूलन मुआवजों के साथ।
2. मुख्य यातायातों और भौतिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
3. खेती की जमीन की चकबंदी।
4. न्यूनतम मजदूरी की दरों और काम के घंटों का निश्चित किया जाना।

5. सबको काम की सुविधा और वृद्धों को पेंशन की व्यवस्था ।
6. प्रत्येक स्त्री कर्मी को प्रसूति के एक महीने पहले और एक महीने बाद की सवेतन छुट्टी ।
7. उन सभी बच्चों को भोजन और शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था, जिनके माता-पिता नहीं हो अथवा जो इस दायित्व को वहन करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हो ।
8. पूर्ण नशाबंदी ।
9. नमक कर से मुक्ति ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है समाजवाद की लहर सभी जगह जोर पकड़ रही थी और बौद्धिकों का विचार यही हो रहा था कि कांग्रेस में जो गतिरोध आ गया है उससे मुक्ति दिलाने का यही एक रास्ता है। सभी जगह समाजवादी ढांचे पर संगठित रूप से काम करने की बात चल रही थी। ऐसी स्थिति में सन् 1934 के ग्रीष्मकाल में सम्पूर्णानंदजी के घर पर इस प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्तियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक समाजवादी दल का संगठन किया जाए। इसके बाद देश के अन्य केन्द्रों के समाजवादी विचारों के लोगों से अनौपचारिक सम्पर्क किया गया और अंततः उसे अखिल भारतीय रूप देने के लिए पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि बम्बई के अगामी कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस के भीतर ही नियमित रूप से एक समाजवादी पार्टी का संगठन किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके पूर्व ही सारे प्रांतों में (उन दिनों प्रदेश को प्रांत ही कहा जाता था) प्रांतीय समाजवादी पार्टियां कायम कर ली जाए जो बम्बई अधिवेशन में मिलकर अखिल भारतीय रूप ग्रहण करें।

बम्बई का कांग्रेस अधिवेशन अक्टूबर 1934 में हुआ। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन 21-22 अक्टूबर को रेडीमनी हॉल में आयोजित किया गया। इसमें सम्पूर्णानंदजी ने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संविधान स्वीकृत हुआ था। एक कार्यकारिणी भी बनाई गई जिसके जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाशजी हुए और अन्य सदस्यों के साथ सम्पूर्णानंद भी इसके सदस्य थे। आचार्यजी इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने। इस प्रकार

समाजवादी पार्टी के जन्म के साथ जो आचार्यजी का सम्बंध बना, तो वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समाजवाद के पोषक, समर्थक और भारतीय दृष्टिकोण से उसके व्याख्याता बने रहे ।

नरेन्द्रदेवजी की समाजवादी विचारधारा का उद्भव और विकास उनकी राष्ट्रीयता और भारतीय समाज की आर्थिक और धार्मिक अधोगति से हुआ था । उनके सामने पराधीनता वह अभिशाप था, जिससे मुक्ति पाए बिना भारत और भारतीय समाज का अभ्युत्थान सम्भव न था । परंतु जहां विद्वानों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अंग्रेजों के शासन से छुटकारा पाना था, वहीं नरेन्द्रदेव स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज को सभी प्रकार की यातनाओं और शोषण से मुक्त देखना चाहते थे । भारतीय इतिहास और धर्म के गहन अध्ययन के कारण भारतीय समाज की कमजोरियों और उसके पराभव के कारणों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए भारतीय जन को ऊपर उठाना भी उन्हें आवश्यक लग रहा था । भारतीय जन से उनका सरोकार सामाजिक सुधारक बनकर भी रह सकता था, जैसाकि उनके समकालीन और पूर्वज कई महान व्यक्तियों का हुआ । वह राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम के उद्भट सेनानी या नेता बनकर भी रह सकते थे । क्योंकि इस प्रकार के कई महान् व्यक्तियों की सोच में उद्देश्य की तात्कालिक सफलता के लिए बड़ा दम था । ऐसे लोगों का विचार था कि जब विदेशी हुकूमत को हटाने में न्यूनधिक रूप से सबका सहयोग आवश्यक है, तब यह जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही भारतीय राजव्यवस्था और उसके आर्थिक आधार को विदलेषित कर दिया जाए । उनका ऐसा ख्याल था कि ऐसा करने से स्वार्थों का स्पष्टीकरण हो जाएगा और लोग स्वतंत्रता की लड़ाई से हटकर अपने-अपने निहित स्वार्थों की रक्षा में लग जाएंगे और एक प्रकार का ऐसा वर्ग संघर्ष प्रारम्भ हो जाएगा, जो स्वतंत्रता को डीला कर देगा और अंग्रेज शासक उसका लाभ उठाने लगेंगे । इसकी एक छोटी-सी मिसाल भी सामने आ चुकी थी । सम्पूर्णानंद ने समाजवादी कार्यक्रम की जो रूपरेखा अपनी पुस्तिका में कांग्रेसजनों के सामने 1930 में प्रस्तुत की थी, उसका लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने देशी जमींदारों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा करने में काफी सहायता प्राप्त की थी । सब जमींदार एक कोटि में नहीं आते थे । जमींदार कहे जाकर भी अधिकारी जमींदार ऐसे थे जिनकी अवस्था बड़े किसानों से भी बदतर थी ।

उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अनदेखा नहीं किया जा सकता था। सन् 1933-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित हो जाने पर जो क्रियात्मक शून्यता आ गई थी, उसने बहुते को नई क्रियाशीलता के लिए सोचने की ओर अग्रसर किया। उत्तर प्रदेश में रफी अहमद किदवाई, आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानंद और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि दो विशेष कार्यक्रम इस अवधि में हाथ में लिए जाएं। एक तो उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की शिकायतों और शोषणों की जांच करने का काम था, जो गन्ना मिल-मालिकों और गन्ना उत्पादकों से सम्बद्ध था। गन्ना उत्पादकों में छोटे जमींदार भी शामिल थे। दूसरा कार्यक्रम 1930-32 में जमींदारों द्वारा किसानों पर की गई उन ज्यादतियों की जांच करना था, जो उन पर कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने के कारण की गई थीं। आचार्य नरेन्द्रदेव और सम्पूर्णानंद को देवरिया और गोरखपुर दिया गया। इन लोगों ने अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की तो बहुते को यह विश्वास भी नहीं होता था कि किसानों पर जमींदारों द्वारा ऐसी ज्यादतियाँ भी की जा सकती थीं। दूसरे क्षेत्रों से दूसरे लोगों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में भी ऐसी ही ज्यादतियों का जिक्र था। महात्माजी ने इस सम्बंध में तत्कालीन वायसराय से पत्र-व्यवहार किया था और उसमें एक प्रकार का आरोप पत्र भी शामिल किया गया था जिसमें सिसवाँ बाजार की करतूतें विशेष रूप से शामिल थीं।

इस प्रकार के शोषण, अत्याचार तथा गरीबी के प्रत्यक्ष दर्शन और निजी अनुभूतियों ने आचार्य नरेन्द्रदेव की समाजवादी विचारधारा को न केवल और भी अधिक दृढ़ किया बल्कि भारतीय परिवेश में उसको कार्यान्वित करने की दृष्टि भी दी।

आचार्यजी के समाजवाद को लेकर उनके साथियों, अनुयायियों और शोधकर्ताओं ने बहुत कुछ लिखा है और वह ठीक भी होगा। ऐसे लोगों की मान्यताओं का खंडन-मंडन उनके जीवन चरित्र को लिखते समय अभीष्ट नहीं है। नरेन्द्रदेवजी ने स्वयं भी समय-समय पर समाजवादी, साम्यवाद, जो दूसरे शब्दों में समष्टिवाद भी कहा जाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र आदि सम्प्रदायों, सिद्धांतों और मतवादों पर विचार व्यक्त किया है, परंतु उनके विचारों को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके विषय में जो धारणाएं उनके सह-

योगियों, मित्रों और शोधकर्ताओं की बन चुकी हैं, उनका जिक्र भी आवश्यक जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनके निधन के पश्चात्, 'सघर्ष' जो उन्हीं द्वारा संस्थापित पत्रिका थी, उसका एक विशेषांक निकला। इसी प्रकार डा० केसकर और बी० के० एन० मेनन द्वारा सम्पादित नेशनल बुक ट्रस्ट से एक स्मृति ग्रन्थ भी निकला। उन दोनों में उन्हें निकट से जानने वाले उनके सहयोगियों और मित्रों के लेख प्रकाशित हुए। यह स्वामाविक था कि ऐसे अवसर पर प्रायः श्रद्धासुमन ही चढ़ाए जाते हैं और विश्लेषणात्मक लेख कम ही लिखे जाते हैं। फिर भी इन संग्रहों में उनके कुछ मित्रों और निकट सहयोगियों के विचार द्रष्टव्य हैं। यह भी उपेक्षणीय नहीं कि इन लोगों ने आचार्यजी पर अपने उद्गार व्यक्त करते समय उनकी किन्हीं मान्यताओं पर ही अधिक बल दिया हो। ऐसे मित्रों में, जिन लोगों के विचारों को सामने रखना जरूरी है, उनमें श्री हीरालाल खन्ना, डा० केसकर, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, अशोक मेहता, एन० जी० गोरे, यूसुफ मेहर पाली, श्रीप्रकाश, अच्युत पटवर्धन, गंगाशरण सिंह, सम्पूर्णानंद, डी० पी० मुकर्जी, दामोदरस्वरूप सेठ, अजय घोष, और शकुंतला श्रीवास्तव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रो० मुकुट बिहारीलालजी ने तो आचार्यजी के व्यक्तित्व और नेतृत्व पर एक पूरी पुस्तक ही लिखी है। अतः उनके विचारों का जिक्र अलग से करना होगा।

हीरालालजी नरेन्द्रदेवजी के बचपन के साथियों में से थे। वह दोनों एक दूसरे को प्रायः सात-आठ वर्ष की उम्र से ही जानने लगे थे और धीरे-धीरे उनकी मित्रता प्रगाढ़ होती गई, जो जीवनपर्यन्त बनी रही। हीरालालजी नरेन्द्रदेवजी के सम्बन्ध में लिखते हुए कहते हैं कि बैंकाक में, जहाँ वह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, नरेन्द्रदेवजी ने समाजवाद में अपने दृढ़ विश्वास की घोषणा करते हुए कहा था कि समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व के सभी समाजवादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन होना चाहिए जिसमें अमरीका और रूस को स्थान न हो। यहाँ रूस और अमरीका को अलग रखकर समाजवाद की बात की गई, यह स्मरण रखने की बात है। डा० केसकर कहते हैं कि गांधीजी 1928-29 के आसपास खादी प्रचार के सम्बन्ध में काशी आए और नरेन्द्रदेवजी से, जो उन दिनों काशी विद्यापीठ में आ चुके थे, बहुत प्रभावित हुए थे। वापस जाकर उन्होंने नरेन्द्रदेवजी के

गुजरात विद्यापीठ के समावर्तन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया। गांधीजी उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यदि कांग्रेस में समाजवाद के विरोधियों का बाहुल्य न होता, तो नरेन्द्रदेवजी कम-से-कम दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके होते। गांधीजी के वह अत्यंत प्रिय थे। गांधीजी नरेन्द्रदेव के अत्यंत श्रद्धास्पद नेता थे। सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के विचार में वह एक क्रांतिदर्शी पुरुष थे। मानव समाज के विकास का उनका अध्ययन बहुत गहन था। वह मार्क्सवाद में विश्वास रखते थे। किन्तु उनके लिए समाजवाद केवल एक विश्वास की वस्तु न रहकर जीवन की प्रक्रिया थी। जनक्रांति के लिए एक व्यावहारिक मार्ग था। उन दिनों जब विरले ही साम्यवाद और समाजवाद के तात्त्विक भेद को समझ पाते थे, या कि यह समझ पाने में स्मर्थ थे कि वर्ग संघर्ष बिना हिंसा के भी हो सकता है, और समाजवाद की स्थापना के लिए तानाशाही की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नरेन्द्रदेवजी साम्यवाद और समाजवाद के मौलिक भेद को भी समझते थे और विश्वास करते थे कि वर्ग-संघर्ष के लिए हिंसात्मक प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है और तानाशाही के तो वह पूर्ण विरोधी थे। आचार्यजी ने मार्क्स के सिद्धांतों की नई व्याख्या की ओर मार्क्सवाद और समाजवाद को भारतीय सदर्भ में पारिभाषित किया। द्विवेदीजी आगे कहते कि अपनी एक पुस्तक में आचार्यजी ने भारत में जनतांत्रिक समाजवाद की क्या भूमिका होगी, उसे भी स्पष्ट किया। अशोक मेहता उनके अन्यतम समाजवादी सहयोगियों में से थे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते समय आचार्यजी की कुछ चारित्रिक विशेषताओं का जिक्र किया है। यद्यपि उन विशेषताओं के उल्लेख में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह मार्क्सवादी थे, तथापि इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह मार्क्सवादी नहीं थे। अशोक मेहता ने उनके मार्क्सवादी होने या न होने का जिक्र न करते हुए भी जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उनसे आचार्य नरेन्द्रदेव के जीवन चरित्र, उनके विश्वासों और मतों के बारे में स्वतंत्र राय कायम करने में सहायता मिल सकती है; अतः यहाँ उनका उल्लेख किया जा रहा है। श्री मेहता कहते हैं कि प्रोफेसर रेडसमैन के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति दो अलग-अलग स्तरों पर जीवन व्यतीत करता है और जहाँ यह दोनों स्तर अभेद हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त करते हैं, वहीं आदर्श जीवन का उद्भव होता है। नरेन्द्रदेवजी उनके अनुसार, इस एकत्व को प्राप्त कर चुके थे। वह नैतिक सिद्धांतों के पालन में अविचलित रहते थे।

वह कभी भी जन राजनीति के स्तर पर नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने जन-जन को जीवन का आदर्श समझाने तथा उनके बौद्धिक घरातल को वृहत्तर करने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के लिए सतत् प्रयत्न किया। वह सदा स्वतंत्रता, एकता और बहुत्व के लिए लड़ते रहे। उनको विश्वास था कि जीवन का मूल केन्द्र मनुष्य ही है और यही कारण था कि उनके द्वारा प्रतिपादित समाजवाद जनतांत्रिक और मानवतावादी था। इस सिलसिले में उनके प्रशंसक और बौद्धिक मित्र, प्रो० डी० पी० मुखर्जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। प्रो० मुखर्जी एक स्थान पर कहते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की लाल टोपी के लिए गांधी टोपी को नहीं छोड़ा। उस समय भी नहीं, जब वह किसान मार्च की अगुवाई कर रहे थे। वह परम्पराओं को नहीं छोड़ सके। गांधीजी ने उनके ढांचे में स्वयं को निमित्त किया था और उनकी विचारधारा की गति पर उन्होंने प्रभाव डाला था। उन्हीं पर लिखते हुए वह आगे कहते हैं कि वह मार्क्सवाद की माला नहीं जपते थे क्योंकि यह उनके लिए विचार से कुछ अधिक था। प्रो० मुखर्जी के अनुसार वह मार्क्सवादी से अधिक लेनिनवादी थे। और फिर भी वह स्तालिनवादी नहीं थे। कम्युनिस्टों से भिन्न वह मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन को उचित ऐतिहासिक संदर्भ में उद्धृत कर सकते थे। प्रो० मुखर्जी भी उनके मानवतावाद से परिचित जान पड़ते हैं। वह कहते हैं "वे मानव थे। सम्भवतः पूरे मानव। क्या यह मानवतावाद था जिसने उन्हें अतिमानव, कठोर देवता होने से बचाया? परंतु तब वह वर्ग-सघर्ष में अपने विश्वास की सगति कैसे बिठाते थे। या क्या इन दानों में कोई निहित विरोधाभास है ही नहीं, यही मेरा प्रश्न है।"

अब हम प्रो० मुकुट बिहारीलालजी के विचारों को थोड़ा विस्तार से देखना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने आचार्यजी के साथ रहकर उनके विचारों को निकट से देखा और परखा था। वह स्वयं भी मार्क्सवादी थे, साथ ही प्राध्यापक भी। उनसे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि उन्होंने आचार्यजी के मतों और विचारों की तटस्थ रूप से व्याख्या की होगी। यदि नहीं तो यह पाठकों के निर्णय का विषय होगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल की राय में आचार्यजी मार्क्स और एंगेल्स के सामाजिक विश्लेषण और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को मूलतः स्वीकार करते थे। पर वह मार्क्सवाद के भौतिक तत्वों के साथ-साथ उनके

मानवीय तत्वों पर भी जोर देते थे। वह मार्क्स के इस सिद्धांत को मानते थे कि उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप सम्बंध कायम होते हैं, उत्पादक सम्बंधों को जोड़कर समाज का आर्थिक ढांचा बनता है और आर्थिक ढांचे के आधार पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दीवार खड़ी होती है। वह मार्क्स के इस सिद्धांत को भी मानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले महापुरुष स्वयं बदली हुई परिस्थितियों के परिणाम होते हैं और सिद्धांत भी समाज में इसलिए स्वीकार किया जाता है कि वह नई परिस्थिति के अनुकूल होता है। वह यह भी स्वीकार करते थे कि किसी समाज की विचार प्रणालियों में अर्थात् प्रचलित दर्शन, धर्म, राजनीति आदि में उस समय आधारभूत परिवर्तन होता है, जब समाज की रचना में आधारभूत परिवर्तन होता है। पर वह यह भी मानते थे और जोर देते थे कि मनुष्य और परिस्थिति दोनों परिवर्तनशील और अस्थिर हैं और जिस प्रकार मनुष्य परिस्थिति को बनाता है, उसी प्रकार परिस्थितियां मनुष्य को बनाती हैं और कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक ढांचे का परिणाम होते हुए भी स्वतंत्र शक्तियां बन जाती हैं और इतिहास की गतिविधि को प्रभावित करती हैं। मुकुट बिहारीलालजी के अनुसार आचार्यजी की राय में, ऐतिहासिक विकास में अनेक कारण काम करते हैं। प्रो० लाल के अनुसार आचार्यजी मानते थे कि नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थिति और प्रगति के साथ-साथ मनुष्यों का सचेष्ट प्रयत्न भी जरूरी होता है। वह लेनिन की इस बात को ठीक समझते थे कि क्रांति के लिए क्रांतिकारी परिस्थिति और क्रांतिकारी प्रयत्न दोनों ही आवश्यक हैं। उनकी धारणा थी कि क्रांति स्वतः सफल नहीं होती। क्रांति का संगठन सुदृढ़ होने से ही और क्रांति के संचालकों की दृष्टि स्पष्ट तथा रचनात्मक होने से ही क्रांति सफल होती है। वह मार्क्सवाद के वर्गीय विश्लेषण को मूलतः स्वीकार करते थे और वर्गहीन समाज को कायम करने के लिए वर्ग-संघर्ष अनिवार्य समझते थे। वह वर्ग सहयोग के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे और मानते थे कि विभिन्न वर्गों के हितों में संघर्ष होते हुए भी समाज के अस्तित्व के लिए किसी हद तक वर्ग सहयोग अनिवार्य है। इसके बिना तो समाज छिन्न-भिन्न हो जाएगा। पर वह वर्ग-संघर्ष को वर्ग-समाज का अनिवार्य घटनाक्रम मानते थे। इस तरह शोषितों का वर्ग-संघर्ष सामाजिक

क्रांति का मुख्य उपकरण तथा समाजवादी वर्गहीन समाज की स्थापना का आवश्यक साधन है।

“शोषितों के वर्ग-संघर्ष का समर्थन करते हुए नरेन्द्रदेवजी कहते थे कि वर्ग-संघर्ष ही सामाजिक क्रांति का आधार रहा है। समाजवादी लोग वर्ग-संघर्ष को पैदा नहीं करते और न वे उसको पसंद करते हैं। उनका उद्देश्य तो समाज का ऐसा संगठन करना होता है जिसमें परस्पर विरोधी वर्गों और उनमें निरंतर चलने वाले संघर्षों का अंत हो जाए।” ऐसा लगता है कि प्रो० लाल कहना यह चाहते थे कि बावजूद इस बात को मानने के कि वर्ग-संघर्ष ही सामाजिक क्रांति का आधार रहा है, आचार्यजी वस्तुतः यह मानते थे कि समाजवादी लोग वर्ग-संघर्ष को पैदा नहीं करते और न वह उसको पसंद ही करते हैं। उनका उद्देश्य तो समाज का ऐसा संगठन करना है, जिसमें परस्पर विरोधी वर्गों और उनमें निरंतर चलने वाले संघर्षों का अंत हो जाए।”

प्रो० लाल भी नरेन्द्रदेवजी को लेनिन के कतिपय विश्वासों का समर्थक बताते हुए कहते हैं कि लेनिन की तरह वह इस बात पर जोर देते थे कि केवल मजदूरों के बलबूते पर समाजवादी क्रांति सम्भव नहीं, उसके लिए तो मध्यम श्रेणी के शिक्षितों का क्रांतिकारी समाजवादी नेतृत्व भी आवश्यक है। नरेन्द्रदेवजी का कहना था कि मार्क्सवादियों के अनुसार क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता और समाजवाद के दर्शन की सृष्टि तथा उसका विकास विद्वानों और चिन्तकों द्वारा ही होता है। आने वाले समाज की भविष्यवाणी उनके द्वारा ही होती है। इस तरह निम्न मध्यम वर्गीय क्रांतिकारी विचारक ही समाजवादी क्रांति के आध्यात्मिक साधक हैं।

लेनिन से सामीप्य दिखाते हुए प्रो० लाल आगे लिखते हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेव के विचार में जहां समाज में मौलिक परिवर्तन होना और राज्य शक्ति का एक वर्ग के हाथ में निकलकर दूसरे वर्ग के हाथ में जाना ही क्रांति है, वहां ऐसे वर्गहीन समाज की रचना करना, जिसमें न कोई शासक है और न कोई शासित, सामाजिक क्रांति का लक्ष्य है। “लेनिन की तरह आचार्य नरेन्द्रदेव भी आतंक और षड्यंत्र को क्रांति का अंग नहीं मानते थे। वह जनतांत्रिक उपायों के अभाव में क्रांति के लिए संगठित सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करते थे, पर हर परिस्थिति में सशस्त्र क्रांति को आवश्यक और लाभप्रद नहीं समझते थे। आचार्यजी की धारणा थी कि इस देश में समाजवादियों का कर्तव्य है कि वे जनतंत्र विरोधी भावनाओं और शक्तियों से जनतंत्र की रक्षा करें, जन-

तांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जनता की श्रद्धा को दृढ़ करें, राजनीतिक जनतंत्र को सबल बनाएं और जनतांत्रिक ढंग से समाजवादी क्रांति को सफल करें तथा समाजवादी समाज स्थापित करें।”

मार्क्सवाद और नरेन्द्रदेवजी के विचारों में साम्य था और असहमति भी थी। प्रो० लाल एक जगह लिखते हैं, “उनका विचार था कि स्तालिन के अधिनायकत्व में सोवियत और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म दोनों पथ भ्रष्ट हो गए हैं। नरेन्द्रदेवजी रूस में प्रचलित तानाशाही और सर्वसत्तावाद के कट्टर विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि टोटेलिटेरियनिज्म आतंक पैदा करता है और मनुष्य को राज्य की मशीन का पुर्जा बना देता है। वह मानव के मान को नष्ट करता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं देता। नरेन्द्रदेवजी स्तालिनशाही की मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मजदूरों की तानाशाही मानने को तैयार नहीं थे। आचार्यजी के विचार में सर्वहारा की तानाशाही की कल्पना मार्क्स ने उन देशों के लिए की थी, जहाँ पर पूँजीपति वर्ग अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ तुरंत राज्य की सारी सैनिक शक्ति लाकर खड़ा कर सकता था।” नरेन्द्रदेवजी समाजवादी और कम्युनिस्ट शक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने को तैयार थे। पर वह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के नाम पर सोवियत रूस को हिन्दुस्तान के मजदूरों की पितृभूमि मानना और संसार भर की कम्युनिस्ट पार्टियों पर सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व लादना गलत समझते थे। वह समता के आधार पर स्वतंत्र सहयोग को ही ठीक समझते थे। अंत में निष्कर्ष रूप में प्रो० लाल लिखते हैं, “इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि आचार्यजी मार्क्सवादी थे पर उनका मार्क्सवाद रूसी कम्युनिज्म और कट्टरता का सहचर नहीं था। वह हर दर्शन की तरह मार्क्सवादी दर्शन को भी विकासशील मानते थे और स्वयं उन्होंने उसके विकास में योगदान किया था। एक तो उन्होंने उदात्त राष्ट्रीयता और समाजवाद के समन्वय पर जोर देकर और उत्तरदायी व्यापक राष्ट्रीयता को समाजवाद का अंग बनाकर मार्क्सवाद की एक बड़ी समस्या का समाधान किया। दूसरे, उन्होंने कृषि क्रांति और समाजवादी क्रांति के योग पर जोर देकर और समाजवादी क्रांति के लिए मजदूरों और किसानों के संयुक्त मोर्चों की जरूरत बताकर तथा समता के आधार पर किसानों और मजदूरों के पारस्परिक सम्बंध कायम करने का पाठ

पढाकर मार्क्सवाद की दूसरी बड़ी समस्या का समाधान किया। तीसरे, सहकारिता और समूहीकरण का मौलिक भेद बताकर और सहकारिता को समाजवादी व्यवस्था का जग बसाकर, उसके आधार पर किमानों की स्वेच्छा द्वारा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया और इस तरह समूहीकरण के कारण समाजवाद के विरुद्ध किमानों के सघर्ष को शांत करने का उन्होंने योग बनाया। चौथे, उन्होंने जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, औद्योगिक जनतंत्र और अर्थ स्वतंत्र कारपोरेटों द्वारा समाजीकृत उद्योगों की व्यवस्था के सिद्धांतों का मार्क्सवाद में प्रवेश कर उसे व्यापक और जनतांत्रिक रूप प्रदान किया और जनतांत्रिक केन्द्रवाद के सर्वसत्तावाद और केन्द्रित नौकरवाद से उसकी रक्षा की। पाचवें, जनतंत्र और समाजवाद की असंगति की धारणा का विरोध करके, जनतंत्र की प्रेरणा को मानव प्रकृति का भाग बताकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों की प्रदानता स्वीकार करके, आर्थिक जनतंत्र और राजनीति के जनतंत्र के सम्बन्ध को स्थापित कर जनतंत्र में विरोधी दल के महत्त्व को स्वीकार करके, जनतांत्रिक राज्य में जनतांत्रिक भावनाओं को जागृत, सुदृढ़ और व्यापक बताते हुए जनतांत्रिक उपायों से, जिसमें सत्याग्रह और हड़ताल भी शामिल हैं, समाजवादी समाज बनाने पर जोर देकर उन्होंने मार्क्सवाद के जनतांत्रिक स्वरूप को निखारा और पुष्ट किया तथा उसे व्यक्ति पूजा और पार्टी डिक्टेटोरशिप द्वारा विकृत किए जाने से बचाया। छठे, व्यक्ति की क्रियाशील शक्ति पर जोर देकर तथा यह बताकर कि व्यक्ति प्रकृति पर सक्रिय प्रतिक्रिया करता है, परिस्थितियों की सम्भावनाओं के आधार पर परिस्थितियों को बदलता है, प्रकृति को बदलता है, अपने स्वभाव को बदलता है, अपनी शक्ति का विकास करता है। उन्होंने मार्क्स के अनियतिवादी तत्व को पुष्ट किया और उसके मनोविज्ञान की कमी को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया। सातवें, दीर्घकालीन नैतिक मूल्यों का और सामान्य शील का पालन मार्क्सवादियों के लिए भी जरूरी बताकर मानवता को मार्क्सवाद का आधार स्वीकार कर और मार्क्सवादी समाज के नैतिक मूल्यों का विश्लेषण कर मार्क्सवाद के नैतिक स्वरूप को पुष्ट किया और उसके नैतिक भंडार को परिपूर्ण किया। आठवें, समाजवादी संस्कृति के कतिपय मूल तत्वों की व्याख्या का और उसे समाजवादी समाज के निर्माण का महत्त्वपूर्ण अंग बनाकर उन्होंने मार्क्सवाद के सांस्कृतिक लक्ष्य की अभिवृद्धि की।”

इस आठ प्रकार के योगदान की चर्चा कर चुकने के बाद प्रो० लाल लिखते हैं कि आचार्यजी का कहना था, “मार्क्सवाद कोई अटल सिद्धांत नहीं है। जीवन की गति के साथ वह भी बदलता है। इसकी विशेषता इसका क्रांतिकारी होना है। मार्क्स की शिक्षा में हेर-फेर करना उस समय तक अनुचित नहीं है, जब तक आप इस परिवर्तन से उसके क्रांतिकारी तत्व को सुरक्षित रखते हैं। मार्क्सवाद को एक जिन्दा शास्त्र मानने में ही उसका गौरव है।” अपनी तरफ से प्रो० लाल इतना जोड़कर इस सदर्भ की अपनी बात समाप्त करते हैं कि “वास्तव में नरेन्द्रदेवजी का यह योगदान मार्क्सवाद के मानवतावादी और जनतांत्रिक तत्वों का पीपक है तथा उसके अंतरात्मा के अनुरूप है जो मार्क्स की चिन्तनधारा में निहित है।”

इसके पहले कि नरेन्द्रदेवजी के समाजवाद के विषय में और कुछ लिखा जाए, यहां इतना ही इंगित करना आवश्यक है कि प्रो० मुकुट बिहारीलालजी के मत और निष्कर्षों का समुचित आदर और विश्वास करते हुए भी कुछ उमी प्रकार की शिकाएँ बनी रह जाती हैं, जो प्रो० डी० पी० मुखर्जी के समाजवादी होते हुए भी उनके मन में आचार्यजी के मानवतावाद और वर्ग-संघर्ष की बात को लेकर उठी थी। प्रो० मुकुट बिहारीलालजी के समाधानों में भी ऐसे ही कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं और विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। आचार्यजी के विषय में यह सोचना कि वह कोई-कोई काम दिखावे के लिए या रूढ़िग्रस्त समाज के डर से करते रहते थे, उनका अपमान करना होगा। उन्होंने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय और तर्कसम्मत सिद्धांतों पर अटल रहने के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए। हम पहले के अध्यायों में उनके व्यक्तित्व की पहचान कर चुके हैं। अतः यही मानना उचित होगा कि वह जो भी करते थे, उसके पीछे उनका विश्वास और उनकी निष्ठा होती थी और उसे वह अपने जीवन का ही नहीं बल्कि समाज का आदर्श मानते रहे थे। यदि वह स्वतंत्र चेतना दार्शनिक न होते, यदि वह बहुपठित मननशील बौद्धिक न होते, यदि उनमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विचारधाराएं उनके अपने चिन्तन और तर्क की कसौटी पर खरी न उतरी होतीं, और वह केवल शुद्ध मार्क्सवादी होते तो न तो वह अपने लड़के का विधिपूर्वक यज्ञोपवीत कराकर श्रीप्रकाशजी से मंत्र की दीक्षा दिलाते और न ही श्रीप्रकाशजी के पुत्र के उपनयन संस्कार में जाकर उनके लड़के को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते। यह भी नहीं माना

जा सकता कि चूंकि उन्होंने श्रीप्रकाशजी के लड़के को दीक्षा दी थी, अतः उनका प्रत्युपकार करने के लिए अपने लड़के का उपनयन उन्होंने किया। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तब तक इस कृत्य के होने तक वह दृढ़ मार्क्सवादी नहीं हुए थे। अगर ऐसा मान भी लिया जाए, जबकि तथ्य यह नहीं था तो भी तब तक बौद्ध दर्शन का उनका गहन अध्ययन और मनन हो चुका था। श्रमण संस्कृति को वह बड़े आदर से देखते थे और कहीं गहरे में उसे अपने भीतर उतार भी चुके थे। अतः यदि उनमें उपनयन संस्कार के प्रति नहीं, तो उसके कर्मकांड के प्रति अनास्था जग चुकी थी। यदि इसे भी छोड़ दे तो भी उनके विचारों में वर्ग-व्यवस्था की गिरी हुई अवस्था और उसके रूढ़िगत विचारों से उनका विद्रोह स्पष्ट हो चुका था। ऐसा होने में उनके ऊपर अपने देश के इतिहास और दर्शन के अध्ययन का, आर्य समाज और गांधीजी के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से मिलता है। वर्णश्रम के प्रति आस्था के लिए, मले ही वह पर्याप्त सुधारों के साथ नए रूप से व्याख्यायित क्यों नहीं गईं हो—मार्क्सवाद में कोई जगह नहीं है। सच्चा मार्क्सवादी जो केवल आयातित विचारों के आधार पर अपना मतवाद स्थिर कर रहा होता है, इस प्रकार का आचरण कभी भी नहीं करेगा। तब क्या वह वर्ण-व्यवस्था में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर वह स्वयं थे। वह वर्ण व्यवस्था को ऐतिहासिक घटनाक्रम से अधिक क्रुद्ध नहीं मानते थे। भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहन अध्ययन में उनमें उसके प्रति किसी समय-विशेष में आदर का भाव जरूर बनाया था, पर वही व्यवस्था उनके लिए उनके समय में अप्रासंगिक और सामाजिक विकास की विरोधी हो चुकी थी। वह कहते हैं "प्राचीन भारत में वर्णश्रम की व्यवस्था थी। इसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य था। सामाजिक संगठन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। समाज वर्गों में विभक्त था। प्रत्येक वर्ण की जीविका नियत थी, सामाजिक नियंत्रण कुछ बातों में कठोर था। खान-पान विवाह सम्बन्ध और जीविका के विषय में कठोर नियंत्रण था। किन्तु विचार की स्वतंत्रता थी। आप चाहे ईश्वर के अस्तित्व को मानें या न मानें अथवा आपका धर्म वेदानुकूल हो या न हो, आप समाज से बहिष्कृत नहीं हो सकते। किन्तु जिस काल में प्रतिलोम विवाह मना था, उस काल में प्रतिलोम विवाह करने पर समाज से पृथक् होना पड़ता था और जिस काल में केवल सवर्ण विवाह की ही अनुज्ञा थी उम काल में असवर्ण विवाह करने पर समाज से अलग होना

पडता था। इसी प्रकार अन्त्यज अपनी जाति के रिवाज से बंधे थे। जो अधिकार द्विजो को प्राप्त था वह शूद्रों और दूसरे लोगो को नहीं था।” इस ऐतिहासिक तथ्य को स्पष्ट करने के बाद वह अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आजीविका के कुलागत होने के कारण और प्रत्येक वर्ग की आजीविका नियत होने के कारण स्वाभाविक विकास में रुकावट होती है। किन्तु जो सन्यास ग्रहण करता था और घर-बार छोड़कर आध्यात्मिक चिन्तन में लगता था, उसके लिए सामाजिक नियम नहीं थे। श्रमण सब कोई हो सकते थे और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्नशील हो सकते थे। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। उपनिषदों की इस उक्ति में उनका विश्वास था कि ‘मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं।’ पर वह मनुष्य के वैयक्तिक विकास में धर्माचरण की भारतीय आधारशिला को हिलाना नहीं चाहते थे। उसमें उनका विश्वास था। धर्माचरण का उत्कर्ष और विकास वह चार आश्रमों में देखते थे। इस आश्रम व्यवस्था के पहले चरण में उपनयन संस्कार के महत्त्व को वह मानते थे। भारतीय विचारधाराओं का जो बहुविध विकास हुआ था, उसमें व्यक्ति का पूरा जीवन सतत् विकासशील था। इस प्रक्रिया में वह सदा एक के बाद दूसरी भूमिका में प्रवेश करता रहता था। दीक्षित होता रहता था। यह दीक्षा ही उसमें वह संस्कार उत्पन्न करनी थी, जो उसे समाज को व्यवस्थित रखने और धर्म को धारण करने की शक्ति प्रदान करता था। नैतिक व्यवस्था की स्थापना भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उस पर विश्वास दृढ़ करते हुए वह कहते हैं, “जीवन के सफल संचालन और स्वस्थ विकास के लिए एक-न-एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। कर्म फल में विश्वास प्रकटकर मानवीय कर्म को सहज ही महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्रतिष्ठा हुई है। मोक्ष को हमारे यहां सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष से तात्पर्य मनुष्य की आध्यात्मिक और बौद्धिक मुक्ति से है। योग के बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। योग से तात्पर्य मन की समाहित अवस्था और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण से है। हमारे यहां के सभी सम्प्रदाय, चाहे वे आत्मवादी हों या अनात्मवादी, इस विचार-सरणि पर एक मत है। उन सबका गंतव्य एक ही है—मानव की मुक्ति। कर्म फल की वासना न रखते हुए और शुभ कर्म करते हुए मोक्ष की ओर निरंतर बढ़ते जाना यही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है।” यही कारण था कि वह मार्क्स के उन विचारों की

अक्सर चर्चा करते पाए गए, जिन्हें वह समाजवाद का आवश्यक अंग मानते थे। वह मार्क्सवाद के नैतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर अधिक जोर देते थे और मार्क्स की उस उक्ति को अक्सर उद्धृत करते थे, जहाँ उन्होंने कहा है कि सर्वहारा मजदूरों को प्रतिदिन के भोजन की अपेक्षा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की कहीं अधिक जरूरत है। 'आचार्यजी का समाजवाद' एक बड़ा नैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। मार्क्सवाद के इस तत्व पर विशेष ध्यान देते हुए वह मार्क्स को 'अपने युग का महान मानवतावादी' मानते थे। उनके विचार में मार्क्स की विचार-सरणी का मुख्य विषय मानव था। मार्क्स की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि मानव सर्वोपरि है। जो सिद्धांत, वाद या विचार—चाहे वह कोई धर्म हो या दर्शन या अर्थशास्त्र, मानव के उत्कर्ष को घटाता है, वह मार्क्स को मान्य नहीं है। नरेन्द्रदेवजी को भी मानव का अपकर्ष मान्य नहीं था। वह भी उसके उत्कर्ष में ही समाज का उत्कर्ष देखते थे। चार आश्रम मानव के उत्कर्ष की चार मजिली इमारत थी। अपने जीवन दर्शन को स्पष्ट करते हुए, वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने में ध्येय है और उसे स्वयं के लिए अपने दृष्टिकोण से पूर्ण एवं संतोषदायक मार्ग की खोज अवश्य करनी चाहिए।

इतने विचार मंथन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नरेन्द्रदेवजी मूलतः स्वतंत्रचेता विचारक और बौद्धिक थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के प्राचीन और अर्वाचीन सभी विचारों पर गहराई से मनन किया था और अपने समय तक के प्रतिपादित सभी प्रमुख दर्शनों का अध्ययन किया था। उनमें वैचारिक सकोच या पूर्वाग्रह नहीं था। अपने चिन्तन के आधार पर वह अपने स्वतंत्र विचार रखने वाले बौद्धिक थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने समाजवाद पर, उस अनैतिक समाजवाद पर, जिसके वह व्याख्याता और प्रतिष्ठापक थे, कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी। लिख नहीं सके। उन्हें लिखने का समय ही नहीं दिया गया। यदि ऐसा कर सके होते तो वह संसार के लिए एक अमूल्य निधि छोड़ गए होते जो मानवता के कल्याण के लिए एक सुविचारित मार्ग प्रशस्त करती। इसलिए कि वह एक क्रांतिदर्शी बौद्धिक थे। नरेन्द्रदेव के मित्र, सहयोगी और समान विचारधर्मी, सम्पूर्णानंद ने एक जगह भारतीय बौद्धिकों के कर्तव्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ वाक्य कहे हैं। जब दो-तीन वाक्यों को यदि एक स्थान पर रख दिया जाए तो वे मिलकर

बौद्धिकता की अच्छी और सही परिभाषा बन जाते हैं। उनके वाक्यों का एकत्रित रूप इस प्रकार होगा। सम्पूर्णनिंदजी कहते हैं कि “बुद्धिजीवी का सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि वह एक विद्रोही होता है, जो सत्ता के आगे झुकता नहीं। सच्चा बुद्धिजीवी आंख मूंदकर एक ओर को नहीं बढ़ सकता। वह परम्परागत नैतिकता का भक्त नहीं है। उसकी सहानुभूति व्यापक है।” नरेन्द्रदेव इस कसौटी पर खरे सोने के समान चमकते हैं। वह सभी दृष्टियों से सच्चे बौद्धिक थे। उन्होंने किसी भी मत को पेशन समझ कर नहीं, वरन् तर्कों की कसौटी पर कसकर एवं सत्य प्रमाणित होने पर ही स्वीकार किया। ऐसा करते हुए भी वह अपने देश की आवश्यकता, उसकी आत्मा की पहचान को बराबर अपने सामने रखते रहे। वस्तुतः वह किसी के अनुयायी नहीं थे, वह नरेन्द्रदेव थे।

वर्गहीन समाज के लिए प्रयास

1917 में मालवीयजी द्वारा उत्तर प्रदेश में (उस समय के संयुक्त प्रांत में) किसान समाज की स्थापना की गई थी। वह प्रांतीय स्तर पर उसके अध्यक्ष भी थे। होमरूल लीग की भी स्थापना हो चुकी थी और नरेन्द्रदेवजी होमरूल लीग की फैजाबाद शाखा के संस्थापक और मंत्री थे। उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रांत था। कानपुर की कुछ मिलों और गोरखपुर में चीनी के कुछ कारखानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सामान्यतः ऐसा कुछ भी नहीं था जो मजदूरों की समस्या को प्रमुखता देता। यहाँ केवल किसानों की ही तादाद ज्यादा नहीं थी बल्कि यहाँ के जमींदार और ताल्लुकेदार भी अन्य प्रांतों के जमींदारों के मुकाबले तादाद में ज्यादा थे। इनमें भी ऐसे जमींदारों और ताल्लुकेदारों की तादाद ज्यादा थी, जो अपनी जमींदारी या रियासतों में न रहकर अपने ऐशो-आराम के लिए नगरों में ही रहना अधिक पसंद करते थे। इनकी जमींदारियों की देखभाल और प्रबंध का प्रायः पूरा-का-पूरा भार इनके कर्मचारियों पर रहता था। वैसे भी वे मनमानी कर सकते थे, पर अपने मालिकों के सदा उपस्थित न रहने पर, और बाहर से बराबर रुपयों की मांग आते रहने पर, इन्हें वह सब भी करने की छूट मिल जाती थी, जो किसी भी दशा में मानवीय नहीं माना जा सकता था। इनका प्रबंध भी बहुत हद तक मालिकों के हित में ही होता था, अतः ज्यादातियों का होना या होते रहना एक आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि ये ज्यादातियाँ कहीं-कहीं रिवाज का भी रूप ले चुकी थी। इनमें कुछ सार्वभौम रूप भी ले रही थीं। बेगार प्रथा इनमें से एक उदाहरण हो सकता है। तत्कालीन संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी ने किसानों की दशा का अध्ययन करने का निश्चय किया और सम्पूर्णानंदजी तथा नरेन्द्रदेवजी को यह कार्य सौंपा गया। फैजाबाद जिले के किसानों के बीच काम करते रहने के कारण इन्हें इसका अच्छा-खासा अनुभव था, फिर भी प्रांतीय कांग्रेस द्वारा संगठित कमेटी के सदस्य की हैसियत से इन्होंने पूरे प्रांत का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। अपने

इन अनुभवों और अध्ययन के बाद नरेन्द्रदेवजी का यह निश्चित मत बन गया था कि समय-समय पर किए जाने वाले कुछ सुधारों से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। नरेन्द्रदेवजी के परिवार की अपनी जमींदारी भी थी और उसकी देखभाल इनके बड़े भाई महेन्द्रदेवजी ही करते थे। पर इनके विचार में यह संस्था अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता खो चुकी थी और इसके उन्मूलन में ही किसानों और जमींदारों की भलाई थी। यही इसका मूल और एकमात्र समाधान था। न केवल किसानों का आर्थिक विकास वरन् जमींदार परिवारों में घर कर गई जड़ता और अवनति से उनका छुटकारा भी इसी में निहित था। अतः नरेन्द्रदेवजी इसी विचार को पुष्ट करते रहते थे कि किसानों को संगठित करके उन्हें राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। बिना किसानों की मुक्ति के समाजवाद की स्थापना में उठायी गया हर कदम प्रतिगामी और छोटा पड़ता जाएगा। आजादी की लड़ाई में उनका सक्रिय सहयोग तो वह आवश्यक मानते ही थे, समाजवादी समाज की स्थापना में भी इसे वह परमावश्यक तत्व मानते थे। किसानों को संगठित करके आजादी की लड़ाई लड़ने में वह अधिक आशावादी इसलिए भी थे कि इससे सामरिक लाभ तो था ही, बल्कि पूरे देश का सहयोग भी मिलता था। अंग्रेजी हुकूमत का हर गांव में पहुंचना और हर गांव के हर घर में पहुंचना मुश्किल हो सकता था पर यदि राजनीतिक चेतना और समाज के आर्थिक ढांचे के प्रति समाजवादी विचारों का प्रसार किसानों में सफलतापूर्वक घर कर जाए तो यह विशाल समुदाय एक विराट पुरुष के समान खड़ा होकर साम्राज्यवाद के राक्षस से अपनी लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ सकता है।

इस काम में वह सहकारिता को अपना माध्यम बनाना चाहते थे। उनके विचार में सहकारिता आंदोलन चलाकर उसके माध्यम से किसानों को जनतंत्र की समझ और सहकारी समाज के आदर्श रूप की परिकल्पना आसानी से दी जा सकती थी। पर नरेन्द्रदेवजी जहां किसानों के हित-रक्षा के इतने बड़े समर्थक थे, वही वह अपने समकालीन नेताओं की उस विचारधारा के विरुद्ध भी थे, जो किसानवाद को प्रोत्साहन देने वाली थी। किसानवाद समाजवादी समाज की स्थापना में बाधक था क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी संकुचित थी। वह तो एक व्यापक बरातल पर उस वर्ग-संघर्ष को जगाना चाहते थे, जिसमें किसान और मजदूर मिलकर इस समाजवादी समाज की स्थापना कर सकें,

जिसका लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना हो। इसलिए वह चाहते थे कि कांग्रेस किसानों और मजदूरों की संस्थाओं को मान्यता देकर उनकी सामूहिक सदस्यता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस में स्थापित कर इस कार्य में सफलता प्राप्त करे। इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए वह 1934 से ही प्रयत्नशील रहे। सन् 1936 में जब वह प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, “जनता के दैनिक जीवन के आर्थिक संघर्ष को साम्राज्य विरोधी संग्राम से सम्बद्ध करने से ही जनता राष्ट्रीय आंदोलन में सजीव भाग लेने को तैयार की जा सकती है।” पर कांग्रेस के माध्यम से इस काम में उन्हें सफलता न मिल सकी। कांग्रेस उनके इन विचारों से मूलतः सहमत नहीं हो सकी, फिर भी कांग्रेस में किसानों का प्रभाव बढ़ता ही गया। इसके पीछे गांधीजी, नेहरूजी तथा कांग्रेस में जो समाजवादी विचारक थे, उनका और कुछ अन्य नेताओं का भी हाथ था।

कांग्रेस में किसानों के प्रभाव के बढ़ने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण था। गांधीजी ने अपने नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को जिस प्रकार चलाया तथा जैसी रणनीतियाँ अपनाईं, उसमें किसान वर्ग ही नहीं बल्कि उन सभी गरीब तबके के लोगो का समावेश हो गया जो गरीबी से तपन होने के कारण शिक्षा-सुविधाओं से वंचित रह गए थे और जिन्हें बौद्धिक और सैद्धांतिक बातों की कोई समझ नहीं थी। भारत में ऐसा अपार जन-समूह था जो मुक्ति की छटपटाहट लिए जी रहा था, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। ऐसे अपढ़ गरीबों को गांधीजी की सादगी, उनकी नैतिकता, उनका धर्माचरण और प्रत्यक्ष अपरिग्रह का व्यवहार बहुत आकृष्ट करता था। नरेन्द्रदेवजी ने गांधीजी के इन सभी गुणों को यथावत और यथासम्भव अपनाकर किसानों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पर भी जोर दिया। वह स्पष्ट देख रहे थे कि बिना शिक्षा और साक्षरता के समाजवादी समाज की स्थापना करना बालू की भीति उठाना मात्र होगा। अशिक्षित और निरक्षर समाज सुदृढ़ नहीं हो सकेगा। वह संकट के समय टिक नहीं सकेगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलनों में जिस प्रकार विभिन्न प्रांतों के गरीब तबके के निरक्षर लोगों ने, जिनमें किसानों का ही बाहुल्य था, आगे बढ़कर इन आंदोलनों को सफल बनाने और जीवतता देने में काम किया, उससे इन नेताओं की आंखें खुल गईं। गांधीजी का करिश्मा तो था, पर नरेन्द्रदेवजी इसे

स्थापित्व देने और इस उत्साह के वातावरण को समाजवादी समाज की स्थापना की ओर सक्रिय रूप से मोड़ देने के लिए चिंतित रहते थे।

नरेन्द्रदेवजी की इस सक्रियता और उनकी दूरदर्शी विचारधारा ने किसानों को संकुचित किसानवाद से उबारकर उन समस्त जनशक्तियों के साथ, जो शोषित वर्ग में आती हैं, किसान आंदोलन में आगे लाकर खड़ा कर दिया। वह 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उन दिनों किसान सभा के मंत्री प्रो० एन० जी० रंगा थे। दोनों ही उग्र राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम के जाने-माने सेनानी बन चुके थे। सामंतशाही का विरोध और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन दोनों का ही प्रधान लक्ष्य बन चुका था। दोनों ही इस बात को मानते थे कि कांग्रेस और किसान संगठनों का सहयोग स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए आवश्यक है। अतः किसान सभा के कार्यक्रम को स्पष्ट करने में नरेन्द्रदेवजी को विशेष कठिनाई नहीं हुई। इस सदर्भ में बिहार के स्वामी सहजानंदजी का भी नाम नहीं मुलाया जा सकता। नरेन्द्रदेवजी ने इस अवसर पर अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी है। वह साम्राज्य विरोधी संघर्ष की अगुआ है, अतः औपनिवेशिक शोषण और आधिपत्य से मुक्ति के लिए किसान संगठनों को कांग्रेस के साथ सहयोग करना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि उसे किसानों और उनके संगठनों को एक राष्ट्रीय आधार देकर और उनका प्रतिनिधित्व प्राप्तकर देश की प्रगति को आगे बढ़ाने की बात सोचनी होगी। किसान सभा के माध्यम से उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और उससे होने वाले अच्छे परिणामों की ओर संकेत किया तथा किसान आंदोलन को एक दूरदृष्टि के साथ ही नैतिक और आर्थिक आधार भी दिया। उनके साथ किसान आंदोलन में बहुत से समाजवादी विचारधारा के नए-पुराने कार्यकर्ता आगे आए और बाद में कुछ ने बहुत ही उपयोगी कार्य भी किया।

भारत में किसान आंदोलन की घुमावदार कहानी बड़ी लम्बी हो जाती है, यद्यपि अचि की दृष्टि से उसे बहुत छोटा होना चाहिए था। कालांतर में उसमें कम्युनिस्ट प्रभाव कैसे पनपा और किस प्रकार कम्युनिस्टों ने उसे भीतर से छिन्न-भिन्न किया, यह सब वृत्तांत यहां अप्रासंगिक है। किन्तु नरेन्द्रदेवजी किसानों से अलग रहकर भारतीय समाजवाद की कल्पना नहीं कर पाते थे,

अत समय-समय पर उन्हें संगठित करने और मजदूरों के साथ मिलाकर राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित करते हुए उन्हें वर्ग-संघर्ष के लिए तैयार करने का उनका प्रमुख कार्यक्रम बराबर ही बना रहा। स्वामी सहजानंद ने 1946 में जिस किसान संघ की स्थापना की थी, वही आगे चलकर किसानों और मजदूरों को साथ ले चलने के उद्देश्य से किसान पंचायत संगठन समिति के नाम से विकसित हुई और डा० राम मनोहर उसके अध्यक्ष हुए थे। सन् 1949 में मार्च के महीने में सोशलिस्ट पार्टी ने जो अपना अधिवेशन पटना में बुलाया और जिस अधिवेशन में यह समिति बनी, उसके पहले ही उत्तर प्रदेश की किसान पंचायत का अधिवेशन नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में कानपुर में हो चुका था और उसमें नरेन्द्रदेवजी ने किसानों को संगठित होकर शोषणविहीन समाज बनाने की सलाह दी थी। सन् 1949 में ही सोशलिस्ट पार्टी और किसान पंचायत के संयुक्त नेतृत्व में किसानों का एक विशाल प्रदर्शन लखनऊ में ही हुआ था। उन दिनों इस पुस्तक का लेखक लखनऊ में ही था और किसानों के उस नारे के विरुद्ध, जिसमें प्रदर्शनकारी कह रहे थे 'किसान जागा, पंत भागा', आचार्यजी का क्षोभ भी देख चुका था। आचार्यजी का संस्कार और शील इस प्रकार के अशोभन नारे बरदाश्त नहीं कर सका और उन्होंने उसे बंद करने का आदेश दिया था। पंतजी उस दिन लखनऊ के बाहर थे। यह जरूरी नहीं था कि वह उस प्रदर्शन से बचने या परिपत्र लेने से बचने के लिए बाहर गए हों। शासकीय कार्य से भी वह बाहर जा सकते थे। जो भी रहा हो, प्रदर्शन के बाद परिपत्र सचिवालय की भित्ति पर चिपका दिया गया था। वस्तुतः यह प्रदर्शन जमींदारी उन्मूलन समिति में, जिसके अध्यक्ष पंतजी थे, प्रस्तावित जमींदारों को दिए जाने वाले मुआवजे के विरुद्ध था। आचार्यजी जमींदारी उन्मूलन कोष की योजना के विरुद्ध थे और उनका विचार था कि जमींदारों को उस हिसाब से कोई मुआवजा न दिया जाए, जिस पर सरकार विचार कर रही थी। वह जोत की अधिकतम सीमा 30 एकड़ और कम-से-कम सीमा साढ़े बारह एकड़ के पक्ष में थे। यह खेद का विषय है कि उन दिनों कांग्रेस के उद्धोषित आश्वासन को पूरा करने के उत्साह में और किसानों को कांग्रेस से अलग कर वर्ग-संघर्ष में मजदूरों के साथ जोड़ने के जोश में इस बात पर किसी भी पक्ष ने ध्यान नहीं दिया कि जमींदारी उन्मूलन की रीति-नीति से और ग्रामवासी को किसान ही मानकर उसे जमीन दिलाने की मांग से देश के पर्यावरण का और उसके मूलाधार 'वनों' का कितना और कितनी तेजी से

विनाश होगा। उस समय इस अहम मसले पर सोचने की किसी को भी फुरसत नहीं थी। किसानों पर होने वाले अत्याचारों की कहानियाँ तो बहुत लिखी गईं। इस सम्बन्ध की कई जाँच रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गईं, पर जमींदारी उन्मूलन विधेयक के चलते जमींदारों को हरे-भरे फलदार बागों का रातों-रात सफाया करने का प्रोत्साहन कैसे मिला, इसकी छानबीन आज तक न हो सकी है। समाजवादी समाज की स्थापना में किसानों को अलगकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इस सत्य की ओर बहुतों का ध्यान गया, पर बढ़ती हुई आबादी के आसार देखते हुए भी और यह जानते हुए भी कि मुगल शासनकाल से ही भारत की कृषि प्रायः जीविकोपार्जन और आहार का सहारा मात्र बन कर रह गई है, इस बात की ओर किसी ने भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया कि भारतीय कृषि भूमि का क्षेत्रफल बिना बढ़ाए उसे उद्योग के रूप में कैसे परिणत किया जाए, ताकि अधिक आबादी के बोझ से दबकर वह मृत-प्रायः न हो जाए और जो किसान नहीं है या हो नहीं सकता, उसके लिए समुचित उद्योगों की व्यवस्था कर उसे कारगर मजदूर बनाया जाए। नरेन्द्रदेवजी गाँवों में सहकारी खेती पर जोर दे रहे थे, चौधरी चरणसिंह इसके घोर विरोधी थे। चूंकि वह शासन में थे, उन्होंने इस सहकारिता का न केवल विरोध किया वरन् उत्तर प्रदेश में किसी भी सहकारी भावना को निर्मूल करने में कारगर रहे। नरेन्द्रदेवजी की उस कल्पना को भी व्यावहारिक सम्बल नहीं मिला, जिसके द्वारा वह खेती की उपज और मिल से उत्पन्न उपभोग्य सामग्री की कीमतों में सदा संतुलन बनाए रखना चाहते थे। इस सम्बन्ध में सम्पूर्णन्दजी की एक बात बहुत याद आती रहती है। वह अक्सर कहा करते थे कि अगर नरेन्द्रदेवजी और कुछ अन्य समाजवादी विचारक सविधान परिषद् में, प्रादेशिक और केन्द्रीय शासन में बने रहते तो इस देश में भी समाजवाद की नींव पड़ जाती, विचारों में स्पष्टता आ जाती और उद्देश्य अधिक जनोपयोगी होते। पर जो नहीं हुआ, उसकी चर्चा अब क्या करनी।

मजदूरों की समस्या पर भी आचार्यजी अपने ढंग से विचार करते थे। वह मात्र ट्रेड यूनियन मनोवृत्ति के पूर्णतः खिलाफ थे। इसके साथ वह मध्यम वर्गीय क्रांतिकारी चिंतकों और कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना चाहते थे। उनके विचार में समाजवाद का संदेश ये चिंतक ही दे सकते हैं और ऐसे ही कार्यकर्ता किसानों और मजदूरों की मनोवृत्ति को परिष्कृत करके उन्हें सदियों से धर

कर गई भाग्यवादिता से बाहर निकाल सकते हैं। सम्पूर्णनिंदजी तो भाग्य शब्द को ही अभारतीय मानते थे और भाग्य पर भरोसा करके काम करने वालों से बड़ी नफरत रखते थे। नरेन्द्रदेवजी भी किसानों-मजदूरों के मस्तिष्क से भाग्यवाद को निकाल फेंकना चाहते थे और चाहते थे कि उनमें अपने पुरुषार्थ, कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो और वे उसके प्रति सचेष्ट हों। वह शोषण के प्रश्न पर जातिवाद को सामने नहीं रखते थे। शोषक और शोषित बस ये दो ही वर्ग हैं। इनमें सभी जातियों के लोग होते हैं। लखनऊ के पंच सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, “कुचला हुआ मजदूर आर्थिक एकाधिकार का दोष जाति की ऊँचाई को देता है। वह यह नहीं देख पाता कि शोषक और शोषित ऊँची और नीची दोनों जातियों में बंटे हैं, किसी में थोड़े हैं, किसी में ज्यादा। देहात का गरीब बिरादरी की परिभाषा में ही सोचता है। हमें देहात की शोषित जनता को समझाना है कि जाति, वंश और सम्प्रदाय के भेदों को मुलाकर शोषक वर्ग के आर्थिक प्रभुत्व के विरुद्ध वे संयुक्त मोर्चा कायम करें।”

“आचार्य नरेन्द्रदेव मजदूरों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक प्रशिक्षण आवश्यक समझते थे। उनकी राय में मजदूरों को मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का तथा समाजवाद के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सक्षयों और मूल्यों का ज्ञान कराया जाए, उन्हें सम्प्रदाय और जात-पात की सकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठाकर देश की समस्याओं पर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनके सांस्कृतिक जीवन को यथासंभव परिष्कृत किया जाए, तथा उनकी सहज नैतिक प्रेरणाओं को जाग्रत और विकसित करने में उन्हें सहायता दी जाए और उन्हें जनतांत्रिक महकारी कार्यपद्धति के अभ्यास की ओर प्रेरित किया जाए।” (मुकुट बिहारी, 261) आचार्यजी के मत में नैतिक तथा आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न वर्ग-संघर्ष का अविच्छिन्न अंग था। उनका विचार था कि समाजवाद की लड़ाई मजदूर वर्ग के नैतिक उत्कर्ष की अपेक्षा रखती है। यदि हम नैतिक आधार पर पूंजीवाद को धूमिल बताते हैं तो हमको नैतिक स्तर पर समाज को एक नई दृष्टि देनी चाहिए। उनका विश्वास था कि सर्वहारा मजदूरों को रोजमर्रा के भोजन की अपेक्षा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की कहीं अधिक जरूरत है। आचार्य नरेन्द्रदेव मजदूर संगठनों में विभाजन के

विरोधी थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब भारत के मिल मजदूर ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित हुए थे, तब इस बात की आशा बंधी थी कि मजदूरों के इस संगठन को मजबूत बनाकर शोषक वर्ग के विरुद्ध मोर्चा कायम किया जा सकता था, पर शीघ्र ही वे दो तीन दलों में विभक्त हो कर स्वार्थ के आधार पर काम करने लगे। नरेन्द्रदेवजी को इस बात का बराबर दुख बना रहा कि अवसरवादी नेताओं ने उनके वर्गों में फूट पैदा कर मजदूरों को गुमराह बना रखा है। नरेन्द्रदेवजी को मजदूरों की क्रांतिकारी शक्ति में भी विश्वास था और वह यह भी मानते थे कि मजदूर संगठन एक महान राजनीतिक ताकत बन सकता है। पर इसके लिए वह यह भी आवश्यक समझते थे कि कांग्रेस द्वारा संचालित साम्राज्य विरोधी संघर्ष में श्रमिक शामिल हों। कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय संघर्ष से मजदूरों को अलग रखने की कम्युनिस्टों की नीति को वह आत्मघाती मानते थे। उनका विश्वास था कि कम्युनिस्टों की नीति पर चलकर मजदूर न तो राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं और न देश का कोई माला कर सकते हैं।

नरेन्द्रदेवजी की कल्पना के जनतांत्रिक समाजवाद में किसानों और मजदूरों का सम्मिलित संगठन नैतिक उत्थान की राह पर चलता हुआ शिक्षित समुदाय बनकर ही राष्ट्रहित और प्रगति का सांभालदार बन सकता था। इसके लिए कठिन परिश्रम, अध्यवसाय, प्रशिक्षण और स्वार्थहीन नेतृत्व पर वह बराबर जोर देते रहे।

शासन से सहयोग

आचार्य नरेन्द्रदेव दृढ़ ब्रती, सिद्धांतों से समझौता न करने वाले आदर्शवादी राजनेता थे। राजनेता के अतिरिक्त शिक्षाशास्त्री, विद्वान, दार्शनिक और भारतीय इतिहास और संस्कृति के मर्म की समझ रखते हुए उसके पोषक और उन्नायक भी थे। ऐसे प्रतिभावान पुरुष उनके समय में कुछेक ही हुए। यह सब होते हुए उनका सार्वदेशिक रूप राजनेता का ही उभरता गया। गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सदा चिरस्मरणीय रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में उतरने पर और बावजूद प्रारम्भ में तिलक और बाद में गांधीजी के नेतृत्व को स्वीकार कर, उनके आदर्शों को अपनाते हुए भी उनकी स्वतंत्र चेतानुद्धि अपनी अलग राह भी बनाती रही। उसी का नतीजा था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बनने पर पहले तो उसमें सक्रिय रहे, बाद में कांग्रेस से अलग होने पर समाजवाद की पुष्टि, उसकी व्याख्या और उसके भारतीय स्वरूप का विश्लेषण तथा पहचान कराने में अग्रणी होने की भूमिका में वह कांग्रेस विरोधी नेता के रूप में देखे गए। कांग्रेस की नीतियों की खामिया उनसे अधिक और कम ही लोग पहचान पाते थे, क्योंकि वह मूलतः कांग्रेस के ही थे। असेम्बली में आकर भी उन्होंने संविधान परिषद में जाना स्वीकार नहीं किया। असेम्बली में जाने के समर्थन पर उनके अपने विचारों का यत्किंचित संकेत अन्यत्र भी हुआ है। यहाँ उसकी पुनः चर्चा इसलिए भी प्रासंगिक हो उठी है कि उससे उनके उस रूप का पता चलता है जो खुला था, उदार था, देश और समाज-हित-साधक था।

ऊपर आचार्यजी के कांग्रेस से सैद्धांतिक मतभेदों का संकेत दिया गया है। यहीं यह भी याद रखना चाहिए कि वह 1936 में ही प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे और जवाहरलालजी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे। अतः प्रांतीय स्तर पर वह कांग्रेस की नीतियों का न केवल संचालन कर रहे थे, बरन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नियमन और निर्धारण

भी कर रहे थे। एक लम्बे अर्धे तक कांग्रेस के उच्चस्थ पदों पर रहते हुए उन्हें कांग्रेस में जो नेतृत्व का अवसर मिला था, उसको देखते हुए यह कहना कि वह कांग्रेस के कार्यों और नीतियों के सदा विरोधी रहे, अनुचित होगा। जिन सिद्धांतों, आदर्शों, और कार्यक्रमों का निर्माण उनके कांग्रेस में रहते हुए हुआ होगा, उनके हटते ही कांग्रेस ने उनका सर्वथा त्याग कर दिया होगा, यह भी ठीक नहीं है। अतः कांग्रेस जब-जब भी सत्ता में आई, उसकी नीति-नीति में आचार्यजी के विचारों और सक्रियता के अवशेष बराबर बने रहे होंगे। आचार्यजी की ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कतिपय नीतियों और कार्यों का विरोध करते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह रोगी का उपचार कर रहे थे और प्रायः रोगी को स्वास्थ्य की दृष्टि से कड़वी दवा देना आवश्यक होता है। आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवाद की व्याख्या और गांधीजी के रामराज्य की परिकल्पना में शायद मौलिक भेद नहीं था। या तो आचार्यजी प्रच्छन्न बौद्ध की भूमिका निभा रहे थे, अन्यथा गांधीजी ही प्रच्छन्न रूप से समाजवाद को जनमानस के संस्कार के साथ-साथ उसमें उतारने की चेष्टा कर रहे थे। एक उपचार देर से असर करने वाला, दीर्घकालिक था, दूसरा तत्काल फल की आशा में शल्यचिकित्सा जैसा आधुनिक और दीखने में वैज्ञानिक-सा था। एक भारतीय भूमि की उर्वरा शक्ति और बुनावट की पहचान के साथ चलने वाला, दूसरा आयातित बीज के भारतीय संस्करण जैसा था। जो भी हों, नरेन्द्रदेव और गांधीजी की बाह्य और आंतरिक बनावट में थोड़ा ही फर्क था। कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा की स्थायी पहचान का एक प्रत्यक्ष रूप उनकी सफेद गांधी टोपी थी जो जीवनपर्यन्त उनके सिर पर सुशोभित होती रही।

इस प्रकार की देशज प्रकृति और सांस्कारिक समता की यह स्वाभाविक निष्पत्ति होनी ही थी कि कांग्रेस-से अलग होने पर भी कांग्रेस सरकारों के उन कामों में, जो देश और समाज के हित में सोचे और चलाए जा रहे हों, कांग्रेस शासन के आग्रह पर नरेन्द्रदेवजी उनमें अपना सक्रिय सहयोग देते। इस बात पर अटकल लगाना बेमानी होगा कि दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर आने पर भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष न बन पाए और यदि बन जाते तो शायद कांग्रेस से अलग न होते। गांधीजी की इच्छानुसार यदि वह स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते तो यह प्रश्न और भी उभरकर सामने आया होता। लेकिन अगर ऐसा होता, तब भी आचार्यजी अपने स्वतंत्र

विचारों से विरत न होते और अगर उनकी राय में कांग्रेस से अलग होकर ही देश और समाज का कल्याण होता दिखाई देता तो देश और समाज के लिए वह कांग्रेस और गांधीजी को उस दशा में छोड़ने में संकोच न करते। यद्यपि ऐसा करके भी उनका स्नेह-सम्बन्ध गांधीजी और कांग्रेस से पूर्ववत् बना रहता। गांधीजी तो उनके आदर्श और मर्यादा पुरुष थे। उनसे इतर व्यक्तियों से भी उनके स्नेह सम्बन्ध सब विरोधों के बावजूद अंत तक बने रहे। जवाहरलालजी और पंतजी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य नरेन्द्रदेवजी की चारित्रिक विशेषता ही ऐसी थी कि सैद्धांतिक विरोधों के होते हुए भी वह वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर अपने मानवीय सम्बन्धों में कोई खरोँच नहीं लगने देते थे। वैसे भी उनका उदार मन पूर्व सम्बन्धों को कुछ छोकर भी बनाए रखने में ही तत्पर रहता था। वास्तविकता तो यहाँ तक थी कि जिनके कारण उनका कुछ अहित भी हुआ हो, उनसे भी वह सद्ब्यवहार बनाए रखते थे और मन में तिक्तता नहीं आने देते थे।

उन्होंने शासन को अपने तमाम सैद्धांतिक विरोधों के बावजूद जितना सहयोग दिया, उसकी समझ ऊपर की बातों से अधिक खुलती है। स्थायी रूप से स्वशासन या कांग्रेसी शासन की स्थिति तो 1946 से बनी, पर एक बार 1936-37 में भी ऐसा अवसर आया था। आचार्यजी कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाने के घोर विरोधी थे, फिर भी उन्होंने जवाहरलालजी को उस चुनाव घोषणा-पत्र के, जो 1936 में बना, बनवाने में मदद की। स्वयं मंत्रिमंडल बनाने से अलग रहे। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का निश्चय किया और गवर्नर ने अपने विशेष उत्तरदायित्व सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करना चाहा तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। यह काम बिहार में भी हुआ। आचार्य नरेन्द्रदेव ने मंत्रिमंडलों के इस काम का जोरदार समर्थन किया। बाद में गवर्नरों के आश्वासन के बाद ये मंत्रिमंडल पुनः बने। कांग्रेस मंत्रिमंडल में न होते हुए भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य की हैसियत से कांग्रेस की समाजवादी नीतियों और जनहित के कार्यों का समर्थन बड़े सशक्त रूप में करते रहे। उनकी एक स्वतंत्र विचारधारा थी जो कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाए जाने के विरोध में थी, पर एक बार बहुमत से मंत्रिमंडल बनाए जाने का निश्चय हो जाने के बाद उनकी अनुशासनप्रियता इतनी अधिक थी कि वह अपने व्यक्तिगत विचारों को दबाकर भी शासन

का समर्थन करते रहे। कांग्रेस से सर्वथा अलग हो जाने के बाद भी सही बातों में, सही कामों में वह इसे अपना सहयोग देते रहे। उनके लिए आदर्श स्थिति यही रही कि वह विरोधी की हैसियत से, विरोध के लिए हर बात का विरोध करना उचित नहीं समझते थे। आदर्शवादिता की स्थिति तो यहाँ तक थी कि जब वह 1948 में कांग्रेस से अलग हुए तो असेम्बली सीट से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस पर उनका चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हुआ था। इसकी पृष्ठि उनके मित्र स्व० सम्पूर्णानंदजी भी अपने एक सस्मरण में करते हैं। यह उद्धरण यहाँ सार्थक होगा। सम्पूर्णानंदजी कहते हैं, “हमारे देश में दुर्भाग्य से अभी यह हालत है कि जहाँ गम्भीर राजनीतिक मतभेद होता है, वहाँ आपस में कटुता आ जाती है। इतना ही नहीं, राजनीतिक मतभेद के कारण लोग ऐसे कामों में भी एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में आनाकानी करते हैं जो नैदानिक दृष्टि से राजनीतिक दलबन्दी से सर्वथा असम्बद्ध हैं। नरेन्द्रदेवजी इन दोनों बातों से परे थे।... दो-दो बार चुनाव लड़े गए, जिनमें कांग्रेस और समाजवादी दल, जो पीछे से प्रजा समाजवादी दल में परिणत हो गया, एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव के अखाड़े में उतरे, परंतु हमारा आपस का सौजन्य ज्यो-का-त्यो बना रहा। हम दोनों की दुर्बलता ही होगी, परंतु यह सत्य है कि न तो एक बार भी नरेन्द्रदेवजी मेरे चुनाव क्षेत्र में बोलने आए और न मैं उनके क्षेत्र में गया। आपस में कोई समझौता नहीं हुआ था। यों ही हम दोनों के चित्त में ऐसी प्रेरणा हुई। हमारे आपस के व्यवहार को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई दीवार है।”

शिमला कांग्रेस के बाद ब्रिटिश शासन के आश्वासनों को ‘अनिश्चित, अपर्याप्त और अमतोषप्रद’ मानते हुए भी कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया और अपने चुनाव घोषणा में पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा बहुत से आर्थिक सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। इस चुनाव में आचार्य नरेन्द्रदेव ने भी भाग लिया। वह अपने प्रांत की संसदीय समिति के सदस्य थे और इस प्रांत के कांग्रेसी उम्मीदवारों के चुनाव में उनका काफी प्रभावशाली योगदान था। कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार उनके प्रांत की विधान सभा में चुने गए, उनमें से अधिकांश उनके ही गूट के थे। वह स्वयं भी फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर क्षेत्र से भारी बहुमत से चुने गए। उनसे मंत्रिपद स्वीकार करने के लिए कहा गया। पर वैधानिकता की ओर कांग्रेस का

झुकाव उन्हें ठीक नहीं लगता था। उन्होंने मंत्रिपद स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उनकी धारणा थी कि देश की आजादी के लिए अभी एक क्रांतिकारी संघर्ष लड़ना बाकी है। फिर भी शासन के कामों में अवसर आने पर सहयोग देते रहे। सन् 1947 में उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री सम्पूर्णानंदजी थे। देश आजाद हो चुका था। हिन्दी का राजभाषा होना सम्भाव्य था। वह देश की सम्पर्क भाषा बनती। अतः निश्चय हुआ कि नागरी लिपि में एकरूपता के साथ-साथ कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जो उसे टाइपराइटर्स और मुद्रण के लिए सुंदर बना दें और सार्वदेशिक स्तर पर वह एक रूप में ही व्यवहृत हो। इस काम के लिए शासन ने—विशेषकर सम्पूर्णानंदजी ने—आचार्यजी से आग्रह किया कि वह इस सम्बन्ध में बनाई जाने वाली समिति के अध्यक्ष हों। आचार्यजी स्वयं हिन्दी को देश की राजभाषा और सम्पर्क भाषा बनने में समर्थ मानते थे और उनका विश्वास था कि हिन्दी ही देश की एकता और राजकाज के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती है। अतः वह इसके अध्यक्ष बने और शासन के इस कार्य में बड़ी लगन के साथ सहयोग किया। प्रस्तुत लेखक को भी उस समिति में सदस्य सचिव की हैसियत से उनके साथ काम करने का अवसर मिला था।

सहयोग की भावना उनमें कितनी थी, इसका एक प्रमाण पुनः सम्पूर्णानंदजी के ही शब्दों में देखना उचित होगा। सम्पूर्णानंदजी लिखते हैं, “1936 से ही मेरा कांग्रेस समाजवादी दल से, जिसको जन्म देने वालों में मेरा भी स्थान था, मतभेद आरम्भ हुआ और वह काफी बढ़ता गया।” पर इस सैद्धांतिक मतभेद का कोई असर इन दोनों महापुरुषों के व्यक्तिगत सम्बंधों पर कभी नहीं पड़ा। सन् 1938 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए दो समितियाँ बनाईं। नरेन्द्रदेवजी माध्यमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने। “13 अप्रैल 1938 को सरकार ने घोषित किया कि ये दोनों समितियाँ एक संयुक्त समिति की उप समितियों की हैसियत से काम करेगी। इस संयुक्त समिति ने प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में संयुक्त प्रात की शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन के सम्बंध में बहुत व्यापक ढंग से जांच करके 13 फरवरी 1939 को रिपोर्ट तैयार की। आचार्य नरेन्द्रदेवजी ने इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष का कार्य किया। मई 1938 को शिक्षा मंत्री सम्पूर्णानंदजी की अध्यक्षता में लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा

विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच के लिए एक दूसरी समिति बनाई गई। आगे चलकर इस समिति को दो उप समितियों में बांट दिया गया। एक समिति के सुपुर्द लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेवजी नियुक्त हुए। शिक्षा मंत्री सम्पूर्णानंदजी की अनुपस्थिति में दोनों उपसमितियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी आचार्यजी को ही सौंपी गई थी। नवम्बर 1939 में विश्व युद्ध में सहयोग के प्रश्न पर कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफा दे देने के बावजूद इन समितियों का काम चलता रहा और आचार्यजी उसमें सलग्न रहे। "दिसम्बर 1940 में कमेटी की रिपोर्ट के पहले दो भागों का मसौदा उसके सदस्यों में वितरित किया गया, पर कमेटी के कई प्रमुख सदस्यों के जेल चले जाने के कारण उन पर कमेटी विचार नहीं कर सकी। जून 1941 में रिपोर्ट का तीसरा भाग भी सदस्यों के पाम भेज दिया गया। 16 जुलाई 1941 को वे सिफारिशें प्रांतीय गजट में प्रकाशित कर दी गईं। सारी रिपोर्ट भी इस नोट के साथ प्रकाशित कर दी गई कि कमेटी ने बाकायदा तौर पर अपनी किसी बैठक में इसे स्वीकार नहीं किया है। कमेटी के अध्यक्ष सम्पूर्णानंदजी ने इस प्रकार मसौदे के प्रकाशित किए जाने पर आपत्ति की तथा 25 नवम्बर 1941 को कमेटी के मंत्री को उसकी बैठक बुलाने को लिखा। पर संयुक्त प्रांत की सरकार ने सूचित किया कि नवम्बर 1940 में ही कमेटी समाप्त कर दी गई थी अतः उसकी बैठक बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

इस प्रकार यह कार्य प्रायः निरर्थक हो गया। सन् 1946 में पुनः कांग्रेस सरकारें बनीं। इस बार पुनः माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक समिति की स्थापना की। सम्पूर्णानंदजी लिखते हैं, "इस काम के लिए नरेन्द्रदेवजी से अच्छा कोई सभापति मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हम दोनों को थोड़ी बहुत कटु आलोचना सहनी पड़ी। परंतु मैंने प्रदेश के हित में ऐसा करना उचित समझा और नरेन्द्रदेवजी ने उदारता और साहस के साथ मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करना प्रदेश के हित में उचित समझा। इस बात की आवश्यकता है कि हम सब जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, राष्ट्रीय निर्माण के कामों में इसी प्रकार अपने दलगत विचारों से ऊपर उठना सीखें। यह जानते हुए कि यदि कोई

अच्छा काम हुआ तो उसका श्रेय बहुत कुछ कांग्रेस सरकार और कांग्रेस दल को प्राप्त होगा, मेरी बात को मान लेना साधारण नैतिक साहस की बात नहीं थी।" जैसा कि इस अध्याय में पहले भी संकेत किया जा चुका है, नरेन्द्रदेवजी के सामने सदा ही राष्ट्र और सकल समाज का हित सर्वोपरि रहा। राष्ट्र और समाज की सेवा और उनका हित साधन जब भी, जैसे भी और जिसको भी सहयोग देकर हो सकता था, नरेन्द्रदेवजी अपनी इस कर्तव्य भावना से कभी भी पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार उन्होंने संस्कृत शिक्षा समिति का भी भार अपने ऊपर लिया, पर उसे अपनी जिन्दगी में समाप्त नहीं कर पाए। नरेन्द्रदेवजी का विश्वास था कि बिना अतीत की पहचान और सम्यक् ज्ञान के भविष्य की सही परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए वह हर भाषा की शिक्षा के साथ संस्कृत की शिक्षा और उसका ज्ञान आवश्यक समझते थे।

प्रदेश के बाहर भी और केन्द्रीय शासन को भी जब कभी सहयोग की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने निःसंकोच दिया। केन्द्रीय सरकार के आग्रह पर वह उस्मानिया विश्वविद्यालय कमेटी के भी अध्यक्ष होने के लिए राजी हो गए थे, पर गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह काम नहीं सौंपा जा सका। पर मौलाना आजाद के आग्रह पर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय का कुलपति बनना स्वीकार कर लिया। उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता ही जा रहा था, पर उस हालत में भी जिस प्रकार उन्होंने काशी विश्वविद्यालय का काम संभाला और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों-दोनों के ही प्रिय हुए, वह आज भी स्पृहणीय बना हुआ है। शासन को सहयोग देते हुए उन्होंने लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को सुशोभित किया। इस सम्बन्ध में प्रो० मुकुट बिहारीलालजी का कथन उद्धरण योग्य है। वह लिखते हैं, "विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी सद्भावना थी उसका छात्रों को भी अहसास था। वह भी आचार्यजी पर मुग्ध थे। उन्हें अपने उपकुलपति के व्यक्तित्व और योग्यता पर गर्व था। इस स्वतंत्रता के युग में शायद ही कोई ऐसा उपकुलपति हो जो विद्यार्थियों को अपनी ओर इतना आकृष्ट कर सका हो कि जितना आचार्यजी। शायद सत्सार के इतिहास में किसी कुलपति को भी विद्यार्थियों का इतना मान और प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, जितना आचार्य नरेन्द्रदेव को उस समय प्राप्त हुआ जब वह लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़कर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय गए थे। एक तरफ लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उन्हें छोड़ने को तैयार

नहीं थे और समाचार सुनकर बहुत व्याकुल और अवीर थे, दूसरी तरफ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उनके स्वागत के लिए बहुत ही उत्सावले थे। काशी आने पर विद्यार्थियों द्वारा उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ, जैसा गांधीजी के अतिरिक्त किसी दूसरे विद्वान या नेता का काशी में कभी नहीं हुआ। वह जब तक काशी में रहे, उनके प्रति विद्यार्थियों की निष्ठा बनी रही। उनकी अनुपस्थिति में भी अनुशासन का पालन करना विद्यार्थी अपना कर्तव्य समझते रहे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जब 1953 में लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनों की व्यवस्था को लेकर काफी विवाद और भगड़ौता हो रहा था, उस समय नरेन्द्रदेवजी लखनऊ में बीमार थे, पर उनकी अनुपस्थिति में भी बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चुप थे। वह कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते थे, जिससे उनके उपकुलपति के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़े।”

नरेन्द्रदेव : बौद्ध धर्म और दर्शन

नरेन्द्रदेवजी को बौद्ध दर्शन ने इतना क्यों आकृष्ट किया ? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि जिस व्यक्ति का बचपन और युवावस्था सनातन धर्म के निष्ठावान परिवेश में बीता हो, जिसके यहाँ प्रायः उसी सम्प्रदाय और वेदात्त आदि के विद्वान आते-जाते रहे हो, जिसने उन्हीं लोगो की शास्त्र-चर्चा और मत-मतांतर को सुना हो, उसके मन में इन्हीं से सम्बद्ध दर्शनों के प्रति आकर्षण न होकर वेद विरोधी दर्शन के प्रति रुचि का जागना और फिर उसका महन अध्ययन और पर्यालोचन करना कुछ आश्चर्यजनक भी लगता है और इससे अधिक इस बात की अपेक्षा करता है कि उसका कारण ढूँढा जाए। इतना कह देना पर्याप्त न होगा कि नरेन्द्रदेवजी को बौद्ध धर्म ने बहुत प्रभावित किया था तथा यह भी पर्याप्त न होगा कि भगवान बुद्ध की नैतिकता ने उन्हें आकृष्ट किया। इस प्रकार के हमारे कई पूर्व पुरुष नैतिक थे। उनकी बौद्ध धर्म और दर्शन में क्यों इतनी उत्कट प्रवृत्ति हुई, इसको समझने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखना होगा और उसके परिप्रेक्ष्य में इनके स्वयं की चारित्रिक विशेषताओं को। इतना ही नहीं, नरेन्द्रदेव के व्यक्तित्व के विकास-क्रम को भी ध्यान में रखना होगा, अन्यथा एक बात शायद होकर रह जाती कि वह बौद्ध हो गए होते, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया होता और तब शायद उनका जीवन ही वह न होता जो कुछ हुआ और जिसका आख्यान लिखा जा रहा है, जो लिखा जाकर भी पर्याप्त नहीं है न हो सकेगा।

भगवान बुद्ध शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे और गोत्र के हिसाब से गौतम थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। उन दिनों, विशेषकर पूर्वी भारत में क्षत्रियों का प्राधान्य था। क्षत्रिय ब्राह्मण पुरोहितों के प्रतिपक्षी थे। वे उनको अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं होते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा का प्रभाव बना हुआ था, ऐसा लगता है।

यही कारण है कि 'पालि निकाय' में क्षत्रियों को वर्णों की गणना में प्रथम स्थान दिया गया है। सिद्धार्थ की शिक्षा-दीक्षा वैसी ही हुई, जैसी कि अन्य राजकुमारों की उन दिनों होती थी। उनके पिता भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे, अतः इन्हे जो भी शिक्षा मिली होगी, वेद तथा तब तक के रचे गए शास्त्र और सिद्धांतों के अनुसार ही मिली होगी। वह सब संक्षेप में कहे तो वैदिक शिक्षा ही रही होगी और उसमें उपनिषदों का ज्ञान अवश्य ही कराया गया होगा। कुशाग्र बुद्धि सिद्धार्थ के लिए यह स्वाभाविक था। उनमें भी जीवन और जगत के रहस्यों को जानने की उत्कंठा प्रबल हुई। मन की जब ऐसी स्थिति हो, तब सांसारिक सुखों से विरक्ति उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही था। पर उससे भी कुछ अधिक हुआ। संसार से उद्वेग इतना तीव्र हो गया कि वह परमार्थ सत्य की खोज में काषाय वस्त्र धारण कर भिक्षु भाव से, अभिनिष्कमित हुए। नरेन्द्रदेवजी लिखते हैं, "उस समय तापसों की विशेष प्रसिद्धि थी। सिद्धार्थ के पिता के यहां काल-देवल आदि तापस आया करते थे। एक तपोवन में उनको मालूम हुआ कि विम्ब प्रकोष्ठ में 'अराउ-कालाम' नामक तापस रहते हैं; जो निःश्रेयस का ज्ञान रखते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा कि जरा-मरण, रोग से जीव कैसे विमुक्त होता है? 'अराउ' ने संक्षेप में अपने शास्त्र के निश्चय को बताया। उन्होंने संसार की उत्पत्ति और विवर्तन को समझाया। तत्वों की शिक्षा देकर उन्होंने नैष्ठिक पद की प्राप्ति का उपाय भी बताया। किन्तु सिद्धार्थ को 'अराउ' की शिक्षा से संतोष नहीं हुआ। विशेष जानने के लिए वह 'उद्रक रामपुत्र' के आश्रम को गए, किन्तु इनके भी दर्शन को सिद्धार्थ ने स्वीकार नहीं किया। इनकी शिक्षा साख्य योग की थी। जब इनसे परितोष न हुआ, तब वह अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) शान्तिवर-पद की गवेषणा में 'उरुवेला' आए और 'नैरंजना' (या नैरन्जना) नदी के तट पर आवास किया। उन्होंने विचार किया कि मुझमें भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा है; मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार करूंगा।"

कैसी सुंदर कथा है। आचार्यजी की लेखनी में पढ़कर थोड़े में ही यह उस पूरे युग का दर्शन कराती है, जिसे उपनिषद काल कहा गया है। उपनिषद की कई कथाओं की पुनरावृत्ति होती दिखाई पड़ रही है। महीदास की कथा का एक रूप इसमें भी प्रकट होता दिखाई पड़ रहा है, जब उसने भी यथामित्त-ध्यानात् से चित्त को एकाग्र किया था और समाधि की ऊँची भूमिकाओं में

प्रवेश किया था। भगवान् भी कृत संकल्प होकर नैरञ्जना के तट पर बैठे थे और समाधि की ऊंची भूमिकाओं में शीघ्र प्रवेश पाया था। पर इससे भी क्या सतोष हुआ था? धर्म अर्थात् यम-जरा-मरण के कारण-कार्य का ज्ञान होना जरूरी था। वह तो नचिकेता ही कर सकते थे। भगवान् ने भी वही किया और साक्षात् धर्म का दर्शन करना ही जरूरी तमभा। “रात्रि के प्रथम याम में उनकी पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ, अंतिम याम में द्वादश प्रतीत्य-समुत्पाद का साक्षात्कार हुआ और अरुणोदय में उनको सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।” यह उनका बुद्धत्व था। उसी दिन से वह बुद्ध कहलाने लगे। सर्वज्ञता का ज्ञान होने पर भगवान् ने कहा “कष्टमय जन्म बार-बार लेना पडा। मैं गृहकारक की खोज में संसार में व्यर्थ भटकता रहा। किंतु गृहशरण! अब मैंने तुम्हें देख लिया। अब तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गईं; गृह शिखर ढह गया। चित्त-निर्वाण का लाभ हुआ; तृष्णा का क्षय देख लिया।” नचिकेता को भी यही साक्षात्कार हुआ था। अस्तु।

भगवान् के एक दूसरे आख्यान का भी वर्णन रोचक होगा। बुद्ध का उपदेश लोक भाषा में होता था क्योंकि उनकी शिक्षा सर्व-साधारण के लिए थी। आचार्यजी कहते हैं कि “बुद्ध के उपदेश उपनिषद् के वाक्यों का स्मरण दिलाते हैं। उनकी शिक्षा की एक बड़ी विशेषता सार्वभौमिकता थी। इसी कारण एक समय बौद्ध धर्म का प्रचार एक बहुत बड़े भू भाग में हो सका। उन्होंने मोक्ष के मार्ग का आविष्कार किया, किंतु वह मार्ग प्राणिमात्र के लिए खुला था। जन्म से कोई बड़ा होता है या छोटा—इसे वह नहीं मानते थे।” वृषल सूत्र (सूतनिपात) में भगवान् कहते हैं :

“जन्म से कोई वृषल नहीं होता; जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से वृषल होता है; कर्म से ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण! इस इतिहास को जानो कि यह विश्रुत है कि चाण्डाल पुत्र (श्वपाक) मातंग ने परम यश को प्राप्त किया। यहां तक कि अनेक क्षत्रिय और ब्राह्मण उसके स्थान पर जाते थे। अंत में वह ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ। ब्रह्म लोक की प्राप्ति में जाति बाधक नहीं हुई।”

‘आश्वलायन सूत्र’ में भगवान् से आश्वलायन ब्राह्मण माणवक ने कहा कि “हे गौतम! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य वर्ण हीन

हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं—आप इस विषय में क्या कहते हैं ?”

भगवान ने उत्तर दिया—“हे आश्वलायन ! क्या तुमने सुना है कि यवन कम्बोज में और अन्य प्रायन्तिक जनपदों में दो वर्ण हैं—आर्य और दास । आर्य से दास होता है, दास से आर्य होता है ।”

“हां मैंने ऐसा सुना है ।”

“हे आश्वलायन ! ब्राह्मणों को क्या बल है, जो वे ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य हीन वर्ण है । क्या मानते हो कि केवल ब्राह्मण ही सावका (पाप) से प्रतिविरत होकर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं; क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं ?”

“नहीं गौतम ।”

“क्या तुम मानते हो कि ब्राह्मण ही मैत्र-चित्त की भावना में समर्थ होते हैं, ब्राह्मण ही नदी में स्नान कर शरीर मल को शालित कर सकते हैं, इस विषय में क्या कहते हो ? यदि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ सहवास करे और उसके पुत्र उत्पन्न हो तो वह पुत्र पिता के भी सादृश है, माता के भी सादृश है । उसे क्षत्रिय भी कहना चाहिए, उसे ब्राह्मण भी कहना चाहिए । हे आश्वलायन, यदि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय कन्या के साथ सहवास करे और उसके पुत्र पैदा हो तो क्या उसे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों न कहेंगे ?”

“हां कहेंगे गौतम ।”

“हे आश्वलायन ! मैं चारों वर्णों को शुद्ध मानता हूँ । जातिवाद ठीक नहीं है ।”

‘सुदरिक-भारद्वाज सूत्र’ में भगवान कहते हैं कि जाति मत पृच्छो, आचरण पृच्छो—(मा जातिं पुच्छ चरणं पुच्छ) । हवन के लिए लाए हुए काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है । नीच और अकुलीन भी धृतिमान और श्रेष्ठ होता है । ‘वसिष्ठपुत्र-सुत्त’ में वसिष्ठ और भारद्वाज दो माणवक भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हम में जातिवाद के सम्बंध में विवाद है । भारद्वाज कहता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है, वसिष्ठ कहता है कि कर्म से होता है । बताइए,

हम में कौन ठीक है ? बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार कीट, पतंग, चतुष्पद, मत्स्य, पक्षी आदि जातियों में जातिमय पृथक-पृथक लिंग होता है, उस प्रकार मनुष्यों में नहीं होता। मनुष्यों में जिस किसी की जीविका गोरक्षा है, वह कृषक है, वह ब्राह्मण नहीं है। जिसकी जीविका व्यवहार है, वह वणिक है। जिसकी जीविका पौरोहित्य है, वह याजक है और जो राष्ट्र का भोग करता है, वह राजा है। किंतु तप, ब्रह्मचर्य, सयम और दम से ब्राह्मण होता है, जटा से, गोश्र से, जन्म ने ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है, वह शुचि है, वह ब्राह्मण है। (धम्मपद-ब्राह्मण वर्ग) हे दुर्मेघ ! तुम्हारी जटा और अजिननारी में क्या होता है ? तुम्हारा आभ्यंतर तो अधकारपूर्ण है और तुम ब्राह्मण का परिमार्जन करते हो।”श्रामणों ने सबके लिए निःश्रेयस का मार्ग खोल दिया।... भगवान की शिक्षा व्यावहारिक थी। वे दुःख के अत्यंत निरोध का उपाय बताते थे।

उपर्युक्त उद्धरण आचार्यजी के ही शब्दों में भगवान बुद्ध की देशना (उपदेश) और उनके कतिपय विचार थे। अब हम आचार्यजी के ही शब्दों में उनके 'जीवन दर्शन' की कुछ बातों का उल्लेख करेंगे।

‘प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने में ध्येय है और स्वयं के लिए अपने दृष्टिकोण से पूर्ण एवं सतोषदायक मार्ग की खोज अवश्य करनी चाहिए।’ भगवान के अंतिम शब्द थे—“सर्व संस्कार अनित्य है। अपने निर्वाण के लिए बिना प्रमाद के यत्नशील हो। तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो, ‘अतदीना विहरथ’। दूसरे का सहारा न ढूंढो।” दोनों का विचार साम्य उनके—आचार्यजी के—अपने निज के चरित्र के आभ्यंतर का दर्शन कराता है। क्योंकि वह स्वयं कहते हैं “केवल ऐसा ही कार्य प्रसन्नता प्रदान कर सकता है, जो उसके स्वभाव के गहरे स्रोतों द्वारा प्रेरित हो।” उनकी यह मान्यता भी उनके किसी गहरे स्रोत से परिलुप्त हो रही थी। वह कोरा उपदेश नहीं कर रहे थे और न उन्होंने किया। वह अपने विचारों को अपने ही कार्यों द्वारा जीवन में उतारते रहते थे तथा किसी के भी विचारों को, चाहे वह भगवान बुद्ध के ही क्यों न हो, बिना अपने मंत्र विचारों की कसौटी पर कपे मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन दर्शन पर लिखते हुए कहा है—“जीवन के पारम्परिक मूल्यों को बिना विवेचन किए स्वीकार नहीं करना चाहिए।” वह सदा ही मूल्यों की स्वीकृति-अस्वीकृति के लिए अपना मापदण्ड रखते थे। समाज को,

व्यक्ति को परिवर्तनशील मानते हुए वह मदा ही चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। उन्होंने लिखा है, “यदि हम चाहते हैं कि जीवन सुखकर हो, कष्ट, पीड़ा एवं सघर्ष, जिनसे आज हम दबे हुए हैं, कम हों तो हमें अपने समय की चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक मूल्यों को नया मापदंड देना होगा। दूसरे व्यक्ति केवल उसकी सहायता और मार्गदर्शन कर सकते हैं किन्तु प्रयत्न उसे स्वयं ही करना होगा। गौतम बुद्ध का भी यही आदर्श था। वह व्यक्ति को सामाजिक एवं तात्कालिक परिस्थितियों तथा वातावरण की उत्पत्ति मानते थे। बुद्ध ने स्वयं अपने से पहले के युगों के मानवीय उद्देश्यों का नया अर्थ लगाया था, उनकी नई परिभाषा की थी और अपने समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार उनका पुनर्मूल्यांकन किया था। आचार्यजी भी इसी प्रकार सोच रहे थे और मान रहे थे कि विभिन्न युगों में इन मानवीय उद्देश्यों के अलग-अलग अर्थ रहे हैं। लगातार उनकी परिभाषा फिर से दी जा रही है और बदलती हुई सामाजिक दशाओं में उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। वह मनुष्य जाति के एकाकार विराट रूप को देखने में सक्षम थे, जैसे भगवान बुद्ध के सम्मुख मनुष्य था, मानव था। वह जातियों में किसी समुदाय विशेष के उत्थान के लिए रत नहीं थे, वरन् समस्त मानव जाति के कल्याण की बात सोच रहे थे। आचार्यजी कहते हैं कि “हम चहुं ओर मानवीय एकता और सहकारिता के प्रयत्नों का संदेश प्रसारित करेंगे। सभी आतीय और राष्ट्रीय बंधनों को समूल नष्ट करना होगा और मानव को अपने गहन सम्बंधों को अनुभव करना होगा, यदि उसे अपने आपको पूर्ण रूप से नष्ट होने से बचाना है।” आगे कहते हैं—“मेरे लिए आज सच्चे जीवन का तात्पर्य सामान्य हित के लिए सामाजिक पुनर्बन्धन के अर्थपूर्ण आंदोलन में सक्रिय भाग लेना है।” भगवान ने भी बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के लिए ही अपने को समर्पित किया था।

अतः जिस व्यक्ति की यह मनोभूमि रही हो और जिसकी यह चारित्रिक विशेषता बनती जा रही हो, उसका भुक्ताव बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए होना न केवल एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में था, वरन् सकल्पपूर्वक उसके अध्ययन से मानवता को एक नया संदेश देना था। वह अपने देशवासियों में से निराशावाद को दूर करना चाहते थे। उन्हें संकीर्ण विचारों से निकालकर जीवन के उद्देश्य और आदर्श का स्पष्ट चित्र उपस्थित करना चाहते थे।

उन्होंने लिखा है कि "हमें उन विचारधाराओं को निष्कासित कर देना चाहिए जो हमें आध्यात्मवादी बनाती हैं अथवा जीवन का घुंघला दृश्य उपस्थित करती हैं। हम भारतवासी इस प्रकार के निराशावादी विचारों पर विश्वास करने के आदी हो गए हैं, जो हमें बताते हैं कि जीवन एक रिक्त स्वप्न है।" ... "इस प्रकार के दर्शन एवं अनुशासन हमारा कुछ भला नहीं कर सकते।" वह परम्परा से आती हुई उस व्यक्तिवादी संस्कृति के विरुद्ध होते जा रहे थे, जिसमें धर्म, शुचिता, नीति, अर्थ, काम, मोक्ष सब व्यक्तिवाद के आधार पर टिक गया था और एक दूसरे के प्रति होड़ की भावना पैर जमा चुकी थी। वह अलगाव और स्वार्थ से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति की एकता और उसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की बात सोचने लगे थे। उन्होंने इस सम्बंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "यदि समाज को जीवित रखना है तो लाभ प्राप्त करने के इच्छुक समाज की घृणित स्वार्थपरता एवं होड़ को त्यागना होगा।" व्यक्ति के महत्व को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः इस सम्बंध में वह कहते हैं कि "ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और उसका अपना कोई जीवन नहीं है, केवल मशीन का वह एक पुर्जा मात्र है। वह मशीन का दास नहीं है, बल्कि मशीन को स्वयं अपनी और समाज की भलाई के लिए विवेक से चला सकता है, बशर्ते कि उसमें सामाजिक जागरूकता हो और उसने अपने वातावरण और उसकी समस्या को सच्चाई से समझ लिया हो और समुदाय के जीवन से अपने को अभिन्न समझ लिया हो।"

वस्तुतः वह अपने विद्यार्थी जीवन में ही उस समय के कुछ जाने-माने अध्यापकों से, जो अपने विषयों के उद्भट विद्वान ही नहीं थे, वरन् विशिष्ट मानवीय व्यक्तित्व के अधिष्ठाता भी थे, प्रभावित हो चुके थे। साथ ही समाज और समाजशास्त्रीय नई उद्भावनाओं और सिद्धांतों से परिचित हो चुके थे। उन्हें भारतीय इतिहास और पुरातत्व में विशेष रुचि उत्पन्न हो चुकी थी और इन विषयों का अध्ययन करते हुए उन्हें पालि, प्राकृत और फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान हुआ। फलतः ऐसे उपकरणों और इस प्रकार की मानसिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का सहारा पाकर वह अंततः बौद्ध धर्म और दर्शन की ओर झुके, जिसमें उन्हें अपने बनते हुए आदर्शों और विचारों को पोषण मिलने की विशेष सम्भावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फलस्वरूप

आचार्यजी ने भारतीय दर्शनों में बौद्ध दर्शन और धर्म को अपने स्वाध्याय और गहन अध्ययन का विषय बनाया और जब भी उन्हें समय मिला बौद्ध धर्म और दर्शन की गहराइयों में उतरते चले गए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'बौद्ध धर्म-दर्शन' की सारी सामग्री अहमदनगर जेल में रहते हुए एकत्र की थी। अपने अध्ययनक्रम के विषय में उनका ही लिखा हुआ दृष्टव्य है। "जब मैं अहमदनगर किले में नजरबंद था, तब मैंने अभिधर्म कोश का फ्रेव से अनुवाद किया था। यह ग्रंथ बड़े महत्व का है। मेरा विचार है कि इसका अध्ययन किए बिना बौद्ध दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं होता। यह वैभाषिकनय के अनुसार सर्वास्तिवाद का प्रधान ग्रंथ है। इस कार्य को समाप्त कर मैंने विज्ञानवाद के अध्ययन के लिए महायान-सूत्रालंकार, विशिका तथा त्रिशिका पर लिखी गई चीनी पर्यटक ह्वेन सांग की 'विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि' का संक्षेप तैयार किया। आचार्य वसुबधु की त्रिशिका पर अनेक टीकाएँ थी, जिनमें से केवल 'स्थिरमति' की टीका उपलब्ध है। ह्वेन सांग की 'विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि' चीनी भाषा में है। यह ग्रंथ किसी संस्कृत ग्रंथ का चीनी अनुवाद नहीं है, किन्तु एक स्वतंत्र ग्रंथ है। त्रिशिका पर जो अनेक टीकाएँ लिखी गई थीं, उनके आधार पर यह ग्रंथ तैयार हुआ था, इसलिए यह ग्रंथ बड़े महत्व का है। इसका फ्रेव अनुवाद पूसे नामक विद्वान ने किया है। इस ग्रंथ का किसी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है। मैंने 'अभिधर्ममत्थ सगहो' (अभिधर्म मत संग्रह) 'विसुद्धिमग्गो' (विशुद्ध मार्ग) उसकी धर्मपाल लिखित टीका 'परमत्थ संजूमा' (परमार्थ सजूषा) का अध्ययन किया। यह सब सामग्री अहमदनगर में ही एकत्र की गई।" पर तब तक आचार्यजी ने स्वयं बौद्ध धर्म तथा दर्शन के किसी विस्तृत ग्रंथ के लिखने की योजना तैयार नहीं की थी, पर इतना अध्ययन, इतना चिन्तन और मनन कब तक भीतर ही बना रहता ! उसे बाहर तो आना ही था। खेद तो यह है कि सबका सब जिस विस्तार से बाहर आना चाहिए था, आज तक नहीं आ सका। उनके 'बौद्ध धर्म-दर्शन' के प्रकाशन के बाद लगता है कि यदि वह जीवित रहने लीं और भी प्रचुर सामग्री हिन्दी-भाषकों को दे जाते।

उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन की विद्वत्ता अनेक कष्टों के बीच अर्जित की। यह उनके जीवन से स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि बड़े तप से उन्होंने इसे पाया था और अपने को इस विषय में अद्वितीय बनाया।

उनकी जिन कारणों से इस विषय की ओर रुचि गई, उसका यत्किंचित सकेत ऊपर दिया जा चुका है। पर इसमें सदेह नहीं कि इतिहास और भारतीय संस्कृति, पुरातत्व व पालि भाषा और व्याकरण के अध्ययन तथा ज्ञान ने उनको इस अनुपलब्ध और अदृश्य (तब तक इस सम्बंध के अध्ययन के लिए अपेक्षित सामग्री का पूर्ण अभाव था) विषय को अगने लिए और दूसरो के लिए भी उपस्थित करने में पूरी मदद दी। बौद्ध दर्शन के उन दिनों तक देश विदेश मर में बहुत थोड़े से विद्वान उसके प्रकाश के लिए, उसको सुलभ कराने प्रयास कर रहे थे। जगन्नाथ उपाध्यायजी के शब्दों में "अध्ययन की इस अपरिचित दिशा की ओर वह अकेले बढ़े थे। फिर भी उन्होंने पूरे त्रिपिटक और अनुपिटक साहित्य का तत्त्वस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्यजी के गम्भीर निबन्ध इसके प्रमाण है कि उन्होंने 'अभिधर्म पिटक' के उन अंशों का गम्भीर अध्ययन किया था, जिसका अध्ययन पूरी सामग्री प्राप्त होने पर भी आज देश में नहीं हो रहा है। स्थविरवाद के समययान (ममाधि) का अध्ययन अपनी दुरुहता के कारण विदेश के बौद्ध मठों में भी अपेक्षित-सा रहा है। आचार्यजी ने इस विषय के मूल ग्रंथों के अनिर्दिष्ट अट्टकथाओं (भाष्या-ध्याख्याओं) तक का सांगोपांग अध्ययन किया और इन विषयों पर गम्भीर निबन्ध लिखे। इसके लिए उन्हें सिंघली और बर्मी ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ी। बौद्धधर्म और दर्शन की दिशा में आचार्यजी की अप्रतिम विशेषता यह थी कि उन्होंने स्थविरवाद और हीनयान के दर्शन और धर्म के दुरुह अध्ययन के साथ-साथ संस्कृत के महायानी दर्शनों का भी मूल ग्रंथों से अध्ययन किया था। सम्भवतः इस उभयजता के आप एक मात्र उदाहरण है। महायानी दर्शनों का अध्ययन उन्होंने मूल संस्कृत से किया था और फ्रेच, अंग्रेजी कृतियों का भी आधार लिया। बौद्ध धर्म और दर्शन की इन समस्त शाखा-प्रशाखाओं का अध्ययन उन्होंने 1933-34 तक पूरा कर लिया था।" अध्ययन को पूरा कर लेने के समय का उल्लेख यहां विशेष रूप से किया गया है क्योंकि इससे उनके आगे के राजनीतिक विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है।

आचार्यजी के सम्बन्ध में बहुत लोगों ने श्रद्धांजलिया दी थी। उनमें और अलग से विचार करते हुए, विशेषकर उनकी समाजवादी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए, यह लिखा गया है कि वह एंगिल्स की तरह यह मानते थे

कि "कुछ नैतिक नियम और आदर्श दीर्घकालीन होते हैं, पर वह यह भी मानते थे कि गतिशील और परिवर्तनशील सस्यार में सामाजिक परिवर्तनों के साथ नैतिक नियमों और सिद्धांतों में भी तबदीली होती रहती है और नैतिक आदर्शों का सामाजिक आदर्शों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्हें एंगिल्स का नैतिक विश्लेषण मूलतः स्वीकार था। उनकी तरह वह भी मानते थे कि सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ नैतिक संहिता भी बदलती है।" नरेन्द्रदेव के समाजवादी विचारों का विश्लेषण करते हुए लोगो ने उन पर मार्क्स, एंगिल्स और रोजालुक्सम्बर्ग तथा टालस्टाय आदि का प्रभाव देखा है और उसकी विस्तार में पड़ताल भी की है। यह सही भी है कि उनके जीवन का उत्तरार्ध समाजवाद-प्रजातांत्रिक समाजवाद—की व्याख्या, उसके भारतीय रूप और उसकी स्थापना के प्रयत्नों में बीता। वह मार्क्स के जीवन दर्शन से प्रभावित हुए देख पड़ते हैं, यह भी सही है। पर इतने से ही उनके विचारों की श्रेष्ठता, पूर्णता, और स्रोतों तथा आधारों का निर्णय पूरा नहीं होता। यह उनके जीवन की एकांगी व्याख्या होगी। उपाध्यायजी ने ठीक ही लिखा है कि "उनके पूर्व जीवन से पर-जीवन का जो सहज एवं समन्वित अंगांगि भाव था, उसे भी देखना होगा।" ऐसा करते ही हमें बड़ी जल्दी यह स्पष्ट हो जाता है कि 1933-34 तक जिस अवधि में उन्होंने अध्ययन के साथ बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन पूरा कर लिया था, उसने उनके जीवन की वह सांस्कृतिक भूमि तैयार कर दी थी, जो एक उदार नैतिकता पर आधारित थी और जिसका परीक्षण 'बौद्ध दर्शन के तेज' में हो चुका था। आचार्यजी जिस संस्कृति से पूर्णतः परिप्लुत थे, उसकी हृदयग्राहिता तथागत की कृपा के अजस्र प्रवाह से अभिमिक्त हो चुकी थी।

यदि उन्होंने पालि भाषा और व्याकरण तथा बौद्ध दर्शन का इतना गहन अध्ययन और मनन न किया होता तो मार्क्सवाद के नैतिक पक्ष की न तो इतनी चमत्कारी व्याख्या की होती और न ही भारत की प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं को नई दृष्टि दी होती। बौद्ध दर्शन में मानव मन को समझने, उसका रहस्य उद्घाटित करने और उसमें होती हुई क्रिया-प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की दृष्टि मिलती है। उसमें व्यक्ति के द्वारा समाज के कल्याण, उसको समय के अनुसार बदलने और समझने की शक्ति मिलती है। वह शास्त्रवाद, वेदवाद और जातिवाद का भी विरोधी दर्शन है। ये सब मिलकर

पुरानी मान्यताओं को नवीन दृष्टि से देखने की शक्ति प्रदान करते हैं और मनुष्य को सदा ही मानवीय और सामाजिक घरातल पर रखते हैं। बहुतों का ऐसा विचार है कि यह दृष्टि उन्हें समाजवाद के अध्ययन से मिली। इसमें वहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले इस बात का स्मरण रखना जरूरी होगा कि उनके विचारों के पीछे बौद्ध दर्शन का ज्ञान कभी न तो घूमिल हुआ और न ही उससे विलग होकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का पर्यालोचन किया। उनके समाजशास्त्रीय विचारों और उनके द्वारा व्याख्यायित प्रजातंत्रात्मक समाजवाद में भी बौद्ध दर्शन के आदर्शों की स्पष्ट पहचान मिलती है। एक बात जो उनके बारे में साक्षिकार कही गई है कि 'बौद्ध दर्शन पर आस्था रखते हुए भी वह अतीश्वरवादी नहीं थे' उनके स्वतंत्र चेतन दार्शनिक होने का अटूट प्रमाण है। बौद्ध दर्शन में बौद्धों के एक आदर्श का उल्लेख करते हुए गोपीनाथ कविराज कहते हैं, "निर्वाण या स्वदुःख निवृत्ति में लीन न होकर निरंतर जीव-सेवा में निरत रहना बोधिसत्व के जीवन का आदर्श है।" आचार्य नरेन्द्रदेव अपने लेख 'मेरा जीवन दर्शन' को समाप्त करते हुए आखिरी वाक्य लिखते हैं—“हमें दो विकल्प में से एक को चुनना है कि हम पूर्ण रूप से मानवता की सेवा करेंगे या केवल अपने संकीर्ण और वर्णात्म हितों की रक्षा करेंगे? मेरे लिए आज सच्चे जीवन का तात्पर्य सामान्य हित के लिए सामाजिक पुनर्गठन के अर्थपूर्ण आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना है।”

उनके ऊपर बौद्ध धर्म दर्शन का कितना प्रभाव था, इसकी एक झलक जगन्नाथ उपाध्यायजी के एक लेख में मिलती है। वे लिखते हैं, “आचार्यजी का जीवन बौद्धों की नैतिक दृष्टि से बड़ा ही प्रभावित था। आर्य शान्ति देव के 'बोधिचर्यावतार' के हृदयशाही पद्य उन्हें बड़े ही प्रिय थे। वे प्रायः अपने मित्रों को इसके पद्य सुनाया करते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जो पद्य उनको बहुत प्रिय थे उनमें शान्ति देव के वे पद्य हैं; जिनका सारांश है कि 'जब समस्त लोक दुःख से आर्त और दीन है, तो मैं ही इस रसहीन मोक्ष को प्राप्त कर क्या करूंगा।' शील का 'करुणा' में विकास, कुशल बुद्धि का 'प्रज्ञा' में विकास और इन दोनों से व्यक्तित्व का निर्माण—बौद्धों की इस जीवन-दृष्टि से आचार्यजी बहुत ही प्रभावित थे। व्यक्तित्व की शून्यता और समाज की सत्ता का बौद्ध सिद्धांत उनके चिन्तन का विषय सदा बना रहा।” आचार्यजी

की मान्यता थी कि “नैतिकता और आध्यात्मिकता की जो तर्क-सम्मत और हृदयग्राही व्याख्या बौद्धों ने की है, उससे व्यक्ति में अंध परम्परा से विमुक्त, सस्कृति के निरीक्षण की शक्ति आती है।” आचार्यजी की नैतिकता इसी सुदृढ दार्शनिक व्याख्या के आधार पर प्रकट हुई। इसी के आलोक में उन्होंने प्राच्य-प्रतीच्य विभिन्न नैतिक व्याख्याओं का पर्यालोचन किया था और उनके मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व चित्र बना था। इस संस्कृति के आधार पर समाजवाद के अध्ययन ने आचार्य नरेन्द्रदेव को समाजवाद की नैतिक व्याख्या करने के लिए बाध्य किया। आचार्यजी की यह सांस्कृतिक प्रतिभा भारतीय समाजवाद में प्रतिफलित हुई। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की, और मार्क्स के समाजवाद की भारतीय दृष्टि से व्याख्या की और मार्क्सवाद तथा भारतीय संस्कृति में केवल “अविरोध ही नहीं, अनिवार्य समन्वय भी स्थापित किया।”

‘बौद्ध धर्म-दर्शन’ उनका इस विषय का स्वतंत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भूमिका में प० गोपीनाथ कविराज कहते हैं कि ऐसा ग्रंथ हिन्दी भाषा में तो क्या, विभी भारतीय भाषा में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी विदेशी भाषा में भी ऐसा ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अद्वितीयता इससे भी स्पष्ट होती है कि उन्होंने इसके लेखन में बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा है और बौद्ध धर्म तथा दर्शन का सही साक्षात्कार कराने के लिए बौद्ध शब्दावली और शैली को भी अपनाया है और उन्हें यथावत् सुरक्षित रखा है। गोपीनाथजी ने लगता है अपने संस्कृत वाङ्मय के सम्पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही यह भी कहना उचित समझा कि “बौद्ध दर्शन के उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों में भी कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं है, जिसके द्वारा बौद्धों की समस्त शाखाओं के सिद्धांत का ज्ञान हो।” यह सत्य जान लेने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि इस ग्रंथ की रूपरेखा का भी थोड़े में परिचय दे दिया जाए। पाँच खंडों और 20 अध्यायों के इस ग्रंथ में स्थविरवाद की साधना, बौद्ध दर्शन की सामान्य मान्यताएँ, बुद्ध का मूल उपदेश-प्रतीत्य समुत्पादवाद, बुद्ध-दर्शन की भाषा और उसका विस्तार, निकाय विस्तार, अनीश्वरवाद, निर्वाण की व्याख्या, विनाशवाद, शून्यवाद का विषय परिचय आदि का विस्तारपूर्वक पर्यालोचन तो है ही, साथ ही आचार्य वसुबन्धु के अभिधर्म कोश का संक्षेप—इसका पूरा अनुवाद अन्यत्र किया है—आर्य असग के ‘महायान सूत्रालंकार’ का भाषानुवाद, ह्वेन सांग की

‘विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि’ पर एक विस्तृत निबन्ध, आचार्य चन्द्र कीर्ति की ‘प्रसन्न पदावृत्ति’ का संक्षिप्त अनुवाद भी इस ग्रंथ में उपलब्ध है। जो आज की दृष्टि से भी और विषय की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के पाचवें खंड में बौद्ध न्याय का विवेचन करते हुए उन्होंने आकाश, दिन और काल पर एक अमूलपूर्व अध्याय जोड़ा है।

इस ग्रंथ के अतिरिक्त भी उनका बौद्ध दर्शन को हिन्दी भाषा में सुलभ कराने में बहुविध योगदान रहा है। उन्होंने कुछ बौद्ध ग्रंथों का अविकल अनुवाद भी किया है। अनुवाद कार्य प्रायः बड़ा तीरस और कष्ट साध्य होता है, पर आचार्यजी की निष्ठा इस धर्म और दर्शन के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें इस कार्य में भी मुख मिला। जैसा कि ऊपर कहा गया, उन्होंने वसुबन्धु के ‘अभिधर्म कोश’, जो सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, का अनुवाद किया। इस ग्रंथ का बौद्ध संसार में बड़ा आदर है, क्योंकि वसुबन्धु ने अपने इस भाष्य के साथ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का भी मत दिया है। यह अनुवाद आचार्यजी के बौद्ध दर्शन की गहरी समझ और पांडित्य का ज्वलत उदाहरण उपस्थित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विज्ञानवाद के महत्वपूर्ण ग्रंथ का भी हिन्दी अनुवाद किया है। इसके हिन्दी अनुवाद से विज्ञानवाद के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने पालि भाषा में लिखे गए अभिधम्मसूत्र सगहो (अभिधर्म मत सग्रह) का भी हिन्दी अनुवाद किया और साथ ही क्षेमेन्द्र के प्राकृत व्याकरण का भी हिन्दी अनुवाद करते हुए अपनी टीका भी उस पर लिखी। पर खेद है कि ये दोनों ही ग्रंथ प्रकाशन के पूर्व ही खो गए। यह अपूरणीय क्षति हिन्दी भाषा आज तक सह रही है और सदा सहती रहेगी, क्योंकि उनके जैसा विद्वान अब शायद ही उत्पन्न हो। उनका एक और आग्रह, इच्छा और उत्कण्ठा थी कि बौद्ध दर्शन पर लिखी फ्रेंच भाषा में उपलब्ध सभी कृतियों का अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। यदि ऐसा हो सका होता तो बौद्ध धर्म-दर्शन का मार्ग बहुत ही प्रशस्त हो गया होता। किन्तु अपनी श्रद्धाजलि में जैसा जगन्नाथ उपाध्यायजी ने लिखा है... “उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में चाहे जितनी बड़ी क्षति हुई हो, किन्तु बौद्ध दर्शन के विषय की निश्चय ही अपूरणीय क्षति हुई।” उनके घनिष्ठ मित्र और सहयोगी सम्पूर्णानंद और उनके जैसे कई और साथियों ने आचार्यजी से कई बार कहा कि “देश को राजनीतिज्ञ बहुत मिल जाएंगे, पर आप जैसा विद्वान नहीं मिलेगा। आप जो कुछ लिख जाएंगे, वह देश के लिए तथा विद्वत् समाज के लिए आपकी अपूर्व देन होगी।”

भारतीय संस्कृति के व्याख्याता

संस्कृति से आमतौर पर किसी देश के निवासियों का आचार-व्यवहार, उनके रहन-सहन का तरीका, उनके पहनावे, उनका खान-पान, रस्म-रिवाज, राग-रंग आदि और इसी प्रकार के अन्य विषयों से अर्थ लिया जाता है। बहुधा यह देखा जाता है कि विशेष अवसरों पर जब कभी किसी प्रकार के नाच-गाने, यहां तक कि साहित्यिक विधाओं में नाटकादि का आयोजन होता है तो उन्हें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की संज्ञा दे दी जाती है। अनुष्ठानिक कृत्य भी संस्कृति में शामिल कर लिए गए हैं। घरों में भित्तियों पर बनने वाले चित्र या अलंकरण संस्कृति में शामिल कर लिए जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि दया-दक्षिणा जैसे धर्माचरण को भी संस्कृति की विशेषता मान ली जाती है। इस प्रकार की सूची बनाने पर यह बहुत लम्बी हो सकती है किन्तु यदि इन सब व्यवहारों, प्रवृत्तियों और रुचियों को ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे विचारों की एक लम्बी सरणि तथा एक दीर्घकालीन परम्परा दिखाई देती है। यह सारे कृत्य न केवल उस देश के निवासियों के विचार पक्ष के संवाहक होते हैं वरन् अपने सातत्य के लिए उन विचारों से पोषित भी होते रहते हैं। यह भी सही है कि उनका उद्भव उस देश की भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। संस्कृति के अंतर्गत आने वाले जिन बाह्य उपादानों की चर्चा ऊपर हुई है, और जैसा कहा गया कि उनमें और बहुत कुछ जोड़ा भी जा सकता है, उस सबको मिलाकर भी, भौगोलिक स्थिति के कारण, सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। कुछ में उसका अपवाद भी होता है। लेकिन जिस एक तत्व से संस्कृति के सभी बाह्य उपादान आवृत्त और अनुप्राणित होते रहते हैं, वह है उस देश के निवासियों की विचार शक्ति और उसकी परम्परा। इस प्रकार के विचार जब समय की कसौटी पर कसे जाते हैं और बहुत कुछ शास्त्रार्थ के बाद जो एक निश्चित रूप लेते हैं तब उनका सामाजिक जीवन से सम्बन्ध कायम होने लगता है। फिर भी जब तक इन विचारों की स्वीकृति समाज से नहीं मिलती,

अर्थात् जब तक समाज उन विचारों के अनुसार आचार-विचार नहीं बदलता, तब तक उन विचारों की अवस्थिति को आधार नहीं मिलता। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि इस प्रकार के विचारों को पल्लवित होने के लिए लोक-भूमि के आधार की आवश्यकता पड़ती है।

इन बातों से इतना और स्पष्ट हुआ कि संस्कृति के इन बाह्य उपादानों के विश्लेषण में संस्कृति के दो स्तर होते हैं। एक को हम लोक संस्कृति कहने लगते हैं और दूसरे पक्ष को किसी एक नाम से विहित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नरेन्द्रदेवजी संस्कृति के इस पक्ष पर विचार करते हुए उसका एक नया और सार्थक पक्ष उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि “जब कोई दार्शनिक मत सुपल्लवित होता है तो उसका जीवन से घनिष्ठ सम्बंध होता है।” जैसा कि ऊपर कहा गया कि इस प्रकार से प्रतिपादित और पल्लवित विचारों के द्वारा विचारकों और जन साधारण के बीच में एक सम्बंध-सेतु बनता है। एक दूसरे के बीच वैचारिक आदान-प्रदान की सरणी-सी बन जाती है। दार्शनिकों के गूढ़तम विचारों की प्रतिच्छाया सरलतम रूप से समाज के आचार-व्यवहार और अनुष्ठानों में, जिन्हें संक्षेप में कहे तो लोकाचारों में मिलती है। आचार्यजी ने इस सम्बंध में एक बहुत बड़ी और सारगर्भित बात कही है। वह कहते हैं कि “जब विचार-सरणी में कोई मौलिक परिवर्तन होता है तो वह कोरे पांडित्य से उत्पादित नहीं होता, किन्तु उसके गम्भीर कारण समाज में निहित होते हैं। इसके उदाहरण में वह बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के अंतर और पार्थक्य को उपस्थित करते हैं और इसका सामाजिक कारणों की ओर संकेत करते हैं। उनकी यह व्याख्या और उनकी यह दृष्टि बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के कारण भले ही बनी हो किन्तु संस्कृति के क्षेत्र में जिस सत्य विशेष को वे उद्भासित कर गए, वह यह कि संस्कारों के अथवा संस्कृति के बनने में जितना महत्व और योग उस देश के दार्शनिक विचारों का होता है, उतना ही बड़ा कारण उस देश के समाज में भी निहित है। समाज को यह प्रतिष्ठा, लोक मत का यह योगदान आचार्यजी की विशेष दृष्टि मानी जानी चाहिए।

संस्कृति शब्द पर विचार करते हुए उन्होंने यद्यपि उसे अंग्रेजी भाषा के ‘कल्चर’ से समीकृत होने पर कोई आपत्ति नहीं की है, फिर भी ऐसा लगता है कि वह भाषा की शक्ति को और उसके प्रभाव को पहचानते रहने के कारण

दोनों को एक दूसरे के साथ समीकृत करने में संकोच करते हैं और उसमें अनर्थ की वैसे ही शका करते हुए जान पड़ते हैं, जैसे धर्म का 'रिलीजन' से समीकृत होने के कारण अनर्थ हुआ है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि उन्होंने इसी संदर्भ में सस्कृति के एक दूसरे पर्याय का उल्लेख किया है, जो प्राचीन आर्य शब्द है और जिसका व्यवहार रवि बाबू ने किया है। यह शब्द 'दृष्टि' है। आचार्यजी मानते हैं कि "संस्कृति शब्द की व्याख्या करना कठिन है। यदि हम शाब्दिक अर्थ ले तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति चित्त भूमि की खेती है। चूंकि कर्म में मन या चित्त की प्रधानता है; अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसका चित्त अच्छा है, उसकी वाणी और उसकी शरीर चेष्टा भी सुसंस्कृत होगी। जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होगी उसी प्रकार का हमारा क्रियाकलाप होगा।" इससे स्पष्ट होता है कि आचरण का कारण वह आचरणकर्ता की दृष्टि में देखते हैं, जो उसे अपने समय या कि पहले से चली आती हुई सुव्यवस्थित और निर्दिष्ट विचार परम्परा से मिलती है। जैसा कि ऊपर कहा गया, ऐसा मानते हुए भी वे लोक को अलग नहीं कर सके। दार्शनिक विचारों की ऊंची भूमिकाओं का विचार करते हुए भी वह लोक चित्त की बात करते रहते हैं। कहते हैं, "प्राचीन काल में एक सुवासित चित्त के लिए इतना ही सम्भव था कि वह व्यक्तिगत रूप से विश्व के अखिल पदार्थों के साथ तादात्म्य स्थापित कर और जीव मात्र के लिए मैत्री और अद्वेष की भावना से वासित हो, किन्तु उसके कार्य करने का क्षेत्र बहुत संकुचित था। अतः कार्य रूप में यह भाव एक छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकता था।" किन्तु संस्कृति एक डबरे का जल नहीं होती, उसे अपने विकास और प्रकाश के लिए एक व्यापक भावभूमि की आवश्यकता पड़ती है। अपनी व्यापकता में ही वह अपना 'संस्कृति' नाम सार्थक करती है। इसको स्पष्ट करने के लिए ही आचार्यजी कहते हैं कि "व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ एक लोक चित्त भी बनता रहता है।" व्यक्ति, व्यक्ति विशेष अर्थात् विचारक, या दार्शनिक की असहाय्यता के निवारण के लिए ही, उसको आगे सोचने के लिए प्रेरणा देने के लिए ही, लोक चित्त बनता है, बनता रहता है।

संस्कृति की व्यापकता और उसका एक रूप होकर समाज में प्रतिलक्षित होने की अवस्था का संकेत करते हुए वह कहते हैं, "मनुष्य सामाजिक है, क्योंकि समाज में रहने से ही उसके गुणों का विकास होता है। अतः समाज में

कई बातों में समानता उत्पन्न होती है। समूहों का विस्तार होता रहता है और एक समय आता है जब राष्ट्रीयता की प्रबल भावना से प्रेरित हो एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोग कुछ बातों में अपनी समानता और एकता का अनुभव करते हैं।" सांस्कृतिक एकता की प्रक्रिया का यह स्पष्टीकरण और यह व्याख्या आचार्यजी की अपनी देन है। इस एक वाक्य में भौगोलिक परिवेश को कार्य-कारण सम्बंध मानते हुए वह भौगोलिक सीमा का जिक्र करते हैं। यह राष्ट्रीय संस्कृति हुई। इस व्याख्या में वह क्षेत्रीय विशिष्टताओं को स्वीकार करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर ही बल देते हुए दिखाई देते हैं। संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलने की आवश्यकता पर शापद जोर देने के लिए ही वह आगे कहते हैं "एकता की भावना देश की सीमा का भी अतिक्रमण करती है और 'एक विश्व' की भावना की ओर अग्रसर होती है। जिन बातों में समानता उत्पन्न होती है, उन्हीं के आधार पर लोक चिन्तन भी बनता है। आज विविध राष्ट्रों का अपना-अपना लोक चिन्तन भी है। क्योंकि आज एक ही प्रकार के अनेक आचार-विचार सारे विश्व में प्रचलित हो रहे हैं, इसलिए कुछ बातों में विविध राष्ट्रों के लोक चिन्तन भी समान होते जाते हैं।" उनके इस कथन में, संस्कृति की उद्भावना में, उसके विकास और प्रसार में, विचार की प्रधानता होती है। यह स्पष्ट किया गया है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले आचार-विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से संस्कृति प्रसार की बात कही गई है और इस बात को स्पष्ट करने की चेष्टा हुई है कि क्षेत्रीय विशिष्टताओं के रहते हुए भी संस्कृति या संस्कृतियाँ निरंतर विकास करती रहती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं, और उनमें एकत्व की स्थापना करती हैं और इस प्रकार क्षेत्रीय सीमाओं से निकलकर एक विश्व और उसमें रहने वाले प्राणियों के कुटुम्ब की कामना को साकार करती रहती हैं।

संस्कृति के सम्बन्ध में विचार करते समय ऐसा लगता है कि आचार्यजी को उसमें ह्रास के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे और उससे उनका चिन्तन दुखी हो रहा था। जब किसी चीज का ह्रास होता है तो बरबस ही ध्यान उसके मूल रूप की ओर जाता है, साथ ही उसका वर्तमान स्वरूप भी सामने बना रहता है। इस मूल रूप और वर्तमान स्वरूप में काल का जो अंतराल है, एक जो लम्बी अवधि बीत चुकी होती है, इसमें संस्कृति के निरंतर बनते हुए रूप में जाने

कितने तत्वों का योगदान हो चुका होता है, किन्तु ह्यास उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा जिसे उसके पूर्व रूप और उसके बाद की रचना-प्रक्रिया का मर्मज्ञान हो। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, मनन ही नहीं, वरन् अर्वाचीन भारतीय इतिहास के साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक विकास की अविच्छिन्न परम्परा को देखने और समझने की उनकी दृष्टि बड़ी उज्ज्वल थी। पश्चात्य दर्शन और संस्कृतियों का अध्ययन भी उनका बड़ा गहन और व्यापक था। इससे उन्हें एक तुलनात्मक दृष्टि मिली हुई थी जिसके कारण उनको संस्कृति के ह्यास का न केवल चिह्न दिखाई पड़ रहा था वरन् उसके कारण को भी वह देख रहे थे। इस सम्बंध में अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए वह कहते हैं, “आज व्यक्तिगत चित्त और लोक चित्त को सुवासित करने की आवश्यकता है। आज के युग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो जीवन के मूल्य और पुण्यार्थ के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन्हीं के अनुकूल चित्त को सुवासित करना चाहिए। एशिया के कुछ देश आज राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना से प्रभावित हो रहे हैं। यही शक्तियाँ उन देशों के आचार-विचार को निश्चित करती हैं और आज उनका कार्य सर्वत्र देखा जाता है।” ऐसा कहकर वह राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र की भावना के पोषण और प्रसार का आह्वान करते हैं। उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि खान-पान, रहन-सहन और भाषा आदि के कारण संस्कृति के बाह्य उपादानों को लेकर किस प्रकार सकुचित भावनाओं को जन्म दिया जा रहा है और उनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन भावनाओं से उन्हीं के देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा था और यही कारण है कि उन्होंने खुलकर कहा, “किन्तु कुछ प्रतिगामी शक्तियाँ पुराने युग की प्रतिनिधि बनकर इन नवीन शक्तियों के विकास की गति को रोकती हैं और हमारे जीवन को अवरुद्ध करती हैं। यह शक्तियाँ युग के धर्म के विरुद्ध खड़ी हुई हैं और जीवन-प्रवाह को अतीत की ओर लौटाना चाहती हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक सोते में बंद करना चाहती हैं और उसी की एक अविच्छिन्न धारा से हमको पृथक् करना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र को उन शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए।”

लोक को अथवा समाज को संस्कृति का आधार मानते हुए वह लोक जीवन को इतना ऊपर उठाना चाहते हैं कि व्यक्तिगत चित्त और लोक चित्त

मे सामंजस्य स्थापित हो जाए। तब लोक चित्त देश के दार्शनिक विचारों से सुवासित हो जाएगा। इस सदर्म में सोचते-विचारते और बातचीत करते समय दार्शनिक विचारों का भी संकुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी भी देश का धर्माचरण उसके दार्शनिक विचारों के कारण ही बनता है और उसी के आधार पर समाज की सुव्यवस्था दृढ़ होती है तथा उसी के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था अपना आकार ग्रहण करती है और राज व्यवस्था के सिद्धांत निश्चित होते हैं। उन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था कायम होती है जो समाज को निरंतर आर्थिक दृढ़ता की ओर अग्रसर करती रहती है। अतः इस व्यापक अर्थ में पूरे देश और समाज को देखने पर समाज को निरंतर सांस्कृतिक उत्थान और एकता की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आचार्यजी विज्ञान की भूमिका को बहुत अहम मानते हैं। वह कहते हैं कि "विज्ञान ने नई शक्तियों को उन्मुक्त किया है। उन्होंने मानव को एक नया स्वप्न दिया है और उसके सम्मुख नए आदर्श, नए प्रतीक और लक्ष्य रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के आलोक में समाज का कलेवर बदल रहा है, अंतर्राष्ट्रीयता के नए साधन और उपकरण प्रस्तुत हो रहे हैं। एक भावना सकल विश्व को व्याप्त करना चाहती है और नए सामंजस्य की ओर ससार बढ़ रहा है। यह शक्तियां सफल होकर रहेंगी क्योंकि यह युग की मांग को पूरा करना चाहती हैं।" पर जब वह अपने देश की अवस्था की ओर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि न तो व्यक्ति की और न लोक चित्त की भारतीय दर्शन में कोई आस्था है, तब उन्हें मार्मिक कष्ट होता है और वह कहते हैं कि "जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन नहीं होता और उसमें तथा जीवन में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता, तब तक दर्शन में हमारी आस्था नहीं होगी।" इसका एक मात्र इलाज विज्ञान की शिक्षा का प्रसार है और यह काम देश में उद्योग व्यवसाय के बढ़ने से ही हो सकता है। यूरोप में दार्शनिक विचारों में जो प्रगति हुई है, उसका इतिहास शृंखलाबद्ध है। हम उन्नति की दिशा को जान सकते हैं। किन्तु हमारे देश ने आधुनिक ज्ञान को प्राचीन ज्ञान से नहीं बाधा है। उनका परस्पर सम्बन्ध भी जानने की चेष्टा नहीं की है। इस विशृंखलता के कारण ज्ञान असम्बद्ध रहता है और उसमें पूर्व और पर का ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान को जीवन से सम्बद्ध करने की भी चेष्टा नहीं है। इन त्रुटियों के कारण किसी कार्य में गम्भीरता नहीं रहती।

संस्कृति के सम्बन्ध में व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि "हमको यह न भूलना चाहिए कि जीवन के साथ-साथ संस्कृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है। इसीलिए संस्कृति भी स्थिर और जड़ नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। हमारे देश में समय-समय पर अनेक जातियाँ बाहर से आईं और यहाँ के समाज में घुल-मिल गईं। वह अपने साथ आचार-विचार लाईं। उन्होंने यहाँ के आचार-विचार स्वीकार किए और अपने कुछ आचार-विचार हमको दिए। सम्पर्क में संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है।" वह संस्कृति को धर्म से समीकृत नहीं करते और न इसे उचित ही मानते हैं। इसे वह अज्ञान और संकीर्णता मानते हैं। इसकी व्याख्या वह इस प्रकार करते हैं - "प्राचीन काल में जब धर्म-मजहब समस्त जीवन को व्याप्त और प्रभावित करता था, तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था। किन्तु (तब भी) धर्म के अतिरिक्त भी अन्य कारण और हेतु सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते थे। किन्तु आज मजहब का प्रभाव बहुत कम हो गया है।" यहाँ वह धर्म शब्द को छोड़ देते हैं। उन्होंने धर्म को मजहब से समीकृत नहीं किया। कोई भी विचारवान व्यक्ति पूंजीवाद या पद्धति को धर्म से अभिहित नहीं करता। धर्म और धर्माचरण का राष्ट्रीयता से विरोध नहीं है। धर्माचरण समाज और देश के उत्थान और समृद्धि के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक उत्थान और विकास के लिए भी आवश्यक है। उनका कहना है कि "हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं। इसका कारण अज्ञान और हमारी संकीर्णता है। हम पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं हैं।" उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए एक जगह लिखा है कि "भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है। यह सम्प्रदाय विशेष का नहीं है।...जिस भारतीय धर्म का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह ऐसा नहीं है। उसका न कोई आदि प्रवर्तक है, और न उसके कोई ऐसे अनुष्ठान या कृत्य विशेष हैं, जिनको हम उसका लक्षण ही बता सकें। उसका कोई एक पवित्र ग्रंथ भी नहीं है, जिसको वह एक मात्र प्रमाण माने। वह दूसरों के पवित्र ग्रंथों को अपना लेता है, यही कारण है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे ब्रह्म के लिए हम नेति-नेति कहते हैं, वैसे ही इसके लिए भी इतना ही कह सकते हैं कि यह अमुक धर्म नहीं है, किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह क्या है। इसका कोई

स्थिर रूप नहीं है। इसमें सदा विकास होता रहता है। यद्यपि हम इसका लक्षण नहीं बता सकते तथापि हम इसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं।”

इस प्रकार वह संस्कृति को धर्म से अलग रखकर जागरूक रहन और उन शक्तियों को पहचानते रहने का आग्रह करते हैं, जिनके प्रभावों से संस्कृति बनती है और सतत् विकासशील होती है। पर साथ ही वह सचेत भी करते हैं कि जहाँ युगधर्म को पहचानकर सामंजस्य और समन्वय की तलाश बनी रहती चाहिए और साहस और सुविवेक से काम लेना चाहिए, वही परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ऐसा ही नहीं सकता। अतीत के वह अंश जो उत्कृष्ट और जीवनप्रद हैं उनकी तीव्र रक्षा करनी ही है, किन्तु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा तथा वह आचार-विचार, जो युग के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक हैं, उनका परिन्याग भी करना होगा तभी भारतीय संस्कृति सतत् प्रवहमान और स्वस्थ रहेगी।

विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जो जानकारी उसकी शरीर रचना के बाह्य प्रभाव से मिलती है, वह बड़ी स्थूल होती है। जिससे मन में कभी आदर, श्रद्धा, विश्वास जैसे भाव भी पैदा होते हैं तो उसी के विपरीत, भय, आशंका, अविश्वास जैसे भाव का भी उदय हो सकता है। किन्तु नरेन्द्रदेवजी के व्यक्तित्व की पहचान उनकी शरीर रचना की दृष्टि से कुछ और ही प्रकार की बनती थी। देखने में हलके-फुलके और हवा से बातें करते हुए-से नरेन्द्र-देव प्रत्यक्षतः उस सरल और चपल बालक का-सा आभास देते थे, जो अपने प्रति स्नेह-बलवित्त आकर्षण पैदा करता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह चपलता उनके शरीर के हलके-फुलके होने के कारण बनी रहती थी। वस्तुतः उनके जीवन के उत्तरार्द्ध का बहुत अधिक भाग तो दमे की बीमारी में ही बीता था। उनकी चपलता तो उनकी कुशाग्र बुद्धि और शरीर के रोम-रोम से निकलती हुई अपूर्व मेघा के विद्युत्कण थे, जो उनके व्यक्तित्व के प्रति विशेष आकर्षण पैदा करते थे, और इसीलिए उनका शरीर उन विद्युत्कणों से भङ्कृत होता हुआ सदा चपल दिखता रहता था। सरलता इसलिए कि जगत के ज्ञान-भंडार में सचित अभूत्य निधि के बड़े-मे-बड़े ढेर, चाहे वे विशालकाय चट्टानों के सदृश गुरु रहे हों, अथवा अपनी जटिलता में गहन वनों के समान अभेद्य रहे हों, सब उनकी मेघा में पच कर जब उनसे बाहर प्रकाश में आते, तब वे सब जल के समान तरल और सरल प्रतीत होते। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि जगत के समस्त ज्ञान को वह आत्मसात् कर चुके थे, पर यह कहना शब्दशः सही होगा कि ज्ञान की जिस भी शाखा की ओर आकृष्ट होकर उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वह उनकी पहुँच में आ गई और उनके द्वारा प्राप्त करने वालों के लिए उस ज्ञान की अभिव्यक्ति अत्यंत सुगम और बोधगम्य बन गई। इस कारण भी उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आया, जिसकी चमक से छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी आकृष्ट होते रहे। उनके

व्यक्तित्व का यह चपल और सरल पक्ष बहुत प्रधान था। इसी कारण उनके निकट जाने में अनपढ़ व्यक्ति को भी भय नहीं लगता था और बड़ा-से-बड़ा विद्वान भी आदर भाव से उनके पास पहुंचता था। उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता उनके समकक्ष किसी विद्वान के मन में न तो ईर्ष्याजन्य दर्प का भाव उत्पन्न करती थी और न ही अनपढ़ व्यक्ति को अज्ञानजन्यहीनता से ग्रसित होने का अवसर देती थी। उनकी यह बड़ी भारी विशेषता थी कि विद्वानों से बातचीत करते समय उनके प्रत्येक वाक्य से बड़े सहज रूप में यह प्रभाव भी उत्पन्न होता रहता था कि इतना ही नहीं है, यदि और कुछ भी जानना चाहोगे तो इससे अधिक भी उपलब्ध है। पर इस आदान-प्रदान की पहली शर्त यह थी कि उनके साथ विचार-विमर्श करते हुए व्यक्ति को अपनी अहमन्यता अलग रखकर सख्यभाव से ही उनके समीप जाना पड़ता था। उनके सम्मुख ताल ठोककर जाने वाले विद्वान को अपनी लगोट ढीली होती हुई प्रतीत होती थी।

इस सम्बंध में एक बड़ी रोचक घटना की याद आती है। लखनऊ के पुराने विधायक निवास में, जिसे उन दिनों 'बोल्ड कौंसिलर्स रेजीडेस' कहा जाता था। रात में बड़े नाटकीय ढंग से महावीर त्यागीजी ने श्री वैकटेश नारायण तिवारी के कमरे में हांफते हुए प्रवेश किया। तिवारीजी ने आश्चर्य से पूछा कि भाई कहां से भागे आ रहे हो? क्या बात हुई? त्यागीजी ने कहा, "पंडितजी क्या कहें, बड़े सकट में फस गया था। एक चक्की के दो भारी-भारी पाटों में फसकर पिस रहा था। निकलने की कहीं से गुंजाइश नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किलों से एक जगह जरा-सी दरार मिली और मैं भाग आया हूँ।" तिवारीजी ने कहा कि बात को जरा साफ समझाइए, पहली बुझाने से काम नहीं चलेगा। आपका संकट क्या है? उन्होंने कहा, "मैं गलती से शाम को उस कमरे में चला गया, जहां सम्पूर्णानंद और नरेन्द्रदेवजी बैठे हुए समाजवाद पर चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा कि दो विद्वानों के बीच में बैठकर मैं इस विषय में कुछ जान पाऊंगा। शुरु में तो उनके वाद-विवाद का कुछ अंश समझ में आया भी, परंतु धीरे-धीरे उनका पूर्व संचित ज्ञान पारिभाषिक शब्दों में तर्कों के सहारे कुछ ऐसा बृहत् होता गया कि मेरी समझ के बिलकुल बाहर हो गया। एक से एक भारी भरकम चट्टानों के सदृश शब्दावली में वे तर्कों के पहाड़ एक-दूसरे पर फेंके जा रहे थे। दोनों योद्धाओं में से कोई भी किसी को कहीं रुकने

का अवसर ही नहीं दे रहा था। ज्ञानवृद्ध नेताओं के बीच से सहमा उठ आना भी उनके प्रति अश्रद्धा का भाव प्रकट करना होता। उनके चर्चा के विषय को गूढतम होता देखकर मैं भीचकका हो रहा था। मेरी स्थिति उस दाने के समान हो गई थी जो चक्की के दो पाटों के बीच पिमता हुआ निकलने की राह न पा रहा हो।" यह सुनकर तिवारीजी बड़े जोर से खिलखिला उठे। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था।

यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति भा उनके सम्मुख आने पर हीनता से ग्रसित नहीं होता था। वह उसकी सुख-दुख की बात वैसे ही सुनते, जैसे कोई सगे-सम्बंधियों की बात सुनता है। बातों का विषय चाहे जो भी हो, कहने वाले व्यक्ति के मन में यह बात कभी नहीं पैदा होती थी कि मैं उनके लिए अप्रासंगिक हूँ, निरर्थक हूँ अथवा उनके काम में व्यवधान बनकर आया हूँ। उनकी यह तीव्र संवेदनशीलता अक्सर उनके लिए बड़े कष्ट का कारण बनती। किन्तु उनके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आई। ऐसी एक घटना श्रीप्रकाशजी ने लिखी भी है, जिसे वह अक्सर सुनाया भी करते थे। घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश विधान मभा के सदस्य के रूप में नरेन्द्रदेव पुराने विधायक निवास में रह रहे थे। उन्हीं दिनों कांग्रेस के किसी काम से श्रीप्रकाशजी लखनऊ आए थे। अक्सर वह उन्हीं के साथ ठहरा करते थे। चूंकि उन दिनों विधायकों के निवास में रहने के लिए केवल एक ही कमरा मिलता था, अतः श्रीप्रकाशजी बरामदे में सोते। प्रातः काल उठकर, सम्भवतः 5 या 6 के बीच वह उनके कमरे में गए तो देखा कि आचार्यजी तकिया के सहारे बैठे हैं और सांस लेने में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। स्पष्ट था कि उन्हें दमे का दौरा पड़ा था। उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि इतने सवेरे, ऐसी हालत में भी एक सज्जन उनके बिस्तर के किनारे बैठे हुए अपने स्वार्थ-साधन में उन्हें साधक बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। वह चाहते थे कि आचार्यजी उनके मामले में हस्तक्षेप करें। उन्हें 'वह' दिला दे जो उन्हें नहीं मिल रहा था या कि मिल सकता था। यद्यपि श्रीप्रकाश ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न उस विषय को ही खोला, परंतु ऐसा लगता है कि वह चुनाव के टिकट सम्बन्धी बात थी। बात जो भी रही हो, लेकिन श्रीप्रकाशजी को यह देखकर बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति को इशारा भी किया कि यह उचित अवसर नहीं है।

लेकिन वह व्यक्ति फिर भी आत्मप्रशंसा में डूबे हुए बार-बार अपनी बात नरेन्द्रदेवजी से दोहराते रहे। सांस के कष्ट से पीड़ित होते हुए भी नरेन्द्रदेवजी उन्हें आश्वासन कर रहे थे कि वह यथाशक्ति उनकी सहायता का प्रयास करेंगे। उनका आश्वासन पाकर भी वह सज्जन वहा से नहीं उठे और फिर से अपनी रामकथा शुरू कर दी। जब श्रीप्रकाशजी से उस व्यक्ति का दुस्साहस भरा आचरण नहीं सहा गया, तब उन्होंने डाटते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप नरेन्द्रदेवजी की अस्वस्थता को देखते हुए भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। यह सुनकर वह सज्जन नरेन्द्रदेवजी की ओर मुड़े और बोले "अच्छा आप स्वस्थ नहीं है?" अब श्रीप्रकाश से नहीं रहा गया और उन्होंने उस व्यक्ति को कमरे से बाहर निकाल दिया। श्रीप्रकाश के ऐसा करने पर और उस व्यक्ति के बाहर चले जाने पर नरेन्द्रदेवजी ने श्रीप्रकाश से बड़ी विनम्रता से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? श्रीप्रकाश आचार्यजी पर भी नाराज हुए और बोले, आपको मेरा कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने उन्हें गले से पकड़कर बाहर नहीं फेंक दिया। नरेन्द्रदेवजी का सारा जीवन ही ऐसे संकटों के बीच स गुजरा था, जिसका सबूत हम सम्पूर्णानंदजी क उस सस्मरण में पाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि "अस्पताल में पड़े रहते थे, मित्रगण जबरदस्ती उनको किसी दूर स्थान में आराम के लिए ले जाते। परंतु वहाँ भी लोग पहुंच जाते और उनसे राजनीतिक प्रश्नों पर राय लेते, घंटों बातें करते तथा लम्बे-लम्बे निबन्ध लिखवाते। बीमारी से पीड़ित होते हुए भी नरेन्द्रदेव का सौजन्य और लोकहित का भाव उनको 'नहीं' करने की अनुमति नहीं देता था। इसके फलस्वरूप वह दुर्बल होते जा रहे थे। उन्हें फिर से दौरा पड़ जाता। कई-कई दिनों तक तड़पते रहते, फिर भी लोग उनका पिंड नहीं छोड़ते थे।"

नरेन्द्रदेवजी ने गांधीजी के बारे में एक वाक्य कहा था—“वह भारत की प्राचीन सस्कृति और वर्तमान युग की शिक्षा की देन थे। यही वाक्य नरेन्द्रदेवजी पर सटीक बँठता था। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन भारतीय सस्कृति और वर्तमान युग की बौद्धिकता का ऐसा समन्वय हुआ था, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व पाश्चात्य विचारों का दोहन करता हुआ भारतीय भूमि पर दृढ़ता से खड़ा था। यह शायद बार-बार दोहराने पर भी अप्रासंगिक नहीं माना जाएगा कि वह एक स्वतंत्र विचारक थे और जिन भी विचारों को

अपनाते, फिर वे चाहे पश्चिम से आ रहे हो अथवा देशज हो, उनको सर्वथा एक नया रूप देते थे, नई व्याख्या देते थे। नरेन्द्रदेवजी के व्यक्तित्व की चमक उनको प्रखर बुद्धि और त्यागमय जीवन के योग से मिली थी। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होने लगा था। बचपन में पढ़ी हुई भगवद् गीता ने उन पर अमिट छाप छोड़ी थी जो अत तक बनी रही। यदि बचपन में उनके संस्कृत के शुद्ध उच्चारण ने महामना मालवीय के मन में उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न किया था, तो समाज से हिंसा के उन्मूलन के लिए, शोषण और विषमता को दूर करने की अनवरत लगन के लिए उनका व्रती मन जन-जन को प्रभावित करता रहा। उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में, जहाँ उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था, वहीं कतिपय अन्य लोगों का भी आभार उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इन लोगों में स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी, तिलक, लाला हरदयाल और उनके कतिपय गुरुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। यह भी कहना जरूरी जान पड़ता है कि उनके व्यक्तित्व की बनावट में बुद्ध और टालस्टाय भी अविच्छिन्न रूप से अनुस्यूत थे। उनके व्यक्तित्व में आमनियंत्रण की शक्ति, शरीर में आत्मा की सत्ता की स्वायत्तता और जीवन में अपरिग्रह का भाव और निष्काम कर्म की प्रवृत्ति गीता के अध्ययन, मनन और कतिपय महापुरुषों के दार्शनिक विचारों और चरित्रों के कारण बनी और विकसित हुई।

जिस प्रकार फूलों से वासित होने पर तेल सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तित्व भी गुणों से वासित होकर सुगंधित हो उठा था। उनके गुणों की सुगंध उनके प्रत्येक आचार-विचार में मिलती थी। मालूम नहीं कि रवीन्द्रनाथ का उन पर कितना प्रभाव पड़ा था, लेकिन उनमें भी अकेले चलने की बड़ी उमंग थी। इसकी स्पष्ट झलक उनके उस संकल्प में मिलती है, जो उन्होंने 30 अप्रैल 1955 को काशी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लिया था। अकेले चलने के दृढ़ निश्चय के सम्बन्ध में उनके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—“एक छोटे समूह द्वारा समूची पार्टी पर कब्जा करने का मैं मूक दर्शक नहीं हो सकता। लोगों ने समझा है कि वृद्ध हैं, जर्जर हैं, चल नहीं सकते, कर ही क्या सकते हैं? अच्छा मौका है। मैं समूचे देश का देशाटन करूंगा, समाजवाद के पवित्र संदेश को भारत भूमि की प्रत्येक भोंपड़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा दम का दौरा और

राजनीतिक दौरा साथ-साथ चलेगा। पार्टी के साथ विद्रोह करने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता।” उनके इन वाक्यों में उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता उभरकर सामने आती है। उनमें अदम्य साहस था, अपने सिद्धांतों पर अटल रहने की शक्ति थी, और आदर्श के लिए मर मिटने की उमंग थी। उनका सारा जीवन अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हुए ही बीता था। वह समाजवाद को नरेन्द्रदेव से बड़ा मानते थे। समाजवाद के प्रति उनकी निष्ठा, मानव मूल्यों और मानवता में दृढ़ विश्वास के कारण बनी थी। वह समाज में श्रम के मूल्य और महत्व को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। थाईलैंड की यात्रा से लौटने पर, किसी प्रसंग में बातचीत करते समय उन्होंने लेखक से कहा था कि जब तक वस्तुओं का मूल्य अधिक और मनुष्य का मूल्य उनसे कम रहेगा, समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। उनके भीतर चिन्तन को प्रवृत्ति अंत तक बनी रही। आमतौर पर एक अवस्था के बाद आदमी के विकास की गति रुक जाती है और सोचने की गति अवरुद्ध हो जाती है, किन्तु नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तित्व इस जडता से सर्वथा अछूता ही रहा। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नई विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए, उन्हें अपने रूप से अपने देशवासियों को देते रहने की चिन्ता करते रहे। अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि तो और भी कई महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी पीढ़ी की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित किया। किन्तु नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तित्व ऐसा था, जो अपने समसामयिक समाज से निरन्तर जुड़ता हुआ आगे की ओर देखता रहा। यही कारण है कि वह अपने बाद की पीढ़ी की आशाओं और आकांक्षाओं को भी स्पष्टतः व्यक्त कर सके। इस दृष्टि से उनको युग पुरुष ही नहीं, बल्कि सनातन पुरुष भी माना जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आचार्यजी विनय और निस्पृहता की प्रतिमूर्ति थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने बहू के ऊपर विजय पाई थी, वह उनके समसामयिक विचारकों के लिए स्पृहा की वस्तु थी। वह इस गुण के कारण ही सकल समाज के व्यक्ति बन गए थे। उनकी बौद्धिकता उन्हें आम आदमी से अलग नहीं कर सकी। उन्होंने सदा ही समाज को अपने से बड़ा माना और इसीलिए समाज के भीतर रहते हुए उसे बराबर उन्नतशील बनाए रखने की कोशिश की। जो समाज जितना उन्नत होता है, उस समाज के व्यक्ति भी उतने ही सुशिक्षित होते हैं। उनके अनुसार, जब तक मानव का बौद्धिक और नैतिक स्तर ऊँचा

नहीं होगा, तब तक सच्चे समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी। उनका विश्वास उन्हीं के शब्दों में देखे — “एक समाजवादी केवल अपने और अपने कुटुम्ब के लिए नहीं जीता है। वह सकल समाज के लिए जीता है। उसका हृदय उदार और विशाल होता है और मानवीय पीड़ा का वह वैसे ही हिसाब रखता है जैसे भूकम्प मापक यंत्र मृदु-से-मृदु कप का।”

उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि वह नैतिक बल को मानव का अनिवार्य गुण बनाना चाहते थे। उनके अनुसार, नैतिक बल बड़े-से-बड़े भय से भी रक्षा करता है। यह नैतिक बल ही राज्यशक्ति के प्राप्त होने पर शासक वर्ग को राजसत्ता के मद से दूर रखता है। वह ऐसा मानते थे कि शक्ति और अधिकार के लिए होड़ लगाने वाले व्यक्तियों द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। किसी भी समाज के सम्मुख ऐसे अवसर आते रहते हैं, जब समाज का एक भाग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। उस समय उसमें किसी आवर्ण या लक्ष्य के लिए जीवन को अर्पण करने की भावना प्रबल हो जाती है। समाज के इतिहास में यही उज्ज्वल युग होते हैं। नरेन्द्रदेवजी के समाजवाद का समाज उन्हीं के शब्दों में देखना उचित होगा। “उस समय समाज का वातावरण एक नवीन उत्साह, नवीन विचार और नवीन कल्पना से ओत-प्रोत होता है। उस समय प्रत्येक को ऊपर उठने का मौका मिलता है। समाज एक ऊँचे स्तर में प्रवेश करता है और नए युग के प्रवर्तक आगे आते हैं। नवयुवा इस वातावरण से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। नए स्वप्न, नई कल्पनाएं उन्हें आकृष्ट करती हैं। नए विचारों की चर्चा हर जगह होती है। ज्ञानोपार्जन की उत्सुकता बढ़ जाती है और प्रत्येक युग अपना साहित्य प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समुद्र में आए ज्वारभाटे से प्रभावित तरंगे इतनी ऊंची उठती हैं, मानो उसकी तरंगे चन्द्रमा को छूने के लिए विकल हो, उसी प्रकार क्रांति के युग में मानव-हृदय में उत्पन्न उद्वेग अपनी संकुचित सीमा का अतिक्रमण कर सकल समाज में व्याप्त होना चाहता है और अगाध समुद्र की तरह असीम होना चाहता है।” इस काव्योचित शब्दावली में समाजवाद की संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्यजी ने अपने उद्गार प्रकट किए थे। उन्हें इस बात का दुःख था कि “आज के युग में शक्ति की पूजा बहुत बढ़ गई है और अधिकार-लोलुपता के कारण शासक वर्ग में परस्पर विद्वेष, वैमनस्य और सघर्ष पाया जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के

सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य भी नष्ट हो गए हैं।” इतना उद्धरण इसलिए भी दिया गया कि उनके व्यक्तित्व में जो आदर्शवादिता और अध्यात्म अत तक बना रहा, वह स्पष्ट हो जाएगा।

बचपन में उनका शरीर काफी स्वस्थ था, किन्तु आगे चलकर उनकी शरीर सम्पत्ति बिगड़ गई। पर इससे उनके कर्तव्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। उनका आचार, उनका व्यवहार, समाज के प्रति उनकी भावना, लोकहित की भावना—यह सब अक्षुण्ण बने रहे। उनके व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के ही कारण लोगों ने उनसे अनुचित लाम भी उठाया। इसके कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। फिर भी उनके व्यक्तित्व में सच्ची लोक हित की भावना सदा प्रस्फुटित होती रहती थी। शायद यही कारण था कि कमी-कमी लोगों की दृष्टि उनकी क्षीण होती हुई शरीर सम्पत्ति की ओर से हट जाती थी और लोग उनके साथ जुड़े रहने में ही अपनी मंगलाशा देखते थे। यह उनका धैर्य था, जो उन्हें कमी भी कटु या तिवत होने नहीं देता था। उदारता उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा उज्ज्वल पक्ष था। यह उदारता कभी-कभी अतिशय बन जाती थी। इसी कारण वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व पर कर्मा विशेष ध्यान नहीं दे सके और अपनी आमदनी का एक बड़ा अंश विद्यार्थियों की सहायता और समाज सेवा में खर्च करते रहे। इसके कारण नरेन्द्रदेवजी को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कहते हैं कि ऐसा ही एक आर्थिक संकट उपस्थित हो जाने पर नरेन्द्रदेवजी को एक बार मुगल काल की राग-रागिनियों की एक सुंदर चित्रावली, जो उनकी पौत्रिक सम्पत्ति थी, बेचनी पड़ी थी। इस घटना से उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी उजागर होता है। इस चित्रावली में एक-सौ चित्र थे, जिनमें विभिन्न रागिनियां चित्रित थीं और प्रत्येक चित्र के नीचे दोहों में रागनी का वर्णन था। चित्रों पर सुनहरा काम था और ये चित्र उस समय भी नए दिखाई देते थे। लका के प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ श्री कुमार स्वामी इस चित्रावली के लिए पच्चीस हजार रुपये देने को तैयार थे, पर आचार्य नरेन्द्रदेव राष्ट्र की इस सम्पत्ति को देश से बाहर भेजना उचित नहीं समझते थे। अतः उन्होंने केवल ढाई हजार रुपये में ही उस चित्रावली को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हाथ बेच दिया। आचार्य नरेन्द्रजी के मित्र डॉ० जयदेव सिंह, जिनके माध्यम से इस चित्रावली की बिक्री हुई, इसकी चर्चा करते हुए रो पड़े थे।

शरीर के रुग्ण होते हुए भी नरेन्द्रदेजी को खाने-पीने का शौक अत तक बना रहा। युवावस्था में तो सब पच जाता है, किन्तु एक स्थिति ऐसी आती है जब शरीर सब कुछ नहीं पचा पाता। नरेन्द्रदेवजी इसका ध्यान नहीं रख पाते थे। उन्हें जवानी के दिनों में मीठा और चटपटा खाना बहुत प्रिय था। रबड़ी, मलाई, कुल्फी, दही की चाट और काफी उन्हें बहुत प्रिय थी। दमे के दौर में भी यदि उन्हें इस बात का पता चल जाता कि घर में अच्छी मलाई बनी है या आई है, उसे माग बैठने थे। फैजाबाद में रहते हुए वह गरीबा नाम के दुकानदार की रबड़ी बहुत पसंद करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ते समय उन्हें पांडेपुर पिसनहरिया की गुलाबजामुन प्रिय हो गई थी। भारत के विभिन्न नगरों में जाने पर वह वहां अच्छी बनने वाली मिठाइयों की जानकारी मांगते थे। मेजबान भी उनके प्रति आदर का भाव रखने के कारण केवल जानकारी देकर ही सतुष्ट नहीं हो जाते थे, बल्कि मिठाइयों को प्रस्तुत भी कर देते थे। इससे उनकी पाचन-क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता था। आदरणीय डॉ० भगवानदासजी के कई बार मना करने पर भी नरेन्द्रदेवजी इस विषय में अपने को सुधार नहीं सके। खाने की उनकी इस तेजी को देखकर, उनके विद्यापीठ के मित्रों ने उनके खाने के ढंग को पजाब मेल कहना शुरू कर दिया था।

नरेन्द्रदेवजी विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके साथियों और समकालीन व्यक्तियों ने भी उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्रो० राजाराम शास्त्री के अनुसार उनके व्यक्तित्व में मानवता और संस्कृति मूर्तिमान हुई थी। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और कर्म का, विद्या और तपस्या का, प्राचीन और नवीन का, प्राच्य और पाश्चात्य का तथा आदर्श और व्यवहार का अपूर्व समन्वय था। प्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्री हीरेन मुखर्जी के अनुसार अपने अद्भुत व्यक्तित्व के कारण वह ससार की उन विभूतियों में थे जिनके नाम से लोक-गाथाएं जुड़ जाती हैं। उनमें वह आत्मबल था जिससे वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनके अतःकरण में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका हृदय निकृष्ट को ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ था। नेहरूजी ने लिखा है कि "उनके समान आत्मबल, बौद्धिक विकास तथा मानसिक ईमानदारी दुर्लभ है।" बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर जो कि उनके विद्यार्थी रह चुके थे, ने लिखा है कि "उनके व्यक्तित्व में

विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, चारित्र्य और स्वार्थ-त्याग का ऐसा मिश्रण है, जिसकी उपमा शायद ही किसी के चरित्र में मिले।" वस्तुतः आचार्य नरेन्द्रदेव नम्रता और सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे : राजनीति में अपने व्यक्तित्व को जिस कमी के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ी थी, वह थी अपने को स्वयं प्रचारित न करने की प्रवृत्ति। उन्हें स्वार्थ की गंध छू तक नहीं सकी थी। उनके सहपाठी प० मोविंद बल्लभ पंत ने उनमें सहृदयता, साधुता और महानता का बेजोड़ मिश्रण पाया था।

ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व से सम्पन्न आचार्यजी अपने व्यक्तिगत जीवन में सदा सांसारिक ऐश्वर्य से दूर रहे। उनके ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व का ऐसा कौन-सा पहलू था जो सदा प्रतिभासित न होता रहा हो। लेखनी थक सकती है पर उनकी विशिष्टता का वखान पूरा नहीं हो सकता। अपने कंधों पर दो युगों का भार एक साथ लिए वह चलते रहे थे। एक वह युग था, जो उन्हें विरासत में मिला था। एक वह था, जिसका वह निर्माण कर रहे थे और विरासत के रूप में इस देश के कल्याणार्थ सदा-सर्वदा के लिए छोड़ जाना चाहते थे। भाषी युग का स्वप्न उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में देखा था। जिसकी स्पष्ट व्याख्या उनसे अधिक कोई कर ही नहीं सका। उनके अपूर्व व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए सम्पूर्णनदजी ने कहा था—“कांग्रेस से अलग होने के बाद भी वह देश के सर्वमान्य, गण्यमान्य नेता रहे। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी दल या किसी भी पार्टी में रहा हो अथवा ऐसा कोई भी शस्त्र जो भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखता हो, ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में उनके प्रति आदर और सम्मान न रहा हो।” इसी संदर्भ में वह आगे कहते हैं, “उनके चरित्र के सम्बंध में इतना ही कहना काफी है कि उनका कोई कट्टर विरोधी मले ही रहा हो, लेकिन कभी भी किसी को उनके चरित्र के ऊपर हर्फ रखने का मौका न मिला।...जिन लोगों को उनसे मिलने का, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि वह पुरानी वजहदारी को किस खूबसूरती के साथ बरतते थे। इन सब बातों के परिणामस्वरूप, उनके किसी से चाहे कितने ही उत्कट राजनीतिक विरोध क्यों न रहे हों, परंतु उनका शत्रु कोई नहीं था। वह अजातशत्रु थे।”

उनके साथी फरीदुल हक अंसारी उनके व्यक्तित्व का बयान करते हुए लिखते हैं, “आचार्य नरेन्द्रदेव एशिया में एक आलिम फूसफी और मुफक्किर

ही नहीं थे, बल्कि बुलंदपाया इंसान थे। एखलाक का मुजस्समा और मशरिकी तहजीब और तमद्दुन के बेहतरीन नमूना थे। इनकी जिन्दगी का हर गोशा तमाम एशिया के लोगों को आमतौर पर और हिन्दुस्तानियों के लिए खासतौर पर काबिले अम्ल मिसाल पेश करता है।...वह अपने जमाने के इर्तकाई मजिल के मिनारा थे। एक अंजुमन थे।” सच तो यही है कि उनके व्यक्तित्व से आम आदमी की उन तकलीफों का दर्द झलकता रहता था, जिसकी दवा के लिए वह सदा बेचैन रहे। इसीलिए वह हिन्दुस्तान में एक नया समाज बनाना चाहते थे। ऐसा नया समाज जिसमें शोषक और शोषित न रहें, हर मेहनतकश अपनी मेहनत और मशक्कत का फायदा उठाए, कोई अनपढ़ न रहे और कोई दवा और इलाज के बगैर बेमौत न मरे।

स्नेह और गरिमामय जीवन

यद्यपि स्नेह और गरिमा दो विरोधी तत्व नहीं हैं, फिर भी इनका मणि-काचन योग बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता है। 'भारत छोड़ो' तथा 'करो या मरो' के ये दो नारे जब गांधीजी ने देश को दिए, उसी दिन उनके समेत बहुत से शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आचार्यजी भी उन्हीं में से एक थे और अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिए गए। आमतौर पर आचार्यजी के व्यक्तित्व से, उनकी शरीर रचना से और उनके गम्भीर पांडित्य से जो प्रभाव लोगों के चित्त पर पड़ता रहा, उससे यह धारणा बना लेना कि वह एक निर्लिप्त स्वभाव के और संन्यासी मन वाले व्यक्ति थे, स्वाभाविक था। वैसे भी उन्हें सांसारिक मायाजाल में फंसा हुआ लोगों ने नहीं पाया। उनके समयस्कों ने, ही सकता है कि उनका यह रूप भी उनके विद्यार्थी जीवन या उसके बाद कुछ दिनों तक देखा हो किन्तु राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्हें ज्यादातर निःसंग ही पाया गया।

अहमदनगर जेल में रहते हुए उन्होंने अपने बड़े लड़के से जो पत्र-व्यवहार किया उससे इन दो पक्षों पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है और उनकी रुचि तथा उनके स्वभाव की कुछ नई पर्तें खुलती हैं। जिन बातों की चर्चा इस अध्याय में की जा रही है, उनका समावेश उनके व्यक्तित्व की समग्रता में हो जाता है, किन्तु इन्हें एक अलग अध्याय में कहना इसलिए उचित जान पड़ा कि ये बातें उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बद्ध हैं और इनका उपाख्यान विस्तार में करने से कुछ रोचक जानकारी मिलती है। फिर कहना पड़ेगा कि बावजूद इसके कि ये बातें उनके व्यक्तित्व का और प्रकर्ष दर्शन कराती हैं इन्हें अलग से लिखना ही समीचीन जान पड़ा। इन पत्रों से जो सूचना मिलती है उनका यद्यपि नरेन्द्रदेवजी से या उनके स्वभाव से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उनसे अहमदनगर कारावास के भीतर के परिवेश की झलकियाँ अवश्य मिलती

हैं और इसके साथ ही आचार्यजी की चरित्रगत विशेषताओं पर भी रोशनी पड़ती है। अपने एक पत्र में उन्होंने अपने लड़के से हिन्दी के कुछ अच्छे उपन्यासों की मांग की, क्योंकि उनके जेल के अन्य साथी वहाँ रहते हुए हिन्दी का अध्ययन कर रहे थे। जाहिर है कि वे अहिन्दी भाषी क्षेत्र के निवासी रहे होंगे अथवा वे रहे होंगे, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई होगी। उस समय हिन्दी के विरोध की भावना किसी के मन में नहीं थी और सभी यह मानते थे कि देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जन सम्पर्क के लिए, और आजादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, हिन्दी से अधिक जुभाख भाषा दूसरी नहीं है। आज जब उसी के विरोध में उन नेताओं के मुकाबले कहीं अधिक छोटे और कम समझ वाले व्यक्तियों को हिन्दी का विरोध करते हुए और अंग्रेजी का पक्षधर बनते हुए देखते हैं तो यही बात समझ में आती है कि राजनीतिक आजादी तो मिली, किन्तु मानसिक स्तर पर हम आज भी अंग्रेजी और गौरी चमड़ी के गुलाम बने हुए हैं।

नरेन्द्रदेवजी के खतों से केवल इतना ही पता नहीं चलता कि उन दिनों चोटी के नेता, खासकर हिन्दी न जानने वाले नेता निष्ठापूर्वक हिन्दी सीख रहे थे या सीखने का प्रयत्न कर रहे थे, वरन भाषा के प्रति उनके मन में सम्मान भी था। वे लोग भाषा को सम्प्रेषण का समर्थ माध्यम बनाना चाहते थे और उसका सही प्रयोग भी करना चाहते थे। नरेन्द्रदेवजी स्वयं संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पाली आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उनका फ्रेंच भाषा पर कितना अधिकार था, इसका भी जिक्र आगे आएगा पर भाषा के प्रति सम्मान और सजगता का भाव कितना गहरा था, इसका भी प्रमाण मिलता है। वह अपने पत्र में अपने बड़े लड़के को लिखते हैं कि वह एक अच्छा हिन्दी का कोश भेज दे। हो सके तो ज्ञान मंडल द्वारा प्रकाशित हिन्दी कोश। वह अंग्रेजी-हिन्दी, संस्कृत-हिन्दी या फ्रेंच-हिन्दी कोश मांगते, तो यह बात समझ में आती कि उन भाषाओं से अनुवाद करते समय संदेह या भटकाव किसे नहीं हो सकता पर जिस व्यक्ति का हिन्दी और संस्कृत पर इतना अधिकार हो, उसे केवल हिन्दी कोश की आवश्यकता कौतुहल पैदा करती है। वह जो भी लिख रहे थे, वह हिन्दी भाषा में ही लिख रहे थे। ऐसी स्थिति में भाषा के प्रयोग का ही प्रश्न था, अर्थ की उतनी आवश्यकता नहीं उठ रही होगी।

ज्ञान मंडल का प्रकाशन हो या अन्य कोई, तब तक हिन्दी में कोई भी अच्छा व्युत्पत्ति परक कोश नहीं बन पाया था तब प्रयोग की बात पीछे रह जाती है। शब्दों का सही अर्थों में ही प्रयोग वह करना चाहते रहे होंगे तभी सम्प्रेषण की शक्ति भाषा में बढ़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस पीढ़ी के लेखक और विद्वान भाषा के प्रति बहुत सजग थे। ऐसा शायद वे सोच भी नहीं पाते थे कि हिन्दी तो मातृभाषा है, जो लिख दिया जाएगा या जो वे बोलेंगे, वह सब या वही सही होगा। इस प्रकार की अहमन्यता उन लोगों में नहीं थी। उनकी यह सतर्कता स्पृहणीय और अनुसरणीय है। ऐसे आचरणों में ही इन महापुरुषों की गरिमा झलकती है।

अहमदनगर से लिखे गए जितने भी पत्र हैं, उन सबमें पिता का स्नेह पुत्र पर तो झलकता ही है, आत्मीयजनों के प्रति भी उनका सरोकार स्पष्ट होता रहता है। अपने बारे में घरवालों को इतनी सूचना तो देते हैं कि “पिछले डेढ़ महीनों से मुझे दमे का दौरा नहीं पड़ा है। गर्भियो से मैं प्रायः इससे मुक्त रहता हूँ।” बस, इसके बाद उन्हें दूसरो की फिक्र सवार हो जाती है। “तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यह प्राथमिक आवश्यकता है। खेलकूद और मनोरंजन में हिस्सा लेते रहना। हमेशा प्रसन्नचित्त रहना। किसी भी विवादपूर्ण विचार को मन में मत आने देना। मेरे बारे में किसी प्रकार से चिन्तित होने का कारण नहीं है।” परिवार के सभी सदस्य इस बात से परिचित थे कि उन्हें स्वाध्याय का व्यसन है। यह भी जानते थे कि वह दमे के मरीज हैं। तब उनका आगे एक दूसरे पत्र में यह लिखना कि “आजकल गर्मी के कारण मैं बहुत पढ़ नहीं रहा हूँ।” अपने परिवार वालों को दूसरे प्रकार से आश्वस्त करने का प्रयत्न था, ताकि वे लोग उनके स्वभाव के कारण स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों से चिन्तित न हों। स्नेह का यह दूसरा तरीका भी कितनी संवेदनशीलता से भरा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही यह भी लिख देते हैं कि “मैंने इन दिनों बहुत पढ़ा है, पर किसी योजना के अनुसार नहीं।” इसका अर्थ यह सम्प्रेषित करना है कि अध्ययन तो नहीं छोड़ सकता, पर गम्भीर अध्ययन जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, नहीं कर रहा हूँ। उसी पत्र में फिर इसके बाद एक और सूचना देते हैं, जिससे उनके भीतर जो उमड़-बुमड़ रहा है उसका पता चल जाए। वह लिखते हैं कि “मैं इन दिनों हिन्दी में बौद्ध दर्शन पर एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहा हूँ। इन दिनों उसी से सम्बद्ध

सामग्री एकत्र करने में जुटा हुआ हूँ। पर यहाँ जेल में इस विषय पर अच्छी पुस्तक लिखने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी पुस्तक लिखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब लेखक को प्राच्य विद्या के बहुत अच्छे पुस्तकालय का सहारा मिला हो। फिर भी मैं सोचता हूँ, इस पुस्तक को लिख ही डालूँ और जो कमियाँ रह जाएंगी, वह बाद में जब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, पूरी कर दूंगा।” इस पत्र से पता चलता है कि उनके मन में बौद्ध दर्शन पर बहुत दिनों से कोई ग्रंथ लिखने का विचार चल रहा था और अंत में अपने नौकर सत्यदेव को आशीर्वाद देते हुए पत्र को समाप्त कर लेते हैं।

इस बीच लगता है बौद्ध धर्म-दर्शन का प्रारूप तैयार हो चला था। जगत की उत्पत्ति और विकास के बारे में बौद्धिक वाङ्मय में उपलब्ध विचारधारा का प्रभाव और विरोध दोनों ही बौद्ध दार्शनिकों के मतो में प्रकट हो रहे थे। ज्ञान-विज्ञान की बहुत-सी बातें विचारों को नया मोड़ दे रही थीं। आचार्यजी सम्भवतः अपने इस प्रस्तावित ग्रंथ में उन सबका संश्लेष करके अपना मत स्थिर करना चाह रहे थे। अपने 14 अक्टूबर 1943 के पत्र में वह अपने बड़े लड़के को लिखते हैं, “क्या तुम कृपा कर डा० अवधेष नारायण सिंह से, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में गणित विभाग के रीडर के पद पर हैं, कहोगे कि वह तुम्हें नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे दें ? प्रश्न इस प्रकार थे—

- (1) हिन्दू खगोल विधि तथा आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का सही समय क्या है ?
- (2) भारतीय वाङ्मय में गणितीय दृष्टि से शून्य का सबसे पहले कब संदर्भ मिलता है ?
- (3) ‘लीलावती’ (गणित सम्बंधी एक महत्वपूर्ण पुस्तक) का रचयिता कौन है और इसका यह नाम क्यों पड़ा ?
- (4) परम्परा से यह माना जाता रहा है कि भास्कराचार्य की लड़की का नाम लीलावती था और पुस्तक का नाम उसी के नाम के आधार पर रखा गया। इस बात की पुष्टि या खंडन जो भी सही हो।
- (5) क्या साहित्य इस प्रकार के अलौकिक नामकरण की सुविधा या समर्थन देता है ?

वह आगे लिखते हैं कि 'तुम उनसे यह भी कह सकते हो कि वह हिन्दू गणित से सम्बद्ध कुछ पुस्तकों, जिन पर इन प्रश्नों पर विचार हुआ हो, सीधे मेरे पास भेज दें ताकि इन प्रश्नों पर या इनसे सम्बद्ध आम विषयों पर प्रकाश पड़ सके।'

स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शन पर लिखते हुए वह भारत के उस समस्त और समग्र बौद्धिक विकास को सामने रखना चाहते थे, जिसके बिना कोई भी विचार-सरणी अघूरी रहती। इन पत्रों से यह भी पता चलता है कि वह कितने सचेत थे अपने कर्तव्य के प्रति और अपने पाठकों के प्रति, जिनको वह विस्तृत व्याख्यापूर्ण और सही ज्ञान उपलब्ध कराना चाहते थे। लेखक और बुद्धि-जीवी को अपने प्रति और अपने पाठकों के प्रति कितना ईमानदार होना चाहिए और उसकी गरिमा किस प्रकार बनाई रखी जाती है, यह स्पष्ट होता है।

किताबों की मांग निरंतर बनी रहती है और निरंतर उनका स्नेह उन सबको मिलता है, जो उनके सगे सम्बंधी भी हैं और मित्र भी हैं। माध्यम केवल उनके बड़े लड़के हैं क्योंकि कारागार के अनुशासन और एतद् सम्बंधी नियमों के अधीन वह केवल उन्हीं सम्बंधियों को पत्र लिखते थे जिनका निर्देश सरकारी सूची में किया गया था। अतः उन्हें अपने बड़े लड़के को ही इन सबका माध्यम बनाना सुलभ जान पड़ा। इसकी चर्चा वह एकाधिक बार करते हैं और अपनी बेबसी का इजहार भी। 19 जून 1944 तक आते-आते लगता है वह अभिधर्म कोश का अनुवाद प्रारम्भ कर चुके थे। अपने इस पत्र में वह अभिधर्म कोश व्याख्या का मूल फ्रेंच भाषा में चाहते हैं और लिखते हैं कि 'मैं इसका अनुवाद अगले चार महीनों में समाप्त कर देना चाहता हूँ। अगर मुझे फ्रेंच भाषा में मूल ग्रंथ मिल जाए तो मैं सीधा फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं तेजी और आसानी के साथ मूल फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद कर सकता हूँ। पर इसी के साथ वह एक अन्य पुस्तक की भी याद दिलाते हैं, जिसे उन्होंने इसके पहले अपने पत्र में मांगा था। वह लिखते हैं कि 'मैंने 'कविता कौमुदी' का प्रथम भाग भी मांगा था, जो अभी तक नहीं मिला है।' 'कविता कौमुदी' बीसवीं शती के दूसरे और तीसरे दशक की बहुचर्चित पुस्तक थी। यह चार भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम तीन भागों

में तब तक की हिन्दी कविताओं का चुना हुआ संकलन था और चौथे भाग में उर्दू कविताओं का। इसका संग्रह, चयन और सम्पादन स्व० रामनरेश त्रिपाठी ने किया था और इनके माध्यम से लाखों व्यक्तियों ने हिन्दी, उर्दू की कविताओं का आस्वाद पाया था। यह दो बातों की ओर स्पष्ट संकेत करता है। एक ओर तो आचार्यजी गम्भीर अध्ययन और दार्शनिक साहित्य का सृजन कर रहे थे, दूसरी ओर स्वयं के मनबहलाव के साथ-साथ शायद अहिन्दी भाषी या हिन्दी न जानने वाले नजरबंद नेताओं को हिन्दी के प्रति प्रेम, आदर और निष्ठा उत्पन्न करने में सचेष्ट थे। आज हम यह काम प्रायः छोड़ चुके हैं। आज उसे सजाने, भाषा की दृष्टि से संवारने, उसे परवान चढ़ाने और उसके सौष्ठव के प्रति लोगों के मन में आकर्षण पैदा करने का काम प्रायः बंद-सा हो गया है। अब तो हर आदमी लिख रहा है और हर आदमी बोल रहा है, पर किसी को इसकी परवाह नहीं—अपवादों को छोड़कर—कि वह कैसी भाषा लिख रहा है और कैसी बोल रहा है। सरकारी दफ्तरों और हिन्दी के प्राध्यापकों की कलम से निकली भाषा कितनी नकली और अपनी प्रकृति से कितनी दूर होती जा रही है, इसकी चिन्ता बहुत कम हो गई है। नरेन्द्रदेवजी हिन्दी भाषा के प्रति सदा सजग और निष्ठावान बने रहे।

इन पत्रों से, जैसा पहले भी लिखा गया, स्नेह और सरोकारों की भूलकियां बराबर मिलती रहती हैं। उन्हें जेल में लगता है कहीं से कोई हिन्दी पुस्तक, जिसका शीर्षक 'हमारा हिन्दुस्तान' था मिल गई होगी। वह उन्हें अच्छी लगी होगी और सम्भवतः उससे हिन्दुस्तान की सही तस्वीर मिलती रही होगी। उन्होंने उसे जेल से अपने लड़के के पास भेजा और उसे पढ़ने का आग्रह किया। वह चाहते तो उसका नाम और प्रकाशक का पता लिख देते और कहते कि उसे भंगाकर पढ़ लो। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बच्चे, कम-से-कम बड़ा लड़का उन पुस्तकों को जरूर पढ़े, जिसे उस उम्र के बच्चों को पढ़ाना वह जरूरी समझते थे। अपने एक पहले पत्र में वह अलेक्जेंडर ड्यूमा, लिन यू तांग और पर्ल बक के उपन्यासों को पढ़ जाने का आग्रह करते पाए जाते हैं और लिखते हैं कि ये पुस्तकें श्रीप्रकाशजी के यहां मिल जाएंगी अन्यथा वह उनका प्रबन्ध कर देगे। इस प्रकार की पुस्तकों के पढ़ने का उत्साह बढ़ाते हुए जहां उनका ध्यान अंग्रेजी की अच्छी जानकारी और पकड़ पर होगा, वहीं वह अपने लड़के और उसके माध्यम से शायद उस

पूरी पीढ़ी को ही भारत की आजादी के बाद का स्वरूप स्पष्ट करना चाहते रहे होंगे। वह इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने का आग्रह करते हुए 'चायना बिल्ड्स फॉर डिमोक्रेसी' और उन्हीं दिनों अखबारों में प्रकाशित उस लेखमाला को पढ़ने के लिए भी कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तमदास और उनके दूसरे सहयोगियों ने प्रकाशित कराया था तथा जिसका शीर्षक था 'प्लैन आफ इकनामिक डेव-लेपमेंट फॉर इंडिया' अर्थात् भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा। वह इसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि लिखते हैं—“तुमने अखबारों में इस लेखमाला को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो प्रयत्न करके पढ़ डालो। यदि तुम्हें न उपलब्ध हो, तो लिखना, मैं यहां से भेज दूंगा। नई पीढ़ी प्रजातंत्र को अपनाए और भारत के आर्थिक विकास की ओर सचेष्ट हो। शायद यह संदेश वह वहां से प्रसारित कर रहे थे। यही युवकों के लिए संदेश था जेल की चारदीवारी के भीतर से, और संकेत था कि भारत अब शीघ्र ही आजाद होकर रहेगा। इसे अनुमान तो कहा जा सकता है पर अन्य पत्रों से भी वह जिन किताबों को पढ़ने का सुझाव देते रहते हैं, उनमें पर्ल बक की 'एशिया एंड डिमोक्रेसी' और स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित 'द फाल आफ पेरिस' और 'रेनबो' जैसी पुस्तकों का नाम आने से इसकी पुष्टि ही होती है।

सन् 1943 की दीपावली नजदीक आ गई थी। उनके घर क्या दीप जलते, पर वह अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सभी आत्मीयजनों को भेजते हुए शिव प्रसादजी का भी हालचाल पूछते हैं। हर पत्र में किसी-न-किसी का समाचार जानना चाहते हैं। एक ही माध्यम से चारों ओर का हाल जानना चाहते हैं, सब तक पहुंचना चाहते हैं। कारण वही एक विवशता, जिसकी वजह से वह सबको पत्र नहीं लिख पाते थे। जिन लोगों का नाम बार-बार उनके पत्रों में आता है, उनमें उनका नौकर सत्यदेव तो रहता ही है, श्रीप्रकाशजी के लड़के यशजी, लक्ष्मी (जो उन दिनों यक्ष्मा से से पीड़ित थी) काके बाबू, डा० साहब (इनके बड़े भाई) श्रीप्रकाशजी, गोपालजी, पत्नी, बहन-भाई और भाभी, मीनेजर साहब, बाबू हरकिशन लाल, विष्णुजी तथा बैजनाथ जरूर होते हैं। सुमंत से भेंट होने पर बनवासी राम भी ऐसे ही बहुतों को याद जिस स्नेह से करते हैं, वैसे ही स्नेह आचार्यजी का भी जान पड़ता है। लक्ष्मी के बारे में तो वह बार-बार पूछते रहते हैं कि वह 'मवाली सेनेटोरियम पहुंच गई कि नहीं। अपने एक मित्र डा० का पता लिखते हैं

और उत्सुक रहते हैं उसके स्वास्थ्य के बारे में, शिवप्रसादजी के स्वास्थ्य के बारे में, डा० साहब के स्वास्थ्य के बारे में। केवल चिन्ता और उत्सुकता नहीं है तो अपने स्वास्थ्य के बारे में। दूसरे चिन्तित न हों, अतः यदा-कदा उन्हें आश्चर्य भी करते रहते हैं। दमा का दौरा तो पड़ेगा, पड़ता भी रहा पर उसकी सूचना तब देते हैं जब वह स्वस्थ हो चले होते हैं। कैसी स्नेह सबल देह यष्टि है इस महापुरुष की, और कैसी गरिमा से भरा हुआ है इस पुरुष का विराट व्यक्तित्व, जो सकल समाज को परिवेष्टित करता हुआ 'स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठिद् दशांगुलम्' से अलग खड़ा हुआ है।

सन् 1943 का वर्ष समाप्ति पर आ रहा था। उस साल के अक्टूबर महीने में लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि अभिघर्म कोष के अनुवाद का कार्य तेजी से चल चुका था। अब उन्हें फ्रेंच मूल से तीसरे और चौथे खंड की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके न मिलने पर उनका काम रुका पड़ा था। उनकी मांग पर तब तक बनारस से पुस्तकें नहीं पहुंच पाई थी और वह व्यग्र हो रहे थे। इन खंडों के अभाव में वह पांचवें खंड का अनुवाद समाप्त कर चुके थे। ऐसा लगता है उन्हें अनुवाद की ऐसी घुन लग चुकी थी कि जो भी खंड पहले मिल जाता था, उसी का अनुवाद पूरा कर डालते थे। इन पुस्तकों के स्रोत श्रीप्रकाशजी मालूम पड़ते हैं। बार-बार उन्हीं से आग्रह करने के लिए लिखते रहे और वह उन्हें कहीं-न-कहीं से प्राप्त कर उन्हें इनके पास भेजते रहे थे। उसी महीने में सात दिन बाद 30 अक्टूबर को वह पुनः अपने लडके को लिखते हैं, "मुझे आशा है तुमने श्रीप्रकाशजी को मेरा संदेश दे दिया होगा कि वह फ्रेंच मूल के तीसरे और चौथे खंड को शीघ्र भेज दें। यदि इस समय ये दोनों खंड उपलब्ध न हो रहे हों, तो पहला और दूसरा खंड ही भेज दें। इन्हीं के साथ यशोमित्र की संस्कृत टीका भी भेजने के लिए कहो।" नवम्बर की बीस तारीख को, जो पत्र उन्होंने लिखा, उसमें वह अपना हार्दिक संतोष और तृप्ति का भाव प्रकट करते हैं। उन्हें इस बीच श्रीप्रकाशजी से फ्रेंच मूल में अभिघर्म कोष के एक से चार खंड एक साथ प्राप्त हो गए और डा० अबधेष नारायण की मार्फत हिन्दू गणित पर सामग्री मिल गई थी। वह लिखते हैं कि इन दोनों को मेरा हार्दिक धन्यवाद देना और कृतज्ञता प्रकट करना; साथ ही यह भी कहना कि इन किताबों को वह एक महीने में ही लौटा देगे। 20 नवम्बर का यह खत जरा लम्बा है। फिर भी उसका भावानु-

वाद देना उचित जान पड़ता है। इसी में वह आगे लिखते हैं, “कृपा कर विश्वनाथजी को (श्री विश्वनाथ शर्मा, काशी विद्यापीठ) लिखो कि मैं एक से तीन खंडों का उपयोग तब तक नहीं कर पाऊंगा, जब तक कि यशोमित्र की संस्कृत टीका का प्रथम भाग नहीं मिल जाता। (यशोमित्र की अभिधर्म कोश पर संस्कृत टीका है) मेरे पास उनकी टीका का दूसरा भाग है जिसमें फ्रेंच मूल के आर्यधर्म कोश के खंड चार से नौ तक की व्याख्या है। इसकी मदद से मैं खंड चार का अनुवाद, जो कि मेरे पास उपलब्ध है, पूरा कर डालूंगा। मैंने उसके सात, आठ और नौवें अध्याय का अनुवाद पूरा कर लिया है। अब मैं पांचवें और छठे अध्याय का अनुवाद तभी पूरा कर सकता हूँ, जब इनके फ्रेंच मूल मिल जाएं।” वह फिर दुहराते हैं कि चौथे खंड के अनुवाद में उन्हें एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन बार-बार के आश्वासनों से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन पुस्तकालयों से ये ग्रंथ उपलब्ध किए जाते रहे होंगे, वे शायद इन्हे देर तक बाहर रहने में संकोच कर रहे थे। वह फिर लिखते हैं कि “अतः उनसे कहो कि वे या तो यशोमित्र की टीका का प्रथम भाग भेज दें या फिर अभिधर्म कोश के फ्रेंच मूल के पांचवें और छठे अध्याय को।” फिर उनकी आतुरता भी बौद्धिकों के लिए स्पष्ट है जब वे लिखते हैं कि “ज्यादा अच्छा हो कि वे सभी को एक साथ भेज दें, यदि सम्भव हो तो।” इसी पत्र में अभिधर्म कोश के अनुवाद के साथ-साथ इस बात का भी संकेत मिलता है कि उन्हें भारत की आजादी का पूरा भरोसा हो चला था और वह स्वतंत्र भारत के संविधान पर भी विचार करते जा रहे थे। उन्होंने इसी पत्र में लिखा था कि “तुम शिवाराव द्वारा सम्पादित ‘माडर्न कांस्टिट्यूशन’ और इस सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रामाणिक ग्रंथों को भी भेजो, जिनसे संघीय शासन प्रणाली के सुचारू संचालन पर प्रकाश पड़ता हो। मुझे ऐसा विश्वास है कि शिवाराव वाली पुस्तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है।” कैसी विडम्बना थी कि वही आचार्य नरेन्द्रदेव जब संविधान परिषद् बनी तो राजनीतिक दबावों या कारणों से मित्रों के आग्रह के बाद भी उसमें न जा सके।

स्वाध्याय लेखन, चिन्तन और मनन की ऐसी सतत् प्रक्रिया बहुत कम देखने को मिलती है। आचार्यजी जेल में बंद हैं। कुछ साथी जरूर हैं, जिनमें जवाहरलालजी, सरदार पटेल और कृपालानीजी सरीखे लोग भी हैं, मौलाना

अब्दुल कलाम आजाद और कुछ दूसरे लोग भी रहे ही होंगे। मिलने-जुलने की सुविधानुसार आपस में भेंट भी होती रही होगी, पर उसकी झांकी इनके पत्रों से नहीं मिलती। किसी एक भी साथी का नाम, यहां तक कि महात्माजी का भी नामोल्लेख नहीं हुआ है। सम्भव है इस प्रकार के समाचार भेजने पर मनाही भी रही हो, क्योंकि इनके द्वारा भेजे जाने और इन्हें प्राप्त होने वाले सभी पत्र बम्बई सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेंट के मार्फत ही आते-जाते थे। पर इतना तो पता चलता ही है कि जो लोग भी थे और जिन लोगों से आपस में बातचीत होती रहती थी, उन सभी को स्वाध्याय में भी रुचि थी और देश की भविष्यता के प्रति चिन्ता भी थी। आचार्यजी ने तो अपना ध्येय निश्चित कर लिया था और शायद सकल्प भी कि बाहर निकलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म-दर्शन पर पुस्तक तैयार कर लेंगे। जिस तेजी से बाहर से आने वाली पुस्तकों को पढ़ रहे थे और उन्हें वापस कर रहे थे, उसकी भी भूलक मिलती है। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी शायद इतनी मुस्ती न दिखाते हों। डा० थामस की लिखी पुस्तक 'लाइफ आफ बुद्ध' उन्होंने पढ़ने के लिए मंगाई थी। वह उन्हें मिल गई। 20 नवम्बर 1943 के पत्र में तो वह केवल इस खुशी का इजहार करते हैं और लिखते हैं कि "मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें डा० थामस की पुस्तक मिल गई।" साफ जाहिर है कि 20 नवम्बर तक उन्हें वह पुस्तक नहीं मिली थी। केवल इस बात की सूचना मिली थी कि पुस्तक उनके लड़के को मिल गई थी। उसे बम्बई सरकार के मार्फत प्राप्त होने में दस दिन तो लगे होंगे। उनके 21 दिसम्बर के खत से तो ऐसा अंदाजा लगता है कि वह पुस्तक उन्हें उसी दिन या उसके एक दो दिन पहले मिली होगी। इसकीस दिसम्बर को वह अपने बेटों को लिखते हैं, "तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र मिला। डा० थामस की 'लाइफ आफ बुद्ध' मिल गई। अगले सप्ताह ही इसे लौटा दूंगा।" इसी से यह भी पता चलता है कि उन्होंने फ्रेंच मूल के अभिधर्म कोश के चौथे खंड का आधा भाग अनूदित कर लिया था और बाकी आधा वह अगले पन्द्रह दिनों में पूरा करने की आशा रखते थे।

प्रियजनों का समाचार न मिलने पर जितनी चिन्ता उन्हें होती थी, उतनी ही या उससे अधिक मायूसी अपनी चाही पुस्तकों के न मिलने पर होती थी। 31 दिसम्बर 1943 का एक पत्र उनकी इस मानसिक दशा की सूचना देता है। लिखते हैं कि "आशा है तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। बनारस से

अभी कोई किताब नहीं आई। शायद श्रीप्रकाशजी बनारस में नहीं हैं या शायद तुम्हारा पत्र ही अभी उन्हें न मिला हो। चूंकि लाइब्रेरी बड़े दिन और मुहर्रम की छुट्टियों में बंद रहेगी, मुझे डर है कि अब मेरी आवश्यकता की पुस्तकें मिलने में विलम्ब होगा।” इसी बीच उन्हें डॉ० भगवानदासजी का एक पत्र मिलता है जिसके साथ उन्होंने अपनी नई पुस्तक ‘पुरुषार्थ’ की एक प्रति नए वर्ष की सौगात के रूप में भेजी थी। इससे वह अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और तत्काल अपने पुत्र को लिखते हैं कि “उन्हें मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम कहना। मैं उनके स्नेह-स्मरण के लिए उनका अनुगृहीत हूँ। ‘लीडर’ अखबार में मैंने उनकी पिछहत्तरवीं वर्षगांठ पर हुए आयोजन का सुखद समाचार पढ़ा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। चूंकि मुझे उनके जन्मदिन की याद नहीं रही थी अतः मैं उन्हें समय से बधाइयां नहीं भेज सका। वह हमारे देश के ऋषियों की परम्परा में आते हैं। हमारी प्रार्थना है कि भगवान उन्हें बहुत दिनों तक हमारे लिए स्वस्थ रखें, ताकि वह जगत को प्रकाश दिखाने और हमारे प्राचीन विचारों और हमारी युगों से जीवित संस्थाओं की पुनर्व्याख्या आधुनिक भाषा में कर सकें।” इसी पत्र में वह आगे यह भी लिखते हैं कि वह शीघ्र ही विद्यापीठ से आई हुई पुस्तकों को लौटा देंगे। वह प्रो० कौशाम्बी को भी इसी पत्र द्वारा यह सूचना देते हैं कि वह हिन्दी में पाली अभिव्यक्ति पर भी एक पुस्तक लिख रहे हैं और अन्य अनुवादों के साथ उन्होंने ‘विसुद्धि-मग’ के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का भी पाली से हिन्दी में अनुवाद किया है। पर इतनी ही सूचना से पत्र समाप्त हो गया होता तो यही पता चलता कि जेल में बंद रहते समय वह मूलतः बौद्ध दर्शन और साहित्य से तन-मन से घिरे हुए थे और समय निकालकर भारत के भावी संविधान, शासन प्रणाली और उसके आर्थिक उत्थान की भी चिन्ता कर लेते थे। लेकिन वह तो इसी पत्र में डॉ० बेनी प्रसाद की पुस्तक ‘जहांगीर’, यदुनाथ सरकार की ‘औरंगजेब और बाबर नामा’ का अंग्रेजी अनुवाद भी सांगते पाए जाते हैं। किन्तु कारणों से इतना विविध ज्ञान संग्रह और व्यापक अध्ययन हो रहा था, इसका पता नहीं चलता।

उनके पत्रों के आधार पर आगे का प्रसंग उठाने के पूर्व एक बात की ओर ध्यान देना जरूरी जान पड़ता है। अपने फरवरी 1944 के जिस पत्र में उन्होंने भगवान दासजी को पुराने ऋषियों की परम्परा में माना और उनके शतायु और स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना की, क्या यह मात्र औपचा-

रिक्ता थी ? क्या यह केवल उनके प्रति साहचर्य जन्य श्रद्धा का भाव मात्र था ? क्या उनसे और उनके कुटुम्ब से आंतरिक रूप से जुड़े होने के कारण भावुक उद्गार मात्र था ? इस प्रकार के कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं । किन्तु यह सब कुछ नहीं था । ऐसा मानने का कारण आचार्यजी की उन व्याख्याओं में मिलता है, जो उन्होंने दर्शन, धर्म साहित्य, संस्कृति और समाजवाद पर विचार करते हुए की है । वह भारत को और भारतीय समाज को प्रतिगामी नहीं बनाना चाहते थे, पर उनकी कल्पना का भारत और उसका समाज अपनी प्राचीन संस्कृति से कटकर नहीं बन सकता था । वह बार-बार भारतीय संस्कृति के उत्तमांश को न केवल याद रखने पर जोर देते रहे, वरन उसे दृढ़तापूर्वक ग्रहण करने पर भी आग्रह करते हैं । ऐसा करने में वह पुनर्मूल्यांकन, विवेक और युगधर्म को पहचानते रहने वाली शक्ति पर भी जोर देते रहे । ऋषियों और आश्रमों की व्यवस्था व परम्परा तथा उनसे उद्भूत संस्कृति इसलिए अच्छी लगती रही कि उसमें विचारों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती थी और किसी प्रकार की बाधा का आघात वह सहन नहीं करते थे । राजाश्रय की न तो उन्हें अपेक्षा थी और न राज उन्हें संत्रस्त करता था । राज और उसके प्रलोभनों से मुक्त रहकर ही सत्य की स्थापना और क्रांति का आगे बढ़ने का मार्ग अपनाया जा सकता है । ऋषि द्रष्टा होता है । समाज को और देश को तथा जो प्रगति करना चाहता है, उनको सदा ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती रहेगी, जो सामान्य भूमि से ऊपर उठकर समाज और देश को सम्यक रूप से देख सकें एवं आगे का मार्ग प्रशस्त करते रहें । जो बात उन्होंने डॉ० भगवानदासजी के लिए कही थी, आज वह उन पर भी लागू होती है । आज तो राजनीति में सामान्य व्यक्तियों को भी ऋषि कहने का दुस्साहस किया जा रहा है । राजनेता भी ऋषि हो सकता है, पर उसे सम्यक् दृष्टि की स्पष्ट रूपरेखा का ज्ञान होना होगा, राजगद्दी से अलग होना होगा ।

उनके हिन्दी प्रेम और भाषा के प्रति सम्मान के भाव का पहले भी जिक्र हो चुका है । वह कारागार में गम्भीर साहित्य का अध्ययन और सृजन करते हुए हिन्दी और उसकी प्रगति से जुड़े रहना चाहते थे । अपने लड़के को ही लिखे 26 फरवरी 1944 के पत्र में वह श्रीप्रकाशजी से अनुरोध करते हैं कि उन्हें कुछ पत्रिकाएँ भेज दी जाएँ । वह 'आज' या 'संसार' के साप्ताहिक संस्करण की, जो भी सरकार की सूची में जेल के भीतर भेजे जाने के लिए

स्वीकृत हों, माग करते हैं। शायद उसी समय उन्हें संदेह होता है कि इन अखबारों का आजादी की लड़ाई से सीधे संबंध होने के कारण इनका साप्ताहिक भी न छपने पाए। तब वह लिखते हैं कि "मैं सरस्वती को भी मंगाना चाहूंगा। चूंकि यह शुद्ध साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है, शायद इसके आने में आपत्ति न हो। तुम इसका शीघ्र पता लगा लो और अगर ये पत्रिकाएं उपलब्ध हों, तो भेजने का प्रबंध कर दो।" आज अक्सर संदेह होता है कि उस स्तर के राजनेता क्या आज हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं पढ़ते हैं? अपने बारे में लिखे जाने पर, या अपना साक्षात्कार छपा होने पर या अपने दल की प्रशंसा या निन्दा छपे होने पर तो उस अंक को मंगाने के लिए देख लेते हैं; पर क्या उनके मन में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को नियमित रूप से और इस कारण कि वे हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं हैं, पढ़ने का आग्रह है अथवा बना हुआ है? बहरहाल वह पुनः अत्यंत स्नेह की ओर वापस लौट आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भारत के औद्योगिक विकास की जो रूपरेखा पुरुषोत्तम दास आदि व्यक्तियों के हस्ताक्षर से अखबारों में प्रकाशित हुई थी, उसे पढ़ा। तुम चाहो तो उसे पढ़कर उसपर एक निबंध लिख डालो। वह चाहते हैं कि उनके लड़के और उस पीढ़ी के युवक भारत की भावी समृद्धि की योजनाओं में रुचि ले और उन्हें समझें। आगे एक पत्र में इसी विषय को फिर उठाते हैं और कहते हैं कि इसका पढ़ना इसलिए भी आवश्यक हो सकता है कि इस पर आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार के अधीन बने रहते हुए भी विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवियों में इतनी निर्भीकता और विवेक स्वातंत्र्य बना हुआ है कि वे राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध प्रश्नों पर, भले ही वे कांग्रेस की ओर से उठाए गए हों, विश्वविद्यालयों में चर्चा करते रहेंगे और उन्हें परीक्षा में प्रश्नों के रूप में भी उठाते रहेंगे। यह एक बुद्धिजीवी की आस्था और परस्पर विचार स्वातंत्र्य के प्रति निष्ठा का एक उदाहरण ही है। आचार्यजी ने जीवन भर इस गरिमा को बनाए रखा था।

अहमदनगर किले की नजरबंदी से लिखा आखिरी खत 27 मई 1944 का मिलता है। उसके बाद वह किसी समय बरेली कारागार में भेज दिए गए। वहां से लिखा हुआ उनका एक खत 10 मई 1945 का है। ऐसा लगता है बरेली जेल पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अभिघर्म कोश का अनुवाद प्रायः समाप्त कर लिया था। यहां रहते हुए भी वह बौद्ध दर्शन का ही अध्ययन मुख्य रूप से करते

रहे। पुस्तकों की फ्रेंच में लिखी 'अभिषम का इतिहास' वह यहाँ पढ़ रहे थे, ऐसा पता चलता है। रेने ग्राडसे की लिखी पुस्तकें, जो भारतीय दर्शन के सम्बंध में हैं, उनका भी अध्ययन किया। दूसरे संस्कृत और पाली ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहे। हिन्दी की पुस्तकें भी पढ़ते रहे। 'माडर्न कांस्टीट्यूशन्स' नाम की पुस्तक और संविधानों से सम्बद्ध दूसरी पुस्तकें वह प्रायः अहमदनगर जेल में ही समाप्त कर चुके थे पर अहमदनगर से चलने के पहले 7 फरवरी 1944 के एक पत्र से उनके जीवन की एक और भांकी मिलती है। उनमें अपरिग्रह और अनासक्ति का भाव और व्यवहार कितना समा चुका था और वह अपनी भौतिक समृद्धि के प्रति कितने उदासीन थे, इसका पता चलता है। उन्हें किसी प्रकार का डिबिडेड सरकारी लिक्वीडिटर से मिलना था। सम्भवतः उसकी तीन किस्ते मिल चुकी थीं। चौथी की भारी आने पर वह कारागार में थे। वह यह तो चाहते थे कि उसका भुगतान हो पर वह रकम उनके लड़के को मिले। यहाँ उनके इस सम्बंध में लिखे गए पत्र का पहले अनुवाद ही प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि ऊपर व्यक्त किया हुआ मत अपने आप ही स्पष्ट हो जाए। वह लिखते हैं कि "मैं देखता हूँ कि तुम्हें डिबिडेड की चौथी किस्त मिलने में कठिनाई हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इसका भुगतान तुमको हो। मैं तुम्हें उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार दे रहा हूँ। तुम जानते हो कि मैं कुछ विशेष रूप से उल्लिखित व्यक्तियों को ही खत लिख सकता हूँ। मैं व्यवसाय सम्बंधी औपचारिक पत्र भी नहीं लिख सकता। अतः मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि मैं सीधे सरकारी लिक्वीडिटर को लिखूँ और उन्हें यह निर्देश दूँ कि वे इसका भुगतान तुम्हें कर दें, पर मैं आशा करता हूँ कि यदि इस पत्र को उन्हें दिखाओगे, तो वे तुम्हें उसका भुगतान कर देंगे। तुमने जो दूसरा विकल्प सुझाया है, वह व्यावहारिक और सम्भव नहीं होगा। लेकिन यदि मेरा यह पत्र दिखाने पर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो तुम दूसरे विकल्प का सहारा ले सकते हो। उस हालत में जो चेक मेरे नाम का आएगा, उस पर तुम्हारे पक्ष में हस्ताक्षर करके लौटा दूँगा। लेकिन कठिनाई तब होगी जब वह धारक के नाम उसके खाते में जमा करके मिलने वाला होगा, क्योंकि बैंक में मेरा कोई खाता तो है ही नहीं।" यह खत पहले तो एक दर्द पैदा करता है। फिर आश्चर्य भी होता है कि 7 फरवरी 1944 तक इस महान व्यक्ति का अपना कोई खाता किसी बैंक में नहीं है। लोगों की राय तो यही है कि वह मार्क्सवाद में विश्वास रखते थे। मार्क्सवादी

विश्लेषण और विचारधारा भौतिकवाद को प्रधानता देती है। उद्योग और समृद्धि के संचालन और नियंत्रण में आधुनिक तन्त्रों और व्यवस्थाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। आचार्यजी ने कभी बैंकों की व्यवस्था का विरोध नहीं किया होगा, वरन् उसकी उपयोगिता को आवश्यक माना होगा। वह आधुनिकता और विज्ञान के प्रसार और व्यवहार पर भी जोर देते रहे, पर जहां तक निज का सम्बन्ध था, वह अनासक्त ही बने रहे। जो लोग उनके ऐसा होने पर विश्वास नहीं भी रखते होंगे, वे भी अधिक-से-अधिक उन पर अपने प्रति लापरवाह होने का दोषारोपण कर सकते हैं। पर यह लापरवाही भी विचारणीय बन जाती है और यह अकारण नहीं थी। समाज को और देश को पूर्णतः समर्पित जीवन की यही दशा होती है। पर आगे के तथ्यों से उनके अपरिग्रह के ही भाव की पुष्टि होती है। वह इसके बाद 19 फरवरी 1944 के पत्र में लिखते हैं कि "मैं चौथी विस्त के कागज पर हस्ताक्षर और साक्षी के हस्ताक्षर कराकर वापस भेज रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें किस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। कृपया श्रीप्रकाशजी से राय ले लो और वह जैसी सलाह दे, वैसा ही करो। तुम इस पैसे को अपने पास ही रख लो और इसका उपयोग अपने लिए पुस्तकें खरीदने में करना। यानि तुम जैसा उचित समझना। मैंने तुम्हें पिछले साल कुछ पुस्तकों के नाम सुभाए थे, तुमने उन्हें प्राप्त करने की पूरी कोशिश की पर सफल न हो सके। आजकल अच्छी पुस्तकें मिलना कठिन हो रहा है। (लड़ाई के कारण यह कठिनाई उन दिनों पैदा हो गई थी) मैं कुछ और नाम सुभा रहा हूँ।"

इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा उनकी अनासक्ति का, उनके अपरिग्रह का, उनके विवेक का, उनके शील का, उनके स्नेह का और उनके सरोकारों का। अपनी इच्छा तो यही प्रकट करते हैं कि इस रकम का उपयोग पुस्तकें खरीदने में किया जाए, पर उसी सांस अपने बेटे को स्वतंत्र भी कर देते हैं कि वह जैसा चाहे वैसा करे। इन सारे पत्रों में उनकी चिन्ता भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, सगे सम्बन्धियों और मित्रों के प्रति, समाज में जिस प्रकार का संस्कार और व्यवहार होना चाहिए, उसके प्रति पल-पल ध्यक्त होती रहती है, पर इन सबमें एक गरिमा बनी रहती है।

नरेन्द्रदेव अपनी नजरों में

मेरा जन्म सम्बत् 1946 में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सीतापुर में हुआ था। हम लोगों का पैतृक घर फैजाबाद में है, किन्तु उस समय मेरे पिताश्री बलदेव प्रसादजी सीतापुर में वकालत करते थे। हमारे खानदान में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेरे दादा के छोटे भाई थे। अवध में अंग्रेजी हुकूमत सन् 1856 में कायम हुई। वह पुराने कनिंग कालेज में अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होंने मेरे पिता और मेरे ताऊजी को अंग्रेजी शिक्षा दी। पिताजी ने कनिंग कालेज से एफ० ए० कर वकालत की परीक्षा पास की थी। आंखों की बीमारी के कारण वह बी० ए० नहीं कर सके। मेरे बाबा उनको कानून की पुस्तकें सुनाया करते थे और सुन-सुन कर ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी। वकालत पास करने पर वह सीतापुर में बाबा के शिष्य मुंशी मुरलीधरजी के साथ वकालत करने लगे। दोनों सगे भाई की तरह रहते थे। दोनों की आमदनी और खर्च एक ही जगह से होते थे। मुंशीजी के कोई संतान न थी। वह अपने भतीजे को पुत्र के समान मानते थे। मेरे जन्म के लगभग दो वर्ष बाद मेरे दादा की मृत्यु हो जाने के कारण पिताजी को सीतापुर छोड़ना पड़ा और वह फैजाबाद में वकालत करने लगे।

जब वह सीतापुर में थे, तभी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। किसी सन्यासी के प्रभाव में आने से ऐसा हुआ था। वे बड़े दानशील और सात्विक वृत्ति के थे। वेदांत में उनकी बड़ी अभिरुचि थी और इस शास्त्र का उनको अच्छा ज्ञान था। वह संन्यासियों का सत्संग सदा किया करते थे। जिस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उस समय फारसी का प्रचलन था। किन्तु अपनी संस्कृति और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने संस्कृति का अभ्यास किया था। वह एक नामी वकील थे, किन्तु वकालत के अतिरिक्त भी उनकी

अनेक विषयों में रुचि थी। बालको के लिए उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारसी में पाठ्य-पुस्तकें लिखी थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई संग्रह-ग्रंथ भी प्रकाशित किए थे। अंग्रेजी की प्राइमर तो इन्होंने मेरे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए लिखी थी। मेरा विद्यारम्भ इन्हीं पुस्तकों से हुआ था। उनको मकान बनाने और बाग लगाने का बड़ा शौक था। हमारे घर पर एक छोटा-सा पुस्तकालय भी था। जब मैं बड़ा हुआ तो गर्मियों की छुट्टियों में इनकी देखभाल भी किया करता था। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे पिताजी धार्मिक थे और इस नाते सनातन धर्म के उपदेशक, सन्यासी और पंडित मेरे घर पर प्रायः आया करते थे, किन्तु पिताजी कांग्रेस और सोशल कान्फ्रेस के कामों से भी थोड़ी-बहुत दिलचस्पी लेते थे। मेरे प्रथम गुरु थे पंडित कालीदीन अवस्थी। वह हम भाई-बहनों को हिन्दी, गणित और मूगोल पढ़ाया करते थे। पिताजी मुझसे विशेष रूप से स्नेह करते थे। वह भी मुझे नित्य आठ घंटा पढ़ाया करते थे। मैं उनके साथ प्रायः कचहरी जाया करता था। मुझे याद है कि वह मुझे अपने साथ एक बार दिल्ली ले गए थे। वहाँ भारत धर्म महामंडल का अन्वेषण हुआ था। उस अवसर पर पंडित दीनदयालु शर्मा का भाषण सुनने को मिला था। उस समय उसके मूल्य को आकने की मुझमें बुद्धि न थी। केवल इतना याद है कि शर्माजी की उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी। मैंने घर पर तुलसीकृत रामायण और समग्र हिन्दी महाभारत पढ़ा। इसके अतिरिक्त बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, सूरसागर आदि पुस्तकें भी पढ़ीं। उस समय चन्द्रकांता की बड़ी शोहरत थी। मैंने इस उपन्यास को 16 बार पढ़ा होगा। चन्द्रकांता संतति को, जो 24 भाग में है, एक बार पढ़ा था न मालूम कितने लोगों ने चन्द्रकांता पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी होगी। उस समय कदाचित् इन्हीं पुस्तकों का पठन-पाठन हुआ करता था। 10 वर्ष की उम्र में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता के साथ नित्य मैं सध्या वदन और भगवद्गीता का पाठ करता था। एक मराठी ब्राह्मण मुझको सस्वर वेदपाठ सिखाते थे और मुझको एक समय रुद्री और सम्पूर्ण गीता कठस्थ थी। मैंने अमरकोश और लघु-कौमुदी भी पढ़ी थी। जब मैं 10 वर्ष का था, अर्थात् 1899 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पिताजी डेलीगेट थे। मैं भी उनके साथ गया था। उस समय के डेलीगेट का 'वैज' होता था—कपड़े का फूल। मैंने भी दरजी से वैसा ही एक फूल बनवा लिया और उसको लगाकर अपने चाचाजात भाई के साथ 'विजिटर्स गैलरी' में जा बैठा। उस जमाने में प्रायः भाषण अंग्रेजी

मे ही होते थे और यदि हिन्दी में होते, तब भी मैं कुछ ज्यादा न समझ सकता। ऐसी अवस्था में सिवा शोरगुल मचाने के मैं कर ही क्या सकता था। दर्शकों ने तंग आकर मुझे डांटा और पंडाल से भागकर मैं बाहर चला गया। उस समय मैं कांग्रेस के महत्व को क्या समझ सकता था, किन्तु इतना मैं जान सका कि लोकमान्य तिलक, श्री रमेशचन्द्र दत्त और जस्टिस रानडे देश के बड़े नेताओं में से थे। इनका दर्शन मैंने प्रथम बार वही किया। रानडे महाशय की तो 1901 में मृत्यु हो गई। दत्त महाशय का दर्शन दोबारा 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर हुआ।

मैं 1902 में स्कूल में भरती हुआ। सन् 1904 या 1905 में मैंने थोड़ी बगला सीखी और मेरे अध्यापक मुझको कृतिवास की रामायण सुनाया करते थे। पिताजी का मेरे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उनकी सदा शिक्षा थी कि नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, उनको गाली-गलौज न दो। मैंने इस शिक्षा का सदा पालन किया। विद्यार्थियों में सिगरेट पीने की बुरी प्रथा उस समय भी थी। एक बार मुझे याद है कि अयोध्या में कोई मेला था। मैंने शौकिया सिगरेट की एक डिब्बिया खरीदी। सिगरेट जलाकर जो पहला वश खींचा तो सिर घूमने लगा। इलायची-पान खाने पर तबीयत संभली। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग क्यों सिगरेट पीते हैं। मैंने उस दिन से आज तक सिगरेट को नहीं छुआ। हाँ, श्वास के कष्ट को कम करने के लिए कभी-कभी स्टेमोनियम के सिगरेट पीने पड़े हैं। मेरे पिता सदा आदेश किया करते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे इस सम्बंध में एक घटना याद आती है। मैं बहुत छोटा था। कोई सज्जन मेरे मामू को पृच्छते हुए आए। मैं घर के अंदर गया। मामू से कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर कह दो कि घर में नहीं हूँ। मैंने उनसे यह संदेश ज्यो-का-त्यो कह दिया। मेरे मामू बहुत नाराज हुए। मैं अपनी सिधाई में यह भी न समझ सका कि मैंने कोई अनुचित काम किया है। इससे यह नतीजा न निकालें के मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, किन्तु इतना सच है कि मैं झूठ कम बोलता हूँ। ऐसा जब कभी होता है तो लज्जित होता हूँ और बहुत देर तक संताप बना रहता हूँ। पिताजी की शिक्षा चेतनावली का काम करती है। मैं पहले यह कह चुका हूँ कि मेरे यहां अक्सर साधु-सन्यासी और उपदेशक आया करते थे। मेरे पिता के एक स्नेही थे। उनका नाम था पंडित माधवप्रसाद मिश्र। वह महीनो हमारे घर पर रहा

करते थे। वह बंगला भाषा अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने 'देशेर कथा' का हिन्दी में अनुवाद किया था। यह पुस्तक ज्वल कर ली गई थी। वह हिन्दी के बड़े अच्छे लेखक थे। वह राष्ट्रीय विचार के थे। मैं उनके निकट सम्पर्क में आया। मेरा घर का नाम अविनाशीलाल था। पुगने परिचित आज भी इसी नाम से पुकारते हैं। मिश्रजी पर बंगला भाषा का अच्छा प्रभाव था। उन्होंने हम सब भाइयों के नाम बदल दिए। उन्होंने ही मेरा नाम 'नरेन्द्रदेव' रखा। सनातन धर्म पर प्रायः व्याख्यान मेरे घर पर हुआ करते थे। सन् 1906 में जब मैं एन्ट्रेन्स में पढ़ता था, स्वामी रामतीर्थ का फैजाबाद आना हुआ और वह हमारे अतिथि हुए। उस समय वह केवल दूध पर रहते थे। शहर में उनका एक व्याख्यान ब्रह्मचर्य पर हुआ था और दूसरा व्याख्यान वेदांत पर मेरे घर पर हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ा तेज था। उनके व्यक्तित्व का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और बाद में मैंने उनके ग्रंथों का अध्ययन किया। वह हिमालय की यात्रा करने जा रहे थे। मिश्रजी ने उनसे कहा कि मन्दासी को किसी सामग्री की क्या आवश्यकता, इतना कहना था कि वह अपना सारा सामान छोड़कर चले गए और पहाड़ से उनकी चिट्ठी आई कि "राम खुश है।"

हमारे स्कूल में एक बड़े योग्य शिक्षक थे। उनका नाम था श्री दत्तात्रेय भीकाजी रानडे। उनका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके पढ़ाने का ढंग निराला था। उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। किन्तु अंग्रेजी व्याकरण में हमारे दर्जे के विद्यार्थी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कान काटते थे। मैं अपनी कक्षा में सर्वप्रथम हुआ करता था। मेरे गुरुजन भी मुझसे प्रसन्न रहते थे। किन्तु संस्कृत के पंडित महाशय अकारण मुझसे और मेरे सहपाठियों से नाराज हो गए और उन्होंने वार्षिक परीक्षा में हम लोगों को फेल करने का इरादा कर लिया। हम लोग बड़े परेशान हुए। उस समय मेरी कक्षा के अध्यापक मास्टर राधेरमणलाल स्कूल लाइब्रेरियन थे। इनका भी हम लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। अपने जीवन में एक बार यह विरक्त हो गए थे। इनके घर पर हम लोग प्रायः जाया करते थे। वे अपने विद्यार्थियों को बहुत मानते थे। लाइब्रेरी की कुंजी मेरे सुपुर्द थी और मैं ही पुस्तकें निकाल कर दिया करता था। मुझे याद आया कि पंडितजी दो वर्ष के प्रश्नपत्र अपने नाम ले गए हैं। ख्याल आया कि कहीं इन्हीं वर्षों के एन्ट्रेन्स के प्रश्नपत्रों से न प्रश्न पूछ बैठें। मैंने अपने सहपाठियों के साथ बैठकर उन प्रश्नपत्रों को हल किया। देखा गया

कि उन्हीं प्रश्नपत्रों से सब प्रश्न पूछे गए हैं। परीक्षा भवन में पंडितजी ने मुझसे पूछा कि कहां कैसा कर रहे हो? मैंने उत्तेजित होकर कहा कि जीवन में ऐसा अच्छा परचा कभी नहीं किया। उन्होंने कोर्स के बाहर के भी प्रश्न पूछे थे। उन्हें विवश होकर मुझे 50 में से 46 अंक देने पड़े और कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। यदि मैं लाइब्रेरियन महाशय का सहायक न होता तो अवश्य फेल हो गया होता।

सन् 1905 में पिताजी के साथ मैं बनारस कांग्रेस गया। पिताजी के सम्पर्क में आने से मुझे भारतीय संस्कृति से प्रेम हो गया था। उसका ज्ञान तो कुछ था नहीं, किन्तु इस कारण आगे चलकर मैंने एम०ए० में संस्कृत ली। सन् 1904 में पूज्य मालवीयजी फंजावाद आए थे। भारत धर्म महामंडल से सम्बन्ध होने के नाते वह मेरे पिताजी से मिलने घर पर आए। गीता के एकाध अध्याय सुने। वह मेरे शुद्ध उच्चारण से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि एन्ट्रेन्स पास कर प्रयाग आना और मेरे हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहना। पूज्य मालवीयजी के दर्शन प्रथम बार हुए थे। उनका सौम्य चेहरा और मधुर भाषण अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता था। यद्यपि मैंने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में नाम लिखाने का विचार किया था, किन्तु साथियों के कारण उस विचार को छोड़ना पड़ा। एन्ट्रेन्स पास कर मैं इलाहाबाद पढ़ने गया और हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहने लगा। मेरे 3-4 सहपाठी थे। हमको एक बड़े कमरे में रखा गया। छात्रावास में ठहरने का यह पहला अवसर था।

बंश-भंग के कारण कांग्रेस में एक नए दल का जन्म हुआ था, जिसके नेता लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि थे। उस समय तक मेरे कोई खास राजनीतिक विचार न थे, किन्तु कांग्रेस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव था। मैं 1905 में दर्शक के रूप में कांग्रेस में शरीक हुआ था। प्रिन्स आफ वेल्स भारत आने वाले थे। उनका स्वागत करने के लिए एक प्रस्ताव गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख रखा था। तिलक ने उनका घोर विरोध किया, अंत में दबाव में उसे वापस ले लिया, किन्तु उसी समय पंडाल से बाहर चले आए। विरोध की यह ध्वनि सुनाई पड़ी। 1906 में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रयाग आने पर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे। हिन्दू बोर्डिंग हाउस उग्र विचारों का केन्द्र था। पंडित सुदरलालजी उस समय विद्यार्थियों के अगुवा थे। अपने राजनीतिक विचारों के कारण वह विश्वविद्यालय में निकाले गए।

उम समय बोर्डिंग हाउस में रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। मैं बहुत जल्दी गरम दल के विचार का हो गया। हममें से कुछ लोग कलकत्ते के अधिवेशन में शरीक हुए। रिपन कालेज में हम लोग ठहराए गए। नरम-गरम दल का नघर्ष चल रहा था और यदि श्री दादाभाई नौरोजी सभापति न होते, तो वही दो टुकड़े हो गए होते। उनके कारण यह सफट टला। इस नवीन दल के कार्यक्रम के प्रधान अंग थे स्वदेशी, विदेशी माल का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। कांग्रेस का लक्ष्य बदलने की भी बातचीत थी। दादाभाई नौरोजी ने अपने भाषण में 'स्वराज' शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द को लेकर दोनों दलों में विवाद खड़ा हो गया। यद्यपि पुराने नेता बहिष्कार के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि इससे विद्वेष का भाव फैलता है, तथापि बंगाल के लिए उनको भी इसे स्वीकार करना पड़ा।

जापान की विजय से एशिया में जन-जाग्रति का आरम्भ हुआ। एशिया-वासियों ने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाया और अंग्रेजों की ईमानदारी पर जो बालोचित विश्वास था, वह उठने लगा। इस पीढ़ी का अंग्रेजी शिक्षित वर्ग समझता था कि अंग्रेज हमारे कल्याण के लिए भारत आया है और हमको शासन के कार्य में दक्ष बना देगा, तब वह स्वेच्छा से राज्य सौंपकर चला जाएगा। बिना इस विश्वास को दूर किए राजनीति में प्रगति आ नहीं सकती थी। लोकमान्य तिलक ने यही काम किया। इस नए दल की स्थापना की घोषणा कलकत्ता में की गई। इसकी ओर से कलकत्ता में दो सभाएं हुईं। एक सभा बड़ा बाजार में हुई थी। उसमें भी मैं मौजूद था। इस सभा की विशेषता यह थी कि इसमें सब भाषण हिन्दी में हुए थे। श्री विपिन चन्द्र पाल और लोकमान्य तिलक भी हिन्दी में बोले थे। श्री पाल को हिन्दी बोलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्य की हिन्दी टूटी-फूटी थी। बड़ा बाजार में अधिकतर उत्तर भारत के लोग रहते थे। उन्हीं की सुविधा के लिए हिन्दी में भाषण कराए गए थे। बंगाल में इस नए दल का अच्छा प्रभाव था। प्रयाग में दोनों दलों के बड़े नेता आए और उनके व्याख्यानो को सुनने का मुझे अवसर मिला। सबसे पहले लोकमान्य आए। उनके स्वागत के लिए हम लोग स्टेशन पर गए। उनकी सभा का आयोजन थोड़े से विद्यार्थियों ने किया था। शहर के नेताओं में से कोई उनके स्वागत के लिए नहीं गया। उनकी सवारी के लिए एक सज्जन घोडागाड़ी लाए थे। हम लोगों ने

घोडा खोलकर स्वयं गाड़ी खींचने का आग्रह किया किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लोकमान्य के शब्द थे—“इस उत्साह को किसी और अच्छे काम के लिए सुरक्षित रखिए।” एक वकील साहब के अहाते में उनका व्याख्यान हुआ था। वकील साहब इलाहाबाद से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी ने इजाजत दे दी थी। हम लोगों ने दरी बिछाई। एक विद्यार्थी ने ‘वदे-मातरम्’ गाना गाया और अग्रेजी में भाषण शुरू हुआ। लोकमान्य तर्क और युक्ति से काम लेते थे। उनके भाषण में हास्य-रस का भी पुट रहता था। किन्तु वह भावुकता से बहुत दूर थे। उन्होंने कहा कि अग्रेजी मसल है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है तो क्या तुम समझते हो कि अग्रेज ईश्वर से भी बड़ा है? इसके कुछ दिनों बाद श्री गोखले आए और उनके कई व्याख्यान कायस्थ पाठशाला में हुए। एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम और टैक्स देना भी बद कर सकते हैं। इसके बाद श्री विपिन चन्द्र पाल आए और उनके चार ओजस्वी व्याख्यान हुए। इस तरह समय-समय पर किसी-न-किसी दल के नेता प्रयाग आते रहते थे। लाला लाजपतराय और हरदयालजी भी आए। नरम दल के नेताओं में केवल श्री गोखले का कुछ प्रभाव हम विद्यार्थियों पर पड़ा। हम लोगों ने स्वदेशी का व्रत लिया और गरम दल के अखबार मंगाने लगे। कलकत्ते से दैनिक ‘वदे-मातरम्’ आता था, जिसे हम बड़े चाव से पढ़ा करते थे। इसके लेख बड़े प्रभावशाली होते थे। श्री अरविन्द घोष इसमें प्रायः लिखा करते थे। उनके लेखों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। शायद ही उनका कोई लेख होगा जो मैंने न पढ़ा हो और जिसे दूसरो को न पढ़ाया हो। पांडिचेरी जाने के बाद उनका प्रभाव कायम रहा और मैं ‘आर्य’ का वर्षों ग्राहक रहा। बहुत दिनों तक यह आशा थी कि वह साधना पूर्ण करके बंगाल लौटेंगे और राजनीति में पुनः प्रवेश करेंगे। सन् 1912 में उनसे ऐसी प्रार्थना भी की गई थी, किन्तु उन्होंने अपने भाई वीरेन्द्र को लिखा कि 1908 के अरविन्द को बंगाल चाहता है, किन्तु मैं 1908 का अरविन्द नहीं रहा। यदि मेरे ढंग के 99 भी तैयार हो जाए तो मैं आ सकता हूँ। बहुत दिनों तक मुझे यह आशा बनी रही, किन्तु अंत में मैं जब निराश हो गया तो उधर से मुह मोड़ लिया। उनके विचारों में ओज के साथ-साथ सच्चाई थी। प्राचीन सस्कृति के भक्त होने के कारण भी उनके लेख मुझे विशेष रूप से पसंद आते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। जिन्होंने, अपनी पत्नी को लिखे, उनके पत्र पढ़े हैं, वे इसको जानते हैं। उनके सादे जीवन ने

मुझको बहुत प्रभावित किया। उस समय लाला हरदयाल अपनी छात्रवृत्ति को छोड़कर विलायत से लौट आए थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली का विरोध किया था और 'हमारी शिक्षा समस्या' पर 14 लेख पजाबी में लिखे। उनके प्रभाव में आकर पंजाब के कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया था। उनको पढ़ाने का भार उन्होंने स्वयं लिया था। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। हरदयालजी बड़े प्रतिभाशाली थे और उनका विचार था कि कोई बड़ा काम बिना कठोर साधना के नहीं होता। एडविन आरनोल्ड की 'लाइट आफ एशिया' को पढ़कर वह बिल्कुल बदल गए थे। विलायत में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का उन पर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए दो पाठ्यक्रम तैयार किए थे। इन सूधियों की पुस्तकों को पढ़ना मैंने आरम्भ किया। सन् 1907 में प्रयाग से रामानंद दाबू का 'भाडन रिब्यू' भी निकलने लगा। इसका बड़ा आदर था। उस समय हम लोग प्रत्येक बंगाली नवयुवक को क्रांतिकारी समझते थे। बंगला-साहित्य में इस कारण और भी रुचि उत्पन्न हो गई। मैंने रमेशचन्द्र दत्त और बकिम के उपन्यास पढ़े और बंगला-साहित्य थोड़ा-बहुत समझने लगा। स्वदेशी के क्रम में हम पूरे उतरे। उस समय हम कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदते थे। माघ-मेला के अवसर पर हम स्वदेशी पर व्याख्यान भी दिया करते थे। उस समय म्योर कालेज के प्रिन्सीपल केनिंगम साहब थे। वह कट्टर एंग्लोइंडियन थे। हमारे छात्रावास में एक विद्यार्थी के कमरे में खुदीराम बसु की तस्वीर थी। किसी ने प्रिन्सीपल को इसकी सूचना दे दी। एक दिन शाम को वह आए और सीधे मेरे मित्र के कमरे में गए। मेरे मित्र कालेज से निकाल दिए गए, किन्तु श्रीमती ऐनी बेसेट ने उनको हिन्दू कालेज में भरती कर लिया। धीरे-धीरे हम में कुछ का क्रांतिकारियों से सम्बन्ध होने लगा। उस समय क्रांतिकारियों का विचार था कि आई० सी० एस० में शामिल होना चाहिए, ताकि क्रांति के समय हम जिले का काम संभाल सकें। इस विचार से मेरे चार साथी इंग्लैंड गए। मैं भी सन् 1911 में जाना चाहता था, किन्तु माताजी की आज्ञा न मिलने के कारण न जा सका। इधर सन् 1907 में सूरत में फूट पड़ चुकी थी, और कांग्रेस के गरम दल के लोग निकल आए थे। कन्वेंशन बुलाकर कांग्रेस का विधान बदल गया। इसे गरम दल के लोग कन्वेंशन कांग्रेस कहते थे। गवर्नमेंट ने इस फूट से लाभ उठाकर गरम दल को छिन्न-भिन्न कर दिया। कई नेता जेल में डाल दिए गए। कुछ समय को प्रतिकूल देख भारत से बाहर चले गए

और लंदन, पेरिस, जिनेवा और बर्लिन में क्रांति के केन्द्र बनने लगे और वही से ही साहित्य प्रकाशित करने लगे। मेरे जो साथी विलायत पढ़ने गए थे, वह इस साहित्य को मेरे पास भेजा करते थे। श्री सावरकर की 'वार आफ इंडियन इडिपेंडेंस' की एक प्रति भी मेरे पास आई थी और मुझे बराबर हरदयाल का 'वदेमातरम' बर्लिन का 'तलवार' और पेरिस का 'इंडियन सोशलाजिस्ट' मिला करता था। मेरे दोस्तों में से एक 1908 की लडाई में जेल में बंद कर दिया गया था तथा अन्य दोस्त केवल बैरिस्टर होकर लौट आए। मैंने 1908 के बाद से कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग गरम दल के साथ थे, यहां तक कि जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रयाग में हुआ, तब भी हम उसमें नहीं गए। सन् 1916 में जब कांग्रेस में दोनों दलों का मेल हुआ, तब हम फिर कांग्रेस में आ गए।

बी० ए० पास करने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न आया कि मैं क्या करूँ। मैं कानून पढ़ना नहीं चाहता था, मैं प्राचीन इतिहास में गवेषणा करना चाहता था। म्योर कालेज में भी अच्छे-अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में आया। डाक्टर गगानाथ झा की मुझ पर बड़ी कृपा थी। बी० ए० में प्रोफेसर ब्राउन से इतिहास पढ़ा। भारत के मध्ययुग का इतिहास वह बहुत अच्छा जानते थे। पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्हीं के कारण मैंने इतिहास का विषय लिया। बी० ए० पास कर मैं पुरातत्व पढ़ने काशी चला गया। वहां डाक्टर वेनिस और नारमन सुयोग्य अध्यापक मिले। क्वींस कालेज में जो अंग्रेज अध्यापक थे, वह संस्कृत सीखने का प्रयत्न करते थे। डाक्टर वेनिस जैसा पढ़ाने वाला कम होगा। नारमन साहब के प्रति भी मेरी बड़ी श्रद्धा थी। जब मैं क्वींस कालेज में था, तब वहां श्री शचीन्द्रनाथ साम्याल से परिचय हुआ। विदेश से आने वाला साहित्य वह मुझसे ले जाया करते थे। उनके द्वारा मुझे क्रांतिकारियों के समाचार मिलते रहते थे। इन लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति थी किन्तु मैं डकैती आदि के सदा विरुद्ध था। मैं किसी भी क्रांतिकारी दल का सदस्य न था। किन्तु उनके कई नेताओं से परिचित था। वह मुझ पर विश्वास करते थे और समय-समय पर मेरी सहायता भी लेते रहते थे। सन् 1913 में जब मैंने एम० ए० पास किया तब मेरे घरवालों ने बकालत पढ़ने का आग्रह किया। मैं इस पेशे को पसंद नहीं करता था, किन्तु जब पुरातत्व विभाग में स्थान न

मिला, तब इस विचार से कि वकालत करते हुए मैं राजनीति में भाग ले सकूंगा, मैंने कानून पढा।

सन् 1915 में मैं एल० एल० बी० पास कर वकालत करने फैजाबाद आया। मेरे विचार प्रयाग में परिपक्व हुए और वही मुझे एक नया जीवन मिला। इस नाते मेरा प्रयाग से एक प्रकार का अध्यात्मिक सम्बंध है। मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं— एक पढ़ने-लिखने की ओर, दूसरी राजनीति की, और इन दोनों में संघर्ष रहता है। यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाती है, तो मुझे बड़ा परितोष होता है और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है, जो विद्यापीठ की सेवा में व्यतीत हुआ और आज भी उसे मैं अपना कुटुम्ब समझता हूँ।

सन् 1914 में लोकमान्य मांडले जेल से रिहा होकर आए और अपने सहयोगियों को फिर से एकत्र करने लगे। श्रीमती बेसेंट का उनको सहयोग प्राप्त हुआ और होमरूल लीग की स्थापना हुई। सन् 1916 में हमारे प्रांत में श्रीमती बेसेंट की लीग की स्थापना हुई। मैंने इस सम्बंध में लोकमान्य से बात की और उनकी लीग की एक शाखा फैजाबाद में खोलनी चाही, किन्तु उन्होंने यह कहकर मना किया कि दोनों का उद्देश्य एक है। दो होने का कारण केवल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गई किसी संस्था में शरीक नहीं होना चाहते और कुछ लोग श्रीमती बेसेंट द्वारा स्थापित संस्था में नहीं रहना चाहते। मैंने लीग शाखा फैजाबाद में खोली और उसका मंत्री चुना गया। इसकी ओर से प्रचार का कार्य होता था और समय-समय पर सभाओं का आयोजन होता था। मेरा सबसे पहला भाषण अली बंधुओं की नजरबंदी का विरोध करने के लिए आमंत्रित सभा में हुआ था। मैं बोलते हुए बहुत डरता था, किन्तु किसी प्रकार बोल गया और कुछ सज्जनों ने मेरे भाषण की प्रशंसा की। इससे मेरा उत्साह बढ़ा और फिर धीरे-धीरे सकीच दूर हो गया। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा पहला भाषण बिगड़ गया होता, तो शायद मैं भाषण देने का फिर साहस न करता।

मैं लीग के साथ-साथ कांग्रेस में भी था और बहुत जल्दी उसकी सब कमेटियों में बिना प्रयत्न के पहुँच गया। महात्माजी के राजनीति में आने से धीरे-धीरे कांग्रेस का रूप बदलने लगा। आरम्भ में वह सक्रियता से भाग नहीं लेते थे

किन्तु 1919 से वह प्रमुख रूप से भाग लेने लगे। खिलाफत के प्रदन को लेकर जब महात्माजी ने असहयोग आंदोलन चलाना चाहा तो असहयोग के कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोकमान्य से उनका मतभेद था। जून 1920 में काशी में ए० आई० सी०मी० की बैठक के समय मैंने इस सम्बन्ध में लोकमान्य से बात की। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया किन्तु प्रश्न असहयोग के कार्यक्रम का है। जेल से लौटने के बाद जनता पर उनका यह पुराना विश्वास नहीं रह गया था और उनका ख्याल था कि प्रोग्राम ऐसा हो, जिस पर जनता चल सके। वह कौंसिल के बहिष्कार के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यदि आधी भी जगह खाली रहे, तो यह ठीक है किन्तु यदि वहाँ जगहें भर जाएंगी तो अपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार-परन्तु लोग देश का अहित करेंगे।

उनका एक सिद्धांत यह भी था कि कांग्रेस में अपनी बात रखो और अंत में जो उसका निर्णय हो, उसे स्वीकार करो। मैं तिलक का अनुयायी था, इसलिए मैंने कांग्रेस में कौंसिल बहिष्कार के विरुद्ध भाषण दिया, किन्तु जब एक बार निर्णय हो गया तो उसे शिरोधार्य किया। वकालत के पेशे में मेरा मन न था। नागपुर के अधिवेशन में जब असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया तो उसके अनुसार मैंने तुरंत वकालत छोड़ दी। इस निश्चय में मुझे एक क्षण की भी देर न लगी। मैंने किसी से परामर्श भी नहीं किया, क्योंकि मैं कांग्रेस के निर्णय से अरने को बंधा हुआ मानता था। मैंने अपने भविष्य का भी ख्याल नहीं किया। पिताजी से एक बार पूछना चाहा, किन्तु यह सोचकर कि यदि उन्होंने विरोध किया, तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकूंगा, मैंने उनसे भी अनुमति नहीं मागी किन्तु पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने कुछ आपत्ति न की। केवल इतना कहा कि मुझको अपनी स्वतंत्र जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिए और जब तक जीवित रहे, मुझे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होने दी। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद एक बार जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में विद्यापीठ खुलने जा रहा है। वहाँ लोग तुम्हें चाहते हैं। मैंने अपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसादजी को पत्र लिखा। उन्होंने मुझे तुरंत बुला लिया। शिवप्रसादजी मेरे सहपाठी थे और विचार साम्य होने के कारण मेरी उनकी मित्रता हो गई। वह बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। दुनिया में मैंने उन्हीं को एक ऐसा व्यक्ति

पाया जो नाम नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों की भी वह धन से सहायता करते थे। विद्यापीठ के काम में मेरा मन लग गया। श्रद्धेय डाक्टर भगवानदासजी ने मुझ पर विश्वास कर मुझे उपाध्यक्ष बना दिया। उन्हीं की देख-रेख मे मैं काम करने लगा। मैं दो वर्ष तक छात्रावास में ही विद्यार्थियों के साथ रहा था। एक कुटुम्ब जैसा था। साथ-साथ हम लोग राजनीतिक कार्य भी करते थे। कराची में जब अली बंधुओं को सजा हुई थी, तब हम सब बनारस के गावों में प्रचार के लिए गए थे। अपना-अपना बिस्तर बगल मे दबाकर नित्य पैदल घूमते थे। सन् 1926 में डाक्टर साहब ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया और मुझे अध्यक्ष बना दिया। बनारस मे मुझे कई नए मित्र मिले। विद्यापीठ के अध्यापको मे मेरा विशेष स्नेह हो गया। यह अत्युक्ति न होगी कि वह स्नेहवश मेरे प्रचारक हो गए। उन्होंने मुझे आचार्य कहना शुरू किया, यहा तक कि वह मेरे नाम का एक अंग बन गया है। सबसे वह मेरी प्रशंसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलालजी से होम-रूल आंदोलन के समय से था, तथापि श्रीप्रकाशजी द्वारा उनसे तथा गणेशजी से मेरी घनिष्ठता हुई। मैं उनके घर में महीनों रहा हूं। वह मेरी सदा फिक्र उसी तरह किया करते है जैसे माता अपने बालक की। मेरे बारे मे उनकी राय है कि मैं अपनी फिक्र नहीं करता हू, शरीर के प्रति बड़ा लापरवाह हूं। मेरे विचार चाहे उनसे मिलें, न मिलें; उनका स्नेह घटता ही नहीं। रियासती दोस्ती पायदार नहीं होती, किन्तु विचारो मे अंतर होते हुए भी हम लोगो के स्नेह मे फर्क नहीं पडा है। पुराने मित्रों से वियोग दुःखदायी है किन्तु शिष्टता बनी रहे, तो सम्बंध मे बहुत अंतर नहीं पड़ता। ऐसी मिसाले हैं, किन्तु बहुत कम।

नेता का मुझमें कोई भी गुण नहीं है। महत्वाकांक्षा भी नहीं है। यह बड़ी कमी है। मेरी बनावट कुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हू और न अंधभक्त अनुयायी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अनुशासन मे नहीं रहना चाहता। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूं। नेताओ की दूर से आराधना करता हूं। उनके पास बहुत कम जाता रहा हूं। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है। आत्मप्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता, अच्छा पद पाकर किसे प्रसन्नता नहीं होती, किन्तु मैंने कभी इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सभापति होने के लिए मैंने अनिच्छा प्रकट की, किन्तु अपने मान्य नेताओ के

अनुरोध पर खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे कार्यसमिति में आने को कहा, मैंने इंकार कर दिया किन्तु उनके आग्रह करने पर मुझे निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए किसी नए आंदोलन या पार्टी का आरम्भ नहीं कर सकता। सन् 1934 में जब जयप्रकाशजी ने समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और मुझे सम्मेलन का समापति बनाना चाहा, तो मैंने इंकार कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं समाजवाद को नहीं मानता था, किन्तु इसलिए कि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था। उनसे मेरा काफी स्नेह था और इसी कारण मुझे अंत में उनकी बात माननी पड़ी। सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। बिहार में भूकम्प आया था। उस सिलसिले में विद्यार्थियों को लेकर काम करने गया था। वहाँ पहली बार डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ। मुझे यह कहने में प्रमन्नता है कि जब पार्टी का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पक्ष में थे कि उद्देश्य के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिए। अंत में हम लोगों की विजय हुई। श्री मेहरअली से एक बार 1928 में मुलाकात हुई थी। बम्बई के और मित्रों को मैं उस समय तक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियों के साथ काम करते हुए मुझको घबराहट होती है, किन्तु प्रमन्नता की बात है कि सोशलिस्ट पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शीघ्र ही एक कुटुम्ब के सदस्य की तरह हो गए।

यो तो मैं अपने सूबे में बराबर भाषण किया करता था, किन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस में मैं पहली बार पटना में बोला। मौलाना मुहम्मद अली ने एक बार कहा था कि बंगाली और मद्रासी कांग्रेस में बहुत बोला करते हैं, बिहार के लोग जब औरों को बोलते देखते हैं तो खिसक कर राजेन्द्र बाबू के पास जाते हैं कि “रौवा बोली न !” और यू०पी० के लोग खुद नहीं बोलते और जब कोई बोलता है तो कहते हैं, “क्या बेवकूफ बोलता है।” हमारे प्रांत के बड़े-बड़े नेताओं के आगे हम लोगों को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक समय पंडित जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे किन्तु 1934 में मुझे पार्टी की ओर से बोलना पड़ा। यदि पार्टी बनी न होती तो शायद मैं कांग्रेस में बोलने का साहस भी नहीं करता।

पंडित जवाहरलाल नेहरूजी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी। इस कारण तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेरा उनके प्रति सदा आकर्षण रहा। उनके सम्बन्ध में कई कोमल स्मृतियाँ हैं। यहाँ केवल एक बात का उल्लेख करता हूँ। हम लोग अहमदनगर के किले में एक साथ थे। एक बार टहलते हुए कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने कहा-“नरेन्द्रदेव ! यदि मैं कांग्रेस के आंदोलन में न आता और उसके लिए कई बार जेल की यात्रा न करता तो मैं इंसान न बनता।” उनकी बहन कृष्णा ने अपनी पुस्तक में जवाहरलालजी का एक पत्र उद्धृत किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। पंडित मोतीलालजी की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपनी बहनो को लिखा कि पिता की सम्पत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका ट्रस्टी मात्र हूँ। उस पत्र को पढ़कर मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैंने जवाहरलालजी की महत्ता को समझा। उनको अपने साथियों का बड़ा ख्याल रहता है और वह बीमार साथियों की बड़ी सेवा करते हैं।

महात्माजी के आश्रम में चार महीने रहने का मौका मुझे 1942 में मिला। मैंने देखा कि वह कैसे अपने प्रत्येक रोगी की पूछताछ करते थे। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यकर्ता का ख्याल रखते थे। आश्रमवासी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते थे और वह सबका समाधान करते थे। आश्रम में रोग-क्षय्या पर पड़े-पड़े मैं विचार करता था कि वह पुरुष जो आज के हिन्दू धर्म के किसी नियम को नहीं मानता, वह क्यों असह्य सनातनी हिन्दुओं का अराध्य देवता बना हुआ है। पंडित समाज चाहे उनका भले ही विरोध करे, किन्तु अपठ जनता उनकी पूजा करती है। इस रहस्य को हम तभी समझ सकते हैं, जब हम जाने कि भारतीय जनता पर श्रमण संस्कृति का कही प्रभाव पड़ा है। जो व्यक्ति घर-बार छोड़कर नि स्वार्थ सेवा करता है, उसके आचार की ओर हिन्दू जनता ध्यान नहीं देती। पंडित भले ही उसकी निन्दा करें, किन्तु सामान्य जनता उसका सदा सम्मान करती है। अक्टूबर 1941 में जब मैं जेल से छूटा, तब महात्माजी ने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझसे पूछा और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आश्रम में बुलाया। मैं महात्माजी पर बोल नहीं डालना चाहता था। इसलिए कुछ बहाना कर दिया। पर जब मैं ए० आई० सी० सी० की बैठक में शरीक होने वर्धा गया और वहाँ बीमार पड़ गया, तब उन्होंने रहने के लिए आग्रह किया। मेरी चिकित्सा होने लगी। महात्माजी मेरी बड़ी

फिर रखते थे। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जो चिकित्सक नियुक्त थे, घबरा गए, यद्यपि उसके लिए कोई कारण न था। रात को एक बजे बिना मुझे बताए महात्माजी जगाए गए और वह मुझे देखने आए। वह उनका मौन का दिन था। उन्होंने मेरे लिए मौन तोड़ा। उसी समय मोटर भेजकर वर्धा से डाक्टर बुलाए गए। सुबह तक तबीयत सम्भल गई थी। दिल्ली से स्टैफर्ड क्रिप्स वार्तालाप के लिए आए थे। महात्माजी दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, किन्तु आग्रह होने पर गए। जाने के पहले मुझसे कहा कि वह हिन्दुस्तान के बंटवारे का सवाल किसी-न-किसी रूप में लाएंगे, इसलिए उनकी दिल्ली जाने की इच्छा नहीं थी। दिल्ली से बराबर फोन से मेरी तबीयत का हाल पूछा करते थे। बा भी उस समय बीमार थी। इस कारण वह जल्दी लौट आए। जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वे ईमानदार होते थे तो वह उनको अपने निकट लाने की चेष्टा करते थे। उस समय महात्माजी सोच रहे थे कि जेल में वह इस बार भोजन नहीं करेंगे। उनके इस विचार को जानकर महादेव भाई बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी इस सम्बन्ध में महात्माजी से बातें करो। डाक्टर लोहिया भी सेवाग्राम उसी दिन आ गए थे। उनसे भी यही प्रार्थना की गई। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। महात्माजी ने हमारी बात शांतिपूर्वक सुनी, किन्तु उस दिन अंतिम निर्णय न कर सके। बम्बई में जब हम लोग 9 अगस्त को गिरफ्तार हो गए, तो स्पेशल ट्रेन में अहमदनगर ले जाए गए। उनमें महात्माजी, उनकी पार्टी और बम्बई के कई प्रमुख लोग थे। नेताओं ने उस समय भी महात्माजी से अंतिम बार प्रार्थना की कि वह ऐसा काम न करे। किले में भी हम लोगों को सदा इसका भय लगा रहता था।

सन् 1945 में हम लोग छूटे। मैं जवाहरलालजी के साथ अटमोड़ा जेल से 14 जून को रिहा हुआ। कुछ दिनों के बाद मैं पूना में महात्माजी से मिला। उन्होंने पूछा कि सत्य और अहिंसा के बारे में अब तुम्हारे क्या विचार हैं? मैंने उत्तर दिया कि मैं सत्य की तो सदा से अराधना किया करता हूँ, किन्तु इसमें मुझको मदेह है कि बिना हिंसा के राज्य की शक्ति हम अंग्रेजों से छीन सकेंगे। महात्माजी के सम्बन्ध में अनेक मस्मरण हैं, किन्तु समयभाव से हम इससे अधिक कुछ नहीं कहते।

इधर कई वर्षों से कांग्रेस में यह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में कोई पार्टी

नहीं रहनी चाहिए। महात्माजी इसके विरुद्ध थे। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी मेरी राय थी कि अभी कांग्रेस से अलग होने का समय नहीं है, क्योंकि देश सकट में गुजर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी में इस सम्बंध में मतभेद था, किन्तु मेरे मित्रों ने मेरी सलाह मानकर निर्णय को टाल दिया। मैंने यह भी साफ कर दिया था कि यदि कांग्रेस ने कोई ऐसा नियम बना दिया, जिससे हम लोगों को कांग्रेस में रहना असम्भव हो गया तो मैं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ दूंगा। कोई भी व्यक्ति, जिसको आत्मसम्मान का ख्याल है, ऐसा नियम बनाने पर नहीं रह सकता। यदि ऐसा नियम न बनता और पार्टी कांग्रेस छोड़ने का निर्णय करती तो यह ठीक ही है कि मैं आदेश का पालन करता, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कहां तक उसके पक्ष में होता। कांग्रेस के निर्णय के बाद मेरे सब सदेह मिट गए और अपना निर्णय करने में मुझे एक क्षण भी न लगा। मेरे जीवन के कठिन अवसर, जिनका मेरे भविष्य पर गहरा असर पड़ा है, ऐसे ही हुए हैं। इन मौकों पर ऐसी घटनाएँ हुईं कि मुझे अपना फैसला करने में कुछ देर न लगी। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ।

मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष रह गए हैं। शरीर सम्पत्ति अच्छी नहीं है, किन्तु मन में अब भी उत्साह है। जीवन सदा अन्याय से लड़ते ही बीता। यह कोई छोटा काम नहीं है। स्वतंत्र भारत में इसकी और भी आवश्यकता है। अपनी जिन्दगी पर एक निगाह डालने से मालूम होता है कि जब मेरी आंखें मुँदेंगी, मुझे एक परितोष होगा कि जो काम मैंने विद्यापीठ में किया है, वह स्थायी है। मैं कहा करता हूँ कि यही मेरी पूंजी है और इसी के आधार पर मेरा राजनीतिक कारोबार चलता है। यह सर्वथा सत्य है।

अंतिम वर्ष

यह शीर्षक ही आमक है, पर इसी के तहत कुछ कहना पड़ेगा। वह वर्ष उनका अंतिम वर्ष होगा, यह न तो वही जानते थे और न उनको जानने वाले ही जानते थे। वैसे भी वह वर्ष का प्रारम्भ ही तो था। 19 फरवरी 1956 उनकी इहलीला का अंतिम दिन और 20 फरवरी को उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार। यह सब सदा ही, और जब भी उनकी चर्चा होगी अघट घटना-सी लगती रहेगी। पर यही हुआ।

आचार्यजी का स्वास्थ्य तो 1953 में ही बहुत बिगड़ गया था और इसी कारण उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद से इस्तीफा भी दे दिया। वह 1954 में अयना इलाज कराने अमरीका जाना चाहते थे पर डाक्टरों की सलाह पर इरादा बदल दिया और इंग्लैंड गए। कुछ दिन लंदन में रहकर इलाज कराया। जब वहां भी सुधार नहीं हुआ, तो आस्ट्रिया जाने का इरादा कर लिया। 28 जून को वह वियना पहुँचे। वहीं एक प्रसिद्ध चिकित्सक से इलाज शुरू करा दिया। वहां कुछ दिन इलाज कराने के बाद वह ओब्लाडिस चले गए। यह समुद्रतल से 4500 फुट ऊंचा बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ की जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभकारी सिद्ध हुई। कहते हैं, यहाँ उनके स्वास्थ्य में इतनी तेजी से सुधार हुआ कि दो सप्ताह बाद उन्होंने दवा बंद कर दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अभयदान मिल गया। ओब्लाडिस में 25 दिन रहने के बाद कार से वह जेनेवा के लिए चल पड़े थे। वहाँ बर्लिन, ब्रूमेल्स, यूगोस्लाविया से होते हुए पुनः जर्मनी आए और लंदन में कुछ दिन ठहर कर लिवरपूल में मजदूर पार्टी के एक सम्मेलन में भाग लेने गए। वस्तुतः वापसी में लंदन की जलवायु उनके अनुकूल सिद्ध नहीं हुई और वह पुनः बीमार पड़ गए। बीमारी की ही ह्रासत में लिवरपूल चले तो गए, पर होटल से बाहर न जा सके थे। उन्होंने

घर आने का निश्चय कर लिया और कैरो, इजराइल और लेबनान होने हुए हिन्दुस्तान वापस आ गए।

देखा जाए तो यह चिकित्सा यात्रा भी जनतान्त्रिक समाजवाद की कल्पना को परिपुष्ट करने की ही यात्रा थी और आचार्यजी का अधिकांश समय उन देशों के राजनेताओं, समाजवादी कार्यकर्ताओं और विशिष्ट व्यक्तियों से भेट-वार्ता में ही बीता था। आचार्यजी की यह लाचारी ही रही कि उनके आगमन पर वहाँ के विशिष्ट व्यक्ति उन्हें अकेला नहीं छोड़ते और उनके सम्मान आदि का आयोजन भी करते और विचार-विमर्श भी। यह सब आचार्यजी की अपनी धारणाओं को पुष्ट करने में सहायक तो हुआ, पर स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। स्वदेश आकर वह अपना समय एक ऐसा युवक समाज तैयार करने में लगाना चाहते थे जो जनतान्त्रिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध हो। पर विधि का विधान यदि होता है तो कुछ दूमरा ही हुआ यहाँ आकर उन्हें पार्टी की दुश्चिन्ताओं ने घेर लिया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आंतरिक विवाद के भवरजाल में फस चुकी थी। डा० लोहिया और आचार्य कृपालानी एक दूसरे के साथ काम करने में असमर्थ थे। कृपालानीजी ने इस्तीफा दे दिया था और पार्टी बिना किसी नाविक के डूबने की स्थिति में आ गई थी। आचार्यजी ने बीमार रहते हुए भी पार्टी को बचाने की दृष्टि से उसका अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया और यह निर्णय उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ। वह उसके आंतरिक विवाद और विग्रह में इतने क्षुब्ध हुए कि उनकी मानसिक स्थिति का उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा।

इस बीच एक नई घटना हुई। आवडी कांग्रेस में कांग्रेस ने 'समाजवादी ढंग का समाज' बनाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। इस प्रस्ताव का खुलासा कभी नहीं किया गया और इसने वस्तुतः एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, जिसमें आज तक कांग्रेस नहीं निकल सकी है। होना तो यह चाहिए था कि इनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पड़ता, पर जब पार्टी के प्रायः सभी बड़े-बड़े और मान्य तथा प्रबुद्ध नेता आपसी युद्ध में फस चुके हो, तो उसका उद्धार आचार्यजी के लिए कठिन होने लगा। आचार्यजी को पार्टी का अंत स्पष्ट दिखाई देने लगा था और उसी के साथ भारत में समाजवाद का भी अंत दिखाई देने लगा। इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है कि वह व्यक्ति, जो जनतान्त्रिक समाजवाद का प्रतीक पुरुष बन कर जी रहा था,

जो समाजवाद में ही देश की समृद्धि और शक्ति, उसकी एकता और उसकी स्वतंत्रता देख रहा था, उसको विघटित होने देखकर क्या जीवित रह सकता था।

आचार्यजी ऊपर से दृढ़ बने रहे पर भीतर से खोखले होते गए। सन् 1955 के अंत तक उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था कि चारो ओर भय का वातावरण-सा छा गया। 3 जनवरी को वह हवाई जहाज से पेन्नादुराई (केरल) ले जाए गए और उनकी चिकित्सा व्यवस्था में श्रीप्रकाशजी का बड़ा ही मराहनीय योगदान रहा। सारा प्रयत्न व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। सन् 1953 से लेकर सन् 1955 तक का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इतिहास उनके अंत का कारण बना, यह कहने में इस लेखक को तनिक भी संकोच नहीं।



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार